

स्वाध्याय

स्वमन्थन

स्वावलम्बन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय



॥ सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ॥

B.Ed. E-05 :
Language Across the Curriculum
(पाठ्यचर्या में भाषा)



शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज - 211013

www.uprtou.ac.in

टोल फ्री नम्बर- 1800-120-111-333



कुलपति

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय

संदेश

प्रयागराज की पवित्र भूमि पर भारत रत्न राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन के नाम पर वर्ष 1999 में स्थापित उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज 30प्र0 का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय 30प्र0 जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य में उच्च शिक्षा के प्रत्येक आकांक्षी तक गुणात्मक तथा रोजगारपरक उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में निरन्तर अग्रसर एवं प्रयत्नशील है। तत्कालीन देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में एक वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा व्यवस्था के रूप में भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का पदार्पण हुआ था, परन्तु वर्तमान परिस्थितियों तथा तकनीकी का सार्थक प्रयोग करते हुये मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा आज की सर्वोत्तम पूरक शिक्षा व्यवस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली के सामने व्याप्त पाँच मुख्य चुनौतियों - (i) पहुँच (Access), (ii) समानता (Equity), (iii) गुणवत्ता (Quality), (iv) वहनीयता (Affordability) तथा (v) जवाबदेही (Accountability) को केन्द्र में रखकर घोषित देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय कृत संकल्पित है। 30प्र0 की माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति की सदृच्छाओं के अनुरूप उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, शैक्षिक दायित्वों के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी लगातार नवप्रयास कर रहा है। चाहे वह गाँवों को गोद लेकर उनके समग्र विकास का प्रयास हो या ग्रामीण महिलाओं, ट्रान्सजेन्डर व सजायाफ्ता कैदियों को शुल्क में छूट प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास जागृति व उच्च शिक्षा के प्रति अलख जगाने का प्रयास हो।

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक मूलभूत जरूरत है। ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में हो रहे तीव्र परिवर्तनों व वैश्विक स्तर पर रोजगार की परिस्थितियों में आ रहे परिवर्तनों के कारण भारतीय युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा। इसीलिए विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हेतु शिक्षा को सर्वसुलभ, समावेशी तथा गुणवत्तापरक बनाना समसामयिक अपरिहार्य आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों ने परम्परागत शिक्षा को और भी सीमित कर दिया है जिसके कारण मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था ही एकमात्र पूरक एवं प्रभावी शिक्षा व्यवस्था के रूप में सार्थक सिद्ध हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व और भी बढ़ जाता है। इस दायित्व को एक चुनौती स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय ने प्राचीन तथा सनातन भारतीय ज्ञान, परम्परा तथा सांस्कृतिक दर्शन व मूल्यों की समृद्ध विरासत के आलोक में सभी के लिए समावेशी व समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने तथा जीवन पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अपने शैक्षिक कार्यक्रमों में जागरूकता में प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, परास्नातक डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक तथा शोध उपाधि के समसामयिक शैक्षिक कार्यक्रमों की संख्या तथा गुणात्मकता में वृद्धि की है।

शैक्षिक कार्यक्रमों में संख्यात्मक वृद्धि, गुणात्मक वृद्धि तथा रोजगारपरक बनाने के साथ-साथ प्रत्येक उच्च शिक्षा आकांक्षी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन केन्द्रों व क्षेत्रीय केन्द्रों के विस्तार के साथ-साथ प्रवेश परीक्षा, प्रशासन तथा परामर्श (शिक्षण) में आनलाइन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। विश्वविद्यालय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चयन की दृष्टि से तकनीकी के प्रयोग को बढ़ाया गया है। 'चुनौती मूल्यांकन' की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य किया गया है, तो शिक्षार्थी सहायता सेवाओं में भी वृद्धि की जा रही है। शिक्षार्थियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पुरातन छात्र परिषद को गतिशील किया गया है।

“गुरुकुल से छात्रकुल” के सूक्त वाक्य को आत्मसात करते हुए विश्वविद्यालय ने शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये गुणवत्तापूर्ण स्वअध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों द्वारा तैयार व्याख्यान को भी ऑनलाईन उपलब्ध कराया गया है।

शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रसर होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) नई दिल्ली तथा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, 30प्र0 की अनुमति से विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ किया गया है तथा वर्ष पर्यन्त समसामयिक विषयों पर व्याख्यान, सेमिनार, वेबिनार तथा आनलाइन संगोष्ठियों आदि की शृंखला भी प्रारम्भ की गयी है। विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च प्रोजेक्ट सम्पादन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। पुस्तकालय को अत्याधुनिक तथा सुदृढ़ बनाने हेतु कदम उठाये गये हैं। शिक्षकों व कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा कल्याण की योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं।

प्रो० सत्यकाम
कुलपति



B.Ed. E-05 :
Language Across the Curriculum
(पाठ्यचर्या में भाषा)

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन
मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

खण्ड-01 : भाषा की उत्पत्ति एवं	5-46
इकाई 1 : भारतीय भाषा की उत्पत्ति	5-18
इकाई 2 : भाषा का विकास	19-35
इकाई 3 : मानक भाषा के मानदंड	36-46
खण्ड-02 : अनुदेशनात्मक भाषा	48-97
इकाई 4 : राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं	48-60
इकाई 5 : अनुदेशन का माध्यम	61-75
इकाई 6 : त्रिभाषा सूत्र	76-97
खण्ड-03 : भाषा को समझाना	99-139
इकाई 7 : कक्षा-कक्ष में भाषायी विविधता	99-116
इकाई 8 : भाषा प्रवीणता	117-129
इकाई 9 : विद्यालयों में भाषा सम्बन्धी समस्याएं	130-139
खण्ड-04 : भाषा का कौशल	141-170
इकाई 10 : पढ़ने और लिखने का कौशल	141-149
इकाई 11 : श्रवण और वाचन का कौशल	150-159
इकाई 12 : लेखन के सम्प्रदाय	160-170
खण्ड-05 : कक्षा-कक्ष अंतःक्रिया की प्रकृति का अवबोध	172-196
इकाई 13 : भाषागत सम्प्रेषण कौशल	172-183
इकाई 14 : कक्षा अन्तः क्रिया	184-189
इकाई 15 : कक्षा-कक्ष में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी	190-196

B.Ed. E-05 : Language Across the Curriculum
(पाठ्यचर्या में भाषा)

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

संरक्षक एवं मार्गदर्शक

प्रोफेसर सत्यकाम

कुलपति

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

विशेषज्ञ समिति

प्रोफेसर पी.के. स्टालिन	निदेशक, शिक्षा विद्याशाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर पी.के. पाण्डेय	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर छत्रसाल सिंह	प्रोफेसर, शिक्षा विद्याशाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर के.एस. मिश्रा	पूर्व कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर धनन्जय यादव	विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज
प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह	आचार्य, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
डॉ. जी.के. द्विवेदी	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ. दिनेश सिंह	सह आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
डॉ. सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

लेखक

डॉ. बुद्धि सागर गुप्ता	सह आचार्य, शिक्षा संकाय, बाबा भीमराव अम्बेडकर केन्द्रिय विश्वविद्यालय, लखनऊ (इकाई-1,2,3)
प्रो. ऊषा शर्मा	आचार्य, शिक्षक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली (इकाई-4,5,6)
डॉ. अमिता गुप्ता	सहायक आचार्य, एम.एड. विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली (इकाई-7,8,9)
डॉ. धीरेन्द्र सिंह यादव	सहायक आचार्य, शिक्षा संस्थान, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी (इकाई-10,11,12)
डॉ. आशीष पाठक	सहायक आचार्य, बी.एड. विभाग, शहीद मंगल सिंह राजकीय महाविद्यालय, मेरठ (इकाई-13,14,15)

सम्पादक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
---------------------	--

परिभाषक

प्रोफेसर छत्रसाल सिंह	आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
-----------------------	--

समन्वयक

डॉ. सुरेन्द्र कुमार	सहायक आचार्य, शिक्षा विद्याशाखा, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
---------------------	--

प्रकाशक : कुल सचिव, उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज।

2024 (मुद्रित)

© ३०१० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

ISBN : 978-93-48270-96-2

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पाठ्यसामग्री का कोई भी अंश उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिनियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

नोट : पाठ्य सामग्री में मुद्रित सामग्री के विचारों एवं आकड़ों आदि के प्रति विश्वविद्यालय, उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशन : उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशक : कुलसचिव, कर्नल विनय कुमार, ३०१० राजर्षि टण्डन विश्वविद्यालय, प्रयागराज – 211013

मुद्रक :- चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड, 42/7 जवाहरलाल नेहरू रोड, प्रयागराज- 211006

खण्ड परिचय

मानव सभ्यता के विकास के साथ ही भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ। मानव मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विभिन्न विचारों को मूर्तरूप देने का सबसे सुलभ और उत्तम साधन भाषा ही है। हिन्दी हमारी अधिकृत राष्ट्रभाषा है। मानक हिन्दी भाषा, हिन्दी के विभिन्न रूपों में सर्वमान्य रूप है। वह रूप पूरी तरह सुनिश्चित व सुनिर्धारित है तथापि इसमें गतिशीलता भी है। प्रस्तुत खंड में हम पाठ्यक्रम में भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे। इस खंड को तीन इकाईयों जैसे— भारतीय भाषा की उत्पत्ति, भाषा का विकास एवं मानक भाषा के मानदंड में विभाजित किया गया है। तीनों इकाईयों के बारे में विवरण अग्रलिखित है—

इकाई—1 में हमने भाषा की प्रकृति एवं संप्रत्यय के बारे में बताया गया है। भाषा के शाब्दिक अर्थ एवं विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया गया है। भाषा के विभिन्न आधार जैसे— मानसिक आधार और भौतिक आधार बारे में अध्ययन किया गया है। भाषा की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तत्वों, कारकों जैसे इतिहास, भूगोल, प्रयोग या व्यवहार आदि के संदर्भ में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भाषा उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत इकाई में भाषा के विभिन्न महत्व जैसे— भाषा भावों—विचारों की अभिव्यक्ति, भाषा मनुष्य की भावनात्मक सृजनात्मक बौद्धिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है, का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इकाई—2 में भाषा के विभिन्न अंगों जैसे— ध्वनि, शब्द पद, वाक्य और अर्थ आदि के विषय में बताया गया है। भाषा विकास एवं उसके प्रकार, विभिन्न प्रकार की लिपियों जैसे— चित्र लिपि, भाव लिपि एवं ध्वनि लिपि लिपि की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। भारतीय लिपि विज्ञान की प्राचीनता एवं उसके विभिन्न प्रकार की लिपियों जैसे— ब्राम्ही लिपि, खरोष्ठी लिपि और देवनागरी लिपि एवं देवनागरी लिपि की विशेषताओं का वर्णन एवं भाषा के प्रकार जैसे— मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, जन्म भाषा, उच्चारित भाषा, लिखित भाषा तथा भाषा के विभिन्न कौशलों जिसमें ग्रहण पक्ष के अंतर्गत सुनना और पढ़ना तथा अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत बोलना और सीखना आदि एवं भाषा सीखने की विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है।

इकाई—3 में भाषा के विभिन्न विशेषताओं, मानक भाषा के अर्थ एवं परिभाषा को विस्तारपूर्वक अध्ययन किया गया है। मानक भाषा के विभिन्न मानदण्ड शीर्षक के अंतर्गत उसके विभिन्न मानकों एवं विशेषताओं के संदर्भ में वर्णन किया गया है। मानक भाषा के रूप में हिंदी भाषा एवं मानक भाषा के रूप में हिंदी के महत्व का विस्तारपूर्वक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

इकाई— 01 : भारतीय भाषा की उत्पत्ति

इकाई की संरचना

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 इकाई के उद्देश्य
- 1.3 भाषा की प्रकृति एवं सम्प्रत्यय
- 1.4 भाषा की परिभाषा
- 1.5 भाषा के आधार
- 1.6 भाषा की उत्पत्ति
- 1.7 भाषा का महत्व
- 1.8 सारांश
- 1.9 अभ्यास के प्रश्न
- 1.10 चर्चा के बिन्दु
- 1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 1.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1.1 प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास के साथ ही भावों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ। मानव मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विभिन्न विचारों को मूर्तरूप देने का सबसे सुलभ और उत्तम साधन भाषा ही है। मानव विभिन्न ध्वनियों अथवा संकेतों के माध्यम से बहुत कुछ समझ सकता है, परन्तु उसमें न तो कोई स्पष्टता होती है और न ही कोई भावों की प्रधानता जैसे चिड़िया के चहचहाने, कोयल के कूकने, बिजली के कड़कने आदि को सुनकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं किंतु उससे भाषा जैसी निश्चित अर्थबोध नहीं हो सकता है। वैसे तो पशुओं की भी अपनी विशिष्ट भाषा होती है, परन्तु फिर भी उनका जीवन अत्यन्त दयनीय एवं कष्टदायी होता है। मनुष्य भी पशुओं की श्रेणी में आता है लेकिन वह अपनी विकसित बुद्धि और भाषा के आधार पर वह अन्य सभी पशुओं पर नियंत्रण और अधिकार करने में सक्षम हो जाता है। भाषा के अर्थबोध का वरदान केवल मानव को ही प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत इकाई में भाषा की प्रकृति एवं सम्प्रत्यय, परिभाषा, भाषा के आधार, भाषा की उत्पत्ति एवं महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे—

1.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. भाषा के सम्प्रत्यय को समझ सकेंगे।
2. भाषा की प्रकृति से अवगत हो सकेंगे।
3. भाषा के अर्थ को समझ सकेंगे और उसे परिभाषित कर सकेंगे।
4. भाषा के विभिन्न आधारों से परिचित हो सकेंगे।
5. भाषा की उत्पत्ति के विषय में बता सकेंगे।
6. भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को समझ सकेंगे।
7. समाज में भाषा के महत्व को प्रदर्शित कर सकेंगे।

1.3 भाषा की प्रकृति एवं सम्प्रत्यय

सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिसमें भावों के प्रकटन का कार्य लिया जाता है। इस दृष्टिकोण से पशु-पक्षियों की भी एक भाषा है, कोई संकेत भी भाषा है, चौराहे पर लगे विभिन्न रंगों की बत्तियों की भाषा है और मानव जो बोलता है वह भी भाषा है। पशु पक्षियों की भाषा का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि उनकी भाषा में भी भाव और अभिप्राय के अनुसार अंतर होता रहता है। प्रसन्नता के समय उनकी भाषा वही नहीं रहती जो दुख और भय में होती है। गाय, कुत्ते एवं अन्य पशु पक्षियों की बोली को ध्यान से सुनने पर हम देखते हैं कि उनकी मनोदशा के अनुसार उनकी ध्वनि में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। आप जब भी अपना मत प्रकट करते हैं तो अपने शरीर के अंगों का संचालन या अलग अलग भाव-भंगिमा भी भाषा के अंतर्गत आ जाता है। पलक झपकाकर किसी को अपनी सहमति दे देना, किसी को बैठने या जाने का हाथ से अथवा सिर हिलाकर उन्हें संकेत कर देना भी हमारे दैनिक व्यवहार की भाषा है। भाषा की प्रकृति एवं उसके स्वरूप पर हम जब विचार करते हैं तो पाते हैं कि 'भाषा मौखिक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा उस भाषाई समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान-प्रदान एवं सहयोग करते हैं।' जब हम इस परिभाषा का विश्लेषण करते हैं तो इस परिभाषा में भाषा के संबंध में कुल पांच बातें निकलकर आती हैं—

- भाषा एक व्यवस्था है।
- भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है।
- भाषा के प्रतीक मौखिक अथवा वाचिक होते हैं।
- भाषा के प्रतीक यादृच्छिक होते हैं।
- भाषा परस्पर विचार-विनिमय एवं सामाजिक-क्रियाकलाप का साधन है।

उपरोक्त पाँचों बातों पर जब हम विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि प्रथम चार तथ्य भाषा की उत्पत्ति, भाषा की रचना एवं उसमें निहित उसके तत्वों से संबंधित हैं जबकि पांचवीं बात का सम्बन्ध भाषा की व्यावहारिक उपयोगिता और उसके महत्त्व से संबंधित हैं। भाषा शिक्षण की दृष्टि से जब हम इसे देखते हैं तो इन पाँचों तत्वों के बारे में अलग अलग विचार कर लेना उचित प्रतीत होता है। क्योंकि इन पाँचों को समझ बिना हम भाषा के स्वरूप एवं उसकी प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं।

1. **भाषा एक व्यवस्था है—** जब हम किसी भाषा के स्वरूप, उसकी उत्पत्ति, उसकी प्रकृति आदि के संदर्भ में विचार करते हैं तो ये पाते हैं की भाषा एक संगठन है, एक व्यवस्था है, यह अपने प्रारंभिक स्तर पर अस्त-व्यस्त विश्रुंखलित एवं अव्यवस्थित रूप से रही होगी। जैसे-जैसे इन भाषाओं का विकास हुआ होगा वैसे-वैसे यह व्यवस्थित और नियमित हो गयी होगी। भाषा को हम इस रूप में विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा एक व्यवस्था है, वह क्रमानुसार उच्चारित विभिन्न ध्वनियों की श्रृंखलाबद्ध रचना है। इस तथ्य को समझने के लिए हमें कुछ अन्य बातों पर विचार करना भी आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं—
 - i. भाषा का मूल तत्व ध्वनि होती है। प्रत्येक भाषा में कुछ मान्य ध्वनियाँ होती हैं और कुछ अमान्य भी होती है। इन ध्वनियों की अपनी एक व्यवस्था होती है, जैसे— स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर और व्यंजन।
 - ii. ध्वनियों के उच्चारित, लिखित, सांकेतिक आदि रूप होते हैं, परन्तु हम इन्हें भाषा की संज्ञा नहीं दे सकते हैं क्योंकि अलग-अलग ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता, कोई महत्त्व नहीं होता। कुछ ध्वनियाँ मिलकर जब किसी शब्द का निर्माण करते हैं, तब वे ही सार्थक सिद्ध होते हैं क्योंकि शब्द ही किसी वस्तु, भाव, विचार के प्रतीक होते हैं फिर शब्द के रूप, रचना, अर्थ और प्रयोग की एक व्यवस्था बन जाती है।
 - iii. शब्द से हमारा आशय व अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए अन्य शब्दों के साथ मिलकर ही वाक्य का निर्माण होता है। अकेला एक शब्द किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं देता है।

प्रत्येक भाषा में वाक्य-संरचना या वाक्यों के गठन की भी एक व्यवस्था होती है। जैसे- हिंदी वाक्य रचना में शब्दों का जो क्रम है वह अन्य भाषा में नहीं है। अन्य भाषा में वाक्य संरचना की भाषा अलग-अलग होती है।

- iv. भावों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से जैसे तो वाक्य को भाषा की एक इकाई माना जाता है, परन्तु जब वाक्य से पूर्ण अभिव्यक्ति या पूर्ण अभिप्राय नहीं निकल पाता है तब हम अनेक वाक्यों को मिलाकर एक अनुच्छेद का निर्माण कर लेते हैं और एक या अनेक अनुच्छेदों से हम अपने आशय को प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा का आकार या उसका ढांचा वृहद् रूप धारण करता जाता है। यह आकार ही भाषा की व्यवस्था का मूल परिचायक है। यही इसकी विशालता का द्योतक है।

उपरोक्त के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भाषा विभिन्न पदों का एक क्रमबद्ध रूप है, जिसमें परस्पर ध्वनि से बंधें पद और पदबंध, वाक्यांश, वाक्य और अनुच्छेद इन स्तरों पर भाषा की संरचना होती रहती है। इसी कारण भाषा को उप-व्यवस्थाओं की व्यवस्था भी कहा जाता है। कुछ भाषाशास्त्रियों के अनुसार इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्था के आधार पर भाषा को परस्पर संबद्ध अव्यवस्था से युक्त भाषा भी कहा जाता है, ये परस्पर संबद्ध होते हैं। वर्ण और ध्वनि, शब्द या पदबंध वाक्यांश, वाक्य आदि से शब्दों के अर्थ का बोध होता है। शब्दात्मक संरचना में अर्थ संरचना नहीं होती है। इसलिए भाषा को व्यवस्थाओं का संयुक्त रूप कहा जाता है। हमें भाषा शिक्षण में भाषा की इस संरचनात्मक या व्यवस्था को भलीभाँति अध्ययन करके उस पर ध्यान रखना चाहिए और विविध अव्यवस्थाओं में से किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अन्यथा उसमें वह कुशलता या वह विशेषता नहीं मिलेगी जो भाषा की अपनी व्यवस्था होती है।

2. **भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है-** जैसा कि हम जानते हैं शब्दों से ही भाषा का निर्माण होता है और ये शब्द किसी भाव, पदार्थ, विचार, अनुभूति आदि की ध्वन्यात्मक संकेत या प्रतीक होते हैं। किसी वस्तु या विचार को प्रकट करने के लिए उनके प्रतीक रूप में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर अपने प्रचलन के कारण शब्द और उसमें निहित अर्थ एक साथ संयुक्त हो जाते हैं। शब्दमात्र को सुनते ही उससे संबंधित वस्तुभाव या विचार का प्रत्यक्षीकरण हमारे मानसपटल पर हो जाता है। इन प्रतीकों के अभाव में सृष्टि के किसी भी पदार्थ, गोचर या अगोचर, जड़ या चेतन का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं होता है। इन प्रतीकों को ही क्रमबद्ध ढंग से रखकर हम अपने आशय को प्रकट करते हैं। इसी कारण हम भाषा को प्रतीकों की व्यवस्था कहते हैं। प्रतीक और भाषा का यदि सम्बन्ध नहीं होता है तो भाषा का प्रयोग करने वाले का मंतव्य कुछ और होता और उसे समझने वाला कुछ और। इसलिए भाषा में यह आवश्यक होता है कि भाषा का प्रयोग ठीक उसी तरह से करें जिसके माध्यम से उसी वस्तु का बोध या संकेत हो जिसके लिए हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।
3. **भाषा के प्रतीक मौखिक होते हैं-** जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है वे मूलतः लिखित न होकर मौखिक प्रतीक होते हैं। ये प्रतीक मानव के मुख से निकली हुई ध्वनियों के समूह से निर्मित होते हैं। ये प्रतीक तीन प्रकार के हो सकते हैं- 1. स्पर्श ग्राह्य 2. चक्षु ग्राह्य 3. श्रोत ग्राह्य, अर्थात् स्पर्श के माध्यम से समझने वाले, दृष्टि से देखने वाले तथा कर्ण से सुनने वाले। भाषा केवल श्रोत, स्पर्श या चक्षु ग्राह्य न होकर उच्चारण से निःस्रित ध्वनि समष्टि को ही भाषा कहते हैं। इसलिए ढोल पीटना, बिगुल बजाना, घंटा बजाना, सीटी बजाना आदि ध्वनियां सिर्फ ध्वनि होते हुए भी भाषा नहीं मानी जा सकती है। अतः भाषा का उच्चारित रूप ही उसका मूल रूप होता है। वस्तुतः अन्य भाषा शब्द स्वतः मनुष्य की वाचिक भाषा का ही द्योतक है। भाषा विज्ञान में भी मुख्यतः वांछित भाषा का ही अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। इसलिए भाषा निश्चित रूप से उच्चारण के अधीन है। यदि मनुष्य इसे उच्चारित न करें तो किसी प्रकार की भाषा संभव नहीं हो पाएगी। हम सिर्फ देखकर या सुनकर ही भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। यह अधूरा एवं एकांगी होगा, परन्तु जब मनुष्य ध्वनियों का प्रयोग करके उसका उच्चारण करता है तो भाषा का स्पष्ट रूप निकलकर आता है।
4. **भाषा के प्रतीक यादृच्छिक होते हैं-** भाषा में प्रयुक्त शब्द या प्रतीक सार्थक तो होते हैं उनसे लक्षित या उनसे बोधित वस्तु भाव या विचार से उनका कोई जन्मजात या ईश्वरीय संबंध नहीं होता है। यह संबंध मनुष्य अपने अनुसार यानी यादृच्छिक रूप से बना लेता है। शब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंध

भी नहीं होता है, परन्तु यह सही है कि शब्द और अर्थ का संबंध तर्क और विवेक पर आधारित न होने पर भी प्रयोग, व्यवहार और दीर्घकालीन प्रचलन के कारण इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वह सहज रूप से स्वाभाविक लगने लगता है। यह रूढ़िगत एवं परंपरागत प्रचलन में बन जाते हैं। पर यह स्पष्ट रूप से हमें जान लेना चाहिए कि शब्द और अर्थ का संबंध यादृच्छिक होता है। यह सम्बन्ध यदि जन्मजात, स्वाभाविक और तर्कसम्मत होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु, भाव या विचार के लिए एक ही प्रतीक का प्रयोग होता है किंतु ऐसा नहीं होता है। यदि यह शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के लिए माने हुए अथवा यादृच्छिक नहीं होते तो शायद संसार के सभी भाषाएं एक जैसी होती। यह भाषायी विभिन्नता के कारण अलग-अलग होता है। इसलिए इसको यादृच्छिक कहा जाता है।

5. **भाषा परस्पर विचार-विनिमय एवं सामाजिक-क्रियाकलाप का साधन है-** भाषा समाज सापेक्ष होता है। भाषा को हम स्वतंत्र रूप से नहीं मान सकते हैं। जैसा जहाँ का समाज होता है वैसी ही वहाँ की अपनी भाषा होती है, क्योंकि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज में ही उसका जन्म होता है, समाज में ही वह पलता है, बढ़ता है और समाज में ही उसका विकास होता है। जैसे भाषा एवं समाजशास्त्रियों में आज भी यह विवाद बना हुआ है कि सामाजिक विचार-विनिमय की आवश्यकताओं ने ही भाषा को जन्म दिया है या भाषा की उत्पत्ति ने समाज-निर्माण को प्रशस्त किया है। ये दोनों ही विचार सही हैं या तो समाज ने भाषा को आगे बढ़ाया या भाषा ने समाज को आगे बढ़ाया, परन्तु इतना तो सत्य है कि व्यक्ति समाज से ही भाषा सीखता है और भाषा द्वारा ही वह अपने समाज में अपना संबंध स्थापित करता है। इसलिए बिना भाषा के सामाजिक सहयोग संभव नहीं है। किसी भी प्रकार की गतिविधि या आदान-प्रदान या सामाजिक प्रक्रिया के लिए भाषा आवश्यक है। जैसे ही मानव के समाज का परिवर्तन होता है, वह दूसरे समाज में अपने आप को स्थापित करता है और जैसे ही वहाँ के समाज के अनुसार भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा समाज सापेक्ष होता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

- भाषा की प्रकृति एवं उसके स्वरूप के बारे में बताइए?

.....

.....

- भाषा की व्यावहारिक उपयोगिता और उसके महत्त्व से संबंधित तथ्य कौन सा हैं?

.....

.....

- भाषा के प्रतीक यादृच्छिक क्यों होते हैं?

.....

.....

- भाषा के प्रतीक कितने प्रकार के होते हैं?

.....

.....

1.4 भाषा की परिभाषा

‘भाषा’ शब्द संस्कृत की ‘भाष्’ धातु से बना है जिसका तात्पर्य है ‘व्यक्तवाणी’। ‘व्यक्तवाणी’ का अर्थ होता है— ‘स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना’ जो कि उच्चरित भाषा से ही संभव होता है। इस उच्चरित भाषा में अतिसूक्ष्म अर्थों के बोधगम्य, अनंत ध्वनि आदि संकेत होते हैं। भाषा मानव की उच्चरित भाषा के लिए ही उचित होता है भाव-बोधन के अन्य साधनों के लिए नहीं। भाव-बोधन के अन्य साधनों के लिए भाषा का प्रयोग

संकुचित अर्थ में ही होता है। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव, इच्छा आदि प्रकट करता है। इस दृष्टि से भावों की अभिव्यक्ति के समस्त साधन भाषा के अंतर्गत आते हैं। भाषा की सर्वमान्य परिभाषा लाने का कार्य बहुत ही कठिन है क्योंकि कोई भी परिभाषा ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से सर्वमान्य एवं उचित हो। इस जटिलता के पश्चात् भी कुछ भाषा-विशेषज्ञों ने भाषा की परिभाषाएं देने का प्रयास किया है जो इस प्रकार है—

हेनरी स्वीट— “ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।”

सुकुमार सेन— “कण्ठ के द्वारा उत्पन्न अर्थवान ध्वनि-समष्टि ही भाषा है।”

इनसाइक्लोपीडिया आप ब्रिटैनिका— “भाषा यादृच्छिक, मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा मनुष्य, समाज एवं संस्कृति के सदस्य होने के कारण परस्पर विचारों एवं कार्यों का आदान-प्रदान करता है।”

भोलानाथ तिवारी— “भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली वह सार्थक ध्वनि-समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके।”

पी० डी० गुणे— “ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों और विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।”

बाबूराम सक्सेना— “जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है, उसे हम भाषा कहते हैं।”

उपरोक्त सभी भाषाओं के विवेचना की पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि भाषा यादृच्छिक, उच्चारित संकेत की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय, सहयोग अथवा भावों की अभिव्यक्ति करता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर भाषा की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

- भाषा उचित संकेत है।
- भाषा यादृच्छिक है।
- भाषा एक प्रकार की व्यवस्था या प्रणाली है।
- यह परस्पर विचार-विनिमय का सशक्त माध्यम है।
- भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने भावों, संवेगों और अनुभवों को प्रकट करता है।
- भाषा के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण होता है।
- भाषा प्रतीकात्मक व्यवस्था है।
- यह हृदयगत भावों और विचारों का प्रकटीकरण है।

अभी तक आपने भाषा के शाब्दिक अर्थ एवं विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया है। अब इसके आधार पर निम्नलिखित बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
 ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
5. भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है?

.....

6. इनसाइक्लोपीडिया आप ब्रिटैनिका के अनुसार भाषा की क्या परिभाषा है?

.....

1.5 भाषा के आधार

बालक जब इस संसार में आता है तब वह अपने ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के तत्वों को ग्रहण करता है, जब बालक भावों एवं विचारों को व्यक्त करता है तब उसकी भाषा का स्पष्ट रूप हमारे सामने आता है। परन्तु इन भावों और विचारों का उत्पन्न होना, प्रदर्शित होना एक विशिष्ट मानसिक क्रिया का द्योतक होता है, इसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। विचार ही भाषा की आत्मा है, इस आत्मा का शरीर रूप ही भाषा है। व्यापक रूप से यदि हम देखते हैं तो भाषा के दो आधार स्पष्टतः हमारे सम्मुख आते हैं— 1. मानसिक आधार 2. भौतिक आधार।

1. **मानसिक आधार**— भाषा एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। भावों और विचारों की उत्पत्ति और बोलने की प्रेरणा हमारे मानसिक आधार का सबसे बड़ा उदाहरण है और यही हमारी भाषा का मानसिक आधार है।
2. **भौतिक आधार**— जब हम भाषा के भौतिक आधार की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि उत्पन्न एवं प्रस्तुत भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि संकेतों से हम काम लेते हैं वही भाषा के भौतिक आधार होते हैं, जैसे— हमारी वांगेन्द्रियाँ, आंख, नाक, कान, हाथ आदि शारीरिक अवयव भी जिनसे बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने में सहायता मिलती है ये हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ भाषा की भौतिक आधार के रूप में जाने जाते हैं।

मानसिक और भौतिक या शारीरिक आधारों से ही भाषा का प्रादुर्भाव होता है और उसी से उसका विकास एवं प्रभावशाली रूप प्रकट होता है जिससे सामाजिक आदान-प्रदान चलता रहता है। जैसा कि पाणिनी महोदय ने इसको स्पष्ट रूप से बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है—

आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।

मनः कामाग्निमाहन्ति सं प्रेरयति मारुतम्॥

मारुतस्तुरसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम्।

सोदीणो मुर्धन्यमिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः।

वर्णान्जनयते तेशाम् विभागः पन्वधा स्मृतः॥

उपरोक्त श्लोक जो कि पाणिनीय शिक्षा में वर्णित है इस को देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि बुद्धि के साथ आत्मा वस्तुओं को देखकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है, मन शारीरिक शक्ति पर प्रभाव डालता है जिससे वायु में प्रेरणा उत्पन्न होती है, प्रेरित वायु स्वांशनी या फेफड़े में चलती हुई कोमल ध्वनि को उत्पन्न करती है, फिर बाहर की ओर जाकर और मुख के ऊपरी भाग से अवरुद्ध होकर वह वायु मुख में पहुँचती है और पंचधा विभक्ति ध्वनियों को उत्पन्न करती है।

ये मानसिक प्रत्यय, ध्वनि के रूप में कैसे अभिव्यक्त होते हैं इसका सर्वोत्तम स्वरूप उपरोक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है। आत्मा से व्यक्ति का चेतना पक्ष, बुद्धि से ज्ञान पक्ष, मन से प्रेरणा पक्ष, वायु के संचरण, निर्गमन और अवरोध से शरीर पक्ष निर्दिष्ट होता है। यह चेतना पक्ष, ज्ञान पक्ष और प्रेरणा पक्ष मन के व्यापार है और इसलिए ये सभी भाषा के मानसिक आधार के रूप में जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त शरीर पक्ष उनका भौतिक आधार है। वाणी की उत्पत्ति के लिए चेतना, बुद्धि, मन और शरीर ये चारों ही अवयव आवश्यक होते हैं। जिस प्राणी में इन चारों में से किसी भी एक या अनेक का अभाव होता है वह प्राणी भाषाविहीन हो जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसमें ये चारों पक्ष पूर्ण रूप से विद्यमान हैं और इसलिए भाषा की दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक को चेतना, बुद्धि, मन और शरीर इन चारों ही अवयवों के समुचित विकास उपयोग पर उचित ध्यान देना चाहिए। हम लोगों ने अभी तक भाषा की विभिन्न आधार जैसे मानसिक आधार और भौतिक आधार बारे में अध्ययन किया है। इन अध्ययनों के उपरांत आप नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. विचार, भाषा एवं आत्मा में क्या सम्बन्ध है?

.....
.....

8. भाषा के भौतिक आधार कौन-कौन से हैं?

.....
.....

1.6 भाषा की उत्पत्ति

भाषा की उत्पत्ति से आशय उस काल से है जब मानव ने बोलना आरम्भ किया और 'भाषा' सीखना आरम्भ किया होगा। इस विषय में बहुत सी संकल्पनाएँ हैं जो अधिकांशतः अनुमान पर आधारित हैं। मानव के इतिहास में यह कार्य इतना पहले आरम्भ हुआ है कि इसके विकास से सम्बन्धित कोई भी संकेत मिलना असम्भव है। मानव मस्तिष्क में विभिन्न संवेदनाओं से संबंधित विशिष्ट केंद्र होते हैं, जो अन्य जंतुओं एवं पशुओं में नहीं पाये जाते हैं। ये विशिष्ट केंद्र ध्वनि यंत्रों जैसे— तालू, नासिका, स्वांसनली और कंठ आदि के कार्यों को संचालित और नियंत्रित करते हैं। ध्वनियंत्रों से उत्पन्न विभिन्न ध्वनियों का जब यह संयोग होता है तो भाषा का जन्म होता है। जब हम भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि भाषा की उत्पत्ति के कई कारण हो सकते हैं इसके लिए हमें भाषा के विभिन्न आधारों के बारे में जानना आवश्यक होगा। भाषा की उत्पत्ति सामान्यतया बोली के माध्यम से ही होती है। जब बालक संसार में आता है तो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संसार के वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। प्रारंभ में वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, धीरे-धीरे वही संकेत एक भाषा का रूप ले लेता है। भाषा की उत्पत्ति को समझने के लिए भाषा के विभिन्न रूप एवं भाषा के विभिन्न मूलभूत आधारों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। जो निम्नलिखित है—

इतिहास— इतिहास के आधार पर भाषा अलग अलग होती है। देश काल परिस्थिति के आधार पर भाषा बदलती रहती है। भाषा का स्वरूप बदलता रहता है, भाषा जीवन के संपूर्ण इतिहास को देखने से यह ज्ञान प्राप्त होता है कि विभिन्न कालों में उसके विभिन्न रूप विद्यमान रहे हैं, जैसे—जैसे समय बदलता गया, भाषा का स्वरूप भी बदलता गया। जैसे— वैदिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश। यह सब एक ही भारतीय आर्यभाषा के कालक्रम के आधार पर प्रकट होने वाले अलग-अलग रूप हैं।

भूगोल— जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश या संपूर्ण विश्व एक ही प्रकार से नहीं बना है। उसके भौगोलिक स्थिति में अलग-अलग प्रकार की विभिन्नता पायी जाती है। भूगोल के आधार पर भी भाषा में अलग-अलग भिन्नता पाई जाती है। इसमें भी दो प्रकार की भाषा हो सकती हैं जैसे— विशेष प्रांतों के आधार पर हुई भाषा जैसे बंगला, मराठी, गुजराती आदि। क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर भी भाषा का विकास होता है जैसे— भाषा, बोली, उपभाषा यानी उप बोलिया, स्थानीय बोली। जैसे—जैसे मनुष्य का स्थान बदलता जाता है उसकी बोली भी उसी के अनुसार बदलती जाती है।

प्रयोग या व्यवहार— जब हम भाषा के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि मानव जीवन के प्रयोग एवं व्यवहार के आधार पर भाषा भी बदल जाती है। एक ही भाषा का प्रयोग सभी जगह या सभी व्यवहारों में नहीं किया जा सकता है। जिस वर्ग विशेष या उद्देश्य विशेष के लिए भाषा का जो रूप प्रयोग में प्रयुक्त कर दिया जाता है वह उसी नाम से प्रचलित हो जाता है। जैसे— जाति विशेष में प्रयुक्त जातीय भाषा, व्यवसाय विशेष के लिए व्यवसायिक भाषा, राजकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राजभाषा, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यताप्राप्त राष्ट्रीयभाषा, साहित्य विशेष में प्रयुक्त होने वाली साहित्यिक भाषा, श्रेष्ठ जनों में प्रयोग किए जाने वाला शिष्ट भाषा, जनसाधारण द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सामान्य भाषा, गुप्त कार्यों के लिए या विश्वसनीय कार्यों के लिए

विश्वसनीय या गुप्त या सांकेतिक भाषा, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए उनकी अपनी राजनीतिक भाषा होती है।

भाषा की उत्पत्ति का सम्बन्ध इस बात से है कि मानव ने सर्वप्रथम किस काल में अपने मुख से निःसृत होने वाली ध्वनियों को वस्तुओं-पदार्थों, भावों से जोड़ा। इतिहास के किस काल में मानव ने सामूहिक स्तर पर यह निश्चय किया कि किस शब्द का क्या अर्थ होगा। 'भाषा की उत्पत्ति' का प्रश्न भाषा-विज्ञान की विचार-सीमा में नहीं आता। विज्ञान जो पदार्थ का तात्त्विक विश्लेषण करके यह बता देगा कि यह भाषा किस वर्ग की भाषा है। उसके गुण-दोषों की चर्चा कर देगा पर उसके जन्म का प्रश्न दर्शनशास्त्र की सीमा में जाता है। आजकल के भाषा वैज्ञानिक भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को भाषाविज्ञान की सीमा में नहीं मानते। भाषा की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने दो प्रकार के विचार-मार्ग अपनाए हैं जिन्हें प्रत्यक्ष मार्ग और परोक्ष मार्ग कहा जाता है— (9) प्रत्यक्ष मार्ग (जिसमें भाषा की आदिम अवस्था से चल कर उसकी वर्तमान तक विकसित दशा का विचार किया जाता है।) (2) अप्रत्यक्ष या परोक्ष मार्ग (भाषा की आज की विकसित दशा से पीछे की ओर चलते हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है।)

अप्रत्यक्ष मार्ग के अन्तर्गत भाषा का विकास विभिन्न कालों और परिस्थितियों से होता हुआ आज द्रुत गति से हो रहा है। अतः उसके वर्तमान रूप से पीछे के इतिहास को जानने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। इस मार्ग की अव्यावहारिकता को देखकर किसी प्रकार का सिद्धान्त नहीं बनाया जा सकता। बालक के भाषा सीखने का प्रयास और समाज द्वारा भाषा का विकास दोनों पूरी तरह भिन्न बातें हैं। इसी कारण कुछ विद्वानों ने प्रत्यक्ष मार्ग को व्यर्थ घोषित कर दिया है। प्रत्यक्ष मार्ग के अन्तर्गत भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धान्त, भाषा के विकास या इतिहास और उसकी उत्पत्ति को लेकर निम्नलिखित सिद्धान्त प्रचलित हैं—

दैवी उत्पत्ति का सिद्धान्त— भाषाओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन मत यह है कि संसार के समस्त वस्तुओं की रचना जहाँ भगवान ने की है, तो सभी भाषाओं को भी भगवान ने ही बनायी हैं। संस्कृत को 'देवभाषा' कहने में इसी का संकेत मिलता है। इसी प्रकार पाणिनी के व्याकरण 'अष्टाध्यायी' के 14 मूलसूत्र शिवजी के डमरू से निकले माने जाते हैं। बौद्ध लोग 'पालि' को भी इसी प्रकार मूलभाषा मानते रहे हैं। उनका विश्वास है कि भाषा अनादि काल से चली आ रही है। जैन लोग इससे भी आगे बढ़ गए हैं। उनके अनुसार अर्धमागधी केवल मनुष्यों की ही नहीं अपितु देव, पशु-पक्षी सभी की भाषा है। जैसा कि हम जानते कि यदि भाषा की दैवी उत्पत्ति हुई होती हो सारे संसार की एक ही भाषा होती तथा बच्चा जन्म से ही भाषा बोलने लगता। इससे सिद्ध होता है कि यह केवल अंधविश्वास है कोई ठोस सिद्धान्त नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भाषा प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कोई उपहार नहीं है। भाषा में नये-नये शब्दों का आगमन होता रहता है और पुराने शब्द प्रयोग-क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं।

संकेत सिद्धान्त— इसे निर्णय-सिद्धान्त भी कहते हैं। इस सिद्धान्त के प्रथम प्रतिपादक फ्राँसीसी विचारक रूसो हैं। संकेत सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भिक अवस्था में मानव ने अपने भावों-विचारों को अपने अंग संकेतों से प्रेषित किया होगा बाद में इसमें जब कठिनाई आने लगी तो सभी मनुष्यों ने सामाजिक समझौते के आधार पर विभिन्न भावों, विचारों और पदार्थों के लिए अनेक ध्वन्यात्मक संकेत निश्चित कर लिए। यह कार्य सभी मनुष्यों ने एकत्र होकर विचार विनिमय द्वारा किया। इस प्रकार भाषा का क्रमिक गठन हुआ और एक सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक संस्था द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई। यह सिद्धान्त यह मान कर चलता है कि इससे पूर्व में मानव को भाषा की प्राप्ति नहीं हुई थी।

धातु या अनुकरण का सिद्धान्त— इस सिद्धान्त के मूल विचारक 'प्लेटो' थे। जो एक महान दार्शनिक थे। इसके बाद जर्मन प्रोफेसर हेस ने अपने एक व्याख्यान में इसका उल्लेख किया था। बाद में उनके शिष्य डॉ० स्टाइन्हाल ने इसे मुद्रित करवा कर विद्वानों के सामने रखा। मैक्समूलर ने भी पहले इसे स्वीकार किया किन्तु बाद में व्यर्थ कहकर छोड़ दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी एक ध्वनि है। यदि हम एक डंडे से एक काठ, लोहे, सोने, कपड़े, कागज आदि पर चोट मारें तो प्रत्येक में से भिन्न प्रकार की ध्वनि निकलेगी। प्रारम्भिक मानव में भी ऐसी सहज शक्ति थी। वह जब किसी बाह्य वस्तु के सम्पर्क में आता तो उस पर उससे उत्पन्न ध्वनि की अनुकरण की छाप पड़ती थी। उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसने कुछ मूल धातुओं (मूल शब्दों) का निर्माण कर लिया। जब कुछ धातु शब्द बन गए और उसे भाषा प्राप्त हो गई तो उसकी

भाषा बनाने की सहज शक्ति समाप्त हो गई। तब वह इन्हीं धातुओं से नए-नए शब्द बना कर अपना काम चलाने लगा।

अनुकरण का सिद्धान्त— इस सिद्धान्त को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं— 'हिटनी' 'पॉल', 'हर्डर' आदि। मैक्समूलर ने इस सिद्धान्त का उपहास करते हुए इसे (कुत्ते की ध्वनि) बॉक बॉब सिद्धान्त कहा था। वैसे अंग्रेजी भाषा में इसके लिए ऑनोमोटोपेथिक (Onomotopethic) या इकोइक (Echoic) शब्द का प्रचलन है। अनुकरण सिद्धान्त में भी अनुरणन की ही भाँति कुछ प्राकृतिक ध्वनियों के अनुकरण पर पदार्थों के नामकरण की कल्पना की गई है। कुछ शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं— 'काक', 'कोकिल' 'भौं-भौं', 'म्याऊँ', 'कुक्कर', 'दादुर', 'निर्झर', 'टर्राना', 'मर्मर', 'तड़तड़', 'कड़कना' 'गड़गड़ाना', 'टपकना', 'चहकना', 'चहचहाना', 'हिनहिनाना', 'गुर्राना', 'काँव-काँव', 'टेंटें करना', 'चिल्लाना', 'गरजना', 'टप-टप', आदि। 'ऑटो जेस्पर्सन' नामक विद्वान ने कहा था कि इस सिद्धान्त पर भाषा के कुछ शब्दों का निर्माण होना माना जा सकता है जो भाषा की उत्पत्ति का आंशिक आधार माने जा सकते हैं पूर्ण आधार नहीं।

आवेश का सिद्धान्त— इस सिद्धान्त को मनोभावाभिव्यंजकतावाद अथवा 'मनोरागाभिव्यंजक शब्द मूलकतावाद' कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार आदि युग के भावुक मानव ने भावावेग में हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा आदि को व्यंजित करने के लिए जिन 'आहा', 'ओहो', 'छिः' आदि ध्वनियों को उत्पन्न किया। आगे चल कर उन्हीं से भाषा का विकास हुआ। जिस प्रकार 'धिव' से 'धिवकार', 'धिवकारना', 'धिव-धिव' करना आदि शब्द बने हैं ठीक इसी प्रकार सारी भाषा बनी है। इस सिद्धान्त के अनुसार जो थोड़े से शब्दों का समाधान हो पाता है उनका भाषा में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। जैसे— खेद या सहानुभूति व्यक्त करने के लिए 'च-च', 'त-त' आदि का रूप संदेहात्मक है। इसलिए उसे कुछ भी अध्ययन-विश्लेषण का आधार नहीं बनाया जा सकता।

श्रम-ध्वनि का सिद्धान्त— हिन्दी में इसे 'श्रमपरिहरणमूलकतावाद' कहा जाता है। न्वारे (Noire) नामक प्रसिद्ध विद्वान द्वारा इस सिद्धान्त का सूत्रपात किया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार जब व्यक्ति श्रम करता है, तो उसकी श्वास की गति तीव्र होने से स्वरतंत्रियों में स्वतः एक कम्पन्न होने लगता है जो कुछ स्वाभाविक ध्वनियों को उत्पन्न करता है। आदि मानव जब सामूहिक श्रम करते थे तो उनके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल पड़ती होंगी जैसे हम धोबियों के मुख से 'हियो-हियो', 'छियो-छियो', तथा मल्लाहों के मुख से 'हैया हो', हथौड़ा चलाने वाले मजदूर के मुँह से 'हूँ-हूँ' की ध्वनियाँ निकलते हुए प्रायः देखते हैं। इस सिद्धान्त के आधार पर बने शब्दों से भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता। प्रसिद्ध समाजशास्त्री, अंग्रेज वकील ए. एस. डायमण्ड को एक भी शब्द ऐसा नहीं मिला जो इस सिद्धान्त पर आधारित हो।

इंगित् का सिद्धान्त— इस सिद्धान्त में विश्वास करने वाले इसके जन्मदाता डॉ० राये, 'रिचर्ड' तथा जेहान्सन हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य जब पानी पीता था तो 'पा-पा' जैसी ध्वनि निकलती थी। जिससे 'पिपासा' जैसे शब्द बने। सारी भाषा की उत्पत्ति की दृष्टि से ये ध्वनियाँ बहुत अल्प हैं। इनसे भाषा-उत्पत्ति की समस्या का समाधान नहीं होता।

सम्पर्क का सिद्धान्त— प्रसिद्ध विद्वान जी. रेवेज इसके जन्मदाता हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार आदिमानव जब समूह के सम्पर्क में आया होगा तो पहले कुछ ध्वनियाँ उसके मुँह से निकली होंगी और कालांतर में शब्द और फिर भाषा का जन्म हुआ हो। इन विद्वान के अनुसार पहले भाषा में क्रियापद बने होंगे और बाद में अन्य शब्द। मनोविज्ञान के आधार पर इस सिद्धान्त में कुछ तथ्य तो प्रतीत होता है परन्तु केवल इन्हीं शब्दों के द्वारा सम्पूर्ण भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का समाधान प्राप्त नहीं होता। इस सिद्धान्त में कल्पना और अनुमान का सहारा लिया गया है। इस सिद्धान्त को भी हम भाषा की उत्पत्ति या विकास में आंशिक महत्त्व ही दे सकते हैं। ऊपर उल्लिखित अधिकांश सिद्धान्त भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं इसी कारण विद्वानों ने उन तीन-चार सिद्धान्तों का समन्वय करके इस समस्या का समाधान पाने की चेष्टा की है जिनमें आंशिक समाधान की मात्रा अधिक है। इस प्रकार इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है।

समन्वित सिद्धान्त— प्रसिद्ध विद्वान हेनरी स्वीट (Henery Sweet) ने तीन-चार सिद्धान्तों का समन्वय करके इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है। उन्होंने किसी नये सिद्धान्त को न खोज कर 'अनुकरण

सिद्धान्त', 'आवेग सिद्धान्त', 'प्रतीक सिद्धान्त' और 'उपचार-सिद्धान्त' का समन्वित रूप ही प्रस्तुत किया है। यहाँ अनुकरण सिद्धान्त के अन्तर्गत अनुरणन सिद्धान्त भी समन्वित है क्योंकि ध्वनियों का अनुकरण दोनों में समान रूप से रहता है। भाषा में आवेगात्मक शब्दों की स्थिति भी अवश्य रही होगी क्योंकि सभी भाषाओं में इस प्रकार के मिलते जुलते शब्द दिखाई देते हैं। उपर्युक्त दोनों प्रकार के शब्दों के अतिरिक्त 'प्रतीक सिद्धान्त' द्वारा भी हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रारम्भ में भाषा का स्थूल एवं वस्तुमूलक रूप देखने में आता है और बाद में उसमें सूक्ष्मता, लाक्षणिकता और व्यंजनाशक्ति आदि का विकास होता है। पहले भाषा में कुछ ध्वनियाँ जो स्थूल अर्थों में प्रयोग की जाती थीं वे बाद में सूक्ष्म अर्थों में की जाने लगीं। इस प्रकार भाषा के प्रतीकों का ध्वनि-प्रतीकों के रूप में विकास हुआ। 'प्रतीक सिद्धान्त' के समान ही उपचार-सिद्धान्त को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो भाषा में प्रयुक्त एक बड़े शब्द समूह का समाधान हो जाता है। उपचार का अर्थ है- 'ज्ञात के आधार पर अज्ञात की व्याख्या'। भाषा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाने में उपचार या सादृश्य की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। 'स्वीट के समन्वय-सिद्धान्त' में यद्यपि पर्याप्त सत्य है किन्तु पूर्णतः निर्दोष इसे भी नहीं माना जा सकता क्योंकि भाषा की उत्पत्ति की समस्या का पूर्णरूपेण समाधान इस सिद्धान्त के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत-सिद्धान्त रचे गए परन्तु वे सब के सब कल्पना और अनुमान पर आधारित होने के कारण भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वहीन सिद्ध हो चुके हैं केवल इस प्रश्न के इतिहास की दृष्टि से ही उनका उल्लेख किया जाता है। वास्तव में अभी तक भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का कोई सर्वमान्य और उचित समाधान नहीं खोजा जा सका है। प्रस्तुत इकाई में हमने भाषा की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न तत्वों, कारणों जैसे इतिहास, भूगोल, प्रयोग या व्यवहार आदि के संदर्भ में अध्ययन किया साथ ही भाषा उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का भी अध्ययन हम लोगों ने किया है। इन अध्ययनों के आधार पर आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
 ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
9. क्या प्रयोग या व्यवहार भाषा बदल जाती है?

 10. भाषा की उत्पत्ति के विषय में कितने प्रकार के विचार-मार्ग अपनाए गये हैं?

 11. भाषा की उत्पत्ति एवं विकास से सम्बन्धित कौन-कौन से सिद्धान्त प्रचलित हैं?

 12. हेनरी स्वीट द्वारा प्रस्तुत समन्वित सिद्धान्त में किन सिद्धान्तों का प्रयोग किया गया है?

1.7 भाषा का महत्व

भाषा हर्ष, आनंद और ज्ञान का सर्वोत्तम साधन एवं स्रोत होता है, भावों और रूचियों का परिचालक होता है। यह ईश्वर प्रदत्त सर्वोच्च शक्ति अर्थात् सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग के लिए इसका उपयोग होता है जिससे कि हम सभी उसके निकट पहुँच पाते हैं। सामान्यतया भाषा के महत्त्व को अलग-अलग प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाषा के बिना किसी भी प्रकार का आदान-प्रदान संभव नहीं है। भाषा के महत्त्व को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना अनिवार्य है जो निम्नलिखित हैं-

1. भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण साधन है।

2. भाषा भावों और विचारों की उत्पत्ति का मूल रूप भी है।
3. भाषा मनुष्य की भावनात्मक विकास का साधन है।
4. भाषा हमारी सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है।
5. भाषा हमारी बौद्धिक ज्ञानार्जन एवं चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है।
6. सामाजिक संरचना एवं सामाजिक क्रियाकलाप का आधार भाषा ही है।
7. सांस्कृतिक जीवन और संस्कृति का आधार भाषा ही है।
1. **भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है**— भाषा की दक्षता एक विशिष्ट सूक्ष्मता और सहज प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है और फिर उसका व्यवहार भी व्यक्ति निरंतर अभ्यास के द्वारा सीख लेता है। भाषा सीखने की सहज प्रक्रिया ही उसे स्वभावजन्य भाषा बना देती है। इसी कारण भाव और विचार भाषा के माध्यम से अपने-आप स्फुरित होते हैं बनते हैं और व्यक्त होते हैं। भाषा बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ-साथ अभिन्न रूप से जुड़ी रहती है और स्वतः आत्मसात होती जाती है। भाषा ही सहज और नैसर्गिक होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने मस्तिष्क में विभिन्न ध्वनि इकाइयों को एकत्रित करता है जिनके सहारे वह नए नए शब्दों को सीखता है और जोड़ता है। ये इकाइयाँ ही उच्चारण और अर्थबोध सम्बन्धी इकाइयाँ होती हैं, जो बालक के मस्तिष्क की स्नायुतंत्रों में संरचित हो जाती हैं। निश्चित ही ये इकाइयाँ भाषा की होती हैं। भाषा सीखने की बालक में स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, प्रारंभिक अवस्था से ही बालक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष, मूर्त-अमूर्त को जोड़ता है और वह सीखता है। व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध भाषा द्वारा ही संभव है। परस्पर वार्तालाप, शिष्टाचार, प्रदर्शन, काव्यशास्त्र, विनोद, विचार-विमर्श शास्त्रार्थ, ये सभी भाषा के द्वारा ही संभव हैं।
2. **भाषा भावों और विचारों की उत्पत्ति का मूल रूप भी है**— भाषा का महत्त्व केवल विचारों और भावों की अभिव्यक्ति ही नहीं बल्कि इस दृष्टि से भी है कि वह भावी विचारों की उत्पत्ति का साधन होती है। भावों की उत्पत्ति का मूल भाषा ही है। भाषा के अभाव में भाव विचार यहाँ तक कि व्यक्ति अपना अनुभव भी नहीं प्रकट कर सकता है या उसे ग्रहण कर सकता है। भाषा सिर्फ विचार को उत्पन्न ही नहीं करती परंतु वह विचारों की जननी भी होती है। उसी से मनुष्य पशुओं के ऊपर उठकर श्रेष्ठ प्राणी बन जाता है। भाषा से ही नए-नए भावों का संचार होता है। हमारी कल्पना, हमारा मौलिक विचार, हमारा चिंतन भाषा के ही माध्यम से होता है। यदि हम अपने देश की चिंतन परंपरा पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट होता है कि हमारे देश में दसवीं शताब्दी तक ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र में अति व्यापक विस्तार हुआ था, परन्तु धीरे-धीरे हमारी यह भाषा विकृत होती गई और आज अंग्रेजों का गुलाम हो गयी।
3. **भाषा मनुष्य की भावनात्मक विकास का साधन है**— मनुष्य की रागात्मक वृद्धियों के साथ-साथ भाषा का एक और सहज संबंध है। यह कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता है कि भाषा का जन्म भावावेश की कारण ही हुआ होगा। चिंतन या विचार के कारण नहीं हुआ होगा। भावनात्मक साहित्य भी दूसरों के सुख-दुख आदि के साथ तादात्म्य स्थापित करने लगते हैं। भाषा का महत्त्व केवल भौतिक रचना ही नहीं, अपितु हमारे चरित्र निर्माण का आधार है।
4. **भाषा हमारी सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है**— बालक में सृजनात्मक शक्ति का विकास उसके भाषा से ही होता है। हमारी सृजनात्मक शक्ति भाषा में ही अपना रूप प्रकट करती है। कल्पना का विकास हमारे अंतर्मन में अपनी भाषा में ही होता है। भाषा का सम्बन्ध अपने भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश तथा उसके परंपरागत इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। इस परिवेश में ही उसकी उत्पत्ति एवं उसका विकास होती है। सर्जनात्मक विकास का संबंध केवल बाह्य साधन से न होकर आंतरिक भावात्मक रूप ग्रहण कर लेता है और इसी कारण उस भाषा में अभिव्यक्ति कलात्मक रूपों में वह अनायास उत्पन्न हो जाती है। अतः भाषा का स्थान सर्वोपरि है।

5. **भाषा हमारी बौद्धिक ज्ञानार्जन एवं चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है**— भाषा का हमारी बुद्धि एवं उसके विकास से अभिन्न सम्बन्ध है। मूक और बधिर बालक बुद्धि परीक्षाओं में सफल नहीं होते क्योंकि उनके पास भाषा की शक्ति नहीं होती है। भाषा योग्यता के अभाव का परिणाम होता है कि उनकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं हो पाती है। वे उन क्रियाओं एवं परीक्षाओं में सफल नहीं होते जिनमें शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। भाषा का मनुष्य की विचार प्रक्रिया से कितना अभिन्न सम्बन्ध है वह इसी से पता लगाया जा सकता है कि भाषा के अभाव में हमारी बुद्धि सक्रिय नहीं हो पाती है। भाषा ही हमारी बुद्धि की क्रियाशीलता, कुशाग्रता और प्रखरता का कारण सिद्ध होती है। क्योंकि भाषा ही चिंतन क्रिया को सतत उत्तेजित और प्रभावित रखती है। ज्ञानार्जन जितनी सरलता से भाषा के माध्यम से हो जाता है उतनी सरलता से किसी और माध्यम से नहीं हो पाती है और मनुष्य जब भी कुछ सोचता है वह अपनी भाषा में ही सोचता है। इसलिए मनुष्य की बौद्धिक विकास, ज्ञानार्जन और चिंतन में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
6. **सामाजिक संरचना एवं सामाजिक क्रियाकलाप का आधार भाषा ही है**— भाषा एक सामाजिक क्रिया है। उसके द्वारा हमारे सामाजिक व्यवहार संपन्न होते हैं। भाषा को व्यक्तिगत आत्मप्रकाशन का साधन न मानकर सामाजिक क्रिया मानना ज्यादा श्रेयस्कर होता है। मनुष्य की समस्त व्यवहार एवं क्रियाकलापों का आधार भाषा ही है। मनुष्य की समस्त कार्य व्यापार सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध भाषा पर ही निर्भर है। भाषा प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक भाषा वर्ग के सदस्य परस्पर सहयोग प्राप्त करने के लिए भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह एक भाषा युक्त प्राणी भी है। दोनों कथन इसी बात का संकेत देते हैं कि भाषा विचार संप्रेषण का साधन है। वह एक सामाजिक नियंत्रण का साधन भी है। भाषा को सामाजिक नियन्त्रण का साधन मान लेने पर हम आज इस भाषा का व्यवहार करते हैं। उसमें हमारे सामाजिक जीवन की परंपरा, रीति—नीति, आचरण और मानवीय सम्बन्धों का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। इसलिए हम ये देखते हैं कि सामाजिक रचना की दृष्टि से भाषा का स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
7. **सांस्कृतिक जीवन और संस्कृति का आधार भाषा ही है**— भाषा हमारी संस्कृति का अंग होती है। सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार ही नहीं बल्कि वह स्वयं का भौतिक संस्कृति का भी आधार है। किसी भी प्रदेश की भाषा में वहाँ की संस्कृति नहीं रहती है और उस भाषा के अध्ययन के द्वारा उस संस्कृति से वहाँ की निवासियों का भी सम्बन्ध अभिन्न रूप से जुड़ जाता है। इसी कारण हम देखते हैं कि भाषा तथा उसके साहित्य से परिचित न होने पर हम अपने सांस्कृतिक वैभव से भी अपरिचित रह जाते हैं। ये देखते हैं कि भाषाओं को स्थान न देने पर हम अन्य भाषाओं की साहित्य और संस्कृति से अछूते रह जाते हैं।

अभी तक इस अध्ययन में भाषा के विभिन्न महत्व जैसे भाषा भावों—विचारों की अभिव्यक्ति, भाषा मनुष्य की भावनात्मक, सृजनात्मक, बौद्धिक एवं सामाजिक—सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है, अध्ययन किया है। इन अध्ययनों के आधार पर आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

13. भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्त्व है?

.....

14. ध्वनि इकाइयों का भाषा सीखने में क्या भूमिका है?

.....

1.8 सारांश

अभी तक हमने देखा कि जो भाषाएँ हम लोग इतनी आसानी से प्रयोग करते हैं वे हजारों वर्षों के मानव के प्रयास और विकास का परिणाम हैं। सामान्य मानव भाषा के जन्म को पहचानना अत्यंत कठिन कार्य है। पर जो भाषा आजकल विश्व में प्रचलित है उनकी उत्पत्ति को अवश्य पहचाना जा सकता है। भाषा के बारे में अध्ययन करना बहुत कठिन और जटिल कार्य है। जब भाषा की उत्पत्ति के बारे में हम सोचते हैं तो हम किसी एक दृष्टिकोण से भाषा की उत्पत्ति की समग्रता को नहीं देख सकते हैं। इसके अध्ययन से अलग-अलग संकल्पनाएँ उत्पन्न होती हैं। हम जानते हैं कि एक शताब्दी में ही आधुनिक भाषा शास्त्र में अनेकों भाषाओं को जन्म दे दिया है। भाषा के विषय में अध्ययन करते-करते हम नए-नए भाषाओं से परिचित होते रहते हैं और हमारे शिक्षकों को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए जिसके कारण किसी भाषा के इतिहास और उसकी उत्पत्ति को जानने में हमारी रुचि बढ़ती जाती है और हमें सीखने में आसानी भी होती है। आज के बहुभाषिक समाज में विशेष रूप से भारतीय समाज में एक से अधिक भाषाओं को सीखना ज़रूरी हो गया है। वैसे हम जानते हैं कि एक से अधिक भाषाओं को जानना संज्ञानात्मक विकास को गति प्रदान करना है। इस प्रकार हमें देखते हैं कि अर्थबोध के सभी साधन भाषा की सीमा में आ जाते हैं। भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग ध्वनि एवं संकेतों की सहायता से भाव, विचारों या संवेगों की अभिव्यंजना के लिए होना चाहिए। पशु-पक्षियों की भाषा में यह अपूर्ण और अस्पष्ट रहती है। ध्वनि संकेत ही भाषा की एक मात्र ऐसी भाषा है जो आपके कथन को पूर्णता और स्पष्टता के साथ संप्रेषित कर सकती है।

1.9 अभ्यास के प्रश्न

1. भाषा की प्रकृति के विषय में आप क्या जानते हैं? वर्णन कीजिए।
2. भाषा की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से वर्णन कीजिए।
3. भाषा के महत्व से समाज को किस प्रकार जागरूक किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए।

1.10 चर्चा के बिन्दु

1. आपके अनुसार भाषा की प्रकृति क्या है? एवं भाषा के कौन-कौन से आधार होने चाहिए? चर्चा कीजिए।
2. एक आदर्श भाषा शिक्षक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए? चर्चा कीजिए।
3. आपके विचार में भाषा की उत्पत्ति को किस सिद्धान्त द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए? चर्चा कीजिए।

1.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 'भाषा मौखिक प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा उस भाषाई समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान-प्रदान एवं सहयोग करते हैं।'
2. भाषा परस्पर विचार-विनिमय एवं सामाजिक-क्रियाकलाप का साधन है।
3. शब्द और अर्थ का संबंध यादृच्छिक होता है क्योंकि सभी भाषाओं में एक वस्तु, भाव या विचार के लिए एक ही प्रतीक का प्रयोग नहीं होता है। यदि यह शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के लिए माने हुए अथवा यादृच्छिक नहीं होते तो शायद संसार के सभी भाषाएं एक जैसी होती। यह भाषायी विभिन्नता के कारण अलग-अलग होता है।
4. भाषा के प्रतीक तीन प्रकार के हो सकते हैं— 1. स्पर्श ग्राह्य 2. चक्षु ग्राह्य 3. श्रोत ग्राह्य, अर्थात् स्पर्श के माध्यम से समझने वाले, दृष्टि से देखने वाले तथा कर्ण से सुनने वाले।
5. 'भाषा' शब्द संस्कृत की 'भाष्' धातु से बना है जिसका तात्पर्य है 'व्यक्तवाणी'। 'व्यक्तवाणी' का अर्थ होता है— 'स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना' जो कि उच्चरित भाषा से ही संभव होता है।
6. इनसाइक्लोपीडिया आप ब्रिटैनिका— "भाषा यादृच्छिक, मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके द्वारा मनुष्य, समाज एवं संस्कृति के सदस्य होने के कारण परस्पर विचारों एवं कार्यों का आदान-प्रदान करता है।"

7. विचार ही भाषा की आत्मा है, इस आत्मा का शरीर रूप ही भाषा है।
8. भाषा के भौतिक आधार कई होते हैं, जैसे हमारी वांगेन्द्रियां, आंख, नाक, कान, हाथ आदि शारीरिक अवयव भी जिनसे बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने में सहायता मिलती हैं ये हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ भाषा की भौतिक आधार के रूप में जाने जाते हैं।
9. मानव जीवन के प्रयोग एवं व्यवहार के आधार पर भाषा भी बदल जाती है। एक ही भाषा का प्रयोग जिस वर्ग विशेष या उद्देश्य विशेष के लिए भाषा का जो रूप प्रयोग में प्रयुक्त कर दिया जाता है वह उसी नाम से प्रचलित हो जाता है। सभी जगह या सभी व्यवहारों में एक ही भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
10. भाषा की उत्पत्ति के विषय में दो प्रकार के विचार-मार्ग अपनाए गये हैं जिन्हें (१) प्रत्यक्ष मार्ग (जिसमें भाषा की आदिम अवस्था से चल कर उसकी वर्तमान तक विकसित दशा का विचार किया जाता है।) (२) अप्रत्यक्ष या परोक्ष मार्ग (भाषा की आज की विकसित दशा से पीछे की ओर चलते हुए उसकी आदिम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है।)
11. भाषा की उत्पत्ति एवं विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित सिद्धान्त प्रचलित हैं- दैवी उत्पत्ति-सिद्धान्त, संकेत सिद्धान्त, धातु या अनुरणन सिद्धान्त, अनुकरण सिद्धान्त, आवेश सिद्धान्त, श्रम-ध्वनि सिद्धान्त, इंगित् सिद्धान्त, सम्पर्क सिद्धान्त और समन्वित सिद्धान्त।
12. हेनरी स्वीट द्वारा प्रस्तुत समन्वित सिद्धान्त में कुल चार सिद्धान्तों का प्रयोग किया गया है- 1. अनुकरण सिद्धान्त, 2. आवेश सिद्धान्त, 3. प्रतीक सिद्धान्त और 4. उपचार-सिद्धान्त।
13. भाषा का हमारे जीवन में निम्नलिखित महत्त्व है-
 - भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है।
 - भाषा भावों और विचारों की उत्पत्ति का मूल रूप भी है।
 - भाषा मनुष्य की भावनात्मक विकास का साधन है।
 - भाषा हमारी सृजनात्मक शक्ति का विकास करती है।
 - भाषा हमारी बौद्धिक ज्ञानार्जन एवं चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है।
 - सामाजिक संरचना सामाजिक क्रिया कला का आधार भाषा ही है।
 - सांस्कृतिक जीवन और संस्कृति का आधार भाषा द्वारा ही संभव है।
14. जब बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने मस्तिष्क में विभिन्न ध्वनि इकाइयों को एकत्रित करता है जिनके सहारे वह नए नए शब्दों को सीखता है और जोड़ता है। ये इकाइयां ही उच्चारण और अर्थबोध सम्बन्धी इकाइयां होती हैं, जो बालक के मस्तिष्क की स्नायुतंत्रों में संरचित हो जाती हैं।

1.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. चतुर्वेदी, सीताराम (1957), भाषा की शिक्षा, वाराणसी: हिंदी साहित्य कुटीर।
2. पाण्डेय, रामसकल (2010), हिंदी शिक्षण, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
3. भाटिया, कैलाश चन्द (2017), हिंदी की मानक वर्तनी, दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
4. सिंह, निरंजन कुमार (2011), माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
5. सिंह, कर्ण (1999), भाषाविज्ञान मेरठ: साहित्य भंडार।
6. रुवाली, केशवदत्त (1983), भाषा विज्ञान और भाषा हिन्दी, प्रयागराज : टी० पी० आई० प्रिन्टर्स।

इकाई— 02 : भाषा का विकास

इकाई की संरचना

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 इकाई के उद्देश्य
- 2.3 भाषा सीखने की प्रक्रिया
- 2.4 भाषा के अंग
- 2.5 भाषा का विकास
- 2.6 भारतीय लिपियां
- 2.7 भाषा के प्रकार
- 2.8 सारांश
- 2.9 अभ्यास के प्रश्न
- 2.10 चर्चा के बिन्दु
- 2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 2.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

2.1 प्रस्तावना

जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा बोल सकने के कारण ही मानव को पशुओं की अपेक्षा अधिक उच्चकोटि में स्थान प्राप्त है। प्रत्येक मनुष्य अपनी बाल्यावस्था में कम से कम एक भाषा तो सीख ही लेता है और उस भाषा का प्रयोग वह जीवन भर करता रहता है। भले ही व अन्य भाषाओं को भी सीख ले परन्तु उसकी वह जन्मजात एवं सीखी हुई भाषा कभी नहीं भूलती। वह उस भाषा की नवीन सामग्री, प्रयोग और विकासशील रूपों से भी निरंतर परिचित होता रहता है और नए-नए विकास से भी परिचित होता रहता है। इसके कारण उनकी भाषा की क्षमता और भी विकसित और परिष्कृत होती जाती है। भाषा सीखने की यह प्रक्रिया चाहे शैशवावस्था हो या बाद की अवस्था हो, मूलतः एक ही होती है और वह है भाषा सुनने और बोलने का अवसर। बालक को भाषा सुनने का जितना अवसर मिलेगा एवं जितना अवसर उसे बोलने का मिलता है उतना ही उसे भाषा सीखने का भी अवसर मिलता रहता है। प्रस्तुत इकाई में भाषा सीखने की विभिन्न प्रक्रियाओं, भाषा के अंगों एवं तत्वों, भाषा के विकास एवं भाषा के प्रकार आदि के विषय में हम अध्ययन करेंगे।

2.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. भाषा सीखने की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे।
2. भाषा के विभिन्न अंगों एवं अवयवों को बता सकेंगे।
3. भाषा के विकास से परिचित हो सकेंगे।
4. भारतीय लिपियां से अवगत हो सकेंगे।
5. विभिन्न भारतीय लिपियां में अन्तर कर सकेंगे।
6. भाषा के प्रकारों के अनुरूप समाज विकसित कर सकेंगे।
7. भाषा के विभिन्न कौशलों की व्याख्या कर सकेंगे।

2.3 भाषा सीखने की प्रक्रिया

बालक को यदि अपने परिवेश की भाषा सुनने और सुने हुए ध्वनि संकेतों को उच्चारित करने का पर्याप्त अवसर मिलता है तो वह उस भाषा को आसानी से सीख लेता है। वास्तव में भाषा सीखने का सर्वप्रमुख साधन है— सीखी जाने वाली भाषा के बोलने वालों के बीच में रहना, उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को सुनना, उस भाषा का अनुकरण करना और फिर स्वयं उसका प्रयोग करना एवं बोलना। लेनार्ड ब्लूमफील्ड ने अपनी पुस्तक 'आउटलाइन गाइड फार दी प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेज' में भाषा सीखने की इसी प्रक्रिया पर विस्तार से वर्णन किया है जो इस प्रकार है— 'भाषा सीखने की कोई विशिष्ट प्रतिभा जैसी कोई बात नहीं होती है जो किसी में विद्यमान होती है और किसी में नहीं होती भाषा सीखने के लिए सामान्य बुद्धि की आवश्यकता होती है जो सभी बालकों में प्रायः प्रकृति द्वारा सुलभ रूप में प्रदान कर दी जाती है।' भाषा सीखने का सबसे प्रमुख स्रोत हैं— उस भाषा के मूल प्रवक्ताओं के बीच में रहना, उसी भाषा को सुनना और बोलना। प्रत्येक व्यक्ति गूंगा, बहरा और जड़बुद्धि का नहीं होता है, बालक पांच वर्ष का होते-होते अपनी मातृभाषा को सीख लेता है चाहे वह भाषा अन्य भाषियों के लिए कितनी भी जटिल क्यों न हो। सभी के द्वारा अपनी मातृभाषा बड़ी आसानी से सहजता से सीख ली जाती है और उसे सहज लगती है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है की उसकी भाषा सीखने की प्रक्रिया बड़ी सहज होती है। इस सहज प्रक्रिया द्वारा हम अन्य भाषा सीखें तो उनका अर्जन भी सरल हो जाएगा अर्थात् उस भाषा के मूल वक्ताओं या मूल रूप से बोलने वालों के बीच में भाषा सुनने और बोलने का अवसर मिले तो हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। भाषा एक आदत है और भाषा सीखना, आदत निर्माण की प्रक्रिया है आदत डालने की प्रक्रिया में कुछ चरणों का प्रयोग होता है। आदत डालने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित चरण होते हैं —

1. **ध्वनि संकेतों को सुनना और उसे पहचानना**— बालक घर में तथा अपने पास पड़ोस में लोगों के मुख से निकली हुई ध्वनियों और उनके संकेतों को सुनता है और उनकी पहचान करने लगता है। पहले वह ध्वनियों को पहचानता है और उसके पश्चात उससे सम्बन्धित अर्थ, वस्तु, कार्य या विचार को भी जानने का प्रयास करता है। भाषा सीखने का यह प्रथम चरण है। इस स्तर पर बालक को यदि शुद्ध रूप से मानक भाषा सुनने का अवसर मिलता है तो वह भाषा सम्बन्धी अच्छी आदत की नींव पड़ जाती है परन्तु यदि उसे इस समय अच्छी भाषा सुनने को नहीं मिलती है तो जो भाषा सुनने को मिलेगी उसी भाषा को अपना लेगा।
2. **अनुकरण करना**— बालक अनुकरण करता है। अनुकरण हमारी जन्मजात प्रवृत्ति है। बालक सुनी हुई भाषा का अनुकरण करता है। वह ध्वनि संकेतों को पहचानता ही नहीं अपितु विभिन्न ध्वनियों में अंतर भी समझने लगता है और उसके अनुसार उसका उच्चारण भी करने लगता है। प्रारम्भ में वह ध्वनि-संकेतों का अर्थ भलीभाँति तो नहीं जानता पर उसे बोलने का प्रयास अवश्य करता है और धीरे-धीरे वह अर्थ और ध्वनि दोनों में तादात्म्य स्थापित करने लगता है और अंततः भाषा सीख जाता है।
3. **आवृत्ति**— बालक को बार-बार बोलने का अभ्यास करना चाहिए। वैसे बालक प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के माध्यम से ही भाषा सीखता है। उसका प्रारम्भिक उच्चारण अशुद्ध होता है, टूटा-फूटा होता है, बिश्रुंखलित होता है, अस्पष्ट होता है परंतु जब वह बार-बार प्रयत्न करता है तो धीरे-धीरे वही भाषा शुद्ध होता जाता है। वाक्य रचना सम्बन्धित त्रुटियां भी होती रहती है तो वह धीरे-धीरे शुद्धता का प्रयास करता रहता है। कथन, पुनर्कथन, भाषा प्रयोग की आवृत्ति आदि भाषा सीखने के लिए आवश्यक साधन है जिनका प्रयोग बालक अपने विकास के साथ साथ कर लेता है।
4. **विविधता**— आवृत्ति के साथ-साथ भाषा सम्बन्धी प्रयोगों एवं अभ्यासों में विविधता भी लानी चाहिए जिससे बालक विभिन्न ध्वनि संकेतों एवं उसमें निहित अर्थों तथा उसके प्रयोग सम्बन्धी विविधताओं की पहचान कर सकें। भाषा शिक्षण करते समय प्राध्यापकों, शिक्षाशास्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए की जब भी हम पाठ्यक्रम बनाएं तो उसमें विविधता अवश्य लाएं ताकि हम अलग-अलग प्रकार के ध्वनि संकेत या अलग-अलग प्रकार के भाषा सम्बन्धी पाठ्यक्रम लाएं जिससे विद्यार्थियों में अलग-अलग प्रकार की

भाषा सीखने का अवसर प्रदान हो सके। इसके द्वारा ही उनकी भाषा की शक्ति का क्रमोत्तर विकास होता है।

5. **चयन**— भाषा की कुछ क्षमता विकसित हो जाने के पश्चात् बालक में यह योग्यता भी विकसित होनी चाहिए कि वह प्रसंग के अनुसार उपयुक्त भाषा सामग्री का चयन कर सके और उसका प्रयोग कर सके। विभिन्न प्रकार के भाषा सम्बन्धी अभ्यास इस दृष्टि से आवश्यक होता है। हमारे विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सही शब्दों का प्रयोग, सही वाक्यों का प्रयोग, सही स्थान पर और सही समय पर करें तो इससे उनकी भाषा परिष्कृत और सुसंगठित एवं प्रभावशाली होती जाएगी।

भाषा की आदत बनने एवं पूर्ण विकसित होने की प्रक्रिया में ये पांच अवस्थाएं विशेष महत्त्व रखती हैं पर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि यह अवस्थाएं एक दूसरे से अलग-अलग या उनके उत्तरोत्तर विकास की अवस्थाएं न होकर एक दूसरे से सम्बद्ध एवं पूरक अवस्थाएं हैं। भाषा शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि इन अवस्थाओं का महत्त्व समझते हुए इनका प्रयोग करें तथा भाषा शिक्षण में अपने विद्यार्थियों को पूर्ण रूप से इससे परिचित कराएं ताकि भाषा का परिष्कृत रूप विद्यार्थी सीख सकें। अभी तक आप लोगों ने भाषा सीखने की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे— ध्वनि संकेतों को सुनना, अनुकरण करना, उनकी आवृत्ति एवं विविधता और चयन करने की क्षमता का अध्ययन किया है। अब इस अध्ययन के उपरांत नीचे दिए गए कुछ बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
- भाषा सीखने का सर्वप्रमुख साधन क्या है?
.....
.....
 - भाषा सीखने की प्रक्रिया में कुल कितने चरण होते हैं?
.....
.....

2.4 भाषा के अंग

मानव सामाजिक प्राणी होने के कारण विविध सामाजिक सम्बन्धों के बीच अन्तर्क्रिया करता है। इसके लिए भाषा ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। भाषा को व्यवहार में लाना जितना सहज और स्वाभाविक है उसके तथ्यों से परिचय प्राप्त करना उतना ही कठिन है। वर्तमान तकनीकी के युग में दैनिक जीवन व्यतीत करने के लिए लिखित वर्णों की अपेक्षा ध्वनियाँ अधिक महत्वपूर्ण बन गयी हैं। भाषा का वास्तविक स्वरूप ध्वनि ही है। भाषाविज्ञानियों द्वारा भाषा के प्रमुख ध्वनि, शब्द और अर्थ आदि अंग बताए गए हैं—

- ध्वनि**— जिसे 'साउंड' कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई 'ध्वनि' ही है जिसे 'स्वर' भी कहा जाता है। वायु तरंगों के माध्यम से जो हमारे कानों को कंपित कर बोध कराती है वह 'ध्वनि' कहलाती है। किसी भी प्रकार की क्रिया जैसे— गिरने, उठने, बैठने और आघात आदि से सामान्य वातावरण में जो कंपन पैदा होता है, वे सभी ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ध्वनि का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। ध्वनि के तीन पक्ष हैं— पहला उत्पादन, दूसरा संवहन, तीसरा ग्रहण। इनमें उत्पादन और ग्रहण का सम्बन्ध शरीर से होता है और संवहन का वायुतरंगों से। ध्वनि की सार्थकता के लिए तीनों पक्षों का होना अति महत्वपूर्ण होता है। मानव शरीर के जिन अवयवों से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें उच्चारण के अवयव या ध्वनियंत्र या वाग्यंत्र कहा जाता है जैसे— फेफड़ा, स्वांसनली, स्वरयंत्र, नासिका, दांत, जीभ व ओष्ठ आदि प्रमुख उदाहरण हैं। हिंदी भाषा की 48 और अंग्रेजी भाषा में 26 ध्वनियां हैं। स्वरयंत्र में श्वांस के आघात से पूर्ण ध्वनियों का जन्म होता है। ध्वनि के उत्पादन के लिए भाव, विचार, वायु और बाग्-अव्यवों के उचित संचालन की आवश्यकता होती है।

2. **शब्द**— सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुतम, अनिवार्य और स्वतंत्र इकाई 'शब्द' है, अर्थात् यह सार्थक ध्वनियों का एक समूह होता है। भर्तृहरि ने शब्द को सभी भावों और अर्थों का साधन माना है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार "एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं।" विश्व का संपूर्ण ज्ञान शब्द से ही जाना जाता है। डॉक्टर सरजू प्रसाद अग्रवाल के अनुसार 'ध्वनियों का संयोजन शब्द हैं।' रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं, जैसे— रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं— विकारी एवं अविकारी। अर्थ की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो शब्द के दो भेद होते हैं— एकार्थी और अनेकार्थी। संसार की जिस भाषा का शब्द भंडार संपन्न होता है वह भाषा उतना ही विस्तार पाती है और दिनोंदिन संपन्नता की ओर अग्रसर होती रहती है।
3. **पद**— वाक्य में शब्दों को जिस रूप में प्रयोग किया जाता है वह 'पद' कहलाता है अर्थात् वाक्य में प्रयोग शब्द रूप 'पद' होता है। यह सविभक्तिक होता है। इससे तात्पर्य है कि शब्द विभाजन करने वाला होता है। वस्तुतः विभक्ति अर्थ को विभाजित करती है। विभक्तियों के संयुग्मन से एक शब्द के कई पद या रूप बनते हैं, जो भिन्न-भिन्न अर्थ समाहित किए रहते हैं। शब्द का वाक्य में प्रयोग तभी हो सकता है जब उसके साथ विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। पद के बिना वाक्य रचना असंभव है। जब तक कोई शब्द पद नहीं बनता तब तक वह भाव-बोधन और अर्थ-वहन में सर्वथा असमर्थ ही रहता है। अतः शब्द के उस रूप को पद कहा जाता है जो विभक्ति और प्रत्यय का संयोग ग्रहण कर तथा किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ-बोध अथवा भाव-बोध में हमेशा समर्थ होता है। इस प्रकार वाक्य पदों का समूह होता है। यह वाक्य की योग्यतम इकाई है, जिसका विकास लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल और वाच्य आदि के माध्यम से होता है। रचना के आधार पर पद के तीन भेद होते हैं— साधारण पद, संयुक्त पद और मिश्रित पद। पदिम (Morpheme) माध्यम से शब्दरूप को पदरूप दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे 'किशन विद्यालय में पढ़ता है'। इस वाक्य में किशन, विद्या, लय, में, पढ़ता है, कुल छः पद हैं जिनसे वाक्य की रचना के साथ अर्थ-बोध भी होता है। विद्वानों के अनुसार पद के आठ निम्नलिखित भाग होते हैं यानी आठ प्रकार बताए गए हैं— संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण, सम्बंधसूचक समूच्चयबोधक और विस्मयबोधक।
4. **वाक्य**— सामान्यतः सार्थक और व्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहा जाता है जिसके द्वारा भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार 'क्रिया, अव्यय, कारक और विशेषण जहाँ एकत्र हो उसे वाक्य कहते हैं' वाक्य एक पद भी हो सकता है और पद समूह भी हो सकता है। वाक्य क्रियायुक्त भी हो सकता है और क्रियाविहीन भी हो सकता है। पद और वाक्य का अटूट संबंध होता है। पद के बिना वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यवहार में आप बोलने के लिए वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। वाक्य भाषा की सहज इकाई है, जिसमें एक या एक से अधिक शब्द या पद होते हैं। साइमन पॉटर के अनुसार 'वाक्य भाषा की मुख्य इकाई और लघुतम पूर्णविचार है।' प्रत्येक भाषा में वाक्य रचना की अपनी व्यवस्था होती है। सामान्यतः रचना, आकृति, अर्थ, क्रिया और शैली के आधार पर वाक्य रचना के विविध भेद होते हैं। इस प्रकार वाक्य एक व्यवस्थित पदसमूह समूह होता है, जो पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। बिना वाक्य के पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। सामान्य वाक्य में उद्देश्य और विधेय का समावेश होता है। वाक्य ही स्वतंत्र और पूर्ण अर्थ देने वाली इकाई होती है। यह पदों के क्रम की उचित व्यवस्था है।
5. **अर्थ**— बिना 'अर्थ' के भाषा, शब्द और वाक्य का कोई भी औचित्य नहीं होता है। यास्क के अनुसार "जिस प्रकार अग्नि के अभाव में सूखा ईंधन जल नहीं सकता, उसी प्रकार बिना अर्थ को जाने समझे जो शब्द दोहराया जाता है वह कभी भी मुख्य विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकता है।" अर्थ शब्द की आंतरिक शक्ति का नाम है, क्योंकि शब्द, शब्द से पृथक होता है जबकि अर्थ शब्द से अपृथक होता है। डॉक्टर शिलर की अनुसार "अर्थ कुछ और नहीं वह अनिवार्यतः व्यक्तिक होता है, क्योंकि किसी वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसे वह वस्तु अभिप्रेरित होती है।" मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ वास्तव में संदर्भ का प्रकरण होता है, किन्तु तार्किक रूप से अर्थ को संदर्भ या प्रकरण की अपेक्षा कुछ और भी माना जा सकता है। शब्द की संपूर्ण गरिमा अर्थ पर टिकी रहती है। सामान्यतः अर्थप्रेषण

के पाँच तत्व होते हैं— वक्ता, श्रोता, प्रतीक, वस्तु और निर्देश। अर्थ के साथ जुड़कर ही भाषा का औचित्य सिद्ध होता है। अर्थ के साथ ही वस्तु का मूर्त-अमूर्त प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाता है। अर्थबोध के आठ साधन स्वीकार किए गए हैं— व्यवहार, आप्तवाक्य, व्याकरण, उपमान, कोश, वाक्यशेष (प्रकरण), विवृति (व्याख्या) और प्रसिद्ध पद का सानिध्य। इस प्रकार किसी शब्द के उच्चारण मात्र से ही किसी वस्तु का बोध होना ही अर्थ है। शब्द की आत्मा अर्थ में ही विद्यमान रहती है। बिना अर्थ को समझे तो वेदों का अध्ययन भी अनुचित है। बीज मंत्र अर्थ को जानने से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके रटने या उच्चारण मात्र से नहीं।

प्रस्तुत इकाई के इस प्रकरण में आपने भाषा के विभिन्न अंगों जैसे— ध्वनि, शब्द पद, वाक्य और अर्थ आदि को विस्तारपूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब उपरोक्त अध्ययन के आधार पर नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
 ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
3. भाषा के कुल कितने अंग होते हैं?

 4. भाषा की लघुतम, अनिवार्य और स्वतंत्र इकाई क्या है?

 5. रचना के आधार पर पद के कितने भेद होते हैं?

 6. अर्थबोध के आठ साधन क्या हैं?

2.5 भाषा का विकास

भाषा का विकास भी भाषा की उत्पत्ति के ही समान होता है इसी आधार पर ही भाषा के विभिन्न रूपों का भी विकास होता है, विभिन्न रूपों की उत्पत्ति होती है जैसे— साधु भाषा, शुद्ध भाषा, परिनिष्ठित भाषा तथा पाली भाषा आदि बहुत भाषाएं होती हैं। भाषा जीवंत और मृत भी कहलाती हैं। ऐसी भाषाएं कुछ जन्म तो लेती हैं, उत्पन्न होती हैं परंतु उनके बोलने विचार करने या उसका प्रयोग करने वाले लोगों की कमी होने के कारण वह भाषा मूलतः मृतप्राय हो जाती हैं और धीरे-धीरे समाप्त हो जाती हैं। परंतु जीवन में कुछ भाषा ऐसी होती हैं जिसका व्याकरण और उसका स्वरूप ऐसा होता है कि वह कभी नहीं मरती और आजीवन अपने स्वरूप को भले ही बदल लेती हैं परंतु वह समाप्त नहीं होती है। जिस भाषा का निर्माण परंपरा के द्वारा अनजाने में ही हुआ है और जो स्वतः सीख ली जाती हैं। जन्म के पश्चात् बच्चा स्वयं अपने परिवार से अपनी मां से सीख लेता है। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात होता है कि भाषा की विभिन्न आधारों के आधार पर भाषा के विभिन्न रूप होते हैं जो निम्नलिखित हैं—

मूल भाषा— जब हम भाषा के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले मूलभाषा हमारे समक्ष प्रकट होता है। भारतीय साहित्य परंपरा में मनुष्य की उत्पत्ति मनु के द्वारा मानी जाती है। हम सभी मनु के ही संतान हैं, जैसे ही हम यह स्वीकार करते हैं कि हम उस मूलपुरुष के ही संतान हैं उसी से उत्पन्न हुए हैं तो आज विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के मूल में भी एक ही भाषा रही होगी। आज उस सर्वसम्मत किसी एक मूल भाषा का प्रमाणित ज्ञान नहीं है किंतु भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर कुछ मूलभाषाओं को

मान्यता दे दी गई है। भारतीय आर्य भाषाओं की मूलभाषा है— मूल भारोपीयभाषा, हिंदी इरानी भाषाएं, वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय भाषाएं। इस प्रकार यह देखते हैं कि मूलभारोपीयभाषा से ही हमारे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। आज तक जितने भी भाषापरिवार हमारे समक्ष आए हैं उन सबकी भाषा मूलभाषा कहलाती है। बिना किसी मूलभाषा की किसी भी भाषापरिवार का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है।

भाषा— सामान्यतया हम जानते हैं कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी, हिंदी आदि कई भाषाएं हैं। इसी तरह से संसार में हजारों भाषाएं हैं। वस्तुतः इन्हें सापेक्षिक दृष्टि से ही 'भाषा' कहा जाता है। कुछ औसत जनसंख्या, कुछ औसत भूभाग, बोलने वालों की कुछ औसत श्रेणी का महत्त्व, साहित्य की श्रेष्ठता, राजनीतिक उच्चता आदि के कारण ही उपयुक्त उपर्युक्त भाषाओं को 'भाषा' की संज्ञा दी गयी है। विश्व में जब किसी जनसमूह का महत्त्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली ही 'भाषा' कहलाने लगती है, अन्यथा यह बोली ही बनी रहती है। कोई ऐसी निश्चित विभाजन रेखा बोली और भाषा के बीच नहीं होती है। प्रत्येक भाषा पहले बोल ही रहती है, धीरे-धीरे वह भाषा का रूप ले लेती है।

बोली, विभाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा— अंग्रेजी में इसके लिए 'डायलेक्ट' शब्द का प्रयोग किया गया है। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्त्व कम होता है। इसे 'बोली' भी सापेक्षिक दृष्टि से ही कहा जाता है। एक भाषा की कई सारी बोलियां होती हैं जिसके कारण भाषा का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और क्षेत्र विस्तार के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, जैसे— पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि क्षेत्र एक ही भाषा के बोलचाल के अनेक रूप होते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग बोलियों का प्रयोग होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में कम जाता है, उनका संपर्क कम होता है, वह एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं पाते हैं तो इसलिए अलग-अलग बोलियां होती हैं परंतु यह सभी बोलियां परस्पर भिन्न तो होती हैं फिर भी वह एक ही भाषा के अधीन रहती हैं। कुछ लोग बोली को भाषा, उपभाषा या प्रांतीय भाषा भी कहते हैं। यहां प्रांतीय भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि बंगला, मराठी आदि प्रांतीय भाषाएं होती हैं। कुछ विद्वान प्रांतीय भाषा को विभाषा कहना ज्यादा पसंद करते हैं और उनके अनुसार उसका क्षेत्र बोली से ज्यादा होता है।

अभी तक हम लोगों ने बोली भाषा, विभाषा और उपभाषा के संदर्भ में अध्ययन किया, अब भाषा और बोली के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे— परस्पर संबंधित बोलियां किसी एक ही भाषा के अंग होती हैं अर्थात् भाषा अंगी है तो बोलियां उसके अंग हैं। भाषा का क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होता है किंतु बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित होता है जैसे हिंदी एक भाषा है तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली अलग-अलग बोलियां जैसे ब्रज, अवधि, बांगरू, खड़ीबोली आदि हिंदी की विभिन्न बोलियां हैं। किसी भाषा की एक बोली दूसरी बोली से भिन्नता रखते हुए भी इतनी अधिक भिन्न नहीं होती कि एक क्षेत्र के व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति की बोली को समझ न सकें। प्रायः रचना की दृष्टि से भाषा का ही प्रयोग होता है जबकि बोलचाल में बोली का। एक ही भाषा के विभिन्न बोली बोलने वाले व्यक्ति जब साहित्य का रचना करते हैं तो वह एक ही भाषा में करते हैं ऐसे ही किसी एक बोली का महत्त्व जब बढ़ जाता है तो भाषा का जन्म हो जाता है और वही बोली भाषा बन जाती है तथा कालांतर में भाषा की विभिन्न क्षेत्रीय रूप ही बोलियां चलाने लगते हैं। भोलानाथ तिवारी अपनी पुस्तक 'भाषा विज्ञान' में बोली को इस प्रकार परिभाषित करते हैं "बोली किसी भाषा के एक सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य, गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भी नहीं होता कि अन्य रूपों को बोलने वाले उसे समझ ना सकें, साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में बोलने वालों के उच्चारण, रूप, रचना, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द समूह तथा मुहावरों आदि में बहुत स्पष्ट भेदक और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती है।" पी० डी० गुणे ने बोली की परिभाषा इस प्रकार दी है "बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जा सकता है।"

किसी भी बोली के भाषा बनने के पीछे कई कारण होते हैं जो निम्नलिखित हैं— सबसे प्रमुख कारण है किसी भी बोली का अधिक महत्त्व प्राप्त कर लेना। यह महत्त्व उसके स्वरूप, सरलता, स्वीकार्यता आदि के कारण होती है। किसी भाषा की कई बोलियों में से जब एक ही बोली जीवित रह जाती है और शेष बोलियां किन्हीं कारणों से अस्तित्व में नहीं रहती तो उसी बोली को ही 'भाषा' का पद प्राप्त हो जाता है या वही बोली भाषा

बन जाती है। जब अनेक बोलियों में से एक बोली इतने भिन्न स्वरूप वाली हो जाती है की अन्य बोलियों को बोलने वाले उसे समझ ही नहीं पाते तो वह बोली भाषा का रूप ले लेती है। किसी बोली में श्रेष्ठ साहित्य रचना के कारण भी उसे भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। धार्मिक श्रेष्ठता के कारण भी कोई बोली भाषा बन जाती है अर्थात् किसी धर्म विशेष का साहित्य जिस बोली में लिखी जाती है उस धर्म के लोग उसी बोली को भाषा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, जैसे अवधी भाषा में राम-साहित्य, ब्रजभाषा में कृषि-साहित्य आदि का निर्माण हुआ है। राजनीति के कारण भी कोई बोली 'भाषा' का पद प्राप्त कर लेता है। यदि किसी बोली का क्षेत्र राजनीत का केंद्र बन जाए तो सब लोगों का ध्यान उसी की ओर आकृष्ट हो जाता है, जैसे दिल्ली मेरठ की खड़ी बोली ने आज इसी आधार पर 'भाषा' का पद प्राप्त किया हुआ है।

उपबोली— बोली की अपेक्षा और भी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली बोलचाल की भाषा को 'उपबोली' कहते हैं। जिस प्रकार एक भाषा में कई सारी बोलियां होती हैं ठीक उसी प्रकार एक बोली के अंतर्गत कई सारी उप बोलियां भी होती हैं किंतु उपबोली के लिए सबडायलेक्ट शब्द का व्यवहार या प्रयोग ज्यादा उचित प्रतीत होता है। भाषा और बोली में जो अंतर तथा समानता होती है, वही अंतर और समानता बोली और उपबोली में भी होती है। कुछ विद्वान इसे केवल बोली कहना पसंद करते हैं परंतु कुछ विद्वान इसे उपबोली का नाम दे देते हैं।

परिनिष्ठित भाषा— परिनिष्ठित भाषा को ही आदर्श भाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विशिष्ट स्तर प्राप्त भाषा होती है जिसका एक क्षेत्र-विशेष चाहे वे पृथक-पृथक बोली क्षेत्रों के हो, सभी शिक्षित सभ्य व्यक्ति शिक्षा दीक्षा, साहित्य रचना, पत्र व्यवहार आदि में प्रयोग करते हैं। यह अपने आसपास की सभी बोलियों को अत्यधिक प्रभावित करती हैं और कभी-कभी उनको अपने अंदर समा भी लेती हैं। इसके सम्मुख बोलियाँ महत्वहीन सी हो जाती हैं। व्याकरण की रचना भाषा के परिनिष्ठित या आदर्श रूप को ही दृष्टि में रखकर की जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि अपने लिखित रूप में यह विकास की दृष्टि से अन्य बोलियों से पिछड़ जाती है, परन्तु इसका मौखिक रूप धीरे-धीरे विकसित होता रहता है।

विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि विश्व के लगभग 200 देशों में 6000 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और इन सभी भाषाओं को प्रयोग करने के लिए कुल लगभग 25 लिपियों का प्रयोग भी किया जाता है। जिस प्रकार हम भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ नहीं कह सकते वैसे ही लिपियों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम पूर्णतया विश्वास के साथ नहीं कह सकते हैं। हमें यह जानना होगा कि भाषा और लिपि दो अलग-अलग तत्व हैं। लिपि का विकास भाषा की उत्पत्ति के पश्चात् ही हुआ होगा क्योंकि भाषा मुख्यतः मौखिक रूप में उत्पन्न होती है, धीरे-धीरे वह लिखित रूप में आती है। लिपि भाषा के लिखित रूप का ही परिणाम है। आज विश्व में बहुत सारी लिपियां जन्म ले चुकी हैं उनमें से कुछ हमारे समक्ष विश्व में उपस्थित हैं तथा कुछ धीरे-धीरे विलुप्त हो गयी हैं। भाषा और लिपि दोनों ही समाज-विशेष की संस्कृति का प्रतीक होती हैं, पहचान होती हैं, स्वाभिमान होती हैं। हम अन्य देश में अपनी मातृभाषा को बोलने का अवसर मिलने पर सुखद अनुभव करते हैं, ठीक इसी तरह सभी व्यक्ति अपनी-अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहते हैं। जब हम लिपि के उत्पत्ति के संदर्भ में विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि मानव ने अपनी अभिव्यक्ति को स्थायी बनाने के लिए कई प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया होगा जिन्हें हम गुफाओं में प्राप्त चित्रों से प्रारंभ करके शिलालेखों, ताम्रपत्र, भोजपत्र, पुस्तकों, वेबसाइट आदि के रूप में जानते हैं। बोलियां बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए अपने सामने वाले व्यक्ति को अपना संदेश या विचार संप्रेषित कर सकते हैं। बोलचाल की भाषा की सीमा को पार करते हुए यहां लिपि लिखित भाषा में संप्रेषण के रूप में कार्य किया। मानव ने हजारों प्रयोग किए होंगे तब ऐसे संप्रेषण के अनेक माध्यमों का जन्म हुआ होगा। लिपि का विकास भी मानव संस्कृति के लिए क्रांतिकारी घटना रही होगी। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं में किसी न किसी तरह के संप्रेषण की अभिव्यक्ति के चिन्ह मिल ही जाते हैं इससे यह बात स्पष्ट होती है कि लिपि किसी भी विकसित सभ्यता का अनिवार्य तत्व होती है।

भाषा की उत्पत्ति के समान ही लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी पर्याप्त मतभेद है परंतु यह तो निश्चित है कि लिपि की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति की बात ही हुई होगी, किंतु कब और कैसे हुई, यह सिर्फ अनुमान का ही विषय है। वैसे यह कहा जा सकता है कि मानव ने सभ्यता के विकास के साथ ही लगभग 45 हजार पर पूर्व लिपि की खोज कर ली होगी। जिस प्रकार भाषा भावों को पूर्णतया अभिव्यक्त करने में असमर्थ

रहती है उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी उच्चारित भाषा की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, जैसे लहजा आदि के द्वारा उच्चारित भाषा में उत्पन्न विशेषताओं को लिपि द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे संवेदनाओं को उच्चारित भाषा के माध्यम से ही किया जा सकता है। इन सब तथ्यों को हम लिपि के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध यौक्तिक न होकर रुढ़ होता है उसी प्रकार ध्वनि तथा लिपि का संबंध भी रुढ़ होता है। यही कारण है कि एक ही ध्वनि के लिए विभिन्न लिपियों में विभिन्न प्रकार के संकेतों का व्यवहार होता है जैसे देवनागरी में 'प' के लिए रोमन लिपि में 'P' का प्रयोग होता है। भाषा वैज्ञानिकों ने लिपि को निम्न तीन स्वरूपों में स्वीकार किया है—

- (i) **चित्रलिपि**— यह लिपि का सबसे प्राचीनतम रूप माना जाता है। आदिकाल में मानव जिस वस्तु को लिपिबद्ध करना आवश्यक समझता था उसको वह चित्रित कर देता था। इसलिए पक्षी को लिखने के लिए उनके चित्र बना देते थे। चित्रलिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी 'सर्ववोध्यता' थी। चित्र लिपि में लिखित वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति सरलता से समझता था, जबकि ध्वनिलिपि में लिखित वस्तु को वही व्यक्ति समझ सकता है जो उस लिपि को जानता होगा, जैसे— कुत्ते या बिल्ली के चित्र को देखकर सभी व्यक्ति उसे पहचान जाते हैं जबकि देवनागरी लिपि में लिखे बिल्ली या रोमन में लिखे कैट को वही व्यक्ति जान सकता है जो इन भाषाओं तथा लिपियों का ज्ञाता होगा। चित्रलिपि की विशेषता होने के पश्चात भी इसमें कुछ कमियां हैं जैसे— लिपि संकेतों की अनंतता, लिपि संकेतों की पृथकता, स्थान साध्य, समय साध्य, असमर्थता आदि।
- (ii) **भावलिपि**— चित्रलिपि में कुछ कमियों के कारण मनुष्य लिपि की खोज में निरंतर आगे बढ़ता रहा। आगे चलकर भाव या विचार लिपि अस्तित्व में आयी। चित्र में सभी व्यक्ति सभी चित्रों को ठीक-ठीक नहीं बना पाते थे। धीरे-धीरे चित्रों का स्थान अपूर्ण चित्रों ने ले लिया। अधिक स्थान, समय तथा सामग्री की अपेक्षा कम स्थान, समय तथा सामग्री से काम चलाया जाने लगा। जैसे— मनुष्य का पूरा चित्र न बनाकर रेखाओं और बिंदुओं से बना दिया जाने लगा। विशिष्ट समाज में कुछ निश्चित चित्रों से कुछ निश्चित भाव का बोध कराया जाने लगा। इस प्रकार लिपि में लाघवता आ गई और चित्रलिपि का स्थान भावलिपि ने ले लिया। भावलिपि में अधिक संक्षिप्त था। उसमें वस्तुओं के साथ-साथ घटनाओं को भी लिखा जा सकता था। इस प्रकार कम संकेतों में अधिक बात प्रकट करने की क्षमता भावलिपि में थी। किंतु मनुष्य संतुष्ट नहीं हुआ और आगे चलकर मानव ने ध्वनिलिपि का आविष्कार कर लिया
- (iii) **ध्वनि लिपि**— 'ध्वनि लिपि' लिपि के विकास में अंतिम और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें पूर्ण तथा अपूर्ण चित्रों के स्थान पर ध्वनियों को लिखा जाता था। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के लिए ध्वनि चिन्हों या वर्णों का प्रयोग होता है तथा उनके द्वारा भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे— देवनागरी, अरबी तथा रोमन आदि लिपियां इसी प्रकार की हैं। अभी तक आप लोगों ने भाषा विकास एवं उसके प्रकार, विभिन्न प्रकार की लिपियों जैसे— चित्र लिपि, भाव लिपि एवं ध्वनि लिपि लिपि की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्ययन के उपरांत आप नीचे दिए गए कुछ बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

7. भाषा और बोली में क्या सम्बन्ध है?

.....

.....

8. लिपि के कितने स्वरूप होते हैं?

.....

.....

2.6 भारतीय लिपियाँ

भाषा विज्ञान के विद्वान श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक 'प्राचीन लिपि माला' में भारतीय लिपि विज्ञान की प्राचीनता को दर्शाया है। उन्होंने कहा है कि विदेशी विद्वानों के द्वारा यह आरोप कि वैदिक काल में भारतीय लिखना पढ़ना नहीं जानते थे यह बात पूरी तरह से असत्य है। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्राह्मी लिपि में लिखे दो शिलालेख भारत के अजमेर जिले के 'बड़ली' या 'बर्ली' ग्राम में तथा नेपाल की तराई में 'पिप्रावा' नामक स्थान पर मिले हैं। इनका कालक्रम क्रमशः 443 ईसापूर्व तथा 487 ईसापूर्व के आसपास माना जाता है। भारत में प्राप्त ईसापूर्व पांचवीं शताब्दी के इन प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि इससे पहले भी भारत में विभिन्न लिपियों का प्रयोग होता रहा है। भारत में विभिन्न लिपियाँ प्रयोग होती रही हैं— जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, गोपी, कुटिल, शारदा लिपि, पश्चिमी लिपि, मध्य प्रदेश की लिपि, तेलुगु, कन्नड़, कलिंग लिपि, तमिल लिपि, आदि भारत में पायी जाती हैं। अब हम मुख्य भारतीय लिपियों के विषय में अध्ययन करेंगे। मुख्य भारतीय लिपियों का विवरण इस प्रकार है—

ब्राह्मी लिपि— ब्राह्मीलिपि को कई लिपियों की लंबी श्रृंखला की जननी कहा जा सकता है। ब्राह्मी लिपि से लगभग 198 लिपियाँ निकली हैं या उत्पन्न हुई हैं। लगभग सभी भारतीय भाषाओं की लिपियों के अलावा नेपाल, बांग्लादेश आदि कई एशियाई देशों की भाषाओं की लिपियाँ भी इसी से जन्म ली हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं जैसे— ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण इसे ब्राह्मीलिपि कहते हैं या कुछ लोग ब्राह्मणवर्ग के लोगों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त होने के कारण तो कुछ विद्वान ब्रह्म अर्थात् वेद की रक्षार्थ निर्मित होने के कारण इसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मीलिपि के संदर्भ में श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि "मनुष्य की बुद्धि में सबसे बड़े महत्त्व के दो कार्य हैं— ब्राह्मी लिपि और वर्तमान शैली से अंको की कल्पना। 21वीं सदी में भी हम संसार की बड़ी उन्नतशील जाति की लिपियों की तरफ देखते हैं तो उनमें उन्नति की गंध भी नहीं पाई जाती है। कहीं तो ध्वनि और उसके सूचक चिन्हों में साम्य ही नहीं है जिससे एक ही चिन्ह से एक से अधिक ध्वनियाँ प्रकट होती हैं और कहीं एक ही ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्हों का व्यवहार होता है और अक्षरों के लिए कोई शास्त्रीय क्रम भी नहीं है। कहीं लिपि वर्णात्मक नहीं किन्तु चित्रात्मक ही हैं। ये लिपियाँ मनुष्य जाति के ज्ञान की प्रारंभिक दशा की निर्माण-स्थिति से अब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकी है, परंतु भारतवर्ष की लिपि हजारों वर्षों पहले भी इतनी उच्चकोटि को पहुंच गयी थी कि उसकी उत्तमता की कुछ भी समानता संसार के किसी दूसरी लिपि अब तक नहीं हो सकती।"

ब्राह्मी लिपि से दो शैलियों का विकास हुआ है— उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत 6 लिपियाँ विकसित हुयी हैं— तेलुगु-कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि, ग्रंथ लिपि, कलिंग लिपि, पश्चिम लिपि, और मध्यदेशीय लिपि। जबकि उत्तरी शैली के अंतर्गत 4 लिपियाँ उत्पन्न हुयी हैं— गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि, प्राचीन नागरी लिपि।

खरोष्ठी लिपि— इस लिपि में प्राप्त लेख ईसापूर्व तृतीय शताब्दी से लेकर ईसा की तृतीय शताब्दी तक मानी जाती है। जिसमें लिखे अशोक के कुछ अभिलेख केवल उत्तर-पश्चिम भारत के पंजाब में शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अशोक से पूर्व का कोई अभिलेख इस लिपि में प्राप्त नहीं हुआ है। अशोक के बाद इस लिपि का प्रयोग केवल विदेशी राजाओं ने ही किया है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में इस विदेशी लिपि का विकास अशोक को इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उन भारतीय प्रदेशों में उन दिनों ईरानियों का निवास था। अशोक ने उन प्रदेशों के अपने अभिलेखों में उन्हीं की लिपि का प्रयोग करना उचित समझा था। 'खरोष्ठी' नाम की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि गंधे के ओष्ठों के समान अक्षर वाली होने के कारण इसका नाम 'खरोष्ठी' पड़ा। इसका विकास उत्तरी सीरिया में प्रचलित उन दिनों 'आरामी' लिपि से माना जाता है जिसमें भारतीयों ने कुछ संशोधन कर लिया था। 'आरामी' लिपि में कुल 12 वर्ण थे किंतु खरोष्ठी में वर्णों की उपलब्ध संख्या 38 है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर भारत के अतिरिक्त भारत के शेष भागों में कभी इसका प्रयोग नहीं हुआ और न ही तृतीय शताब्दी के बाद कोई अभिलेख इसमें मिला है।

देवनागरी लिपि— आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मीलिपि से हुआ है। ब्राह्मीलिपि की उत्तरी शैली के अंतर्गत परिगणित गुप्तलिपि और कुटिललिपि ही धीरे-धीरे देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हो गई हैं।

इसका प्रयोग भारत में लगभग 10वीं शताब्दी के बाद से मिलता है। प्रारम्भ में इसके गुणों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी। देवनागरी लिपि में सामान्यतया 52 अक्षर पाए जाते हैं जिनमें से 49 अक्षर वर्तमान समय में प्रचलन में हैं और तीन का प्रयोग हिंदी में लगभग प्रयोग नगण्य हो गया है। जबकि संस्कृत भाषा में सभी 52 अक्षरों का प्रयोग होता है। संस्कृत में प्रयुक्त अक्षरों के आधार पर देवनागरी लिपि में अक्षरों की संख्या 56 या 57 तक पहुंच जाती है। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा ब्राह्मीलिपि में लिखी जाती रही है। अतः उन अक्षरों को ब्राह्मीलिपि का हिस्सा मानकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि देवनागरी लिपि का जन्म भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। प्राचीन नागरी ही बाद में सम्मान देने के लिए इसे 'देवनागरी लिपि' कहा गया। देवनागरी नाम को लेकर अलग-अलग विद्वानों में अलग-अलग विचार पाए जाते हैं— जैसे नगरों में प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलायी, नागर ब्राह्मणों में प्रचलित होने के कारण नागरी कहलायी, तांत्रिक यंत्र देवनागर से आकृति में समानता रखने वाले वर्णों के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। कुछ विद्वानों के अनुसार यह लिपि काशी और आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई थी। काशी को देवनागर भी कहते हैं इसलिए इसका नाम देवनागरी हो गया। दक्षिण भारत में इसका नाम नंदी-नागरी भी मानी जाती है जो इसका सम्बन्ध काशी शिव और प्राचीनतम नगर वाराणसी से जोड़ता है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं उत्कृष्टता यह है कि देवनागरी लिपि भारत में सर्वमान्य लिपि है। इसकी अपनी एक पहचान है, इसका व्याकरण और इसकी अपनी विशेषता है। इसके अपने मानदंड हैं जो किसी भी लिपि के लिए आवश्यक होती हैं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- (i) **ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य**— किसी भी भाषा की ध्वनियों तथा उन्हें प्रकट करने वाले लिपिचिन्हों या वर्णों में जितना अधिक सामंजस्य होता है वह लिपि उतना ही अधिक उत्कृष्ट मानी जाती है। देवनागरी लिपि में यह विशेषता पूर्णरूप से मिलती है। इसमें उच्चारण के अनुसार ही वर्ण निश्चित किए गए हैं। अतः जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है, वही बोला जाता है साथ ही वही समझा भी जाता है।
- (ii) **एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत**— एक ध्वनि के लिए अनेक संकेत या एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति भी लिपि का सबसे बड़ा दोष होता है। रोमन तथा अरबी आदि लिपियों में यह दोष प्रचुरमात्रा में पाया जाता है। रोमन लिपि में एक ही ध्वनि के लिए अनेक संकेत हैं जैसे— k (king), c (cat), q (queen), ch (chemistry) आदि। देवनागरी लिपि इससे हमेशा मुक्त रही है।
- (iii) **समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति**— उत्कृष्ट में यह पाया जाता है कि वह किसी भाषा की समग्र ध्वनियों को लिपिसंकेतों द्वारा अभिव्यक्त कर सकती है। देवनागरी लिपि में भी यह सर्वाधिक रूप से पाई जाती है।
- (iv) **असंदिग्धता**— उत्कृष्ट लिपि में एक ध्वनि संकेत में दूसरी ध्वनि का संदेह नहीं होना चाहिए। देवनागरी लिपि इस कसौटी पर खरी उतरती है। उपरोक्त गुणों के कारण देवनागरी लिपि वस्तुतः एक उत्कृष्ट लिपि है।

अभी तक आप लोगों ने भारतीय लिपि विज्ञान की प्राचीनता एवं उसके विभिन्न प्रकार की लिपियों जैसे— ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और देवनागरी लिपि एवं देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्ययन के उपरांत आप नीचे दिए गए कुछ बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

9. प्रमुख भारतीय लिपियाँ कौन-कौन सी हैं?

.....

.....

.....

10. देवनागरी लिपि की क्या विशेषताएँ हैं?

.....

.....

.....

2.7 भाषा के प्रकार

प्रकृति द्वारा मनुष्य को मिले उपहारों में सर्वोत्तम उपहार 'भाषा' है। भाषा के माध्यम से वह अनेक ज्ञान की अन्य विषयों में जानकारी एकत्र करके स्वयं को समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाता है। भावों और विचारों के अभिव्यक्ति के लिए भाषा का सर्वाधिक योगदान रहता है यह केवल भावों और विचारों की विनिमय का साधन मात्र नहीं अपितु मानव की चिंतन और मनन का माध्यम भी यही है। इसके माध्यम से समाज की विभिन्न शृंखलाएँ एवं विभिन्न कड़ियाँ जुड़ती हैं। भावों और विचारों के विनिमय के माध्यम से समाज को जोड़ने की यह प्रक्रिया कई प्रकार से होती है। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए तीन प्रकार के साधनों का प्रयोग करता है तथा तीन प्रकार से अपने विचार को प्रकट करता है, जो निम्नलिखित हैं—

1. मौखिक भाषा
2. लिखित भाषा
3. सांकेतिक भाषा

1. **मौखिक भाषा**— इसे ओवर ऑल लैंग्वेज कहते हैं। मौखिक भाषा मौखिक रूप में ही मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। भारतीय वैदिक परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से ही वेद, उपनिषदों का पूर्ण और शुद्ध ज्ञान देता था। इसलिए मौखिक भाषा को उच्चारित भाषा की संख्या भी दी जाती है। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों या मनोभावों को बोल कर प्रस्तुत करता है। मौखिक भाषा का प्रयोग तभी होता है जब श्रोता सामने हो। मनुष्य द्वारा किया गया मौखिक साधन व्यक्त वाणी कहलाता है। इसकी पृष्ठभूमि में एक व्यवस्थित और स्पष्ट चिंतन होता है जिससे नई संस्कृति और समाज का निर्माण होता है। इस माध्यम का प्रयोग सामान्य फिल्म, नाटक, संवाद, शिक्षा एवं भाषण आदि में किया जाता है। इसे स्थायी बनाने और भविष्य के उपयोग हेतु सुरक्षित एवं संरक्षित करने के लिए अनेक तकनीक जैसी— टेप—रिकार्डर, रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का प्रयोग किया जाता है।
2. **लिखित भाषा**— भाषा के लिखित रूप का प्रयोग भाषा के विकास के पश्चात् हुआ। सर्वप्रथम भोज—पत्रों और ताम्र—पत्रों का प्रयोग लिखने के लिए किया गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप चीन में छापेखाने का प्रयोग भाषा मुद्रण के लिये किया जाने लगा। मशीन और टाइपराइटर आदि ने भाषा के लिखित रूप को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भाषा के लिखित रूप में लिखकर एवं पढ़कर विचारों और मनोभावों का आदान प्रदान किया जाता है। लिखित रूप भाषा का स्थायी माध्यम होता है। ज्ञान को दीर्घकाल के लिए संरक्षित रखने के लिए भाषा के इस रूप का प्रयोग किया जाता रहा है, जैसे— यदि वेदों और शास्त्रों को न लिखा गया होता तो आज आप अपने पुरखों एवं अपने पूर्वजों की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक स्थिति के विषय में नहीं जान पाते और न ही आपको विभिन्न समुदायों की परंपराओं का ज्ञान हो पाता है। इस प्रकार कक्षा—शिक्षण के दौरान किया जाने वाला कार्य और पुस्तकें, भाषा के लिखित माध्यम को अभिव्यक्त करते हैं।
3. **सांकेतिक भाषा**— भावों और विचारों का आदान प्रदान जब संकेतों के माध्यम से होता है, तो वह सांकेतिक भाषा कही जाती है। इस तरह की भाषा का प्रयोग श्रवण—दोष वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार को संकेत तत्व—प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न विधियों या विभिन्न अंगों की क्रियाएँ जैसे— नेत्रों की भंगिमाएँ, हाथों का संचालन, चेहरों के भाव आदि सम्मिलित होते हैं, जैसे एक शिक्षक के रूप में शिक्षण के दौरान जब आप किसी छात्र को अमौखिक पुनर्बलन देते हैं तब आप सहमति अथवा अपना सिर हिलाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि आप छात्र के उत्तर से सहमत हैं या असहमत। दूसरी ओर छात्र भी संकेत को समझकर प्रतिक्रिया करता है। भाषा के इस रूप द्वारा होने वाला विचार विनिमय अपने आप में व्यापक होते हुए भी भाषा की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसकी कुछ अपनी सीमाएँ भी हैं।

अध्ययन की दृष्टि से यदि देखें तो ये पाते हैं कि भाषा दो प्रकार की होती है— जन्म भाषा (मातृभाषा) एवं अन्य भाषा। जन्म भाषा वह भाषा होती है जिसमें मानव जन्म लेता है और शैशावस्था से

ही उसी भाषा के परिवेश में रहकर बिना किसी नियमित और व्यवस्थित शिक्षण के अपने—आप सुनना, समझना, बोलना आदि सीख लेता है। जन्म भाषा को जनपदीय भाषा भी या मानक मातृभाषा भी कह सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से मानक मातृभाषा का विचार करना ही उचित होता है। शैशवावस्था से ही श्रवण, अनुकरण, ग्रहण आदि की निरंतर प्रक्रिया से मातृभाषा के साथ बालक का वास्तविक एवं सहज विकास होता रहता है और वह अपनी क्रियाओं से मातृभाषा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, और अंततः यही भाषा बालक के अंतःकरण की भाषा बन जाती है।

अन्य भाषा वह भाषा है जो हमारी मातृभाषा से या जन्मभाषा से अलग होती है और जिसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हम उसे सीखते हैं, उसके व्याकरण को सीखते हैं। जब कोई बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो प्रारंभ में उसे अपनी भाषा, जो उसे जन्म से प्राप्त हुई है, उसका प्रयोग करता है उसी के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है। जैसे—जैसे वह प्रशिक्षण पाता जाता है दूसरी या अन्य भाषा सीख जाता है और वह उसका प्रयोग औपचारिक रूप से करने लगता है, लेकिन यह भाषा पूर्ण रूप से स्वाभाविक न होकर अस्वाभाविक प्रतीत होती है। इसलिए हमें ये देखना होगा कि बालक के सहज एवं स्वाभाविक विकास की दृष्टि से जो जन्म की भाषा है उसी को हम विषयों की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम साधन बनाएं। इस आधार पर हम देखें तो हमारी जन्मभाषा का या मातृभाषा का बहुत ही व्यापक महत्त्व है। जब हम भाषा के स्वरूप एवं प्रकृति का अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि व्यवहार की दृष्टि से भाषा के दो रूप होते हैं— 1. उच्चरित भाषा और 2. लिखित भाषा।

1. **उच्चरित भाषा**— उच्चरित रूप में भाषा का जो व्यवहार होता है उसके भी दो पक्ष होते हैं— 1. ग्रहण पक्ष और 2. अभिव्यक्ति पक्ष, जिन्हें हम सुनना और बोलना कहते हैं। उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई 'ध्वनि' होती है। संसार की प्रत्येक भाषा की अपनी कुछ विशिष्ट ध्वनियां होती हैं जिनके आधार पर उसका पूर्णस्वरूप विकसित एवं निर्मित होता है। इसी प्रकार हिन्दी भाषा की भी अपनी कुछ विशिष्ट ध्वनियां होती हैं।
2. **लिखित भाषा**— लिखित भाषा का जो व्यवहार होता है एवं जिसका प्रयोग होता है उसके भी दो पक्ष होते हैं— 1. ग्रहण पक्ष 2. अभिव्यक्ति पक्ष, जिन्हें हम पढ़ना और लिखना भी कहते हैं। लिखित भाषा की सबसे अंतिम इकाई 'वर्ण' होती है जो उस भाषा की प्रत्येक ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करने के चिन्ह या प्रतीक रूप में प्रयुक्त होता है। सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिस रूप में इन वर्णों को लिखा जाता है उन्हें ही हम 'लिपि' कहते हैं। भाषा के लिखित रूप का विकास उसके उच्चरित रूप के बहुत दिनों बाद ही हुआ होगा, परन्तु आज भाषा एवं साहित्य को स्थायी रूप से अक्षुण्य बनाए रखने की दृष्टि से लिखित भाषा का महत्त्व अधिक से अधिक हो गया है।

भाषा के उपयुक्त व्यावहारिक रूपों को हम देखें तो ये पता चलता है कि प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से भाषा के इन रूपों जैसे— सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, को ही भाषा के चार मूल कौशलों में समाहित किया जाता है। इनकी दक्षता प्रदान करना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से इन कौशलों को हम ग्रहण और अभिव्यक्ति दो रूपों में बांटते हैं—

1. ग्रहण पक्ष— अ). सुनना और ब). पढ़ना
2. अभिव्यक्ति पक्ष— अ). बोलना और ब). लिखना

इस दृष्टि से भाषाई कौशल चार प्रकार के होते हैं। भाषा के उपर्युक्त कौशल भाषा के मूर्त या प्रत्यक्ष रूप हैं। यह हमारी चेतन प्रक्रिया के ही रूप होते हैं, किंतु भाषा का प्रवाह यहीं तक सीमित नहीं है। वह तो हमारे भीतर अचेतन प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलती रहती है। सोचना और स्वप्न देखना भी भाषा के माध्यम से ही होता है। जागरण ही नहीं सुषुप्ति और तुरीयावस्था में भी भाषा चलती रहती है। मनुष्य भाषा विहीन जीवन बिता ही नहीं सकता। हम निरंतर भाषा के प्रवाह में ही जीते हैं। यह कहना एक ही बात है कि मनुष्य भाषा को काम में लाता है या भाषा मनुष्य को काम में लाती है। इस दृष्टि से भाषा के व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही रूप हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भाषा की तीनों रूपों का सारतत्त्व ये है कि उद्देश्यों की अभिव्यक्ति के

लिए यह एक मानवीय सक्रियता है जिससे मन के भावों और विचारों को स्पष्ट तरीके से समझा जा सके। प्रस्तुत इकाई में अभी तक आप लोगों ने भाषा के प्रकार जैसे— मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, जन्म भाषा, उच्चारित भाषा, लिखित भाषा तथा भाषा के विभिन्न कौशलों जैसे— ग्रहण पक्ष के अंतर्गत सुनना और पढ़ना तथा अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत बोलना और सीखना का अध्ययन किया। इन अध्ययनों के उपरांत नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

11. मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को कितने प्रकार से प्रकट करता है?

.....
.....

12. भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं?

.....
.....

13. मातृभाषा का क्या अर्थ है?

.....
.....

14. संस्कृत भाषा की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं?

.....
.....

2.8 सारांश

प्रस्तुत इकाई में भाषा के विकास एवं उससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। भाषा सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से होते हुए संपन्न होती है, जैसे— ध्वनि संकेतों को सुनना, उसे पहचानना, अनुकरण करना, भाषा में विविधता लाना और चयन क्षमता का विकसित होना। भाषा के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे— ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ आदि से होते हुए भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास सबसे पहले बोली के रूप में होती है प्रांतीय भाषा, परिनिष्ठित भाषा का निर्माण होता है। भाषा विकसित होने के पश्चात् विभिन्न लिपियों का भी विकास हुआ, जैसे— चित्र लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। भारतीय लिपियों में सबसे महत्वपूर्ण लिपि है— ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और देवनागरी लिपि। भाषा विकास की प्रक्रिया में भाषा विभिन्न रूपों में प्रकट होती हुयी विकसित होती है, जैसे— मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। यदि हम भाषा के स्वरूप और प्रकृति की दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि भाषा के चार कौशल होते हैं, जैसे— ग्रहण पक्ष के अंतर्गत सुनना और बोलना जबकि अभिव्यक्ति पक्ष के अंतर्गत बोलना और लिखना आता है। उपरोक्त अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि हमें चार प्रकार की भाषाओं को जान लेना आवश्यक होता है, जैसे— संस्कृत भाषा, मातृ भाषा, राजभाषा और विदेशी भाषा। इन सभी भाषाओं का अध्ययन करने से हमारा संपूर्ण विकास हो जाता है।

2.9 अभ्यास के प्रश्न

1. भाषा सीखने की प्रक्रिया का पूर्ण विश्लेषण कीजिए।
2. शिक्षक विद्यार्थियों में भाषा के विकास हेतु क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? वर्णन कीजिए।
3. एक आदर्श भाषा में कौन-कौन से अंग या अवयव होने चाहिए? व्याख्या कीजिए।

2.10 चर्चा के बिन्दु

1. आपके विचार में भाषा के शिक्षण और अधिगम के मध्य परस्पर संबंध कैसे स्थापित किया जाना चाहिए? चर्चा कीजिए।
2. आप भारतीय लिपियों में किस प्रकार की विशेषताओं को चाहेंगे? चर्चा कीजिए।
3. शिक्षक कक्षा में भारतीय लिपियों एवं भाषा के प्रकार का किस प्रकार अध्यापन करते हैं? चर्चा कीजिए।

2.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. भाषा सीखने का सर्वप्रमुख साधन है— सीखी जाने वाली भाषा के बोलने वालों के बीच में रहना, उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा को सुनना, उस भाषा का अनुकरण करना और फिर स्वयं उसका प्रयोग करना एवं बोलना।
2. भाषा सीखना की प्रक्रिया में कुल पाँच चरण होते हैं— 1. ध्वनि संकेतों को सुनना और उसे पहचानना, 2. अनुकरण करना, 3. आवृत्ति, 4. विविधता एवं चयन।
3. भाषा विज्ञानियों द्वारा भाषा के पाँच प्रमुख अंग बताए गए हैं— 1. ध्वनि, 2. शब्द, 3. पद, 4. वाक्य और 5. अर्थ।
4. भाषा की लघुतम, अनिवार्य और स्वतंत्र इकाई 'शब्द' है अर्थात् यह सार्थक ध्वनियों का एक समूह होता है। शब्द को ही सभी भावों और अर्थों का साधन माना है।
5. रचना के आधार पर पद के तीन भेद होते हैं— 1. साधारण पद, 2. संयुक्त पद और 3. मिश्रित पद।
6. अर्थबोध के आठ साधन स्वीकार किए गए हैं— 1. व्यवहार, 2. आप्तवाक्य, 3. व्याकरण, 4. उपमान, 5. कोश, 6. वाक्यशेष (प्रकरण), 7. विवृति (व्याख्या) और 8. प्रसिद्ध पद का सांनिध्य।
7. परस्पर संबंधित बोलियां किसी एक ही भाषा की अंग होती हैं अर्थात् भाषा अंगी है तो बोलियां उसके अंग हैं। भाषा का क्षेत्र बोली से अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, जैसे— हिंदी एक भाषा है तथा ब्रज, अवधि, बांगरू, खड़ीबोली आदि हिंदी की विभिन्न बोलियाँ हैं।
8. भाषा वैज्ञानिकों ने लिपि को तीन स्वरूपों में स्वीकार किया है— 1. चित्रलिपि, 2. भावलिपि और 3. ध्वनिलिपि।
9. प्रमुख भारतीय लिपियों का विवरण इस प्रकार है— 1. ब्राह्मी लिपि, 2. खरोष्ठी लिपि और 3. देवनागरी लिपि।
10. देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं— 1. ध्वनि तथा वर्ण में सामंजस्य, 2. एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत, 3. समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति और असंदिग्धता।
11. मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए तीन प्रकार से अपने विचार को प्रकट करता है— 1. मौखिक रूप से, 2. लिखित रूप से, और 3. सांकेतिक रूप से।
12. भाषाई कौशल चार प्रकार के होते हैं। व्यावहारिक रूप में भाषा के चार मूल कौशलों को समाहित किया जाता है। विचारों के आदान प्रदान की दृष्टि से इन कौशलों को हम ग्रहण और अभिव्यक्ति दो रूपों में बांटते हैं— ग्रहण पक्ष— 1. सुनना और 2. पढ़ना एवं अभिव्यक्ति पक्ष— 1. बोलना और 2. लिखना।
13. मातृभाषा का अर्थ है— 'क्षेत्र विशेष में समाज की स्वीकृत परिनिष्ठित भाषा', जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं। माता-पिता से सुनकर सीखी हुई भाषा को घर की बोली या माता की भाषा कहते हैं, और समाज द्वारा स्वीकृति मानक भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं।
14. संस्कृत भाषा को आकर भाषा की संख्या प्रदान की है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

- (i) प्राचीन भारतीय साहित्य इसी भाषा में है।
- (ii) प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान आदि के परिचय के लिए यही मूल स्रोत है।
- (iii) उत्तर भारत की समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं की यह जननी है।
- (iv) आधुनिक भाषाओं के साहित्य का स्रोत भी संस्कृत साहित्य ही रहा है।
- (v) संस्कृत का सीधा सम्बन्ध आर्यकुल की उत्तर भारतीय भाषाओं से हैं।
- (vi) संस्कृत भारतीय जीवन की धार्मिक विधानों, अनुष्ठानों और संस्कारों की भाषा है।
- (vii) भाषा की सम्पन्नता और समृद्धिशीलता की दृष्टि से संस्कृत अद्वितीय भाषा है।

2.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. चतुर्वेदी, सीताराम (1957), भाषा की शिक्षा, वाराणसी: हिंदी साहित्य कुटीर।
2. पाण्डेय, रामसकल (2010), हिंदी शिक्षण, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
3. भाटिया, कैलाश चन्द (2017), हिंदी की मानक वर्तनी, दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
4. सिंह, निरंजन कुमार (2011), माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
5. सिंह, कर्ण (1999), भाषाविज्ञान मेरठ: साहित्य भंडार।
6. रुवाली, केशवदत्त (1983), भाषा विज्ञान और भाषा हिन्दी, प्रयागराज : टी0 पी0 आई0 प्रिन्टर्स।

इकाई— 03 : मानक भाषा के मानदण्ड

इकाई की संरचना

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 इकाई के उद्देश्य
- 3.3 भाषा की सामान्य विशेषताएं
- 3.4 मानक भाषा का अर्थ एवं परिभाषा
- 3.6 मानक भाषा के विभिन्न मानदण्ड
- 3.7 मानक भाषा के रूप में हिन्दी भाषा
- 3.8 सारांश
- 3.9 अभ्यास के प्रश्न
- 3.10 चर्चा के बिन्दु
- 3.11 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 3.12 कुछ उपयोगी पुस्तकें

3.1 प्रस्तावना

भाषा की प्रकृति, उत्पत्ति एवं उसके विकास संबंधी बातों का अध्ययन कर लेने के पश्चात् भाषा के कुछ सामान्य विशेषताओं एवं विभिन्न मानदण्डों पर भी विचार करना आवश्यक है क्योंकि उन्हें ध्यान रखकर ही हम भाषा को अधिक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में औद्योगिकीकरण जिस गति से हो रहा है उससे भी क्षेत्रीय और सामुदायिक बोलियों के स्थान पर एक सामान्य भाषा फैल रही है। हिन्दी की शिक्षा का प्रसार भी इन दिनों बहुत हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रभाव के कारण मानक हिन्दी सामान्य जन तक पहुँच रही है। मानक भाषा किसी भाषा की वह भाषा प्रयुक्ति या भाषिका होती है जो किसी समुदाय, राज्य या राष्ट्र में सम्पर्क भाषा का दर्जा रखे और लोक-संवाद में प्रयोग होती हो। इन भाषाओं को अक्सर एक मानकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मानक बनाया जाता है, जिसमें उनके लिये औपचारिक व्याकरण, शब्दकोशों और अन्य भाषावैज्ञानिक कृतियों का गठन व प्रकाशन किया जाता है। कोई मानक भाषा बहुकेन्द्रीय भाषा होती है जिसके एक से अधिक मानक भाषा रूप होते हैं, जो कि प्रायः अलग-अलग देशों में प्रयुक्त होते हैं। अरबी, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन और फ्रांसीसी जैसी भाषाएँ बहुकेन्द्रीय हैं, यानि उनके एक से अधिक मानक रूप हैं जैसे— जर्मन भाषा के जर्मनी व ऑस्ट्रिया, अंग्रेजी के ब्रिटेन, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया, कोरियाई के उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया और पुर्तगाली के पुर्तगाल व ब्राजील में अलग-अलग मानक रूप हैं। इनके विपरीत रूसी, इतालवी और जापानी जैसी कई भाषाएँ एककेन्द्रीय हैं यानि उनके एक से अधिक मानक रूप नहीं हैं। प्रस्तुत इकाई में भाषा की सामान्य विशेषताओं, मानक भाषा की संकल्पना, अर्थ, परिभाषा, विभिन्न मानदण्डों, मानक भाषा के रूप में हिंदी भाषा तथा उसकी विशेषताओं के बारे में नीचे उल्लेख किया जा रहा है।

3.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. भाषा की सामान्य विशेषताओं से अवगत हो सकेंगे।
2. मानक भाषा की संकल्पना को समझ सकेंगे।
3. मानक भाषा के अर्थ को ग्रहण कर सकेंगे।
4. मानक भाषा की परिभाषा को बता सकेंगे।

5. मानक भाषा के विभिन्न मानदंडों से परिचित हो सकेंगे।
6. मानक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को जान पाएंगे।
7. मानक भाषा के रूप में हिंदी की विशेषताओं को बता सकेंगे।

3.3 भाषा की सामान्य विशेषताएं

भाषा के अधिक तर्कसंगत, वैज्ञानिक और प्रभावपूर्ण प्रयोग हेतु भाषा की विशेषताओं को जानना अति आवश्यक है। क्योंकि हम यदि पूरी तरह से भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो उनका प्रयोग यथोचित प्रकार से नहीं हो पाता है। भाषा की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं—

1. **भाषा अर्जित संपत्ति है न कि पैतृक**— मानव-शिशु माँ के पेट से कोई भाषा सीख कर नहीं आता बल्कि जिन भाषा भाषियों की बीच में बालक का जन्म होता है उनका पालन पोषण होता है और जो भाषा उसे सुनने को मिलती है वही भाषा वह सीख लेता है। बालक अपने पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से भाषा सीखता जाता है। भाषा सीखने की यह प्रक्रिया इतनी सहज स्वाभाविक और अनायास रूप से होती है कि लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि बालक अपनी माता-पिता के बीच में रहकर उत्तराधिकारी के रूप में भाषा को भी प्राप्त कर लेता है परंतु ऐसा नहीं होता है। यदि हिंदी भाषी प्रदेश के विद्यार्थियों को पैदा होने के बाद ही किसी अन्य भाषा भाषी क्षेत्र में भेज दिया जाए तो वह हिंदी न अर्जित करके वह वहाँ की भाषा को अर्जित कर लेगा यदि हम शिशु को मानव समुदाय से अलग रख दें और पशुओं के बीच में रख दें तो वह पशुओं की भाषा भी सीख जाएगा। इसीलिए बालक जिस समुदाय में होता है वह उसी समुदाय की भाषा को अपने आप सीख लेता है इसलिए हम ये कहते हैं कि भाषा हम लेकर पैदा नहीं होते परन्तु पैदा होकर हम उसे सीखते हैं।
2. **भाषा सामाजिक प्रक्रिया है**— जैसा कि हम जानते हैं की भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है समाज के माध्यम से हम सीखते हैं भाषा का जन्म, विकास, अर्जन और प्रयोग सब कुछ समाज पर निर्भर होता है यहाँ तक कि हम अकेले भाषा के माध्यम से सोचते हैं वह भी उसी समाज का होता है जिस समाज में हम पैदा होते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और ये भाषा उसी समाज की कृति है भाषा पूर्णतया समाज की होती है और समाज की ही धरोहर होती है।
3. **भाषा अनुकरणजन्य प्रक्रिया है**— हम भाषा अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने माता-पिता, भाई-बहन आदि से भाषा का व्यवहार सुन-सुन कर स्वयं बोलने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तू के अनुसार “अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा स्वाभाविक गुण होता है।” भाषा सीखने में मनुष्य इसी गुण का उपयोग करता है इसलिए हम भाषा शिक्षण में यह ध्यान रखते हैं कि हम उन्हीं भाषाओं का प्रयोग करें, शब्दों का प्रयोग करें जिससे हमारे विद्यार्थियों को किसी गलत प्रकार की दिशा न मिले और उन्हें सही दिशा मिले।
4. **भाषा परंपरागत होती है**— व्यक्ति भाषा का अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा परंपराओं से चली आ रही है व्यक्ति उस परंपरागत भाषा को ही समाज में रहकर सीखता है, अर्जन करता है, उसका विकास करता है। व्यक्ति भाषा को जन्म के पश्चात् प्रचलित भाषा को सीख कर उसी के विकास में अपना योगदान देता है। भाषा का अस्तित्व तो समाज और परंपरा से ही संभव होता है।
5. **भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है**— यह संसार निरंतर परिवर्तनशील एवं विकासशील है। हम अनुकरण द्वारा सब कुछ सीखते हैं भाषा भी हम अनुकरण द्वारा सीखते हैं या और यह प्रक्रिया ही भाषा की परिवर्तनशीलता या दूसरे शब्दों में कहें तो विकासशीलता के कारण होता है। अनुकरण की कला में ही बहुत सिद्धहस्त होने पर हम किसी वस्तु का पूर्ण एवं अविकृत रूप को सीख लेते हैं परंतु हम इसमें अपरिपक्व होने के कारण उसको दूसरे रूप में भी सीख जाते हैं और उसके स्वरूप को विकृत कर देते हैं। अनुकरणीय व्यक्ति से अनुकरण करके शारीरिक और मानसिक गठन की विभिन्नता ही अनुकरण की क्रिया में भिन्नता ला देती है और भाषा में परिवर्तन होता जाता है यानी अनुकरण करने की शक्ति

जितनी अच्छी होगी और जिसका हम अनुकरण करते हैं उसकी भाषा और व्यवहार जितना अच्छा होगा हम भी उतना ही अच्छा अनुकरण करेंगे। भाषायी परिवर्तन ध्वनियों, शब्दों, पदबंधों एवं वाक्य रचनाओं आदि के स्तर पर भी होता रहता है पर यह परिवर्तन इतने परोक्ष रूप से और इतने धीरे धीरे होता है की उसका पता तुरंत न चलकर बहुत बाद में पता चलता है। आज के हिन्दी शब्द भंडार और उसकी संरचनाओं की तुलना यदि हम आज की 200 वर्ष पूर्व की हिन्दी से करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि पहले की भाषा कितनी सुसंस्कृत और सुसंबद्ध थी परन्तु आज की जो भाषा है वह हिन्दी न होकर विभिन्न भाषाओं का मिश्रित रूप है। इसलिए भाषा शिक्षण के समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए की भाषा की जो स्वाभाविकता है, उसको हम बचाकर रखें और दूसरी भाषा का प्रयोग इतना ज्यादा ना हो जाए कि हम अपनी मूल भाषा को भूल जाए।

6. **भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता—** भाषा की सतत् परिवर्तनशीलता ही इस बात का परिचायक है कि उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता है। इस सृष्टि का जैसे हम अंत नहीं लगा सकते उसी तरह से जब तक यह धरती रहेगी जब तक यह सृष्टि रहेगी भाषा का स्वरूप भी उसी तरह से बदलता जाएगा। जो भाषाएँ बोलचाल में नहीं होंगी या जिन्हें हम मातृभाषा कहते हैं उनका अंतिम रूप निश्चित है परन्तु जीवित भाषाओं में परिवर्तन संभव है और वह हमेशा होता जाएगा। जिस भाषा का प्रयोग उसका समाज नहीं करेगा वह भाषा तो समाप्त हो जाएगी लेकिन उसका दूसरा स्वरूप पैदा हो जाएगा। बोलचाल की भाषा यथावत तो रहेगी नहीं उसका विकास तो होता रहता है उसकी अभिव्यक्ति के रूप और प्रकार बदलते रहते हैं। जीवित भाषा का यही सबसे बड़ा लक्षण है कि वह समाप्त नहीं हो सकती परन्तु बदल जरूर जाती है।
7. **प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है—** किन्हीं भी दो भाषाओं की संरचना पूर्णतया एकसमान नहीं होती है। वह ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ एवं अन्य दृष्टियों से किसी एक या अनेक स्तरों पर एक भाषा का ढांचा दूसरी भाषा के ढांचे से भिन्न होता है। यह भिन्नता ही एक भाषा को दूसरी भाषा से अलग करती है और उस भाषा को विशिष्टता प्रदान करती है। इस विशिष्टता को न मानने पर या उस पर ध्यान न देने पर हम एक भाषा को दूसरी भाषा समझ लेते हैं और उसे अपनी भाषा बनाकर उस पर आरोपित कर देते हैं। किसी भी भाषा की शिक्षा देते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए या यह मानकर चलना चाहिए कि प्रत्येक भाषा की अपनी विशिष्टता होती है उसे वहाँ पृथक रखे। एक भाषा स्वतंत्र होती है, इसलिए जब हम भाषा की शिक्षा देते हैं या भाषा शिक्षण करते हैं, तो अपने विद्यार्थियों को यह जरूर शिक्षित करें कि प्रत्येक भाषा की अपनी गरिमा होती है और उसकी स्वतंत्रता होती है। हम किसी भी भाषा को ग्रहण करते हैं तो यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए और उन्हें दूसरी भाषा पर आरोपित न करें।
8. **भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर प्रभावित होती है—** शिक्षण—सूत्रों पर जब हम ध्यान देते हैं तो यह बात स्पष्ट होती है कि हम सरलता से कठिनता की तरफ जाते हैं परन्तु यहाँ पर भाषा स्वाभाविक रूप से कठिनता से सरलता की ओर जाती है। भाषाओं के विकास पर यदि हम दृष्टि डाले या उसका अध्ययन करें तो यह पता चल जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर जाती है। यह मानव स्वभाव है कि वह कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक उपलब्धि पाना चाहता है और इस स्वभाव के कारण ही वह भाषा के प्रयोग में भी सरलता की ओर उन्मुख रहता है। विकास क्रम में यह सरलता ध्वनियों के उच्चारण, शब्द एवं पदरचना, अर्थव्यंजना आदि सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। मुहावरों एवं सूक्तियों का प्रयोग इसी दृष्टि से प्रचलित होता है जिससे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक आशय प्रकट हो सके। यह व्यवस्था हम अपनी दैनिक जीवन में अपनी कक्षा—शिक्षण में करते रहते हैं कि कठिन—कठिन जो शब्द है या जो वाक्य हैं उनको हम देशकाल परिस्थिति या विद्यालय के परिस्थिति में विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के अनुसार उसे आसानी से सरल शब्दों में बताते हैं या सरल शब्दों में उसका प्रयोग करते हैं।
9. **भाषा स्थूल से सूक्ष्म एवं अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है—** भाषा अपनी प्रारम्भिक अवस्था में स्थूल वस्तुओं और घटनाओं आदि के अभिव्यक्ति में ही सक्षम रहती है परन्तु उसके पश्चात् उन सूक्ष्म भाव, विचार और अनुभूतियों के प्रकाशन में समर्थ हो जाती है। प्रारम्भिक अवस्था में

भाषा का शब्द भण्डार कम रहता है और उसका संरचनात्मक गठन भी शिथिल रहता है परंतु जीवनयापन की आवश्यकताओं एवं ज्ञान में वृद्धि के साथ-साथ शब्दभण्डार में भी वृद्धि होती जाती है। ज्ञान की संरचना से भाषा की संरचना भी अधिक से अधिक गठित, नियमित और परिष्कृत हो जाती है। भाषा के प्रयोग में भी परिपक्वता आती जाती है ठीक उसी प्रकार से जैसे एक छोटा बालक दो अक्षरों का प्रयोग करता है या शब्दों का प्रयोग करता है परंतु वह धीरे-धीरे जैसे-जैसे समाज में विकसित होता जाता है वैसे-वैसे उसके शब्द भण्डार बढ़ते जाते हैं और परिष्कृत शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करने लगता है।

10. **भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर विकसित होती है**— आधुनिक भाषाओं के इतिहास एवं उसके उत्तरोत्तर विकास के शास्त्रीय अध्ययन से यह पता चलता है कि भाषा संयोग से वियोग की ओर विकसित होती है। संयोग अवस्था का अर्थ है शब्दांशों या शब्दों का संयुक्त रूप, जैसे संस्कृत संयोग अवस्था की भाषा है क्योंकि उसमें क्रियाएं संयुक्त रूप में प्रयुक्त होती हैं और विभक्ति भी शब्द में ही संयुक्त रहती है। हिंदी में विभक्ति शब्द से वियुक्त हो गई है। क्रिया का रूप भी वियुक्त अवस्था में होता है जैसे 'गच्छति' संयोग अवस्था का रूप हिंदी में 'जाता है' वियोग अवस्था का एक उदाहरण है। हम कह सकते हैं कि जो संयोग अवस्था होता है उसमें शब्द और क्रिया एक साथ संयुक्त रहती है परंतु दूसरी भाषा में शब्द और क्रिया अलग हो जाते हैं इसको हम वियोगावस्था कहते हैं। हमारी भाषा का विकास भी इसी प्रकार से हुआ है।
11. **प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है।** भाषा के प्रयोग में हम अनेक विभिन्नताएँ पाते हैं। विशेषतः एक विशाल भूखंड में प्रयुक्त होने वाली भाषा के प्रयोग में विभिन्नताएँ आ जाना और भी स्वाभाविक है। हिंदी एक विशाल भूखंड में प्रचलित भाषा है और इस कारण विभिन्न भागों में उसकी ध्वनियों के उच्चारण, शब्द और रूप-रचना तथा उतार-चढ़ाव में ही नहीं, बल्कि वाक्य संरचनाओं में भी अंतर पाया जाता है, किंतु भाषा शिक्षण की दृष्टि से यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि भाषा का एक मानक रूप होता है और हमें उसे सदा बनाकर ही रखना चाहिए और मानक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय उपभाषाओं के प्रयोग के कारण उपर्युक्त अंतर पाया जाता है। हिंदी की शिक्षा प्रदान करते समय हम उन स्थानीय प्रभावों एवं अंतरों को दूर करने तथा मानक रूप का प्रयोग करने की अपेक्षा करते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन आवश्यक होता है भाषा की विशेषताओं को जाने बिना हम उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि भाषा अर्जित संपत्ति होती है न की कोई इसे अपने साथ लेकर पैदा होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है अतः हम भाषा अपने श्रेष्ठ जनों के अनुकरण के साथ सीखते हैं और एक भाषा कभी मरती नहीं है। वह परंपरागत ढंग से आगे बढ़ती रहती है जिसके कारण उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। भाषा का कोई एक अस्थायी रूप नहीं होता है, वह निरंतर देश काल परिस्थिति के आधार पर बदलती रहती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना होती है और दूसरी भाषा से भिन्न भी होती है। भाषा को जब हम सीखते हैं तो यह पाते हैं कि भाषा सरलता से सीखते जाते हैं, धीरे-धीरे प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप निर्धारित होता जाता है। भाषा के इन्हीं मानकों के आधार पर ही किसी भाषा की अपनी पहचान होती है। अतः उपरोक्त अध्ययन के पश्चात् निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
 ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
 1. भाषा की तीन विशेषताएं कौन-कौन सी हैं?

.....

2. भाषा की संयोगावस्था एवं वियोगावस्था क्या है?

.....
.....

3.4 मानक भाषा का अर्थ एवं परिभाषा

रामचंद्र वर्मा ने 1949 में सर्वप्रथम अपने प्रकाशित “प्रामाणिक हिन्दी कोष” में मानक शब्द को प्रयुक्त किया। इसका अर्थ उन्होंने निश्चित या स्थिर किया हुआ सर्वमान्य मान या माप बताया जिसके अनुसार किसी भी योग्यता, श्रेष्ठता, गुण आदि का अनुमान या कल्पना की जाती है। मानक भाषा को कई नामों से पुकारते हैं। इसे कुछ लोग आदर्श, टकसाली तथा ‘परिनिष्ठित भाषा’ कहते हैं और कई लोग ‘साधु भाषा’। इसे ‘नागर भाषा’ भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ‘Standard Language’ कहते हैं। मानक शब्द से तात्पर्य है— ‘एक पैमाना’, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द के स्थान पर हुई है। अर्थात् ‘एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित’। अतः मानक भाषा का अर्थ होगा— ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है।

जब हम किसी अपरिचित व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे मानक भाषा में ही बातचीत करते हैं, जब हम कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हम मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मानक भाषा का प्रयोग साहित्य, संगोष्ठियों, पत्र-व्यवहार, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, पुस्तकों, भाषणों आदि में होता है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार मानक भाषा में ही प्रसारित किए जाते हैं। हमारे प्रशासन के सारे कामकाज मानक भाषा में ही सम्पन्न होते हैं। कहने का आशय यह है कि मानक भाषा हमारे बृहत्तर समाज को सांस्कृतिक स्तर पर आपस में जोड़ती है और हम उसी के माध्यम से एक-दूसरे तक पहुंचते हैं। मानक भाषा हमारे विचारों को दूसरों तक ठीक उसी रूप में पहुँचाती है जोकि हमारा आशय होता है। उदाहरणार्थ मानक भाषा हिन्दी का अपना सुव्यवस्थित व्याकरण है। जिसके द्वारा, लिंग, वचन, काल, कर्त्ता, उच्चारण, वर्तनी आदि कारण स्वरूप उपयोग में लाया जाता है। मानक हिन्दी भाषा सर्वग्राह्य है, इसकी निश्चित लिपि है। इस प्रकार मानक भाषा की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी जा सकती है:

- डॉ. भगवान देव कहते हैं कि ‘जिस भाषा का एक परिनिष्ठित स्वरूप होता है तथा जो शिक्षित वर्ग के द्वारा सामान्य रूप से प्रयुक्त होती है, वही भाषा मानकीकृत होती है।’
- डॉ. फादर कामिल बुल्के ने अपने अंग्रेजी कोश में ‘स्टैण्डर्ड’ शब्द का अर्थ मानक ही लिया है।
- ‘हिन्दी शब्द सागर’ में प्रसिद्ध कोशकार श्री राचमन्द्र वर्मा लिखते हैं कि ‘मानक शब्द संस्कृत के ‘मानक’ से बना है किसी वस्तु का वह रूप या माप जिसके अनुसार उस वर्ग की और चीजों के गुण-दोषों का माप होता है— मानदण्ड्य कहा जाता है।’
- डॉ. कैलाशचन्द्र भाटिया का कहना है कि ‘विभिन्न स्तरों को पार कर ‘गवॉरू बोली’ अथवा ‘अपभाषा ही साहित्यिक एवं मानक’ भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है।’
- डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार ‘मानक भाषा, किसी भाषा के उस रूप को होते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है।’

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि “मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक स्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करता है।” वास्तव में भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया एक लम्बी प्रक्रिया है। अतः जिन शब्दों, अभिव्यक्तियों और वाक्य रूपों का मानकीकरण हो चुका है, उनका पालन करना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने मानक भाषा के अर्थ एवं परिभाषा को विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है जिसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

3. मानक शब्द का क्या तात्पर्य है?

.....
.....

4. मानक भाषा को किन-किन नामों से पुकारते हैं?

.....
.....

5. डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार 'मानक भाषा, परिभाषा क्या है?

.....
.....

3.5 मानक भाषा के विभिन्न मानदण्ड

मानक भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है जिसके अनुसार ही लिखी और बोली जाती है और जो सभी जगह मान्य होती है। इसका प्रयोग करने से विचारों या भावों के समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। मानक भाषा के लिखने, पढ़ने और बोलने में समरूपता होती है। दूसरी ओर मानक-भाषा सभ्य और सुशिक्षित लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है। मानक भाषा के विभिन्न मानदण्ड होते हैं, जो निम्नलिखित हैं—

1. **ऐतिहासिकता**— मानक भाषा का गौरवमयी इतिहास तथा विपुल साहित्य होना चाहिए। मानक भाषा स्वतंत्र इतिहास हैं जो मेरठ के आस-पास बोली जाने वाली खड़ी बोली से होता है। खड़ी बोली जो मेरठ की एक सामान्य बोली थी, अपने क्षेत्र का विस्तार करती हुई दिल्ली व आगरा के क्षेत्रों में बोली जाने लगी। धीरे-धीरे यह पूरे उत्तर प्रदेश की भाषा बन गई। समय के साथ यह भाषा पूरे हिन्दुस्तान में बोली व समझी जाने लगी। यह भाषा स्वतंत्रता आन्दोलन की मुख्य भाषा रही। देश के आजाद होते ही यह पाँच प्रान्तों में बोली व समझी जाने लगी। अब यह पूर्ण भाषा बन चुकी है। स्वतंत्रता के साथ ही इसे राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया।
2. **जीवन्तता**— भाषा साहित्य के साथ-साथ विज्ञान, दर्शन आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त की गई हो तथा नवाचार में पूर्ण रूप से सक्षम हो। यह भाषा एक जीवन्त भाषा है। जो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। वह एक नदी के जल के समान है। जिस तरह जल उपर से नीचे की ओर बहता है, उसी तरह भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर बढ़ती है। अतः कहा जा सकता है कि मानक भाषा जीवन्त भाषा है।
3. **स्वायत्ता**— भाषा किसी अन्य भाषा पर आश्रित न होकर अपनी स्वतन्त्र लिपि शब्दावली व्याकरण परख हो। मानक भाषा स्वायत्त या स्वतंत्र भाषा है, जो किसी अन्य भाषा पर आधारित नहीं है। इस भाषा में केवल हिन्दी के ही शब्द प्रयोग में लाये, जाते हैं। इसकी अपनी स्वतंत्र लिपी है। इसका स्वतंत्र शब्दकोष एवं साहित्यकोष है।
4. **मानकीकरण**— भाषा का कोई सुनिश्चित और सुनिर्धारित रूप होना चाहिए। मानकीकरण एक प्रक्रिया का नाम है जो साधारण शब्द को मानक बनाती है। जो शब्द बोल-चाल की भाषा में अधिक घिस जाते हैं, उन्हें व्याकरण के नियमों के आधार पर तौला जाता है और उन्हें मानक भाषा में सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसी प्रक्रिया को मानकीकरण कहते हैं।

मानक भाषा की विशेषताएँ—

मानक भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं—

1. मानक भाषा एकता के सूत्र में बाँधने वाली भाषा है। मानक भाषा एकता के सूत्र में बाँधती हैं। राजकाज, शिक्षा, सम्पर्क की एक मानक भाषा होने से ये लोगों को एक सूत्र में बाँधती है।
2. मानक भाषा कानून, चिकित्सा एवं तकनीकी की भाषा है। कानून, चिकित्सा एवं तकनीकी के क्षेत्र में से प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, जैसे— विज्ञान, कानून तकनीकी आदि इन शब्दावलियों के मानक रूप तैयार किए जाते हैं, जिससे इस भाषा को बोधगम्य बनाया जा सकता है।
3. मानक भाषा में किसी प्रकार की त्रुटि दोष मानी जाती है।
4. मानक भाषा में वैयक्तिक प्रयोगों की विशिष्टता, क्षेत्रीय विशेषता अथवा शैलीगत विभिन्नता के बावजूद उसका ढाँचा सुदृढ़ एवं स्थिर होता है।
5. मानक भाषा शिष्ट समाज की भाषा है। शिष्ट समाज के भाषा क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा में मानक भाषा का अपना महत्व है। इसके माध्यम से पूरे जन-समुदाय से सम्पर्क स्थापित हो सकता है।
6. मानक भाषा हमारे सांस्कृतिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, संवैधानिक क्षेत्रों का कार्य सम्पादित करने में सक्षम होती है।
7. मानक भाषा परिनिष्ठित, साधु एवं संभ्रान्त होती है।
8. मानक भाषा राज-काज की भाषा होती है। राज-काज की भाषा के रूप में मानक भाषा बेहद कारगर सिद्ध हुई है। विभिन्न कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों में यह भाव सम्प्रेषण की दृष्टि से काफी सुविधाजनक होती है।
9. मानक भाषा ज्ञान-विज्ञान की भाषा होती है। धर्म, दर्शन और विज्ञान आदि के क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग भाषा की उपयोगिता को बढ़ाता है।
10. मानक भाषा सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। मानक होने के कारण सभी इसका प्रयोग करते हैं। यह सामाजिक प्रतिष्ठा की भाषा होती है।
11. मानक भाषा साहित्य व संस्कृति की भाषा है। साहित्य लेखन तथा विभिन्न औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा पर प्रयोग किया जाता है।
12. मानक भाषा सर्वमान्य होती है।
13. मानक भाषा सुस्पष्ट, सुनिर्धारित एवं सुनिश्चित होती है। उसके सम्प्रेषण से कोई भ्रान्ति नहीं होती।
14. मानक भाषा से क्षेत्रीय अथवा स्थानीय प्रयोगों से बचने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात् वह एकरूप होती है।
15. मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है।
16. मानक भाषा नये शब्दों के ग्रहण और निर्माण में समर्थ होती है।
17. मानक भाषा नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप निरन्तर विकसित होती रहती है।
18. मनोरंजन के क्षेत्र में आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा चलचित्र समाचारपत्र पत्रिकाओं में इसी मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है।
19. विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में अध्यापन परियोजना कार्य तथा शोध और अनुसन्धान हेतु मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है।
20. अनुवाद की भाषा के रूप में अच्छे साहित्य के अनुवाद हेतु हिन्दी मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक से भाषा के उत्कृष्ट साहित्य को जन-जन तक पहुँचाया जा सके।

मानक, अमानक और उपमानक में अन्तर

मानक, अमानक और उपमानक में निम्नलिखित अन्तर होता है जिसे सारणी में प्रस्तुत किया गया है—

क्रम	मानक	अमानक	उपमानक
1-	मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है।	अमानक भाषा का कोई व्याकरण नहीं है।	उपमानक भाषा में व्याकरणीय नियमों में शिथिलता होती है।

2-	इस भाषा का प्रयोग शिष्ट समाज द्वारा किया जाता है।	इस भाषा का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है।	यह सामान्य व्यवहार में प्रयोग में लाई जाती है।
3-	यह भाषा अशुद्धियों से मुक्त होती है।	यह पूरी भाषा अशुद्ध होती है।	इस भाषा में सामान्य अशुद्धियों को नजर-अंदाज किया जा सकता है।
4-	इस भाषा का प्रयोग औपचारिक अवसरों पर किया जाता है।	यह अनपढ़ या अज्ञानी व्यक्ति द्वारा बोली जाती है।	इस भाषा का प्रयोग एक बहुत बड़ा वर्ग करता है।
5-	मानक भाषा पूर्णतः शुद्ध होती है।	अमानक भाषा पूर्णतः अशुद्ध होती है।	यह कुछ-कुछ शुद्ध होती है।
6-	इसका प्रयोग पाठ्यपुस्तकों में किया जाता है।	इसका प्रयोग पाठ्यपुस्तकों में नहीं किया जाता।	इसका प्रयोग बोलचाल में किया जाता है।
7-	मानक भाषा सम्माननीय भाषा है।	इसका कोई रूप नहीं है।	इसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता।

प्रस्तुत इकाई में मानक भाषा के विभिन्न मानदण्ड शीर्षक के अंतर्गत उसके विभिन्न मानकों एवं विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. मानक भाषा के कितने मानदण्ड होते हैं?

.....
.....

7. मानक भाषा की पाँच विशेषताएँ बताइए।

.....
.....

8. मानक, अमानक और उपमानक में क्या अन्तर है?

.....
.....

3.6 मानक भाषा के रूप में हिन्दी भाषा

हिन्दी की आधुनिक मानक शैली का विकास हिन्दी भाषा की एक बोली, जिसका नाम खड़ी बोली है के आधार पर हुआ है, जो दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर आदि में बोला जाता है। किन्तु हिन्दी बोली जैसे— ब्रज, अवधी, बुन्देली, निमाड़ी अथवा मारवाड़ी आदि क्षेत्रों के लोग परस्पर व्यवहार में अपनी इन्हीं क्षेत्रीय बोलियों का उपयोग करते हैं किन्तु औपचारिक अवसरों पर मानक हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। वैसे ही खड़ीबोली क्षेत्र के व्यक्ति भी औपचारिक अवसरों पर मानक हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी को मानक भाषा बनाने हेतु काफी प्रयास किया गया और आज हिन्दी का यही रूप प्रचलन में है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त चिरगाँव के घर में बुन्देलखण्डी बोलते थे, उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी भोजपुर के थे घर में भोजपुरी बोलते थे किन्तु ये सभी व्यक्ति जब साहित्य लिखते थे तो मानक भाषा का प्रयोग करते थे। अतः हम कहते हैं कि मानक भाषा अपनी भाषा का एक विशिष्ट स्तर है। संक्षेप में मानक भाषा अपनी भाषा का एक विशिष्ट प्रकार्यात्मक स्तर है। अब हम

हिन्दी के निम्नलिखित चार वाक्य लेंगे और देखेंगे कि मानक भाषा की कसौटी पर कौन-सा वाक्य सही उतरता है—

1. मैंने भोजन कर लिया है।
2. मैंने खाना खा लिया है।
3. मैंने खाना खा लिया हूँ।
4. हम खाना खा लिये हैं।

विभिन्न क्षेत्रीय एवं सामाजिक भिन्नताओं के आधार पर तीसरे एवं चौथे प्रकार्यात्मक स्तरों के अनेक भेद हो सकते हैं। किन्तु पहले या दूसरे वाक्य का व्यवहार औपचारिक स्तर पर मानक भाषा में सर्वत्र होगा। हिन्दी का सही रूप जो सर्वत्र एक-सा है, सर्वमान्य है, व्याकरण सम्मत है और सम्भ्रांत है, मानक हिन्दी का वाक्य है। मानक हिन्दी भाषा से तात्पर्य हिन्दी भाषा के उस स्थिर रूप से है जो उस पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समझने योग्य तथा सभी लोगों द्वारा मान्य हो, बोधगम्य हो, अन्य भाषाओं की अपेक्षा प्रतिष्ठित हो, व्याकरण सम्मत हो।

हिन्दी आज प्रचलन में है किन्तु हिन्दी के अनेक रूप प्रचलित हैं जैसे— अवधी हिन्दी, हरियाणवी हिन्दी, गुजरात में गुजराती हिन्दी, उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली हिन्दी, बुंदेलखण्ड में बुन्देली हिन्दी या बघेली हिन्दी बोली जाती है। जब कोई अहिन्दी भाषी व्यक्ति बोलना व लिखना सीखे तो किस हिन्दी का प्रयोग करे एवं कौन-सी हिन्दी को सीखे। इस तरह देखें तो एक ऐसी हिन्दी जिसे सभी पढ़ सकें, समाचार पत्र दूरदर्शन आदि सभी की भाषा हो। इन सभी कारणों से मानक हिन्दी भाषा को स्थापित किया गया। इसलिए एक ऐसी भाषा बनाई गई जो राष्ट्र की एकता को बनाए रखे। वह भाषा थी 'मानक भाषा'। भाषा का सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत एवं सर्वप्रतिष्ठित रूप ही मानक हिन्दी है। यह भाषा एक निश्चित मानदंड या नाप के आधार पर तौली हुई भाषा है जो पूर्णतः अशुद्धियों से मुक्त है। इसके निम्नलिखित लक्षण हैं—

1. यह भाषा अशुद्धियों से मुक्त है।
2. इसका स्वतंत्र व्याकरण है।
3. इस भाषा का विपुल साहित्य भण्डार है।
4. इसका शब्दकोश वृहद (बहुत बड़ा) है।
5. यह भाषा अनेक औपचारिक अवसरों पर प्रयोग में लाई जाती है।
6. यह अनुसंधान कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है।
7. इस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है।
8. यह संविधान में अधिकृत भाषा है।
9. यह देश की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखती है।
10. प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति औपचारिक अवसरों पर इस भाषा का प्रयोग करते हैं।

मानक हिन्दी भाषा का महत्व

हिन्दी हमारी अधिकृत राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह बोले एवं लिखे। यह ज्ञान, विज्ञान की भाषा है, साहित्य-संस्कृति की भाषा है। अधिकांश विद्वान, साहित्यकार, राजनेता औपचारिक अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आकाशवाणी व दूरदर्शन पर जिस हिन्दी में समाचार प्रसारित होते हैं, प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जिस हिन्दी का प्रयोग होता है, जिस हिन्दी में सामान्यतः मूल लेखन व अधिकृत अनुवाद होता है, वह मानक हिन्दी भाषा ही है। मानक हिन्दी भाषा, हिन्दी के विभिन्न रूपों में सर्वमान्य रूप है। वह रूप पूरी तरह सुनिश्चित व सुनिर्धारित है तथापि इसमें गतिशीलता भी है। मानक भाषा अपने राज्य या राष्ट्र की सम्पर्क भाषा भी होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिन्दी का सर्वमान्य सर्वस्वीकृत सर्वप्रतिष्ठित रूप ही मानक हिन्दी भाषा है।

मानक हिन्दी भाषा की शैलियाँ

मानक हिन्दी पर सत्रह बोलियों का प्रभाव है, जिसके कारण मानक हिन्दी की तीन शैलियाँ हो गई हैं, ये हैं— संस्कृतनिष्ठ शैली, हिन्दुस्तानी शैली, उर्दू शैली।

1. **संस्कृतनिष्ठ शैली**— संस्कृतनिष्ठ शैली में खड़ी बोली और दखिखनी हिन्दी आती है। खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक है तद्भव का प्रयोग कम होता है। हिन्दी का प्रयोग संस्कृतनिष्ठ हिन्दी के रूप में किया जाता है। यह मानक भाषा की एक शैली जिसमें संस्कृत के शुद्ध शब्दों को रखा जाता है अर्थात् इस शैली में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साहित्य एवं धार्मिक पुस्तकों में इसी शैली का प्रयोग कर भाषा को लिखा जाता है। उदाहरण — वर दे वीणा वादिनी वर दे प्रिय स्वतंत्र व अमृत मंत्र नवभारत में भर दे अथवा राष्ट्रगीत वंदे मातरम्।
2. **उर्दू शैली**— उर्दू शैली में अरबी—फारसी शैली है। उर्दू का प्रयोग कुछ इस तरह हुआ है, कि जब अरबी फारसी में अधिकाधिक तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग होने लगा तो यह उर्दू कहलाई। उर्दू का अर्थ है डेरा। मुगलों के समय में उर्दू सैनिकों के रहने के स्थान को कहा जाता था। इन लोगों की भाषा को आगे चल कर उर्दू नाम दिया गया क्योंकि अरबी—फारसी भाषा का खड़ी बोली के साथ मिला—जुला प्रयोग किया जाता था। इस शैली को उर्दू कहा गया है। उदाहरण — सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा हम बुल—बुलें हैं इसकी ये गुलिस्ताँ हमारा।
3. **हिन्दुस्तानी शैली**— हिन्दुस्तानी शैली में हिन्दुवी, हिन्दुस्तानी, रेख्ता शामिल है। इस शैली में खड़ी बोली के साथ उर्दू तथा संस्कृत के तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया। यह शैली हिन्दू और मुसलमानों की भाषा को जोड़ने वाली कड़ी साबित हुई। उदाहरण— गीत बेचता हूँ जी हाँ, मैं गीत बेचता हूँ, तरह—तरह के किस्म—किस्म के गीत बेचता हूँ।

इस प्रकार आज मानक हिन्दी के लिखित और उच्चरित रूपों में अन्य बोलियों के शब्दों, वाक्य संरचना का प्रयोग होता है। मनुष्य जिस क्षेत्र में रहता है उसका प्रभाव भी उसकी भाषा पर पड़ता है।

हिन्दी भाषा में मानक और अमानक की पहचान

मानक भाषा लिखने और बोलने दोनों के काम आती है। लिखित और उच्चरित मानक हिन्दी के जो प्रयोग व्याकरणसम्मत, सर्वमान्य, एकरूप और परिनिष्ठित हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है—

- सामान्यतः लोग 'ऋ' को रि बोलते हैं जैसे रिण, रीता। यह अमानक प्रयोग है, किन्तु 'ऋ' अब शुद्ध स्वर नहीं रह गया है। उच्चारण में 'रि' को 'ऋ' का उच्चारण स्वीकार कर लिया गया है किन्तु लिखने में संस्कृत शब्दों में 'ऋ' ही मानक प्रयोग है जैसे— ऋण, ऋता आदि।
- बहुत से लोग बड़ी 'ई' की मात्रा का गलत प्रयोग करते हैं, जैसे शक्ती, तिथी, कान्ती, शान्ती वास्तव में इनके मानक रूप हैं— शक्ति, तिथि, कान्ति, शान्ति आदि।
- कुछ शब्द 'इ' और 'ई' दोनों मात्राओं से लिखे जाते हैं जैसे— हरि/हरी, स्वाति/स्वाती किन्तु व्यक्ति के नाम का मानक रूप वही माना जाता है जो नियम द्वारा मान्य है या वह स्वयं लिखता है जैसे—डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सही है, डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय नहीं, क्योंकि डॉ. हरीसिंह, अपना नाम हरीसिंह लिखते थे।
- कुछ लोग कुछ शब्दों में बड़ी 'ई' के स्थान पर छोटी 'इ' की मात्रा लगाते हैं। जैसे श्रीमति, मैथिलिशरण। ये अमानक प्रयोग हैं। इनके मानक रूप हैं— श्रीमती, मैथिलीशरण।
- हिन्दी में अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द प्रचलित हो गए हैं जिनमें 'ज' की ध्वनि होती है। जैसे— डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस। हिन्दी में डाक्टर, कालेज, आफिस बोलना या लिखना अमानक प्रयोग माना जाता है।
- संस्कृत के शब्दों में दो स्वरों को एक साथ लिखना अमानक है, जैसे 'स्थाई' अमानक है, मानक 'स्थायी' है।

- हिन्दी में आजकल अनुनासिक चिह्न चन्द्रबिन्दु (ँ) के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाने लगा है, जैसे हँस के स्थान पर 'हंस'। ऐसा लोग लापरवाही के कारण करते हैं। मुद्रण की सुविधा के लिए भी अब हिन्दी में अनुनासिक चिह्न एवं चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाने लगा है, जैसे कुँवर, माँ, बाँस आदि, परन्तु इनके मानक रूप हैं : कुँवर, माँ, बाँस।
- जिन शब्दों के अन्त में 'ई' होती है या 'ई' की मात्रा होती है उनका जब बहुवचन बनाया जाता है तो वह ह्रस्व 'इ' की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है, जैसे मिठाई—मिठाइयाँ, दवाई—दवाईयाँ, लड़की—लड़कियाँ आदि। इसी प्रकार यदि शब्द के अन्त में 'ऊ' की मात्रा हो तो उनके बहुवचन में ह्रस्व 'उ' की मात्रा हो जाती है, जैसे आँसू—आँसुओं, लड्डू—लड्डुओं आदिमानक हिन्दी में अब 'क' के 'क' का प्रयोग भी होने लगा है। 'क' विदेशी (फारसी, अंग्रेजी) शब्दों में आता है जैसे 'कलम'। इसी प्रकार ख, ग, ज, फ ध्वनियाँ भी हिन्दी में स्वीकार कर ली गयी हैं। खत, गैरत, जनाब, सफा, बोलना पढ़े—लिखे होने की निशानी मानी जाती है।
- हिन्दी में जन, गण, वृन्द जैसे शब्द बहुवचन वाची है अतः गुरुजन, विधायक गण, पक्षी वृन्द ही सही हैं। गुरुजनों, विधायक गणों पक्षी वृन्दों जैसे रूप आमामक हैं।
- निश्चयवाचक अव्यय के रूप में हिन्दी में 'न', 'नहीं' और 'मत' मानक हैं, 'ना' नहीं। इस तरह के वाक्य ठीक नहीं हैं— 'ना वह बैठा और ना ही उसने बात की।

प्रस्तुत इकाई में मानक भाषा के रूप में हिंदी भाषा का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया एव मानक भाषा के रूप में हिंदी के महत्व से आप परिचित हुए। इन अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
 ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
 9. खड़ी बोली मुख्यतः कहां बोली जाती है।

.....

10. हजारी प्रसाद द्विवेदी किस भाषा का प्रयोग करते थे?

.....

11. मानक हिन्दी की कितनी शैलियाँ हैं?

.....

12. 'ऋ' का मानक प्रयोग क्या है?

.....

3.7 सारांश

प्रस्तुत इकाई में आपने अभी तक अध्ययन किया है कि मानक भाषा सर्वमान्य भाषा होती है, वह व्याकरण सम्मत होती है और उसमें निश्चित अर्थ सम्प्रेषित करने की क्षमता होती है। गठन और सम्प्रेषण की एकरूपता उसका सबसे बड़ा लक्षण है। यह भाषा सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक बन जाती है धीरे-धीरे इस मानक भाषा की शब्दावली, उसका व्याकरण, उसके उच्चारण का स्वरूप निश्चित और स्थिर हो जाता है और इसका प्रसार और विस्तार पूरे भाषा क्षेत्र में हो जाता है। मानक हिन्दी पर सत्रह बोलियों का प्रभाव है, जिसके कारण मानक हिन्दी की तीन शैलियाँ हो गई हैं, ये हैं— संस्कृतनिष्ठ शैली, हिन्दुस्तानी शैली, उर्दू शैली। अतः किसी भाषा के मानक भाषा बनने में उसे विकास के विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। एक भाषा किसी क्षेत्रीय बोली से ही विकसित होकर मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है। जब एक क्षेत्रीय बोली के बोले जाने का

क्षेत्र विस्तृत तक होते हुए धीरे-धीरे करके आंचलिक साहित्य सृजन के साथ-साथ उस बोली का साहित्यिक का क्षेत्र बढ़ जाता है और वह बोली एक विभाषा का रूप धारण कर लेती है। आगे चलकर परिमार्जित होते हुए वह बोली मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है।

3.8 अभ्यास के प्रश्न

1. मानक भाषा एवं उसके विभिन्न मानदण्डों के बारे में विस्तृत व्याख्या कीजिए।
2. प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक मानक भाषा के रूप में हिन्दी भाषा से क्या-क्या अपेक्षाएं रखते हैं?
3. हिन्दी भाषा से अपेक्षाओं को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है? रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।

3.9 चर्चा के बिन्दु

1. आप अपने प्रधानाध्यापकों की भाषा में किस प्रकार की विशेषताओं को चाहेंगे? चर्चा कीजिए।
2. एक आदर्श भाषा में कौन-कौन से मानदण्ड होने चाहिए? चर्चा कीजिए।
3. आपके विचार में हिन्दी भाषा को मानक भाषा के रूप में कैसे स्थापित किया जाना चाहिए? चर्चा कीजिए।

3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. भाषा की तीन विशेषतायें निम्नलिखित हैं—
 - i. भाषा अर्जित संपत्ति है न कि पैतृक।
 - ii. भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है।
 - iii. प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है।
2. भाषा संयोग से वियोग की ओर विकसित होती है। संयोग अवस्था का अर्थ है शब्दांशो या शब्दों का संयुक्त रूप। जिसमें क्रियाएं संयुक्त रूप में प्रयुक्त होती हैं और विभक्ति भी शब्द में ही संयुक्त रहती है। 'गच्छति' संयोग अवस्था का रूप हिंदी में 'जाता है' वियोग अवस्था का एक उदाहरण है।
3. मानक शब्द से तात्पर्य है— 'एक पैमाना', जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द के स्थान पर हुई है, अर्थात् 'एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित'। अतः मानक भाषा का अर्थ है— 'ऐसी भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है।'
4. मानक भाषा को कई नामों से पुकारते हैं। इसे कुछ लोग आदर्श, टकसाली तथा 'परिनिष्ठित भाषा' कहते हैं और कई लोग 'साधु भाषा'। इसे 'नागर भाषा' भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे 'Standard Language' कहते हैं।
5. जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक परिस्थितियों में, लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में यथासाध्य उसी का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है।'
6. मानक भाषा के विभिन्न मानदण्ड होते हैं जैसे— ऐतिहासिकता, जीवन्तता, स्वायत्ता और मानकीकरण।
7. मानक भाषा की पाँच विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—1. त्रुटि या दोष मुक्त होती है, 2. परिनिष्ठित, साधु एवं संग्रान्त होती है।, 3. ज्ञान-विज्ञान की भाषा होती है।, 4. व्याकरणसम्मत होती है और 5. सर्वमान्य होती है।
- 8- मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है, अमानक भाषा का कोई व्याकरण नहीं है जबकि उपमानक भाषा में व्याकरणीय नियमों में शिथिलता होती है।
9. खड़ी बोली मुख्यतः दिल्ली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर आदि में बोली जाती है।

10. हजारी प्रसाद द्विवेदी भोजपुर के थे, घर में भोजपुरी बोलते थे किन्तु वे जब साहित्य लिखते थे तो मानक भाषा का प्रयोग करते थे।
11. मानक हिन्दी पर सत्रह बोलियों का प्रभाव है, जिसके कारण मानक हिन्दी की तीन शैलियाँ हो गई हैं, ये हैं— संस्कृतनिष्ठ शैली, हिन्दुस्तानी शैली, उर्दू शैली।
12. सामान्यतः लोग 'ऋ' को रि बोलते हैं जैसे रिण, रीता। यह अमानक प्रयोग है, किन्तु 'ऋ' अब शुद्ध स्वर नहीं रह गया है। उच्चारण में 'रि' को 'ऋ' का उच्चारण स्वीकार कर लिया गया है किन्तु लिखने में संस्कृत शब्दों में 'ऋ' ही मानक प्रयोग है जैसे— ऋण, ऋता आदि।

3.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. चतुर्वेदी, सीताराम (1957), भाषा की शिक्षा, वाराणसी: हिंदी साहित्य कुटीर।
2. पाण्डेय, रामसकल (2010), हिंदी शिक्षण, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन।
3. भाटिया, कैलाश चन्द (2017), हिंदी की मानक वर्तनी, दिल्ली : प्रभात प्रकाशन।
4. सिंह, निरंजन कुमार (2011), माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
5. सिंह, कर्ण (1999), भाषाविज्ञान मेरठ: साहित्य भंडार।
6. रुवाली, केशवदत्त (1983), भाषा विज्ञान और भाषा हिन्दी, प्रयागराज : टी0 पी0 आई0 प्रिन्टर्स।

खण्ड परिचय

प्रस्तुत खंड प्रस्तुत खंड अनुदेशनात्मक भाषा नाम से सम्बन्धित है। इस खण्ड में तीन इकाइयां हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं—

इकाई 04 : राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं

इकाई 05 : अनुदेशन का माध्यम

इकाई 06 : त्रिभाषा सूत्र

इकाई— 04 जो कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं से सम्बन्धित है। इसके अंतर्गत भारत का बहुभाषिक परिदृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि क्षेत्र के विकास में राष्ट्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस इकाई के अंतर्गत भाषा को भाषा के परिवार तथा उसके भौगोलिक वितरण के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है। इस इकाई में अनेक क्षेत्रों के आधार पर भाषा का वर्गीकरण स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

इकाई— 05 अनुदेशनात्मक माध्यम से सम्बन्धित है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि भाषा अनुदेशन का एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से बच्चों का कैसे विकास होता है, बच्चे भाषाओं का किस रूप में प्रयोग करते हैं, स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा का क्या स्थान है तथा भाषा विषय के रूप में एवं मध्यम के रूप में किस प्रकार दर्शायी जा सकती है का स्पष्ट वर्णन दिया गया है।

इकाई— 06 जो कि त्रिभाषा सूत्र से सम्बन्धित है। इसके अंतर्गत भारत में बहुभाषिकता को दर्शाया गया है तथा त्रिभाषा सूत्र के संबंध में भाषाओं का जो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य है, त्रिभाषा सूत्र का जो नीतिगत निर्णय है एवं त्रिभाषा सूत्र के क्रियान्वयन में जो भी चुनौतियां आई हैं उन चुनौतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। भाषाओं के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत संघ की राजभाषा तथा राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों तथा राजभाषा पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। हिंदी भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्देशों का भी वर्णन किया गया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के जनगणना 2001 की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि भाषा के आधार पर जनसंख्या का प्रतिशत वितरण क्या है?

इकाई- 04 : राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं

इकाई की संरचना

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 इकाई के उद्देश्य
- 4.3 भारत का बहुभाषिक परिदृश्य
- 4.4 राष्ट्रीय भाषाएं
- 4.5 क्षेत्रीय भाषाएं
- 4.6 सारांश
- 4.7 अभ्यास के प्रश्न
- 4.8 चर्चा के बिन्दु
- 4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

4.1 प्रस्तावना

भाषा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके सहारे हम अपने जीवन की अनेक स्थितियों को साधने की कोशिश करते हैं। कई बार यह कोशिश सफल होती है तो कई बार यह असफल होकर हमें एक सबक दे जाती है। हमारे आस-पास भाषा का संसार इस तरह से फैला है कि हम जाने-अनजाने ही उसे आत्मसात करते चले जाते हैं और तब हमारे मस्तिष्क में यह सवाल नहीं आता कि यह राष्ट्रीय भाषा है या क्षेत्रीय भाषा। इतना ही नहीं, पहली कक्षा में आने से पहले बच्चा अपनी भाषा पर अधिकार रखता है और अपनी भाषा में संप्रेषण करना जानता है। जिन बच्चों को एक से अधिक भाषाओं का परिवेश मिलता है, वे बच्चे एक से अधिक भाषाओं में संवाद करना जानते हैं। यह उनके लिए सहज साध्य होता है। सवाल यह भी उठता है कि हम अपनी भाषा का प्रयोग करना जानते हैं लेकिन भाषा-ज्ञान के बारे में हमें सचेत जानकारी नहीं है। हम बड़ों के मस्तिष्क में भी यह सवाल नहीं आता कि जो भाषा हम बोल रहे हैं वह हमने सीखी कैसे। कैसे एक भाषा दूसरी भाषा से अलग होती है और कैसे एक भाषा में दूसरी भाषा के तत्व देखने को मिलते हैं। दसअसल भाषाएं एक-दूसरे के सान्निध्य में फलती-फूलती हैं। जब किन्हीं दो भाषाओं के बोलने वाले एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक नई भाषा का जन्म होता है। इस तरह भाषाएं एक-दूसरे से समृद्ध होती हैं और एक-दूसरे को समृद्ध करती हैं। भारत की बहुभाषिकता उसकी समृद्ध की पहचान है। भारत में बोली-समझी जाने वाली भाषाओं का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। लेकिन धीरे-धीरे भाषाओं को जानने वालों के साथ भाषाएं भी लुप्त होती जा रही हैं। भारत की विभिन्न भाषाओं की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी संस्कृति है।

इस इकाई में आप भारत के बहुभाषिक परिदृश्य और भारत की विभिन्न भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह इकाई भाषा संबंधी हमारी अवधारणाओं का विस्तार करेगी और साथ ही वह दृष्टि भी देगी जिससे हम अपनी लुप्त होती भाषाओं को बचा सकें। राष्ट्रीय भाषाएं और क्षेत्रीय भाषाएं क्या हैं? क्या इनमें वास्तव में कोई भेद है? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं तो, किस आधार पर इनमें समानता है? यह इकाई भारत के भाषा संसार को उद्घाटित करने में मदद करेगी और संभवतः एक दृष्टि प्रदान करेगी ताकि हम अपनी भाषाओं के संरक्षण के लिए भी सरोकार रख सकें।

4.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. भारत के बहुभाषिक परिदृश्य को समझ सकेंगे।
2. राष्ट्रीय भाषाओं के बारे में जान सकेंगे।
3. क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जान सकेंगे।

4. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में अपनी अवधरणाओं का विस्तार कर सकेंगे।
5. लुप्त होती भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास कर सकेंगे।

4.3 भारत का बहुभाषिक परिदृश्य

भारत के बहुभाषिक परिदृश्य पर चर्चा करने से पहले आइए, कुछ तथ्यों, उदाहरणों को देख लेते हैं। स्कूली भाषा के संदर्भ में भाषा पाठ्यचर्या का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। संवाद और संप्रेषण के अनिवार्य प्राथमिक कार्यों के अतिरिक्त शिक्षण के संपूर्ण क्रिया-कलापों में भाषा ही माध्यम बनती है तथा अवधरणाओं के निर्माण एवं ज्ञान के सृजन में बुनियादी भूमिका निभाती है। विचारपूर्वक देखें तो एक हद तक निजी और संपूर्ण रूप में सभी सामाजिक गतिविधियों का संचालन भाषा की ही सहायता से संभव हो पाता है। समाजीकरण और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए तो भाषा सर्वाधिक सुलभ, सुविधाजनक और विश्वस्त उपकरण है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और भाषा हमें विरासत में प्राप्त होती है। किंतु उसके विशेष पक्षों को व अन्य भाषाओं को सतत प्रयास द्वारा शिक्षा के क्रम में उपार्जित करना होता है। बिहार में अनेक बोलियों/भाषाओं का जीवंत सह-अस्तित्व है। घरेलू भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, संथाली के अतिरिक्त सीमित रूप में बांग्ला जैसी भाषाएं/बोलियां हैं। हिंदी/उर्दू स्थानीय न होकर भी घरेलू भाषा के रूप में उपस्थित हैं। हिंदी के साथ ऐसे बच्चों का परिचय बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी भाषा, उच्चारण तथा शब्दावली को शुरू में बगैर सुधारे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षक मानक हिंदी अर्थ अथवा सही उच्चारण का प्रयोग ही न करें, क्योंकि आज की नई परिस्थितियों में शिक्षार्थियों के लिए हिंदी आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण आधार होगी। बिहार के विद्यालयों में प्रथम भाषा के रूप में स्वाभाविक पसंद हिंदी ही है। राज्य में बोली जाने वाली प्रायः घरेलू भाषाएं एक ही भाषा परिवार की हैं और हिंदी के साथ उनका स्वाभाविक संबंध है। ... व्यक्तित्व विकास, चिंतन, वाद-विवाद, अभिव्यक्ति की क्षमता अर्जित करने के प्रयास में हिंदी विद्यार्थियों को सुनहरा अवसर प्रदान करती है। बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिंदी इस क्षेत्र में लम्बी अवधि में विकसित सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का प्रतिनिधित्व करती है। यह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के समावेशी आदर्शों से युक्त विरासत का भी वहन करती है जिस पर गर्व करने के यथेष्ट कारण हैं। हिंदी का ज्ञान अर्जित करके हमारे विद्यार्थी ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, वैज्ञानिक मिजाज और तकनीकी शिक्षा के अनुसरण के लिए तैयार हो सकते हैं, इसलिए भाषा शिक्षण को सिर्फ साहित्य पर केंद्रित नहीं रखना चाहिए.. भाषा शिक्षण को धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता और ज़रूरतमंद की चिंता जैसे मूल्यों के अंगीकार के लिए भी मददगार होना चाहिए। अतएव पाठों के चयन तथा अध्यापन विधि, दोनों मामलों में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। (बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2008, 35-39)

साथ गई बो भाषा, खतरा आगे भी

अंडमान में एक 85 वर्षीय महिला बोआ सीनियर के के निधन के साथ ही प्राचीन भाषा **बो** को आगे ले जाने वाली कड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इसे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। क्योंकि वह दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक को बोलने वाली अंतिम व्यक्ति थीं। उल्लेखनीय है कि अंडमान की प्राचीन भाषाओं का स्रोत अफ्रीका को माना जाता है। कई अंडमानी भाषाएं तो 70 हजार साल तक पुरानी मानी जाती हैं। अग्रणी भाषाविद् प्रो. अन्विता अब्बी का कहना है कि माता-पिता की मौत के बाद पिछले 30-40 वर्षों से बोआ **बो** भाषा में बोलने वाली अंतिम व्यक्ति थीं। बोआ अक्सर खुद को बहुत अकेला महसूस करती थीं। अन्य लोगों से बातचीत के लिए उन्हें अंडमानी हिन्दी सीखनी पड़ी थी।

चूँकि अंडमानी भाषाओं को पाषाण युग से चली आ रही भाषाओं का अंतिम अवशेष माना जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि बोआ सीनियर के निधन से भाषाओं की गुत्थी का एक सिरा हमेशा के लिए खो गया। अंडमान की जनजातियों को चार समूहों में रखा जाता है— ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओन्नी और संटीनली। बोआ सीनियर ग्रेट अंडमानी समूह से थीं। अब इस जनजाति के 50 के करीब लोग ही बचे हैं जिनमें से अधिकतर बच्चे हैं।

— आधार बी.बी.सी. समाचार

(समझ का माध्यम, एन.सी.ई.आर.टी., 2010 : पृष्ठ 24)

श्रीलंका में क्या हुआ

1956 में, जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सीलोन की संसद ने एक कानून पारित कर सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल कालेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नये कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि 'जब आप मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेते हो।' एक और नेता ने चेतावनी दी 'आप सीलोन को बांटना चाहते हैं। निश्चित रहिए। मैं आश्वासन देता हूँ कि आपको एक विभाजित सीलोन ही मिलेगा।' सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो 'इस छोटे से देश में से दो टूटे-फूटे रक्तरंजित देश भी पैदा हो सकते हैं।'

पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहां के तमिल अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बंट गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है। कुछ हद तक इसलिए कि यहां बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने-फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता, जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया था तो शायद भारत भी गृह युद्ध में उलझ कर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाषायी राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया बल्कि उन्होंने इस एकता को और गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है तो विभिन्न भाषायी समूह एक विशाल राष्ट्र के अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं।

(हमारे अतीत, भाग - 2, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधन और प्रशिक्षण परिषद, नयी दिल्ली, सितंबर - 2008)

पूर्वोक्त तीनों उदाहरण इस ओर संकेत करते हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है। यहां लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं (1991 की जनगणना के अनुसार)। पहला उदाहरण बताता है कि एक राज्य बिहार में ही पांच-पांच भाषाएं बोली जाती हैं जिनके स्वरूप में हमें सचेत जानकारी है, जैसे- अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही। इसके अतिरिक्त संथाली, बंगला, उर्दू, खड़ी बोली भी बोली-समझी जाती हैं। लेकिन इसी एक राज्य के अलग-अलग प्रांतों में इन्हीं भाषाओं के मिश्रित रूप भी मिलते हैं। जिन्हें हम किसी खास नाम के साथ बांध नहीं सकते लेकिन भाषाओं का सम्मिश्रित रूप तो मिलते ही हैं। जब राज्य में इतनी भाषाओं की उपस्थिति होगी तो वे अपने साथ जुड़ी संस्कृति का भी संवहन करेंगी। भाषाएं अपनी संस्कृति के साथ मज़बूती से जुड़ी होती हैं और संस्कृति को मज़बूती प्रदान करती हैं। यह भारत के एक राज्य की भाषायी स्थिति है और आप इसी आधार पर भारत के पैंतीस राज्यों की भाषायी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं।

दूसरा उदाहरण अंडमान की 'बो' भाषा का है। आपने संभवतः पहले इस भाषा का नाम कभी नहीं सुना होगा। एक 85 वर्षीय महिला बोआ सीनियर के निधन के साथ ही प्राचीन भाषा **बो** को आगे ले जाने वाली कड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इसे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है क्योंकि वह दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक को बोलने वाली अंतिम व्यक्ति थीं। किसी भाषा का 'मरना' एक गहरी क्षति होती है। अनेक रूपों में यह क्षति समुदाय को और साहित्य को भी नुकसान पहुंचाती है। 'बो' भाषा में लिखे साहित्य को पढ़ने-समझने वाला जब कोई नहीं रहेगा तो एक तरह से 'साहित्य' भी खामोश हो जाएगा। किसी भाषा को बोलने वाले अंतिम व्यक्ति की 'खबर' एक महत्वपूर्ण 'खबर' है और वह इसीलिए आकर्षित करती है कि हम भाषाओं की महत्ता को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं। चूंकि अंडमानी भाषाओं को पाषाण युग से चली आ रही भाषाओं का अंतिम अवशेष माना जाता है, इसलिए कहा जा सकता है कि बोआ सीनियर के निधन से भाषाओं की गुत्थी का एक सिरा हमेशा के लिए खो गया। यह कथन भाषाओं के प्रारंभ स्वरूप या उनके बनने की प्रक्रिया के महत्व को भी दर्शाता है। यह 'खबर' पुनः भारत के एक राज्य की है और इसी आधार पर पैंतीस राज्यों में भाषाओं के 'मरने' और इस कारण होने वाली क्षति के बारे में आप स्वयं भी अंदाज़ा

लगा सकते हैं। यह 'खबर' इस ओर भी संकेत करती है कि भारत में अनेक भाषाओं का 'साम्राज्य' रहा है। तीसरे उदाहरण में यह स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण या बंटवारा भी होता है। यह अनेक बार भाषाओं के कारण गृह युद्ध भी हो जाते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है जो इसी कारण पैदा हुआ कि वहां के तमिल अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान भी इसलिए दो टुकड़ों में बंट गया था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में कायम रहा है। कुछ हद तक इसलिए कि यहां बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने-फूलने का मौका दिया गया। यह तीसरा उदाहरण भारत की भाषाओं की समृद्धि के साथ उनके साथ सह-अस्तित्व का जीवंत उदाहरण भी है। भारत इस रूप में भी खास है कि यहां भाषाओं को फलने-फूलने के पूरे अवसर दिए जाते हैं।

अब तक आप यह समझ ही चुके हैं कि भारत एक बहुभाषिक देश है। यहां हजारों में भाषाएं बोली-समझी जाती हैं। इसका एक निहितार्थ स्कूली शिक्षा के लिए भी है और वह यह कि बच्चों की भाषाओं का सम्मान किया जाए और उन्हें 'पढ़ाने' की समुचित व्यवस्था भी की जाए। लेकिन साथ ही यह चिंता होना भी स्वाभाविक है कि इतने बड़े देश की इतनी अधिक भाषाओं के सीखने-सिखाने, पढ़ने-पढ़ाने के बारे में किस तरह से सही निर्णय लिए जाएं। भाषा सीखने की प्रक्रिया यह बताती है कि भाषाओं को सीखना तब अधिक सरल हो जाता है जब वे हमारे परिवेश में विद्यमान होती हैं। इसका सीधा-सा तात्पर्य यह है कि भाषा सीखने के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। भारत की कक्षाएं इस समृद्ध परिवेश को बना सकती हैं, उपलब्ध करा सकती हैं और भाषाओं को कक्षाओं की दहलीज़ से अंदर आने की कोई मनाही हो ही नहीं सकती।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. भारत को बहुभाषिक देश क्यों कहा जाता है?

.....

2. 'बो' कहां की भाषा है? उसके संबंध में महत्वपूर्ण खबर क्या थी?

.....

3. भारत में भाषाओं के सह-अस्तित्व की बात क्यों की गई है?

.....

4. बिहार में कौन-कौन सी भाषाएं बोली-समझी जाती हैं?

.....

5. श्रीलंका में गृह युद्ध होने का क्या कारण रहा?

.....

4.4 राष्ट्रीय भाषाएं

राष्ट्रीय भाषाओं का सवाल उठाना हमारे सामने उन सभी दृष्टिकोणों को भी उजागर करता है जिनके माध्यम से अपने देश में बोली जाने वाली भाषाओं को देखते हैं। 'राष्ट्रीय' स्वयं में एक विशेषण है जिसका उपयोग भारत की भाषाओं के संदर्भ में किया जा रहा है। 'राष्ट्रीय' शब्द का अर्थ है— राष्ट्र में बोली-समझी

जाने वाली भाषाएं अथवा राष्ट्र की भाषाएं। इस दृष्टि से देखें तो भारत में जितनी भाषाएं बोली-समझी जाती हैं, जिन भाषाओं का व्यवहार होता है— वे सभी राष्ट्रीय भाषाओं की श्रेणी में आएंगी। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में इस समय 780 से भी अधिक भाषाएं हैं और 66 से अधिक लिपियां हैं। सभी राज्यों में भाषाओं के मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे समृद्ध है। वहां 90 भाषाएं बोली जाती हैं (हिंदू, 22 जुलाई, 2013)।

हालांकि भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। संविधान के 21 वें संशोधन द्वारा सिंधी को तथा 71 वें संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, तथा मणिपुरी भाषाओं को राज्य की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में 92 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा चार नई भाषाओं— बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इस अनुसूची में शामिल कर लिया गया। ये 22 भाषाएं इस प्रकार हैं — असमिया, बांगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, उर्दू, तेलुगू, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनके अतिरिक्त भी भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, वे भी राष्ट्रीय भाषाएं ही हैं। ये राष्ट्रीय भाषाएं किसी न किसी क्षेत्र में बोली जाती हैं। अतः ये एक तरह से क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। जरा सोचिए! 'क्षेत्र' का अंग्रेज़ी अनुवाद है— 'रीजन' और 'रीजनल' का हिंदी अनुवाद हुआ— 'क्षेत्रीय' जबकि 'क्षेत्रीय' का समानार्थी शब्द जो व्यवहार में प्रयुक्त होता है, वह है— 'प्रादेशिक' यानी प्रदेश से संबंधित। इस तरह से देखा जाए तो 'क्षेत्रीय' और 'प्रादेशिक' एक ही अर्थ देते हैं जबकि 'क्षेत्र' और 'प्रदेश' की भौगोलिक संकल्पना में अंतर है। खैर, हम यहां 'क्षेत्रीय' को 'प्रादेशिक' के अर्थ में लेकर चलेंगे। अलग-अलग प्रदेशों या राज्यों में बोली-समझी जाने वाली भाषाएं 'क्षेत्रीय' भाषाएं हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं कि क्षेत्रीय भाषाएं राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषाएं हैं इसलिए ये एक तरह से राष्ट्रीय भाषाएं भी हैं। इनमें किसी भी प्रकार से अंतर करना उचित नहीं होगा। इस संदर्भ में यह तर्क भी दिया जा सकता है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं को शामिल किया गया है वे राष्ट्रीय भाषाएं हैं और शेष क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लेकिन अगर हम इस बात को स्वीकार भी कर लें तो आठवीं अनुसूची में पिछले कई सालों में भाषाओं की संख्या बढ़ती चली गई है। पहले ये 18 भाषाएं थीं, फिर 22 भाषाएं हुईं। अनेक राज्य अपनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। इस संदर्भ में मल्लिकार्जुन का कहना है कि 'एक बार कोई भाषा इस सूची में शामिल हो जाती है तो उसका नाम और दर्जा अपने आप ही बदल जाता है और वह आधुनिक भारतीय भाषा व अनुसूचित भाषा के नाम से पहचानी जाती है।' (इंडियन मल्टीलिंग्गुयलिज़्म लैंग्वेज़ पॉलिसी एंड द डिजिटल डिवाइड)।

यह सवाल उठना भी लाज़िमी है कि यह किस आधार पर तय होता है कि कौन-सी भाषा आठवीं अनुसूची में शामिल होगी। पहले संथाली और मैथिली भाषाओं को असमिया, मलयालम, उड़िया आदि भाषाओं की तुलना में कमतर ही समझा जाता था, वह इस रूप में कि वे बोलियां हैं, भाषाएं नहीं। इस संदर्भ में यह समझ लेना भी आवश्यक होगा कि भाषाविज्ञान के अनुसार भाषा और बोली में अंतर नहीं होता। प्रो. रमाकांत यह स्पष्ट करते हैं कि— एक मुख्य मसला है भाषा और बोली का। किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछकर देखिए, वह अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ आपको भाषा व बोली का अंतर बताने लगेगा। कहेगा— "भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं। भाषा की लिपि होती है, बोली की नहीं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होत है जबकि बोली का स्थानीय। भाषा मानकीकृत व परिमार्जित होती है, बोली नहीं। जिसका प्रयोग दफतरों, अदालतों आदि में हो वह भाषा और जो बोलचाल के लिए इस्तेमाल हो वह बोली। भाषा में शुद्ध-अशुद्ध का प्रश्न उठता है, बोली में सब चलता है आदि, वास्तव में इस तरह के सभी तर्क गलत हैं, समाज के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। भाषाई दृष्टि से भाषा व बोली में कोई अंतर नहीं। दोनों नियम हैं। किसको भाषा कहा जाएगा और किसको बोली— यह एक सामाजिक प्रश्न है। सत्ताधरी व पैसे वाले लोग अकसर जो बोली बोलते हैं, वह भाषा कहलाने लगती है। उसी के व्याकरण व शब्दकोश लिखे जाते हैं। उसी में साहित्य लिखा जाता है। स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनकर वही बोली मानकीकृत भाषा बन बैठती है। उसी से मिलते-जुलते, बातचीत करने के अन्य तरीके उस भाषा की बोलियां कहलाने लगते हैं। भाषा व समाज के इस रिश्ते को समझना आवश्यक है। शायद यह ठीक ही कहा गया है कि भाषा केवल एक सशस्त्र बोली है। मुख्य प्रश्न वास्तव में एक दृष्टिकोण का है। एक गरीब बच्चे की भाषा को एक मानकीकृत भाषा के मापदंड से निरंतर नापना कहा तक जायज़ है? व्याकरण के प्रश्न को ही लीजिए। हिंदी का अपना व्याकरण है। लेकिन ब्रज, अवधी व मैथिली का भी अपना व्याकरण है, जो हिंदी से कदाचित अलग है। हिंदी-व्याकरण को मापदंड मानकर ब्रज के व्याकरण को क्यों देखा जाए?... हिंदी

व्याकरण से अन्य भाषाओं को नापना उचित नहीं है। हिंदी का – नन्द का नन्दन कदम्ब के पेड़ के नीचे धीरे-धीरे मुरली बजाता है। ब्रज भाषा में– नन्द को नन्दन कदम के तरु तर धीरे धीरे मुरली बजावै। हो जाएगा। और मैथिल–कोकिल विद्यपति ने इसे यूँ कहा– नन्दक नन्दन कदमक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाव। मैथिली का नियम है कि ‘नन्द’ व ‘नन्दन’ में जो संबंध है वह ‘क’ के प्रयोग से दिखाया जाएगा। ब्रज में वही ‘को’ के व हिंदी में वह ‘का’ के प्रयोग से। तो –

हिंदी : नन्द का नन्दन

ब्रज : नन्द को नन्दन

मैथिली : नन्दक नन्दन

यह कहना कि मैथिली या ब्रज भाषा को सदैव ‘नन्द का नन्दन’ ही कहना चाहिए, उचित नहीं होगा। ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया कि कब हिंदी–ब्रज–मैथिली एक–दूसरे के साथ घुल–मिल जाएंगी और कब अपना–अपना स्वतंत्र रूप दिखाएंगी– यह कहना भी कोई आसान काम नहीं है। आप मैथिली, सिंधी, कोंकणी, नेपाली या मणिपुरी को कब भाषा का दर्जा देना चाहते हैं– यह एक राजनैतिक प्रश्न है, भाषाई नहीं। (कौन भाषा कौन बोली – शैक्षिक संदर्भ, सितंबर–अक्टूबर, 1996, पृष्ठ 39–41) इस चर्चा से स्पष्ट है कि भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं है। व्याकरण के जिस मुद्दे को आधार बनाकर भाषा और बोली में जो अंतर दिखाया जाता है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि भाषा की स्थिति पहले है। व्याकरण समाज में मौजूद भाषा का विश्लेषण करके उसमें अंतर्निहित नियमों को व्यवस्थित करने का काम करता है। व्याकरण का जन्म भाषा से ही होता है, वह कहीं बाहर से आरोपित नहीं होता। पंडित कामता प्रसाद गुरु इसी संदर्भ में कहते हैं कि –‘प्रत्येक भाषा में व्याकरण अंतर्निहित रहता है, चाहे कोई उसकी खोज करे या ना करे।’ इस रूप में भाषा और बोली में अंतर करने वाले लोगों के लिए भी यह समझ बनाना ज़रूरी है कि वे जिस व्याकरण के आधार पर भाषा और बोली में भेद करते हैं, वह उचित नहीं है। प्रत्येक भाषा चाहे उसका क्षेत्र कितना भी ‘संकुचित’ क्यों न हो, उसमें भी एक नियम व्यवस्था होती है। “भाषा इतनी विचित्ररूप होती है कि किसी एक परिभाषा या नियम में बंधती नहीं। उसे काल्पनिक शब्दों से अधिक आसानी से समझा जा सकता है अगर आप कहें कि हुआ, मिला, मिली आदि भूतकाल के हैं तो ‘आपका आदेश हुआ तो मैं अवश्य यह काम करूंगा– जैसे वाक्य के लिए कहना होगा कि समानार्थक भविष्यकाल में भूतकाल की प्रक्रिया होगी। अर्थदृष्टि से भविष्य में भूतकाल कहना अनुचित होगा। परंतु, परिभाषीय पद्धति में कहें कि समानार्थक भविष्य में लिट्, तो बहुत गड़बड़ नहीं होगा।...’आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी– (‘हिंदी व्याकरण की समस्या’ लेख से)।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में इस समय कितनी भाषाएं और लिपियां हैं?

.....

7. संविधान के 21 वें संशोधन, 71 वें संशोधन और 92 वें संविधान संशोधन द्वारा किन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया?

.....

8. भाषा और बोली में अंतर करने के संदर्भ में अकसर क्या तर्क दिए जाते हैं?

.....

9. आचार्य हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने भाषा को विचित्रारूप क्यों कहा है?

10. पंडित कामताप्रसाद गुरु ने भाषा और व्याकरण के संदर्भ में क्या कहा है?

4.5 क्षेत्रीय भाषाएं

भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का वर्गीकरण इस रूप में भी होता है कि कौन-सी भाषा अनुसूचित भाषा संवधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषा और प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा है। 2001 की जनगणना में कुल 100 क्षेत्रीय भाषाओं की सूची तैयार की गई। इनमें से अधिकांश भाषाएं स्वतंत्र और अकेली नहीं हैं। इन प्रत्येक में अनेक मातृ भाषाएं/बोलियां शामिल हैं। क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषाओं 1961 की जनगणना के अनुसार कुल 1652 मातृभाषाएं हैं। 'भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती ही है, लेकिन वह कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहां अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा-परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के और किसी भी देश में पांच भाषा-परिवारों की भाषाएं नहीं पाई जातीं। संरचना के स्तर पर वे इतनी भिन्न हैं कि उन्हें विभिन्न भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिनके नाम हैं— इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बतो-बर्मन और अंडमानी। ये भाषाएं आपस में सतत संपर्क-संवाद भी करती रहती हैं। अनेक भाषिक और सामाजिक विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पायी जाती हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारत में विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां सदियों से एक-दूसरे को समृद्ध करती रही हैं (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पृष्ठ 41-42)। आइए, कुछ उदाहरणों के द्वारा यह जानने-समझने की कोशिश करें कि भारत की क्षेत्रीय भाषाएं किन भाषा-परिवारों से संबंधित हैं —

भाषा-परिवार	भाषाएं	भौगोलिक वितरण
इंडो-आर्यन या भारतीय-आर्य परिवार	असमिया डोगरी गुजराती हिंदी कोंकणी मैथिली उर्दू आदि।	असम जम्मू और कश्मीर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 'हिंदी पट्टी', उत्तरी भारत गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार
द्रविड़ परिवार	कन्नड़ मलयालम तमिल आदि	कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा केरल, पांडिचेरी, लक्षद्वीप तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र
ऑस्ट्रो-एशियाटिक	संथाली	छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, प्लाटून ;बिहार
तिब्बतो-बर्मन	बोडो	असम

	मणिपुरी	मणिपुर
अंडमानी	ओंगे सेंटिनेलीस जारबा	लिटिल अंडमान उत्तर सेंटिनेल द्वीप दक्षिण अंडमान के भीतरी हिस्से

ऊपर दी गई तालिका में उदाहरण स्वरूप कुछ भाषाओं के भाषा-परिवारों को दर्शाया गया है लेकिन भारत जैसे भाषिक क्षेत्र में भाषाओं का विस्तार इतना अधिक है कि अनेक भाषाएं 'किसी भी तरह की गणना' की परिधि से बाहर ही रह जाती हैं। ऐसा इसलिए भी होता कि हम सुविधा की दृष्टि से अनेक 'भाषाओं' को एक ही 'भाषा' में समाहित कर लेते हैं या फिर वे भाषाएं गणना के दायरे से बाहर हो जाती हैं जिनके बोलने वालों की संख्या अपेक्षित नहीं हैं। धीरे-धीरे वे भाषा पटल से अदृश्य हो जाती हैं। महावीर सरन जैन भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को परिगणित और अपरिगणित भाषाओं में विभाजित करते हैं। वे असमिया, बंगला, नेपाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, संस्कृत, मराठी आदि भाषाओं को परिगणित भाषाओं में शामिल करते हैं जबकि भीली, विष्णुप्रिया, हलबी, खानदेशी, लहंदा, कूरगी, गोंडी, जातम्, किसन, तुलु, भूमिज, हो, खासी, कोरकू/कुर्कू, कोरवा आदि भाषाओं को अपरिगणित भाषाओं में शामिल करते हैं। वे द्रविड़ परिवार की भाषाओं के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि द्रविड़ शब्द मूलतः क्षेत्र का वाचक है, भाषाओं का नहीं है। इस परिवार की ब्राहुई, मात्तो, कुरुख/ओरॉव दक्षिण भारत में नहीं बोली जातीं। ब्राहुई तो पाकिस्तानी-अफगानिस्तान के सीमांत क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसी प्रकार श्रीलंका के उत्तर भाग की सिंघली भाषा आर्य भाषा परिवार की है। तिब्बत-बर्मी उपपरिवार की दो प्रमुख शाखाएं हैं- तिब्बती-हिमालयी और बर्मी-आसामी। इस परिवार की भाषाएं पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाती हैं। इन्हें थोड़ा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं -

1. तिब्बती-हिमालयी

- तिब्बती - तिब्बती, लद्दाखी, दों जोंगका, भाटी/भुटिया, मोनपा
- हिमालयी - लिंबु, लाहुली, कनौरी, लेप्चा/रोंग

2. बर्मी-आसामी

- बोदो वर्ग - कोछ, गारो, त्रिपुरी/तिपुरी, दिमासा, देउरी, लालुघ आदि।
- नाग वर्ग - अंगामी, आओ, काबुई, कोन्चक, चांग, पफोम, माओ, लोथा, सेमा, चाखेसाघ आदि।
- कुकी-चिन वर्ग - कुकी, थोडा, पाइते, लखेर, मिजो/लुशाई, हमार, पवि, हलम, एनाल आदि।
- बर्मी वर्ग - मोघ।
- मिरि/मिशिघ वर्ग - आदि, निशी/दपफला, मिरी/मिशिघ

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है -

1. उत्तरी वर्ग - पंजाबी, लहंदा, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली
2. पश्चिम-दक्षिण वर्ग - गुजराती, खानदेशी, मराठी, कोंकणी, सिंघली, दिवेही (मालद्वीपी)
3. मध्य वर्ग - हिंदी, उर्दू, भीली, हलबी
4. पूर्वी वर्ग - असमिया, विष्णुप्रिया, बंगला, उड़िया

जार्ज वैन ड्रियम ने संकटग्रस्त भाषाओं के बारे में चिंता जताते हुए कहा है कि दिमासा बोड़ो-गारो भाषा समूह की सबसे भिन्न भाषा है और उसके विलुप्त होने का खतरा सबसे ज्यादा है इसलिए उसका प्रलेखन अभी सबसे ज़रूरी है। होजाई भाषा भी बोड़ो-गारो समूह की भाषा है। उसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं लेकिन प्राचीन स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि उसका संबंध दिमासा से है। दिमासा तथा होजाई, मैदानी काचरी

से भिन्न है। लेकिन इन भाषाओं को बोलने वाले स्वयं को बोड़ो कहते हैं। मेचे अब लुप्त हो चुकी है। आंकड़ों के अनुसार 8,00,000 कॉकबरोक हैं लेकिन इसमें अधिक संख्या में लोग अपने पैतृक अथवा मूल भाषा को छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं। आओ भाषाएं मध्य नागालैंड में बोली जाती हैं। ये भाषाएं चुंगली आओ, मोंगसेन आओ, सांगताम, मिम चुंगू, लोथा, याचाम तथा तेंगसा हैं। लेकिन सभी जनसंख्या समूहों के बढ़ते संचरण तथा असमिया और नागामीस निम्न स्तरीय असमिया आधारित क्रियोलद्ध के प्रयोग से सभी आओ भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा है। यह चर्चा इस बात की ताकीद करती है कि भाषाओं को समय रहते बचा लिया जाना चाहिए, वरना अनेक भाषाएं जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी। अधिक संख्या में किसी भाषा विशेष को बोलने वाले अपनी भाषा को जीवित रख सकते हैं लेकिन साथ ही उनके प्रभाव के कारण अन्य भाषाएं अपनी पहचान खोने लगती हैं। लोग भी अपनी भाषा को छोड़कर उसकी मानकीकृत भाषा को ही अपनी भाषा बताने लगते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के लाचौर जिले के आदिवासी समूह से जब संपर्क हुआ तो उन्होंने अपनी गोंडी भाषा को छोड़ हिंदी को ही अपनी भाषा के रूप में चिन्हित किया। ऐसा भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं के साथ संभव है।

भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में आपसी संपर्क के कारण कहीं-कहीं समानता मिलती है तो अनेक जगह अंतर भी मिलता है। यह अंतर ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के स्तर पर मिलता है। उदाहरण के लिए 'प्रसि' (शब्द का हिंदी में अर्थ है- 'विख्यात' लेकिन गुजराती अर्थ है- प्रकाशित। इसी तरह से 'सही' का हिंदी में अर्थ है- 'उचित' लेकिन गुजराती में अर्थ है- 'हस्ताक्षर'। 'निज' शब्द का हिंदी भाषा में अर्थ है- 'अपना' लेकिन तेलुगु में अर्थ है- 'सत्य'। इसी तरह 'संगति' का हिंदी अर्थ है- 'दोस्ती, साथ' वहीं तेलुगु में अर्थ है- 'समाचार'। हिंदी भाषा में दो लिंग हैं- स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन गुजराती में तीन लिंग हैं- स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इतना ही नहीं, हिंदी भाषा में जो शब्द स्त्रीलिंग हैं उनमें से कुछ शब्द गुजराती में पुल्लिंग हैं, जैसे - हिंदी में 'देह, आत्मा, जान, आवाज़' स्त्रीलिंग हैं जबकि गुजराती में ये शब्द पुल्लिंग हैं। इसी तरह से हिंदी में 'व्यक्ति, असर, बाज़ार' पुल्लिंग शब्द हैं जबकि गुजराती में यही शब्द स्त्रीलिंग हैं। हिंदी, गुजराती और मराठी की कुछ वाक्य संरचनाओं में समानता देखने को मिलती है, उदाहरण के लिए -

- यह क्या है? (हिंदी)
- जा शुं छे? (गुजराती)
- हे काय आहे? (मराठी)
- यह किसका कार्य है? (हिंदी)
- आ कोनुं कार्य छे? (गुजराती)
- हे कोणा चे कार्य आहे? (मराठी)।

अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जहां हिंदी भाषा के अव्याकरणिक वाक्य कश्मीरी भाषा के सही वाक्य हैं, जैसे-

- बिस्तरा और मत चाहिए? हिंदी
- बिसतर मा गछी बेयि? कश्मीरी
- और मत चाहिए कुछ? हिंदी
- बेयि मा गछिय केंहि? कश्मीरी।

हिंदी भाषा के सर्वनाम रूपों की कन्नड़ के सर्वनामों से तुलना करने पर कुछ और रोचक जानकारी मिलती है। हिंदी में वह, यह, कौन, जो आदि सर्वनाम रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग- दोनों रूपों में समान रहते हैं लेकिन कन्नड़ भाषा में लिंग के अनुसार सर्वनाम का रूप बदलता है। उदाहरण के लिए -

- वह मेरा भाई है। पुल्लिंग
- वह मेरी बहन है। स्त्रीलिंग
- वह मेरा घर है। कन्नड़ में 'नपुं.', लेकिन हिंदी में 'पु.'
- वह मेरी पुस्तक है। कन्नड़ में 'नपुं.', लेकिन हिंदी में 'स्त्री.'

भारत की भाषाओं के स्वरूप में जो समानता या अंतर नज़र आता है उसका विश्लेषण करने पर और भी अधिक रोचक तथ्य सामने आएंगे और वे भाषाओं के बीच मौजूद परस्पर सम्बन्धों को समझने में मदद करेंगे। इस संदर्भ में डॉ. राजमल बोरा का मानना है कि 'उत्तर भारत की भाषाओं को संस्कृत से जोड़ा गया और दक्षिणी भाषाओं को संस्कृत से बहिष्कृत किया गया और इस प्रकार भाषा परिवारों को अलगाया गया। इसे मैं ऐतिहासिक भूल मानता हूँ। वस्तुतः दक्षिण भारत की भाषाओं का संबंध भी संस्कृत भाषा से उतना ही घनिष्ट है जितना उत्तर भारत की भाषाओं से है। काल्डवेल ने पहले ही यह काम कर दिया और उसके कारण दक्षिण भारत की भाषाओं को संस्कृत से अलगाया गया है।.... द्रविड़ परिवार पर जो भी कार्य हुआ है, उसके मूल में मादरी काल्डवेल है। उसके प्रभाव से मुक्त होकर कार्य किया जाए तो कुछ परिवर्तन होगा। आर्य परिवार से अलगाकर द्रविड़ परिवार पर विचार करना हितकर नहीं है। परिवारों को अलगाने के कारण हमारी बहुत हानि हुई है। चिंतन बदलने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. भारत में कितने और कौन-से भाषा-परिवारों की भाषाएं पाई जाती हैं?

.....
.....

2. इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बतो-बर्मन और अंडमानी भाषा-परिवारों की किन्हीं तीन-तीन भाषाओं के उदाहरण दीजिए और बताइए कि ये भाषाएं कहां-कहां बोली जाती हैं?

.....
.....

3. परिगणित और अपरिगणित भाषाओं के दो-दो उदाहरण दीजिए।

.....
.....

4. जार्ज वैन ड्रियम ने किन संकटग्रस्त भाषाओं के बारे में चिंता जताई है?

.....
.....

5. भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में आपसी संपर्क के कारण क्या समानताएं और अंतर मिलते हैं?

.....
.....

4.6 सारांश

भाषा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और इसके सहारे हम अपने जीवन की अनेक स्थितियों को साधने की कोशिश करते हैं। कई बार यह कोशिश सफल होती है तो कई बार यह असफल होकर हमें एक सबक दे जाती है। हमारे आस-पास भाषा का संसार इस तरह से फैला है कि हम जाने-अनजाने ही उसे आत्मसात करते चले जाते हैं और तब हमारे मस्तिष्क में यह सवाल नहीं आता कि यह राष्ट्रीय भाषा है या क्षेत्रीय भाषा। भाषाएं अपनी संस्कृति के साथ मज़बूती से जुड़ी होती हैं और संस्कृति को मज़बूती प्रदान करती हैं। यह भारत के एक राज्य की भाषायी स्थिति है और आप इसी आधार पर भारत के पैंतीस राज्यों की भाषायी स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। भारत एक बहुभाषिक देश है। यहां हज़ारों में भाषाएं बोली-समझी जाती हैं।

इसका एक निहितार्थ स्कूली शिक्षा के लिए भी है और वह यह कि बच्चों की भाषाओं का सम्मान किया जाए और उन्हें 'पढ़ाने' की समुचित व्यवस्था भी की जाए। राष्ट्रीय भाषाओं का सवाल उठाना हमारे सामने उन सभी दृष्टिकोणों को भी उजागर करता है जिनके माध्यम से अपने देश में बोली जाने वाली भाषाओं को देखते हैं। 'राष्ट्रीय' स्वयं में एक विशेषण है जिसका उपयोग भारत की भाषाओं के संदर्भ में किया जा रहा है। 'राष्ट्रीय' शब्द का अर्थ है— राष्ट्र में बोली-समझी जाने वाली भाषाएं अथवा राष्ट्र की भाषाएं। इस दृष्टि से देखें तो भारत में जितनी भाषाएं बोली-समझी जाती हैं, जिन भाषाओं का व्यवहार होता है— वे सभी राष्ट्रीय भाषाओं की श्रेणी में आएंगी। पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में इस समय 780 से भी अधिक भाषाएं हैं और 66 से अधिक लिपियां हैं। सभी राज्यों में भाषाओं के मामले में अरुणाचल प्रदेश सबसे समृद्ध है। वहां 90 भाषाएं बोली जाती हैं (द हिंदू, 22 जुलाई, 2013)।

4.7 अभ्यास के प्रश्न

1. भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में कौन-कौन सी भाषाएं बोली-समझी जाती हैं? किन्हीं दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में जानकारी प्रदान कीजिए।
2. किन्हीं दो राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं का ध्वनि, शब्द और वाक्य स्तर पर अध्ययन कीजिए और बताइए कि आप इनमें किस प्रकार की समानता अथवा अंतर पाते हैं?
3. विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की भाषाओं में जो संरचनागत अंतर नज़र आता है उन्हें आप किस दृष्टि से देखते हैं — समस्या या चुनौती? आप अपनी कक्षा में इन बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या करेंगे?
4. भारत की ऐसी भाषाओं की सूची बनाइए जिन्हें आप संकटग्रस्त भाषा के रूप में देखते हैं। इन भाषाओं के विलुप्त होने के क्या कारण रहे होंगे?
5. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं की संकल्पना को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

4.8 चर्चा के बिन्दु

1. हमें अपनी भाषाओं को बचाना क्यों ज़रूरी है और हम इस संदर्भ में क्या प्रयास कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।
2. भाषाओं में जो परिवर्तन नज़र आते हैं, उनके क्या कारण होते होंगे? चर्चा कीजिए।
3. भारत की भाषाओं के बारे में जानने के लिए कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं? चर्चा कीजिए।

4.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. भारत को बहुभाषिक देश इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां अनेक भाषाएं बोली-समझी जाती हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार यहां लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं।
2. 'बो' अंडमान निकोबार की भाषा है। उसके संबंध में महत्वपूर्ण खबर यह थी कि 'बो' भाषा बोलने वाली एक 85 वर्षीय महिला बोआ सीनियर के निधन के साथ ही प्राचीन भाषा बो को आगे ले जाने वाली कड़ी हमेशा के लिए टूट गई। इसे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है क्योंकि वह दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक को बोलने वाली अंतिम व्यक्ति थीं।
3. भारत में भाषाओं के सह-अस्तित्व की बात इसलिए की गई है, क्योंकि यहां अनेक भाषाएं अलग-अलग संदर्भों में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। अनेक भाषाएं जन संपर्क का माध्यम दरअसल भाषाएं एक-दूसरे के सान्निध्य में पफलती-पूफलती हैं। जब किन्हीं दो भाषाओं के बोलने वाले एक-दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक नई भाषा का जन्म होता है। इस तरह भाषाएं एक-दूसरे से समृद्ध होती हैं और एक-दूसरे को समृद्ध करती हैं।

4. बिहार में ही पांच-पांच भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे- अंगिका, वज्जिका, भोजपुरी, मैथिली, मगही। इसके अतिरिक्त संथाली, बंगला, उर्दू, खड़ी बोली भी बोली-समझी जाती हैं।
5. श्रीलंका में गृह युद्ध होने का कारण भाषा रहा है। 1956 में, श्रीलंका (तत्कालीन नाम सीलोन) की संसद ने एक कानून पारित कर सिंहला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिंहला भाषा को सभी सरकारी स्कूल कालेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नये कानून का विरोध किया। सिंहला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो 'इस छोटे से देश में से दो टूटे-फूटे रक्तरंजित देश भी पैदा हो सकते हैं।' पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृहयुद्ध की स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई कि वहां के तमिल अल्पसंख्यकों पर सिंहला भाषा थोपी जा रही है।
6. पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में इस समय 780 से भी अधिक भाषाएं हैं और 66 से अधिक लिपियां हैं।
7. संविधान के 21 वें संशोधन द्वारा सिंधी को तथा 71 वें संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी, तथा मणिपुरी भाषाओं को राज्य की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में 92 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा चार नई भाषाओं- बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को इस अनुसूची में शामिल कर लिया गया।
8. भाषा का व्याकरण होता है, बोली का नहीं। भाषा की लिपि होती है, बोली की नहीं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का स्थानीय। भाषा मानकीकृत व परिमार्जित होती है, बोली नहीं। जिसका प्रयोग दफतरो, अदालतों आदि में हो वह भाषा और जो बोलचाल के लिए इस्तेमाल हो वह बोली। भाषा में शुद्ध-अशुद्ध का प्रश्न उठता है, बोली में सब चलता है आदि, आदि।
9. भाषा इतनी विचित्रारूप होती है कि किसी एक परिभाषा या नियम में बंधती नहीं। उसे काल्पनिक शब्दों से अधिक आसानी से समझा जा सकता है अगर आप कहें कि हुआ, मिला, मिली आदि भूतकाल के हैं तो 'आपका आदेश हुआ तो मैं अवश्य यह काम करूंगा।' - जैसे वाक्य के लिए कहना होगा कि समानार्थक भविष्यकाल में भूतकाल की प्रक्रिया होगी। अर्थदृष्टि से भविष्य में भूतकाल कहना अनुचित होगा। परंतु, परिभाषीय पद्धति में कहें कि समानार्थक भविष्य में लिट्, तो बहुत गड़बड़ नहीं होगा।..."
10. पंडित कामताप्रसाद गुरु भाषा और व्याकरण के संदर्भ में कहते हैं कि -'प्रत्येक भाषा में व्याकरण अंतर्निहित रहता है, चाहे कोई उसकी खोज करे या ना करे।'
11. भारत में पांच भाषा-परिवारों की भाषाएं पाई जातीं। इनके नाम हैं - इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बतो-बर्मन और अंडमानी।

भाषा-परिवार	भाषाएं	भौगोलिक वितरण
इंडो-आर्यन या भारतीय-आर्य परिवार	असमिया डोगरी गुजराती हिंदी कोंकणी मैथिली उर्दू आदि।	असम जम्मू और कश्मीर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 'हिंदी पट्टी', उत्तरी भारत गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, बिहार
द्रविड़ परिवार	कन्नड़ मलयालम तमिल आदि	कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा केरल, पांडिचेरी, लक्षद्वीप तमिलनाडु, कर्नाटक, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र

ऑस्ट्रो-एशियाटिक	संथाली	छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, प्लाटून ;बिहार
तिब्बतो-बर्मन	बोडो मणिपुरी	असम मणिपुर
अंडमानी	ऑंगे सेंटिनेलीस जारबा	लिटिल अंडमान उत्तर सेंटिनेल द्वीप दक्षिण अंडमान के भीतरी हिस्से

13. परिगणित भाषाओं के उदाहरण हैं – असमिया, बंगला, नेपाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, संस्कृत, मराठी आदि। अपरिगणित भाषाओं के उदाहरण हैं – भीली, विष्णुप्रिया, हलबी, खानदेशी, लहंदा, कूरगी, गोंडी, जातम्, किसन, तुलु, भूमिज, हो, खासी, कोरकू/कुर्कू, कोरवा आदि।
14. जार्ज वैन ड्रियम ने संकटग्रस्त भाषाओं के बारे में चिंता जताते हुए कहा है कि दिमासा बोड़ो-गारो भाषा समूह की सबसे भिन्न भाषा है और उसके विलुप्त होने का खतरा सबसे ज्यादा है इसलिए उसका प्रलेखन अभी सबसे जरूरी है। मेचे अब लुप्त हो चुकी है।
15. भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में आपसी संपर्क के कारण कहीं-कहीं समानता मिलती है तो अनेक जगह अंतर भी मिलता है। यह अंतर ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ के स्तर पर मिलता है। उदाहरण के लिए 'प्रसिद्ध' शब्द का हिंदी में अर्थ है – 'विख्यात' लेकिन गुजराती अर्थ है – प्रकाशित। इसी तरह से 'सही' का हिंदी में अर्थ है – 'उचित' लेकिन गुजराती में अर्थ है – 'हस्ताक्षर'। 'निज' शब्द का हिंदी भाषा में अर्थ है – 'अपना' लेकिन तेलुगु में अर्थ है – 'सत्य'। इसी तरह 'संगति' का हिंदी अर्थ है – 'दोस्ती, साथ' वहीं तेलुगु में अर्थ है – 'समाचार'।

4.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. तिवारी, भोलानाथ और सिंह, कमल, (1987), हिंदी और भारतीय भाषाएं, प्रभात प्राकशन, दिल्ली
2. बोरा, राजमल (1997), भारत की भाषाएं, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली।
3. भाटिया, कैलाशचंद्र (1973), भाषा-भूगोल, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ।
4. श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ और सहाय, रामनाथ (1976), हिंदी का सामाजिक संदर्भ, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।
5. पाठक, रवींद्र कुमार (2010), हिंदी व्याकरण के नवीन क्षितिज, भारतीय ज्ञानपीठ, लोदी रोड, नई दिल्ली
6. सिंह, संध्या और कपूर, कीर्ति (2010), समझ का माध्यम. एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली।
7. अग्निहोत्री, रमाकान्त (2013), हिन्दी : एक मौखिक व्याकरण, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
8. शर्मा, उषा (2012), एक शिक्षक के अनुभव, पावन चिंतन धरा चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
9. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
10. भारतीय भाषाओं का शिक्षण शास्त्रा : आधर पत्रा, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली।
11. गवेषणा, अंक 89, जनवरी-मार्च 2008, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।
12. गवेषणा, अंक 91, जुलाई –सितंबर 2008, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।
13. गवेषणा, अंक 95/96, जुलाई –दिसंबर 2008, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा।

इकाई-05 : अनुदेशन का माध्यम

इकाई संरचना

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 इकाई के उद्देश्य
- 5.3 बच्चे और भाषा
- 5.4 स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा
 - 5.4.1 भाषा विषय के रूप में
 - 5.4.2 भाषा माध्यम के रूप में
- 5.5 सारांश
- 5.6 अभ्यास के प्रश्न
- 5.7 चर्चा के बिन्दु
- 5.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 5.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

5.1 प्रस्तावना

भाषा मनुष्य के जीवन का आधार है और वह उसके विचारों को भी व्यवस्थित करती है। आप और हम जो भाषा बोलते हैं – वह भाषा आपने और हमने कैसे सीखी – इसके मूल में जाएं तो कोई ठोस, स्पष्ट जवाब देना कठिन हो जाएगा, क्योंकि जिस भाषा के परिवेश में रहते हैं, ना जाने कब उसकी ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों को और उनसे जुड़े अर्थ को आत्मसात करते चले गए। आप और हमने बचपन में अपनी भाषा यानी मातृभाषा का व्याकरण नहीं सीखा था, लेकिन दैनिक जीवन में ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते थे जिससे बात दूसरे को समझ आ जाए। यह बात बच्चों के लिए भी उतनी ही सत्य है जितनी आपके और हमारे लिए। भाषा जीवन-जगत को समझने और उसे साधने का औजार है। यह भाषा ही है जिसके सहारे अपने जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधने का प्रयास करते हैं। अगर आप याद करें तो आपके-हमारे जीवन में ऐसी अनेक जटिल स्थितियां आती हैं जब हम अपनी भाषा के माध्यम से उन जटिल स्थितियों को अपने अनुकूल बनाते हैं या फिर उन जटिल स्थितियों को 'बिगड़ने' से बचाते हैं। हम यह जानते हैं कि किस व्यक्ति से किस तरह से बात करनी है और किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। इसका सीध सा अर्थ यह है कि रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किस प्रकार किया जाए और विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भाषा को किस प्रकार ग्रहण किया जाए। यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा हमारे विचारों की वाहिका भी है और निर्माणकर्त्री भी। भाषा और विचार का गहन सम्बन्ध है। इस इकाई में स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा के महत्व और विषय एवं माध्यम के रूप में उसकी उपस्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है।

5.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

1. बच्चों और भाषा के परस्पर संबंधों को समझ सकेंगे।
2. भाषा और संज्ञान के बारे में जान सकेंगे।
3. स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा के स्थान के बारे में समझ सकेंगे।
4. विषय और माध्यम के रूप में भाषा की स्थिति की समीक्षा कर सकेंगे।
5. बच्चों के भाषा विकास के लिए एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकेंगे।

5.3 बच्चे और भाषा

बच्चे स्वभावतः सीखने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। अपने आस-पास की दुनिया को, दुनिया की हर चीज को छूकर, उठाकर, उलट-पलटकर देखना चाहते हैं। वे प्रायः अपने आस-पास नजर आने वाली चीजों के प्रति जिज्ञासु रहते हैं कि यह दिखती कैसी है, चलती कैसे है, खड़ी कैसे होती है आदि। यदि बच्चों के व्यवहार का अवलोकन किया जाए तो उनकी दुनिया के अनेक रहस्य उद्घाटित होते हैं और हमें उनमें झांकने का अवसर मिलता है। भाषा की इस जटिलता के प्रति भारत में प्राचीन काल से ही चेतना रही है, उनसे जूझने के भी महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, तुल्काप्यार, चंद्रछति, जैनेंद्र, हेमचंद्र आचार्य और कई अन्य का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम भारतीय ज्ञान के इतने महत्वपूर्ण पक्ष को नजर अंदाज करते आए हैं। भारतीय परंपरा में भाषा बोलना है लेखन नहीं, संज्ञान है महज बातचीत का माध्यम नहीं और एक रचनावादी तंत्र है मात्र प्रस्तुतीकरण नहीं है। भर्तृहरि के अनुसार, भाषा यथार्थ को गढ़ती है यानी पहले से ही मौजूद किसी यथार्थ को महज उद्घाटित भर नहीं करती और ज्ञान इसी से प्राप्त होता है। निर्माण और उच्चारण अभिव्यक्ति के रूप में यह नॉन-पार्टिटिव संपूर्णतावादी और नॉन-सिक्वेसिअल अक्रमिक है। भाषा की ऐसी संपूर्णतावादी सोच के निश्चित ही महत्वपूर्ण शिक्षाशास्त्रीय निहितार्थ सामने आ सकते हैं। – (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र, 2009 : 1)

बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं— यह बड़ा पेचीदा मामला है। इस संबंध में अनेक विचारधाराएं अपने-अपने तरीकों से भाषा सीखने की प्रक्रिया को व्याख्यायित करते हैं। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं— इस सवाल का जवाब इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आगे की चर्चा को समझने में मदद करेगा। हां, तो हम बात कर रहे थे कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। इस प्रश्न के जवाब में दो तरह की विचारधाराएं सामने आती हैं— एक समाज की भूमिका की उपेक्षा करती है तो दूसरी समाज की भूमिका को सर्वोच्च मानती है। ये दोनों विचारधाराएं ज्ञान को अलग तरीके से देखती हैं। ज्ञान का एक्सोजेनिक (Exogenic) दृष्टिकोण संसार को केन्द्र (World Centered) में रखता है और इसके विपरीत दूसरा दृष्टिकोण एंडोजेनिक (Endogenic) है जो मस्तिष्क को केन्द्र (Mind Centered) में रखता है। दरअसल, दोनों तरह की विचारधाराएं शैक्षिक व्यवहारों के लिए अनेक प्रकार के निहितार्थों को समर्थन देती हैं। एक्सोजेनिक परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी को 'कोरी स्लेट' के रूप में देखता है। इसके विपरीत एंडोजेनिक परिप्रेक्ष्य शैक्षिक प्रक्रिया में बच्चे की तार्किक क्षमता पर बल देता है। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार महत्वपूर्ण यह नहीं है कि किसी के मस्तिष्क में सूचनाओं की कितनी मात्रा है बल्कि महत्व इस बात का है कि व्यक्ति किस सुविचारित तरीके से ऐसा करता है। इस प्रकार यह परिप्रेक्ष्य गणित, दर्शन, भाषा पर अधिक बल देता है— जो चिंतन के लिए बच्चे की क्षमताओं को पैना करते हैं। (शर्मा, उषा : भाषा शिक्षा में सृजनवाद, 2012)

जेम्स ब्रिटन (2006:46) बच्चों की भाषायी क्षमता के बारे में कहते हैं कि 'प्रत्येक बच्चा उस भाषा को जिसके परिवेश में वह बड़ा होता है, विश्लेषित करता है और उसकी आंतरिक गुप्त (लेटेंट) संरचना निकाल लेता है। यह गुप्त संरचना इतनी सामान्य होती है कि वह बच्चा आजीवन इसका प्रयोग भी करता है। यह आर्थी और वाक्यीय दोनों प्रकार की होती है। भाषा अधिगम में गुप्त संरचना की खोज सबसे महत्वपूर्ण और अबोधगम्य प्रक्रिया है। बच्चा जिस तंत्र का उपयोग करता है उसकी व्याख्या करना, उसका विवरण देना, उसका व्याकरण लिखना होगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, यह युवाओं को भी परेशान करने वाली प्रक्रिया है। हम जिस प्रक्रिया की चर्चा कर रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप बच्चा यह तो जानता है कि शब्दों के साथ कैसे खेला जाए, खिलवाड़ किया जाए' पर यह (हम सब भी प्रायः यह नहीं जानते) वही जानता है 'वह क्या कर रहा है? जब वह लोगों को बातचीत करते सुनता है तो वह जो कुछ भी सुनता है निश्चित तौर पर उससे कुछ अधिक ग्रहण करता है। वह उच्चारण/अभिव्यक्तियों (अट्रांसिज) के सामान्य रूपों (पफॉर्म्स) को ऐसे रूप में ग्रहण करता है कि क्या किस शब्द के पहले और क्या बाद में आता है, अर्थात् शब्द कोटियों की परस्पर व्यवस्था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया जो संभवतः इतनी सहज नजर आती है, वह दरअसल इतनी सरल है नहीं। यह अलग बात है कि हमने भाषा सीखने की प्रक्रिया के बारे में इतना बारीक विश्लेषण करते नहीं हैं। बच्चों की भाषा का गहराई से अध्ययन करने पर उनकी भाषायी क्षमताओं और पैटर्नों का पता चलता है।

कैनेथ जे. जर्जन (Gergen, 1985) ने भाषा के बारे में तीन बिंदुओं को व्याख्यायित किया है :-

- सामाजिक अंतःनिर्भरता के द्वारा भाषा में अर्थ की प्राप्ति होती है।
- भाषा में अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है।
- भाषा प्रमुखतः सामुदायिक प्रकार्यों को संपादित करती है।

उपर्युक्त तीनों बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि भाषा में अर्थ महत्वपूर्ण है और यह अर्थ उसे समाज से प्राप्त होता है। यह सृजनवादी परिप्रेक्ष्य वाइगोत्स्की की विचारधारा के निकट प्रतीत होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है : पहली आत्मकेंद्रित और दूसरी सामाजिक। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से वह खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है, (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार पत्र, एनसीईआरटी, 2009:8)। यदि आप छोटे बच्चों को काम करते हुए देखें तो आप पाएंगे कि वे जब कोई काम करते हैं तो अपने काम के संचालन के समय बोलते हुए भी जाते हैं। जैसे— एक बच्चा यदि बाज़ार का चित्र बना रहा है या बच्चे बाज़ार—बाज़ार खेल रहे हैं या फिर किसी फल में रंग भर रहे हैं तो वे अपने से बात भी करते जाते हैं— ये लो भाई मैंने तो सारी सब्जी टोकरी में रख दी।/अब मैं इस संतरे में रंग भरूंगा। उसके बाद सेब में/अरे, रंग तो बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, रबड़ से मिटा देता हूँ आदि। यह अहमकेंद्रित भाषा या अपने लिए भाषा बच्चों की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं और यह अपने लिए भाषा का प्रयोग करना बंद कर देते हैं तो इसका कारण होता है— भाषा का आंतरिकीकरण। बच्चे आंतरिक रूप से भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं। बच्चों के भाषा—प्रयोग के अवलोकन बच्चों की भाषा के संबंध में नए ही रहस्योद्घाटन करते हैं और चकित कर देने वाली बातें सामने आती हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. कैनेथ जे. जर्जन ने भाषा के बारे में किन तीन बिंदुओं को व्याख्यायित किया है?

.....

2. ज्ञान के एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है?

.....

3. भर्तृहरि ने भाषा के बारे में क्या कहा है?

.....

4. भाषा के संबंध में वाइगोत्स्की का क्या विचार है?

.....

5. अहम केंद्रित भाषा से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए।

.....

5.4 स्कूली पाठ्यचर्या में भाषा

हमारी शालाओं में भाषा की उपस्थिति मुख्य रूप से दो रूपों में देखी जा सकती है— प्रथम विषय के रूप में और दूसरा माध्यम के रूप में। कक्षा एक से बारह तक भाषा शिक्षण का कार्य किया जाता है और साथ ही भाषा विभिन्न विषयों के अध्ययन का माध्यम बनती है। प्रायः विद्यालयों में एक साथ एक से अधिक भाषाएं माध्यम रूप में उपलब्ध होती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली राज्य के प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक अनेक अनुभाग होते हैं और उनमें से एक अनुभाग में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होती है और शेष अनुभाग/अनुभागों में हिंदी भाषा में पढ़ाई होती है। इसका अर्थ यह भी है कि माध्यम के रूप में अंग्रेजी को शामिल करने के अनेक कारण हैं जो समुदाय की महत्वाकांक्षाओं और समझ की ओर संकेत करता है। एक विषय के रूप में भाषा और दूसरी माध्यम के रूप में भाषा की विस्तृत चर्चा आगे की गई है।

5.4.1 भाषा विषय के रूप में

भाषा के रूप में भाषा या हिंदी अथवा किसी भी भाषा का एक विशिष्ट स्थान होता है और वह भाषा हमारी अस्मिता का निर्माण करती है। हमारी पहचान भी अनेक बार उस भाषा के माध्यम से होती है। हम किसी अपरिचित जगह जाते हैं और वहां हम अपनी भाषा में बातचीत करते हैं तो सामने वाला पहचान लेता है कि हम किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। भारत और विदेश में दोनों ही जगह हमारी अपनी पहचान भाषा के माध्यम से भी होती है। जो हिंदी दिल्ली में बोली जाती है और जो हिंदी हैदराबाद में बोली जाती है— उसके बोलने में अंतर नज़र आता है, उसके लहज़े में अंतर नज़र आता है। हिमांचल प्रदेश में बोली जाने वाली पंजाबी और पंजाब के सुदूर क्षेत्र में बोली जाने वाली पंजाबी भाषा भी आपको इसी तरह का अंतर नज़र आएगा और यह गलत नहीं है, बल्कि स्वाभाविक ही है। हम जिस भाषा के परिवेश में पलते-बढ़ते हैं उस भाषा की ध्वनियों को उत्पादित करने के लिए धीरे-धीरे हमारे उच्चारण अवयव उसी रूप में ढलते चले जाते हैं। जब हम एक और भाषा से परिचित होते हैं और उसकी ध्वनियों को बोलने के क्रम में उच्चारण अवयवों को ढलना पड़ता है लेकिन अगर एक समय के उपरांत दूसरी भाषा को अर्जित किया जाता है या सीखा जाता है तो कई बार हम दूसरी भाषा की उन ध्वनियों को सही तरह से उच्चरित नहीं कर पाते जो हमारी अपनी भाषा में नहीं हैं। जैसे मराठी में एक ध्वनि हिंदी भाषा की 'ज' और 'झ' के बीच की या इससे मिलती जुलती ध्वनि है। इस 'खास' ध्वनि को उच्चरित करना कठिन हो जाता है। ऐसे अनेक बिंदु हैं जिन पर गहन विमर्श की आवश्यकता है।

खैर, जैसा कि स्पष्ट किया है कि शाला में भाषा विषय के रूप में भी रहती हैं और माध्यम के रूप में भी। विषय के रूप में भाषाओं की उपस्थिति पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक रहती है। विद्यालय के प्रत्येक स्तर पर भाषाओं के अध्ययन के अपने कुछ सुनिश्चित उद्देश्य होते हैं। 1968 की शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र के जिस रूप को लागू किया गया है, तब से अभी तक वही त्रिभाषा सूत्र जारी है। उसके बाद से इस संदर्भ में कोई नीतिगत परिवर्तन नहीं आया है। लगभग 48 वर्षों के बाद भारतीय पटल और वैश्विक पटल पर अनेक बड़े बदलाव आए हैं, तकनीक भी तेज़ी से विकसित हुई है और विश्व 'सिमट-सा' आया है। संप्रेषण के साधन भी 'बढ़े' हैं, 'बदले' हैं लेकिन भाषाओं के अध्ययन के संदर्भ में कोई बदलाव न आना इस बिंदु की ओर संकेत करता है कि हम संभवतः भाषा जैसे 'अति संवेदनशील' मुद्दों को 'छेड़ना' ही नहीं चाहते। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भी भाषाओं की उपस्थिति, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है जो इस बात का प्रमाण है कि हम विभिन्न भाषाओं की 'उपस्थिति' के प्रति सजग हैं, सचेत हैं और भाषाओं के संवर्धन के प्रति गंभीर भी। अनेक भाषाएं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल होने के लिए 'कतार' में हैं। लेकिन विद्यालयी स्तर पर अब कितनी भाषाएं किस रूप में पढ़ाई जाएं— इस विषय पर हम अभी भी मुखर नहीं हैं, 'खामोश' हैं। हमारी यह 'खामोशी' अनेक भारतीय भाषाओं को भी कहीं 'हमेशा के लिए खामोश' न कर दे। भारतीय भाषाएं अपने ही 'घर' में जिस तरह से लुप्त होती जा रही हैं और उनके स्थान पर 'अंग्रेजी का वर्चस्व' बढ़ता चला जा रहा है उससे अनेक नए संकट भी पैदा हो सकते हैं। अगर समय रहते इन मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी संस्कृति पर भी संकट के बादल मंडराने लगेंगे।

1968 की शिक्षा नीति में दिए गए भाषा संबंधी प्रस्तावों को 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समर्थन दिया। लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर आज भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। आज भी अनेक सवाल 'जवाब' की

प्रतीक्षा में खड़े हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में भाषाओं के संबंध में कोई एक ठोस नीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना कठिन है। 1968 की शिक्षा नीति के अनुसार—

- स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा
- द्वितीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी।
- तृतीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।
- गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो। (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, 2009:13)

कक्षा एक से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का शिक्षण प्रारंभ होता है। कक्षा पांच से दूसरी भाषा और कक्षा आठ से तीसरी भाषा के शिक्षण का प्रावधान है। किसी भी स्तर पर भाषा सीखने—सिखाने का तात्पर्य विभिन्न परिस्थितियों में भाषा के प्रभावी प्रयोग और समझ से जुड़ा है। हम भाषा में कही गई बातों को समझ सकें और अपनी बात को (मौखिक, लिखित, सांकेतिक और ब्रेल भाषा में) अभिव्यक्त कर सकें। भाषा के प्रति समग्रतावादी दृष्टिकोण भाषायी क्षमताओं में कोई अंतर नहीं करता और न ही उनके क्रम से सीखे जाने का समर्थन करता है। वास्तव जब हम बोलते हैं तो सुनते भी हैं। ठीक इसी तरह से जब हम लिखते हैं तो पढ़ते भी हैं। सभी भाषायी क्षमताएं एक—दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और एक—दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। भाषा सीखने—सिखाने के लक्ष्यों/उद्देश्यों को जिस तरह से सुनिश्चित किया गया है, वे इस प्रकार से हैं —

- विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न विषयों के संदर्भ में जो कुछ कहा जा रहा है उसे समझना, उस पर चर्चा या बातचीत में सक्रिय होकर अपनी भागीदारिता निभाना। कही जा रही बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना, राय बताना और विश्लेषण करते हुए निर्णय लेना। सुनना और बोलना एक साथ ही चलते हैं और इस प्रक्रिया में वक्ता एवं श्रोता की भूमिका लगातार बदलती रहती है। सुनने और बोलने की क्षमताओं में यह बेहद ज़रूरी है कि हम संदर्भ को पकड़े रहें। हालांकि यह बात पढ़ने और लिखने पर भी लागू होती है।
- वक्ता द्वारा कहे गए शाब्दिक और गैर शाब्दिक संकेतों को समझना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संप्रेषण की कुशलता में यह भी शामिल है कि आप शब्दों के बिना भी कैसे अपने संदेश को प्रेषित कर सकते हैं। अनेक बार बातचीत करते समय या अपनी बात कहते समय हम शब्दों को विशिष्ट शैली में इस्तेमाल करते हैं और कुछ भाव केवल संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं। जिसमें हमारे हाव—भाव, हमारे वाक्य के स्थान पर केवल शब्दों/पदों का प्रयोग करना, अपनी आवाज़ में उतार—चढ़ाव लाना, किसी खास हिस्से पर बल देना आदि।
- जो कहा जा रहा है उसे समझते हुए उसे भी समझने की कोशिश करना जो शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया गया। कही जा रही बात के पीछे—पीछे भावों को समझना भी सुनने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है।
- विभिन्न परिचित और अपरिचित स्थितियों में अपनी बात को प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त करना। बोलते समय यह बात भी संज्ञान में रखना ज़रूरी है कि स्थिति औपचारिक है, अनौपचारिक है, श्रोता कौन हैं, संदर्भ क्या है और किस उद्देश्य से कहना है आदि। इसका तात्पर्य यह है कि बोलने की कुशलता में प्रवाह, सही—सही और स्पष्ट रूप से बोलना, संदर्भ और विषय के अनुसार शब्दों एवं वाक्यों का चयन, वाक्य—संरचना का गठन आदि शामिल हैं।
- विभिन्न प्रकार की पाठ्य—सामग्री को पढ़ने के प्रति उत्सुकता प्रकट करना, स्वयं अपनी पसंद से पुस्तक कोना/पुस्तकालय या अन्य स्थान से किताबों का चयन करना आदि पढ़ने की कुशलता की ओर अग्रसर होने के संकेत हैं।

- तरह-तरह की सामग्री को पढ़कर उसमें छपी या लिखी हुई सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। प्रारंभिक स्तर पर अक्षर-ध्वनि संबंध बनाते हुए अर्थ समझने की कोशिश करना। पढ़ने की कुशलता में समझ निहित है उसके अभाव में पढ़ना सार्थक नहीं है।
- पढ़ते हुए अनुमान लगाना, किसी विशेष बिंदु की खोज करना, विश्लेषण या मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना आदि पढ़ने की महत्वपूर्ण क्षमताएं हैं। केवल डिकोडिंग करना पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में यह समझ लेना चाहिए कि डिकोडिंग का अर्थ है जो लिखा है उसकी पहचान करना, जैसे— 'क' को 'क' के रूप में पहचानना, 'हुनर' को 'हुनर' के रूप में या फिर किसी नए, अपरिचित शब्द के प्रत्येक अक्षर पर ध्यान देते हुए, उसके हिस्से करके, फिर जोड़-जोड़कर पढ़ना।
- पढ़ने की कुशलता में यह क्षमता भी शामिल है कि आप लिखी हुई चीजों से कितना सहमत या असहमत हैं, अपनी सहमति या असहमति के लिए तर्क देते हैं, निर्णय लेते हैं आदि।
- भाषा विभिन्न विषयों अथवा अनुशासनों में भिन्न स्वरूप लिए होती है। उसके प्रयोग में एकरूपता नहीं होती। उसकी अनेक रंगतें, छवियां और संरचनाएं होती हैं। विषय विशेष अथवा स्थिति विशेष में नज़र आने वाली यह भाषागत विविधता 'प्रयुक्ति' कहलाती है। उदाहरण के लिए चिकित्सा, बागवानी, कला, संगीत आदि। भाषा सीखने की प्रक्रिया में यह भी ज़रूरी है कि हम इन प्रयुक्तियों से भी परिचित हों और इनका सार्थक प्रयोग कर सकें। इस प्रयास में बच्चे विभिन्न अनुशासनात्मक अवधरणाओं से अवगत हो सकेंगे और संज्ञानात्मक विकास की दिशा में अग्रसर हो सकेंगे।
- विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न विषयों पर भाषा का सृजनात्मक प्रयोग कर सकें। अपने शब्दों और शैली में कहानी, कविता आदि का सृजन कर अपनी अभिव्यक्ति को सुदृढ़ बना सकें। इससे विद्यार्थियों में विभिन्न साहित्यिक विधियों और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास हो सकेगा।
- विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग संदर्भ में व्याकरण की समझ और प्रयोग की अपेक्षा करता है। साथ ही यह अपेक्षा भी रहती है कि विद्यार्थी भाषिक आंकड़ों का अवलोकन कर सकें, विश्लेषण कर सकें, क्या कहा गया है, कैसे कहा गया है और क्या कहने की कोशिश की गई है आदि। यह भाषा वैज्ञानिक अध्ययन भाषा की बारीकियों को समझने और अपने भाषा प्रयोग में उनका इस्तेमाल करने के संदर्भ में बेहद कारगर है। यह भी अपेक्षित है कि विद्यार्थी भाषा के नियम, प्रकृति को पहचान सकें और उसका विश्लेषण कर सकें। भाषाओं के आपसी संबंधों एवं बारीकियों की समझ बहुभाषिकता के परिप्रेक्ष्य में भी अनेक मुद्दों को संबोधित करती है।
- हमारी संस्कृति, विरासत और समसामयिक जीवन के पक्षों से परिचित कराने के लिए भाषा की कक्षाओं में पर्याप्त अवसर होते हैं। विद्यार्थियों को इनसे अवगत कराया जाना चाहिए। विभिन्न पाठों के माध्यम से भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को परिवेश, लोगों और देश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाने चाहिए।
- विभिन्न दृश्य-श्रव्य माध्यमों, बाल साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन व कम्प्यूटर जनित कार्यक्रम, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, भाषण आदि को पढ़कर, देखकर और सुनकर समझने तथा उस पर स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना भी भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

इन सभी उद्देश्यों/लक्ष्यों को ध्यान से देखने और विचार करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि एक विषय के रूप में भाषा सीखने का उद्देश्य विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी और सार्थक प्रयोग करना है। भाषा के माध्यम से वे जीवन-जगत को समझ सकें और उससे संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को साध

सकें – यह भी अपेक्षित है। एक विषय के रूप में भाषा का व्यावहारिक रूप ही सामने आता है और वह है भाषा का प्रयोग करने की कुशलता।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. भारतीय विद्यालयों में भाषा किस-किस रूप में उपस्थित है?

.....
.....

7. भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं?

.....
.....

8. शाब्दिक और गैर शाब्दिक संकेतों में क्या अंतर है?

.....
.....

9. पढ़ने और लिखने की कुशलता में क्या अपेक्षित है?

.....
.....

10. भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करने से क्या तात्पर्य है?

.....
.....

5.4.2 भाषा माध्यम के रूप में

हमारे विद्यालयों में भाषा एक विषय के साथ-साथ एक माध्यम के रूप में भी उपस्थित रहती है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भाषा के माध्यम से अन्य विषयों का अध्ययन-अध्यापन किया जाता है। हां, इतना ज़रूर है कि भाषा में और उसके स्वरूप में अंतर हो सकता है। शिक्षा का अधिकार और विभिन्न शिक्षा नीतियों, दस्तावेज़ों ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की है। उच्च स्तर पर विद्यार्थी की मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यम बन सकती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है और वह यह है कि शुरू में बच्चे की अवधारणाएं उसकी मातृभाषा में ही बनती हैं। आइए, एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। मान लीजिए, राजस्थान में रहने वाली अनुराधा 'चूहे' को देखती है और उसकी ओर संकेत करती है तो मां कहती है— 'देख वा ऊंदरो है।' यह प्रक्रिया अनेक बार होती है और हर बार अनुराधा एक खास आकृति (चूहा) के लिए एक खास आवाज़ या ध्वनि (ऊंदरो) सुनती है। धीरे-धीरे अनुराधा जब किसी चूहे को देखती है तो स्वयं भी 'ऊंदरो' कहती है। उसके मस्तिष्क में चूहे की अवधारणा के लिए एक शब्द भी है— ऊंदरो। अब चूहा किसी भी आकार का हो, रंग का हो— अनुराधा उसके लिए यही शब्द का प्रयोग करती है। इसका अर्थ यह है कि अनुराधा किसी चूहे को देखती

है तो उसके मस्तिष्क में वही खास ध्वनि उत्पन्न होती है या फिर वह 'ऊंदरो' शब्द की केवल ध्वनि या आवाज़ सुनती है तो उसके मस्तिष्क में 'चूहे' की छवि उभरती है। अनुराध की मातृभाषा राजस्थानी है और राजस्थानी भाषा में चूहे को 'ऊंदरो' कहते हैं। धीरे-धीरे अनुराधा बड़ी होती है और शाला जाना शुरू करती है। वहां वह हिंदी भाषा में पर्यावरण अध्ययन की किताब पढ़ती है जहां 'चूहा' संकेत या जीव के लिए 'चूहा' शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह 'चूहा' शब्द अनुराधा के लिए अपरिचित शब्द है। जब शिक्षिका चूहे की तस्वीर की ओर संकेत करके कहती है - 'चूहा' तो अनुराधा समझ ही नहीं पाती। जब अनुराध से चूहे के बारे में पूछा जाता है, उसकी पहचान कराई जाती है तो वह कोई जवाब ही नहीं दे पाती। शिक्षक को लगता है कि अनुराधा को अपने आस-पास के जीवों की पहचान ही नहीं है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अनुराधा जैसे अनेक बच्चे अपनी मातृभाषा के शब्दों से परिचित होते हैं। उनके पास अपने आस-पास के जगत की विभिन्न अवधारणाएं तो होती हैं, जैसा अनुराधा के संदर्भ में है, लेकिन हो सकता है कि अपनी मातृभाषा से इतर भाषा में उसके पास शब्द न हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि बच्चे अपने परिवेश से जुड़ी अवधारणाओं का निर्माण अपनी मातृभाषा में करते हैं। अन्य विषयों का अध्ययन करने में बच्चे विषय से जुड़ी अवधारणाओं का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए— कलेवा, पाहुन, चक्रवात, कारगुजारी, व्यस्त आदि। इस तरह से देखा जाए तो भाषा सीखने में अवधारणाओं का निर्माण या अवधारणाओं को सीखना शामिल है। भाषा न केवल अवधारणाओं के निर्माण में सहायक होती है बल्कि वह उन अवधारणाओं की अभिव्यक्ति का भी काम करती है। हिंदी या राजस्थानी भाषा में बनाई गई अवधारणाओं अभिव्यक्ति भी राजस्थानी भाषा में ही बेहतर तरीके से हो सकेगी। यदि बच्चों के परिवेश में एक से अधिक भाषाएं उपस्थित हैं और वे बच्चे की मातृभाषा के समकक्ष या लगभग समान हैं तो एक ही अवधारणा के लिए दो शब्द या एक से अधिक शब्द (जितनी भाषाएं होंगी उतने शब्द) होंगे। प्रायः हमारे देश में मातृभाषाएं उच्च स्तर के अध्ययन का माध्यम नहीं बन पातीं। जिसके कारण हानि यह होती है कि बच्चे यदि मातृभाषा से इतर भाषा (जैसे— अंग्रेज़ी भाषा में) में अवधारणाओं का निर्माण कर भी लें लेकिन अभिव्यक्ति के लिए उस भाषा (अंग्रेज़ी भाषा) पर पकड़ है ही नहीं। इसलिए ऐसा कई बार होता है कि अवधारणा—निर्माण और अवधारणा—अभिव्यक्ति की भाषा अलग होने से सीखने में असुविधा होती है। उच्च स्तर पर जब अन्य विषयों, जैसे— भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल आदि को मातृभाषा के माध्यम से न पढ़ाकर किसी अन्य भाषा (हिंदी या अंग्रेज़ी) में पढ़ाया जाता है तो कक्षा में होने वाली बातचीत को समझना कठिन हो जाता है। चीजें सरल होने की बजाय कठिन होती चली जाती हैं। यही कारण है कि बच्चों की मातृभाषा को ही अन्य विषयों के अध्ययन का माध्यम बनाने की सिफारिश पुरजोर तरीके से की गई है और की जाती रही है। अवधारणायें कैसे बनती हैं— आइए, इस संदर्भ में और विस्तृत चर्चा करते हैं।

इस संदर्भ में जीन पियाजे मानसिक विकास में जन्मजात कारकों की भूमिका को अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि जीव और वातावरण के बीच अन्तःक्रिया होने से विकास होता है। इसका एक निहितार्थ यह है कि जिस प्रकार बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है और उसका विकास क्रमशः होता है उसी प्रकार उसकी भाषा का भी विकास होता जाता है। जैसे—जैसे बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है अथवा वातावरण से अंतःक्रिया करता है, वैसे—वैसे उसकी मानसिक संरचनाओं में गुणात्मक बदलाव आता है। पियाजे के अनुसार सीखने के संदर्भ में आत्मसातीकरण (Assimilation) और समायोजन (Accommodation) की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। आइए, एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा अपने दादा के साथ पार्क में जाता है। वहां वह एक बिल्ली देखता है। उसके दादा उस बिल्ली की ओर संकेत करते हुए कहते हैं - देखो बिल्ली आ गई। बच्चा बिल्ली की 'छवि' को उसके नाम की आवाज़ या ध्वनि के साथ संयोजित कर लेता है या जोड़ लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे की बौद्धिक संरचना में 'बिल्ली' की छवि और ध्वनि ने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। पियाजे के अनुसार यह छवि 'स्कीमा' (Schema) कहलाती है। बच्चा अपनी बौद्धिक संरचना के आधार पर उसे आत्मसात (Assimilate) करता है। अब बच्चा गाय, घोड़ा, कुत्ता, बैल आदि देखता है और उसे 'बिल्ली' कहकर संबोधित करता है। यह सामान्यीकरण की प्रवृत्ति है। बच्चे ने बिल्ली को और बाकी जानवरों में संभवतः पैरों के आधार पर सामान्यीकरण किया। लेकिन जब बच्चा विभिन्न परिस्थितियों में उन सभी जानवरों को देखता है और उसके समक्ष उन जानवरों को भिन्न नाम से पुकारा जाता है तो वह अपनी पूर्व में बनाई गई 'छवि' में परिवर्तन करता है। इस परिवर्तन के आधार पर वह बिल्ली, घोड़ा, गाय, कुत्ता, बैल, आदि जानवरों में अंतर करना सीखता है और उनके साथ क्रमशः उनके नामों (ध्वनियों/शब्दों) को जोड़ता है। इतना ही नहीं वह धीरे-धीरे समय के बढ़ते क्रम में अलग-अलग तरह की बिल्लियों (काली, भूरी, सफेद, धरीदार

आदि) में भी अंतर करने लगता है और उसी के अनुरूप शब्दों का प्रयोग करता है। यह समायोजन (Accommodation) की स्थिति है। इस तरह से स्पष्ट है कि अवधरणाओं के निर्माण में बच्चे किन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं और बड़े, शिक्षक उनकी किस प्रकार मदद कर सकते हैं।

माध्यम के रूप में भाषा का एक और पहलू है और वह है कि विषय के साथ या उसके अनुसार भाषा का स्वरूप भी बदलता है। आइए, पाठ्य-पुस्तक से कुछ उदाहरण देखें और समझने की कोशिश करें कि विभिन्न विषयों में प्रयुक्त हिंदी भाषा के स्वरूप और संरचना में क्या अंतर नज़र आता है।

उदाहरण एक

द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे द्युतिवान हैं अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है, वे प्रायः धतु होते हैं। लोहा, तांबा, ऐलुमिनियम तथा सोना, धतुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएँ बहुत अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन (निष्प्रभ) दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसीलिए हमें केवल ताशे-कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धतु की छड़ों के ताशे-कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि इनमें द्युति है अथवा नहीं?

(विज्ञान, कक्षा 6, एनसीईआरटी, पृष्ठ 29)

उदाहरण दो

सौरमंडल के सभी आठ ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वाँ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक (अगस्त 2006) में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिण्ड (2003 UB 313, सिरस) तथा प्लूटो 'बौने ग्रह' कहे जा सकते हैं।

(पृथ्वी हमारा आवास, कक्षा 6, एनसीईआरटी, पृष्ठ 4)

उदाहरण तीन

एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया
एक से एक मिले तो शर्मा, बन जाता है सेहरा
एक से एक मिले तो राई, बन सकती है परबत
एक से एक मिले तो इंसॉ, बस में कर ले किस्मत
साथी हाथ बढ़ाना।

(वसंत, कक्षा 6, एनसीईआरटी, पृष्ठ 44)

उदाहरण चार

भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का अलबम देखा? उसने पूछा।

क्यों, राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी।

बहुत सुंदर अलबम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा अलबम नहीं है।”

तुमसे किसने कहा?

भैया ने।”

वह वुफ़ढ़ गया।

बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो अलबम बड़ा हो गया? उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी।

कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही। फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेश पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा। बंद था, क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूँढ़ निकाली।

(वसंत, कक्षा 6, एनसीईआरटी, पृष्ठ 44)

उदाहरण एक – द्युतिवान, द्युतिहीन, अभिक्रियाओं, पृष्ठों, रेगमाल, द्युति, धतु, निष्प्रभ, छड़ों

उदाहरण दो – सौरमंडल, दीर्घवृत्ताकार, कक्षा, गह, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, प्लूटो ‘बौने ग्रह’।

उदाहरण तीन – एक से एक मिले तो राई, बन सकती है परबत/एक से एक मिले तो इंसां, बस में कर ले किस्मत साथी हाथ बढ़ाना।

उदाहरण चार – “हूँ”, राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी।/वह वुफ़ढ़ गया।/तुमसे किसने कहा?/“भैया ने।”/बंद था, क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए।

यदि आप चारों उदाहरणों की पाठ्य-वस्तु को ध्यान से देखें तो आपको यह पता चलता है कि चारों उदाहरण भिन्न-भिन्न विषयों के हैं। यह किस आधार पर कहा जा सकता है? आप कह सकते हैं कि उनकी शब्दावली, भाषा की संरचना या वाक्यों का गठन आदि। तो अगला सवाल उठता है कि आप इनमें अंतर कैसे करेंगे या यह कैसे तय करेंगे कि कोई शब्दावली विशेष या भाषायी संरचना विशेष किसी विषय विशेष की है। इसके प्रत्युत्तर में अनेक उदाहरण गिनाए जा सकते हैं जो यह बता सकते हैं कि कौन-सी पाठ्य-वस्तु या टेक्स्ट किस विषय का है। उदाहरण एक विज्ञान विषय से संबंधित है तो उदाहरण दो भूगोल-शास्त्र से संबंधित है। उदाहरण तीन कविता से संबंधित है और उदाहरण चार कहानी से। उदाहरण तीन और चार साहित्य से जुड़े हुए हैं। आप न केवल शब्दों के आधार पर विषयों में अंतर करते हैं बल्कि साहित्य में पुनः गद्य और पद्य में भी अंतर करते हैं और इसका आधार भाषायी संरचना है। उदाहरण एक (द्युतिवान, द्युतिहीन, अभिक्रियाओं, पृष्ठों, रेगमाल, द्युति, धतु, निष्प्रभ, छड़ों) में ऐसे शब्द आए हैं जो प्रायः आम बोलचाल की भाषा में नज़र नहीं आते। हां, ‘रेगमाल’ जैसा शब्द अकसर सुन सकते हैं जब घरों में पुताई होती है। सामान्य बोलचाल की शब्दावली में हम ‘द्युति’ के अर्थ के लिए ‘चमक’ शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे— कपड़े चमक रहे थे।/उसका चेहरा चमक रहा था।/हमारे बच्चे कितने चमक रहे हैं आदि। इनमें ‘चमक’ शब्द का प्रयोग उजलापन, आभा, या प्रतिभा के अर्थ में किया गया है। इसी प्रकार ‘पृष्ठ’ शब्द ‘कागज़’ के अर्थ में प्रयुक्त न होकर ‘सतह’ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब उदाहरण दो देखते हैं। यह भूगोल-शास्त्र से संबंधित है। ‘सौरमंडल, कक्षा, गह, खगोलीय संगठन, प्लूटो ‘बौने ग्रह’ आदि शब्द भूगोल में ही पढ़े-पढ़ाए जाते हैं और एक खास अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे— ‘कक्षा’ का सामान्य अर्थ ‘क्लास’ है जो विद्यालय से जुड़ा हुआ है। लेकिन भूगोल में ‘कक्षा’ एक दीर्घ वृत्त के आकर का रास्ता है जिस पर सौरमंडल के सभी आठ ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसी तरह ‘खगोल’ जैसा शब्द भी सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होता। उदाहरण तीन कविता का अंश है। जिसमें भाषा तो सामान्य है लेकिन उसका गठन एक खास अंदाज़ में किया गया है। पंक्ति के अंतिम शब्द तुकांत हैं और हिंदी भाषा की सामान्य वाक्य संरचना का विचलन या बदलाव (‘पर्वत बन सकती है’ को ‘बन सकती है परबत’) है। यह विचलन न केवल वाक्य में दिखाई देता है बल्कि यह विचलन शब्द की ध्वनियों में भी नज़र आता है, जैसे— ‘पर्वत’ को ‘परबत’ कहना। ‘व’ की जगह ‘ब’ ध्वनि का प्रयोग करना। उदाहरण चार की और भी विशेषताएं हैं। एक, यह कहानी का अंश है जिसमें संवाद हैं। संवादों को ज्यों का त्यों देने के लिए

विभिन्न विराम-चिह्नों (, / ?/ " ") का प्रयोग किया गया है। पूर्ण विराम और अल्प विराम तो सामान्यतः साहित्येत्तर विषयों में आ ही जाते हैं लेकिन उदाहरण चिह्न का प्रयोग नहीं मिलता। इसका प्रयोग संवादों में किया जाता है। हां, यह संभव है कि एकल उदाहरण चिह्न अन्य विषयों में भी इस्तेमाल हो जहां किसी खास शब्द, वस्तु या उसके नाम की ओर संकेत करना हो। लेकिन दोहरे उदाहरण चिह्न का प्रयोग संवाद में किया जाता है। दूसरी खास बात इसके वाक्यों का गठन है। 'हूँ' या 'भैया ने' कहना अपने आप में पूरा वाक्य है जिसमें स्वीकृति है और सूचना देने की कोशिश की गई है। 'कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही। फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा।' जैसे व्याकरण सम्मत वाक्य कहानी को कविता से अलग करते हैं। कविता में तो फिर उसी का व्याकरण चलता है यानी कविता व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करती है। तीसरी खास बात उसकी क्रिया-प्रयोगों में है। कहानी आदि में क्रिया और काल में विविधता हो सकती है लेकिन यह विविधता प्रायः विज्ञान या अन्य विषयों में नजर नहीं आती। आप एक बार फिर से उदाहरण एक और दो को देखिए -

उदाहरण एक -देख सकते हैं /इस प्रकार की द्युति होती है, वे प्रायः धतु होते हैं। / ... धतुओं के उदाहरण हैं। / ...चमक खो देती हैं / ...दिखाई देने लगती हैं। / ...कारण होता है। / ...द्युति दिखाई देती है।

उदाहरण दो - ...चक्कर लगाते हैं। / ...फले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। / ...सबसे नजदीक है। / ...दिन लगते हैं। / ...माना जाता है / ...समान है। / ...कहे जा सकते हैं।

उदाहरण चार - ...शहर गया है। / ...अलबम देखा? उसने पूछा। / ...हेकड़ी हो रही थी। / ...सुंदर अलबम है ना? सुना है / ...अलबम नहीं है। / ... किसने कहा? / ...वुफ़द गया। / ...क्या मतलब हुआ? / ...अलबम बड़ा हो गया? / ...वहीं रही। / फिर नीचे चली गई। / ...लगा। / ...टकरा गया। / ... खींचकर देखा। बंद था, क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि माध्यम के रूप में भाषा न केवल विचारों के निर्माण में मदद करती है बल्कि वह विचारों को समझने में भी मदद करती है। शब्द-भंडार में विस्तार करने के साथ-साथ वह संदर्भ में शब्दों को समझने में भी मदद करती है। इसका सीध-सा अर्थ है कि विषय की प्रस्तुति भी किसी भाषा विशेष में ही होती है और विषय की प्रकृति के अनुसार उसकी भाषा की प्रकृति का भी निर्धारण होता है। इस तरह से चिंतन-मनन किया जाए तो अन्य विषयों की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं, क्योंकि इन कक्षाओं में हम विषयों की अवधरणाओं को तो समझ ही रहे हैं लेकिन साथ-साथ भाषायी वैविध्य को भी आत्मसात कर रहे हैं। हम संदर्भ और सामग्री के निरंतर संपर्क में आने से विद्यालय वाली 'कक्षा' ग्रहों वाली 'कक्षा' को सहजता के साथ आत्मसात कर लेते हैं, इसका सचेत ज्ञान नहीं हो पाता। इसी तरह से 'चमक' और 'सतह' के लिए क्रमशः 'द्युति' और 'पृष्ठ' शब्द को भी अपने शब्द-भंडार में स्थान देते चलते हैं। 'द्युतिवान' और 'द्युतिहीन' होना जैसी अवधरणाएं भी सहजता के साथ ग्रहण करते चलते हैं। विषय के अनुसार उचित शब्दावली का चयन भी भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह साफ-साफ कहा गया है कि 'भाषा शिक्षण केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षा होती हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधरणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, उनके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और उनके बारे में लिख सकना।' राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005: 43)

विद्यालय में भाषाओं की आदर्श तालिका : कर्नाटक

कक्षा	माध्यम	अनिवार्य विषय	ऐच्छिक विषय	शास्त्रोय	विदेशी
I	मातृभाषा	क्षेत्रीय भाषा	X	X	X
II	""	""	X	X	X
III	""	""	X	X	X
IV	""	""	X	X	X

V	क्षेत्रीय भाषा	अंग्रेज़ी	संस्कृत	X	X
VI	""	""	संस्कृत	X	X
VII	""	""	संस्कृत	X	X
VIII	अंग्रेज़ी	क्षेत्रीय भाषा	संस्कृत / हिंदी / अन्य क्षेत्रीय भाषा	X	X
IX	""	""	""	X	X
X	""	""	""	X	X
XI	""	क्षेत्रीय भाषा / हिंदी	""	X	X
XII	""	""	""	X	X

5.5 सारांश

भारतीय परंपरा में भाषा बोलना है (लेखन नहीं) संज्ञान है (महज बातचीत का माध्यम नहीं) और एक रचनावादी तंत्र है मात्रा प्रस्तुतीकरण नहीं है। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? इस प्रश्न के जवाब में दो तरह की विचारधाराएं सामने आती हैं— एक समाज की भूमिका की उपेक्षा करती है तो दूसरी समाज की भूमिका को सर्वोच्च मानती है। ये दोनों विचारधाराएं ज्ञान को अलग तरीके से देखती हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है: पहली आत्मकेंद्रित और दूसरी सामाजिक। हमारी शालाओं में भाषा की उपस्थिति मुख्य रूप से दो रूपों में देखी जा सकती है— एक, विषय के रूप में और दूसरा, माध्यम के रूप में। कक्षा एक से बारह तक भाषा शिक्षण का कार्य किया जाता है और साथ ही भाषा विभिन्न विषयों के अध्ययन का माध्यम बनती है। प्रायः विद्यालयों में एक साथ एक से अधिक भाषाएं माध्यम रूप में उपलब्ध होती हैं। माध्यम के रूप में भाषा का एक और पहलू है और वह है कि विषय के साथ या उसके अनुसार भाषा का स्वरूप भी बदलता है।

भाषा सीखने-सिखाने के लक्ष्यों/उद्देश्यों को जिस तरह से सुनिश्चित किया गया है, उनमें प्रमुख हैं— विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न विषयों के संदर्भ में जो कुछ कहा जा रहा है उसे समझना, उस चर्चा या बातचीत में सक्रिय होकर अपनी भागीदारिता निभाना। कही जा रही बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना, राय बताना और विश्लेषण करते हुए निर्णय लेना। विभिन्न प्रकार की पाठ्य-सामग्री को पढ़ने के प्रति उत्सुकता प्रकट करना, स्वयं अपनी पसंद से पुस्तक कोना/पुस्तकालय या अन्य स्थान से किताबों का चयन करना आदि पढ़ने की कुशलता की ओर अग्रसर होने के संकेत हैं। तरह-तरह की सामग्री को पढ़कर उसमें छपी या लिखी हुई सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। पढ़ने की कुशलता में यह क्षमता भी शामिल है कि आप लिखी हुई चीजों से कितना सहमत या असहमत हैं, अपनी सहमति या असहमति के लिए तर्क देते हैं, निर्णय लेते हैं आदि। विषय विशेष अथवा स्थिति विशेष में नज़र आने वाली यह भाषागत विविधता 'प्रयुक्ति' कहलाती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में यह भी ज़रूरी है कि हम इन प्रयुक्तियों से भी परिचित हों और इनका सार्थक प्रयोग कर सकें। विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न विषयों पर भाषा का सृजनात्मक प्रयोग कर सकें। साथ ही भाषा की बारीकियों को समझ सकें और अपने भाषा-प्रयोग में उनका इस्तेमाल कर सकें।

शिक्षा का अधिकार और विभिन्न शिक्षा नीतियों, दस्तावेजों ने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की अनुशंसा की है। उच्च स्तर पर विद्यार्थी की मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा, हिंदी या अंग्रेज़ी माध्यम बन सकती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा को माध्यम के रूप में प्रयुक्त करने का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है और वह यह है कि शुरू में बच्चे की अवधारणाएं उसकी मातृभाषा में ही बनती हैं। जीन पियाजे मानसिक विकास में जन्मजात कारकों की भूमिका को अस्वीकार करते हुए मानते हैं कि जिस प्रकार बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है और उसका विकास क्रमशः होता है उसी प्रकार उसकी भाषा का भी विकास होता जाता है, उसकी मानसिक संरचनाओं में गुणात्मक बदलाव आता है।

5.6 अभ्यास के प्रश्न

1. बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं?
2. विद्यालय में भाषा की उपस्थिति किस-किस रूप में होती है?
3. वाइगोत्स्की भाषा सीखने में समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्या आप उनके इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए।
4. हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के संदर्भ में किसी एक कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य-पुस्तक की समीक्षा कीजिए।
5. क्या आपके विचार से अन्य विषयों की कक्षाएं भी एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं? अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए।

5.7 चर्चा के बिन्दु

1. हिंदी माध्यम से अन्य विषयों का अध्ययन करने से किस प्रकार से हिंदी भाषायी क्षमताओं का विकास होता है। चर्चा कीजिए।
2. आप विद्यालयी स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को किस रूप में देखते हैं? चर्चा कीजिए।
3. विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली हिंदी भाषा की पाठ्य-पुस्तक में किस प्रकार के संशोधन आवश्यक हैं जिससे बच्चों की भाषायी कुशलताओं का विकास किया जा सके। चर्चा कीजिए।

5.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. कैनेथ जे. जर्जन ने भाषा के बारे में जिन तीन बिंदुओं को व्याख्यायित किया है, वे इस प्रकार हैं –
 - i. सामाजिक अंतःनिर्भरता के द्वारा भाषा में अर्थ की प्राप्ति होती है।
 - ii. भाषा में अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है।
 - iii. भाषा प्रमुखतः सामुदायिक प्रकार्यों को संपादित करती है।
2. ज्ञान के एकसोजेनिक और एंडोजेनिक दृष्टिकोण में मूल अंतर यह है कि ज्ञान का एकसोजेनिक दृष्टिकोण संसार को केन्द्र में रखता है और इसके विपरीत दूसरा दृष्टिकोण एंडोजेनिक मस्तिष्क को केन्द्र में रखता है।
3. भाषा के बारे में भर्तृहरि का मानना है कि भाषा यथार्थ को गढ़ती है यानी पहले से ही मौजूद किसी यथार्थ को महज उद्घाटित भर नहीं करती और ज्ञान इसी से प्राप्त होता है सिपंत निर्माण और उच्चारण अभिव्यक्ति के रूप में यह नॉन-पार्टिटिव (संपूर्णतावादी) और नॉन-सिक्वेसिअल (अक्रमिक) है।
4. भाषा के संबंध में वाइगोत्स्की का यह मानना है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है : पहली आत्मकेंद्रित और दूसरी सामाजिक। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से वह खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वह शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है।
5. अहम् केंद्रित भाषा अथवा आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बच्चा खुद से बातचीत करता है और अपने काम का संचालन, नियंत्रण करता है। उदाहरण के लिए एक छोटा बच्चा जब अपनी किसी खिलौने के पुर्जों को वापस लगाने का कार्य प्रारंभ करता है तो इस प्रक्रिया में वह चरण-दर-चरण स्वयं से संवाद भी करता चलता है, जैसे- ये तो बना ही नहीं/लो इसको यहां रख दिया/अब भी नहीं बना/अब मैं इसे उठाकर यहां लगाता हूं। आदि।

6. भारतीय विद्यालयों में भाषा दो रूपों में उपस्थित रहती है— एक विषय के रूप में और दो, माध्यम के रूप में।
7. भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं —

- विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न विषयों के संदर्भ में जो कुछ कहा जा रहा है उसे समझना, उस चर्चा या बातचीत में सक्रिय होकर अपनी भागीदारिता निभाना। कही जा रही बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना, राय बताना और विश्लेषण करते हुए निर्णय लेना।
- वक्ता द्वारा कहे गए शाब्दिक और गैर शाब्दिक संकेतों को समझना।
- जो कहा जा रहा है उसे समझते हुए उसे भी समझने की कोशिश करना जो शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया गया।
- विभिन्न परिचित और अपरिचित स्थितियों में अपनी बात को प्रभावी तरीके से अभिव्यक्त करना।
- विभिन्न प्रकार की पाठ्य-सामग्री को पढ़ने के प्रति उत्सुकता प्रकट करना।
- तरह-तरह की सामग्री को पढ़कर उसमें छपी या लिखी हुई सामग्री का अर्थ ग्रहण करना।
- पढ़ते हुए अनुमान लगाना, किसी विशेष बिंदु की खोज करना, विश्लेषण या मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना।
- पढ़ी गई सामग्री के बारे में अपनी राय बना पाना और साथ ही अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए तर्क देना।
- विभिन्न विषयों की प्रयुक्तियों से परिचित होना और उनका प्रयोग करना।
- विभिन्न उद्देश्यों और विभिन्न विषयों पर भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करना।
- संदर्भ में व्याकरण की समझ और प्रयोग की कुशलता होना।
- भाषा की बारीकियों को समझने और अपने भाषा प्रयोग में उनका इस्तेमाल करने की क्षमता होना।
- भाषा की नियम प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना।
- विभिन्न दृश्य-श्रव्य माध्यमों, बाल साहित्य, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन व कम्प्यूटर जनित कार्यक्रम, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, भाषण आदि को पढ़कर, देखकर और सुनकर समझने तथा उस पर स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता होना।

इन सभी उद्देश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति जीवन की विभिन्न स्थितियों का साधने और भाषा का प्रभावी प्रयोग करने के लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम संवाद की स्थिति में दूसरों की बातों को समझ सकें और अपनी बातों को समझा सकें। देखी, पढ़ी सामग्री के बारे में विश्लेषण करते हुए निर्णय ले सकें, तर्क दे सकें।

8. शाब्दिक संकेतों में भाषा का प्रयोग होता है, जैसे— शब्द, वाक्य आदि। गैर शाब्दिक संकेतों में हाव-भाव, अनुतान आदि का प्रयोग करते हुए संवाद अथवा संप्रेषण किया जाता है।
9. पढ़ने और लिखने की कुशलता में यह अपेक्षित है कि हम समझ के साथ लिख सकें और पढ़कर समझ सकें। उद्देश्य और संदर्भ के अनुसार शब्दों, वाक्यों का चयन कर सकें। पढ़कर सामग्री का विश्लेषण करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे सकें और निष्कर्ष निकाल सकें।
10. भाषा का सृजनात्मक प्रयोग करने से तात्पर्य है— संदर्भ और उद्देश्य के अनुसार भाषा को अपने तरीके से गढ़ना। इसमें आप न केवल भाषा बल्कि भाषा का रूप या संचरना भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी बात संवाद के माध्यम से कहते हैं या किसी कहानी अथवा कविता के माध्यम से। साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचना भी भाषा की सृजनात्मकता का उदाहरण है।

5.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. कुमार, कृष्ण, बच्चे की भाषा और अध्यापक— एक निर्देशिका, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली.
2. सिंह, संध्या और कपूर, कीर्ति (2010), समझ का माध्यम. एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली।
3. अग्निहोत्री, रमाकान्त (2013) हिन्दी : एक मौखिक व्याकरण, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
4. भारतीय भाषाओं का शिक्षण शास्त्र: आधार पत्र, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली।
5. ब्रिटन, जेम्स (2006), भाषा और अधिगम, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
6. व्यागोत्स्की, एल.एस. (2007), विचार और भाषा, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
7. शर्मा, उषा (2012), एक शिक्षक के अनुभव, पावन चिंतन धरा चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
8. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली.
9. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार द्वारा विकसित डी.एड. सामग्री, 2013
10. बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2008), राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना, बिहार
11. प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं का पाठ्यक्रम (2008), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
12. कोठारी आयोग रिपोर्ट (1964–66), भारत सरकार।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन (1986), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
14. अग्निहोत्री, रमाकान्त (1996), कौन भाषा कौन बोली?, शैक्षिक—संदर्भ, एकलव्य, भोपाल।
15. विज्ञान (कक्षा 6 की पाठ्य—पुस्तक), एनसीईआरटी, नई दिल्ली।
16. पृथ्वी हमारा आवास (भूगोल की कक्षा 6 की पाठ्य—पुस्तक), एनसीईआरटी, नई दिल्ली।
17. वसंत (हिंदी भाषा की कक्षा 6 की पाठ्य—पुस्तक), एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

इकाई— 06 : त्रि-भाषा सूत्र

इकाई की संरचना

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 इकाई के उद्देश्य
- 6.3 भारत में बहुभाषिकता
- 6.4 त्रि-भाषा सूत्र
 - 6.4.1 भाषाओं का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य
 - 6.4.2 त्रि-भाषा सूत्र : नीतिगत निर्णय
 - 6.4.3 त्रि-भाषा सूत्र का क्रियान्वयन : चुनौतियाँ
- 6.5 सारांश
- 6.6 अभ्यास के प्रश्न
- 6.7 चर्चा के बिन्दु
- 6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 6.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

6.1 प्रस्तावना

भाषा का संबंध हमारी अस्मिता से है। भाषा का सवाल न केवल सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि इस बिंदु से भी जुड़ा है कि यह हमारे दैनिक जीवन की परिस्थितियों को साधने में किस प्रकार हमारी मदद करती है। भाषा के संदर्भ में यह कहना उचित होगा कि यह एक ओर हमारे विचारों के निर्माण में मदद करती है, तो दूसरी ओर हमारे विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम भी है। हम जानते हैं कि भाषा अर्जित करने और भाषा सीखने में अंतर होता है। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है जबकि भाषा सीखने की प्रक्रिया सायास होती है। आप और हम अपने दैनिक जीवन में जिस/जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं, वह/वे हमने कैसे सीखी-सीखीं यदि इस बात पर गौर किया जाए तो आप कुछ समय के लिए रुकेंगे और सोचेंगे कि यह आपने कैसे किया या फिर कैसे हुआ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैसे उठते-बैठते, चलते-फिरते अपनी भाषा को सहजता के साथ अर्जित कर लिया।

भारत एक बहुभाषिक देश है। यहां हजारों में भाषाएं बोली-समझी जाती हैं। इतने बड़े देश की इतनी अधिक भाषाओं के सीखने-सिखाने, पढ़ने-पढ़ाने के बारे में अनेक प्रकार की चिंताएँ होना स्वाभाविक ही है। लेकिन अगर भाषा सीखने की प्रक्रिया के बारे में ध्यान दिया जाए तो ज्ञात होगा कि भाषाओं को सीखना तब अधिक सरल हो जाता है जब वे हमारे परिवेश में विद्यमान होती हैं। इसका सीध-सा तात्पर्य यह है कि भाषा सीखने के लिए एक सम भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है।

संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा की यह चौथी इकाई है। इस इकाई में हम त्रि-भाषा सूत्र और उससे जुड़े अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानेंगे। भारत में भाषाओं की संवैधानिक स्थिति और अन्य परिप्रेक्ष्यों को भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की बहुभाषिकता एक चुनौती है, समस्या है अथवा संसाधन। यह इकाई भाषा और भाषा-शिक्षण से जुड़े अनेक पहलुओं को भी समेटते हुए हमें-आपको दृष्टि प्रदान करेगी ताकि हम त्रि-भाषा सूत्र की अवधारणा को समझ सकें और स्वयं अपने लिए भाषा-शिक्षण की दिशा सुनिश्चित कर सकें।

6.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. भारत में बहुभाषिकता की स्थिति को समझ सकेंगे।
2. भाषा के संवैधानिक परिप्रेक्ष्य को जान सकेंगे।
3. त्रि-भाषा सूत्र की अवधारणा से अवगत हो सकेंगे।
4. त्रि-भाषा सूत्र के क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों से परिचित हो सकेंगे।
5. भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यावहारिक समाधान बता सकेंगे।

6.3 भारत में बहुभाषिकता

भारत एक बहुभाषिक देश है। हमारे देश में लगभग 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। हम यह भी जानते हैं कि भाषा का मौखिक रूप प्राथमिक होता है और लिखित रूप गौण। लेकिन गौण होने का अर्थ महत्वहीन होना बिल्कुल नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि भाषा अपने मौखिक रूप में पहले व्यवहार में आई और उसके बाद उसके लिखित रूप का विकास हुआ। भाषा का लिखित रूप भी विकास के कई चरणों से गुजरता हुआ आज इस रूप में हमारे मध्य उपस्थित है। इसमें भी अनेक बदलाव आते चले गए। हां, यह अवश्य है कि भाषा के मौखिक रूप में जितनी तेज़ी से बदलाव आता है उतना लिखित भाषा में नहीं। लेकिन बदलाव आता है, यह तय है। भारत के उत्तरी हिस्से में कश्मीरी, डोगरी, कांगड़ी, हिमाचली, खड़ी बोली, पंजाबी, हरियाणवी, मेवाती आदि भाषाएं बोली जाती हैं तो दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के पूर्वी हिस्से में उड़िया, मैथिली, वज्जिका, भोजपुरी, बांग्ला, खासी, संथाली, नेपाली, बोडो आदि भाषाएं बोली जाती हैं जो भारत के पश्चिमी हिस्से में गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इतना ही नहीं 'भाषा बहता नीर' की कसौटी पर परखें तो इन भाषाओं में भी विविधता देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए आप हिंदी को ही ले लीजिए। इलाहाबाद और उसके आस-पास वाले क्षेत्रों में जिस तरह की हिंदी बोली जाती है उस तरह की हिंदी मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में बोली जाने वाली हिंदी से अलग है। आप मुंबई और हैदराबाद में बोली जाने वाली मुंबईया और हैदराबादी हिंदी के स्वरूप को ही देख लीजिए। आपको एक खास अंतर नज़र आएगा। आप सिनेमाई और एफ.एम. की ही हिंदी को ले लीजिए— इनमें भी अंतर है। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंदी का स्वरूप भौगोलिकता के अनुसार बदलता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में भी हिंदी बोलने वाले हैं लेकिन जब वे हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उनके बोलने के तरीके से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति हिंदी भाषी नहीं है। इसी तरह अगर उत्तरी भारत में रहने वाला व्यक्ति मणिपुरी या तमिल भाषा बोले तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह उसकी अपनी मातृभाषा नहीं है। भाषा में नज़र आने वाला यह बदलाव हमें सीमा प्रांतों पर और भी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा जब दूसरी भाषा के संपर्क में आती है तो एक तीसरी भाषा का जन्म होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाषाएं एक-दूसरे के सानिध्य में ही फलती-फूलती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो केवल एक ही भाषा होती, इतनी अधिक भाषाएं नहीं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि भाषाओं में स्वयं के भीतर भी विविधता होती है। दरअसल वास्तविकता यह है कि हिंदी का भी कोई एक रूप नहीं है। वह स्वयं में बहुरूपी है। प्रत्येक भाषा बहुरूपी होती है। हिंदी भाषा राजभाषा, संपर्क भाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, शिक्षायी हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ज्ञान की भाषा, वाणिज्य, व्यवसाय की भाषा के रूप में विद्यमान है और उनमें विविधता देखी जा सकती है। हिंदी भाषा का अन्य भारतीय भाषाओं के संपर्क में विभिन्न रूपों में विकसित होना एक अर्थ में जनतान्त्रिक विकास की विशिष्ट कसौटी कही जा सकती है। प्रसिद्ध भाषाविद् सुब्बाराव की राय भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वे अपने एक लेख में कहते हैं—“भले ही भाषाएं एक-दूसरे से बाह्य रूप से भिन्न हों, भारत की भाषाओं में अंतर्निहित रूप से काफी समानताएं हैं। पश्चिमी देश मुख्यतः एकभाषी देश हैं। कई पश्चिमी भाषा वैज्ञानिकों की राय यह है कि इतनी सारी भाषाओं का एक ही क्षेत्र में प्रयोग किए जाने से लोगों को एक-दूसरे को समझने में कठिनाई होती

है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती। भारत में हर पढ़ा-लिखा व्यक्ति कम से कम अपनी मातृभाषा के अलावा एक या दो भाषाएं तो जानता ही है। वह इन भाषाओं के जरिये अपने रोजमर्रा के कामकाज आराम से करता है। भाषा उसके काम में बाधा नहीं बनती। चाहे मज़दूर हो या व्यापारी हो या बाबू हो या अफसर, भाषा की वजह से किसी का काम नहीं रुकता।”

इस संदर्भ में यह सवाल भी अकसर उठता है कि भाषा और बोली में अंतर होता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यह सही नहीं है। आइए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हिंदी और ब्रज भाषा के वाक्यों को पढ़िए

वाक्य 1 – हरिया स्कूल गया है। (हिंदी भाषा)

वाक्य 2 – हरिया स्कूल गयौ ऐ। (ब्रज भाषा)

वाक्य 3 – पेड़ छाया देता है। (हिंदी भाषा)

वाक्य 4 – पेर सीरक दैतो ऐ। (ब्रज भाषा)

वाक्य 1, 2, 3 और 4 को देखें तो ज्ञात होगा कि चारों वाक्यों में ही पहले कर्ता है, उसके बाद कर्म है और अंत में क्रिया है। इसका अर्थ यह है कि दोनों ही वाक्यों में शब्दों की एक क्रमिक व्यवस्था है और यह व्यवस्था अपने आप में अर्थपूर्ण है। वाक्य 3 और 4 में भी वही क्रमिक व्यवस्था है, अंतर केवल कुछ शब्दों के प्रयोग का है और वह होता है। हिंदी भाषा में जहां ‘छाया’ शब्द का प्रयोग किया गया है वहीं ब्रज भाषा में ‘सीरक’ शब्द का प्रयोग किया गया है। ‘पेड़’, ‘देता’ ‘है’ शब्द को भी भिन्न रूप से प्रयुक्त किया गया है। यही भाषा की विविधता को दर्शाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि भिन्न भाषाओं में विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं आदि के लिए भिन्न ध्वनि-व्यवस्था हो सकती है। ‘छाया’ को ‘सीरक’ कहने में भी यही भाव छिपा है। ऐसे अनेक चीज़ें हैं जिनके लिए अलग-अलग भाषाओं में अलग-अलग शब्द हैं और इतना ही नहीं, एक ही चीज़ के लिए एक ही भाषा में एक से अधिक शब्द हैं। उदाहरण के लिए ‘देखना’ के लिए अलग-अलग स्थितियों और संदर्भों में ‘निहारना, घूरना, टकटकी लगाना’ आदि शब्द प्रचलित हैं।

वाक्य 5 – Where are they going?

वाक्य 6 – They are going home.

वाक्य 7 – वे कहां जा रहे हैं?

वाक्य 8 – वे घर जा रहे हैं।

वाक्य 5 अंग्रेज़ी भाषा का वाक्य है जिसमें से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं। उदाहरण के लिए What is your name? /Who is your friend? /Why are you crying? आदि। लेकिन यह नियम हिंदी भाषा में अलग है। हिंदी भाषा में प्रश्नवाचक शब्द वहीं आता है जहां उसका जवाब आता है। उदाहरण के लिए –

- तुम्हारा नाम क्या है? (मेरा नाम पंकज है।)
- तुम्हारा दोस्त कौन है? (मेरा दोस्त रहीम है।)
- वे कहां जा रहे हैं? (वे घर जा रहे हैं।)

उदाहरणों के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य में जिस जगह पर ‘क्या, कौन, कहां आया है’ वहीं क्रमशः उसका जवाब – ‘पंकज, रहीम, घर’ आया है।

जब हम शब्दों की अर्थपूर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें ध्वनियों की अर्थपूर्ण व्यवस्था भी शामिल है, क्योंकि भाषा के प्रत्येक स्तर पर व्यवस्था का अर्थपूर्ण होना ज़रूरी है। ‘पेड़’ को ‘पेर’ कहना और ‘गया’ को ‘गयौ’ कहना भले ही एक स्तर पर समान न लगें लेकिन स्वयं ब्रज भाषा में वह अर्थपूर्ण है और स्वयं में ‘सही’ भी। ऐसी अनेक भाषाएं हैं जहां एक ही शब्द के अनेक उच्चारण मिलते हैं और वे अपने-अपने समुदाय में स्वीकृत होते हैं। उन्हीं के सहारे समुदाय के व्यक्ति एक-दूसरे के साथ संवाद कायम करते हैं और यह संवाद

कामयाब भी होता है। इस आधार पर और इस संदर्भ यह कहा जा सकता है कि भाषा और बोली में अंतर नहीं होता। किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति जिस भी भाषा/बोली का प्रयोग करते हैं वह 'भाषा' ही है, क्योंकि दोनों में ही अर्थपूर्ण व्यवस्था होती है जिसके अपने कुछ 'नियम' होते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और ये नियम मान्य होते हैं। 'भाषा की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले भाषाविदों के लिए किसी भाषा का व्याकरण कई उपतंत्रों से बना एक उच्च अमूर्त तंत्र है जिसके कई उपतंत्र भी होते हैं। स्वरों के पैटर्न और स्वर मान के स्तर पर देखें तो विश्व की सभी भाषाएं लय और संगीत से नजदीक से जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार सभी भाषाओं में व्यंजनिक और स्वरीय ध्वनियां एक क्रम में सुनियोजित होती हैं। अधिकांश भाषाओं की ध्वनियां 25-80 तक की संख्या में होती हैं। उनके शब्दों में व्यंजन (कॉन्सोनेंट) और स्वर ध्वनि (वोकैलिक) एक के बाद एक जैसे सी.वी.सी.वी पैटर्न पाया गया है न कि व्यंजनों और स्वरों के समूहों को एक के बाद एक। उदाहरण के लिए कोई भी भारतीय भाषा या अंग्रेजी भी तीन से श्यादा व्यंजनों को शब्द के शुरु में नहीं आने देती। तीन के मामले में भी चयन पर प्रतिबंध-सा पाया गया है। पहला व्यंजन केवल "s" हो सकता है, दूसरा "p", "t" या "k" और तीसरा "y", "r", "l" या "w" उदाहरण के लिए हिंदी में 'स्त्री' या अंग्रेजी में "spring", "street", "squash", "screw" आदि। (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, आधार-पत्र, 2009:1)

इस चर्चा के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के स्वरूप में भिन्नता होती है और यह भिन्नता न केवल ध्वनि स्तर पर होती है बल्कि यह भिन्नता शब्द और वाक्य स्तर पर भी होती है। हम अपने परिवेश में जो भी भाषा सुनते हैं, सहजता और स्वाभाविक रूप से उस भाषा को अर्जित करते चलते हैं। यदि परिवेश में एक से अधिक भाषाएं बोली-समझी जाती हैं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से उन भाषाओं को बोलने-समझने लगते हैं। इसका अर्थ यह है भारत का प्रत्येक बच्चा बहुभाषिक है और यह बहुभाषिकता उसकी पहचान है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह स्पष्टतः कहा गया है कि भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती ही है, लेकिन वह कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहां अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा-परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के और किसी भी देश में पांच-भाषा परिवारों की भाषाएं नहीं पाई जातीं। संरचना के स्तर पर वे इतनी भिन्न हैं कि उन्हें विभिन्न भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिनके नाम हैं इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बतो-बर्मन और अंडमानी। ये भाषाएं आपस में सतत संपर्क-संवाद भी करती रहती हैं। अनेक भाषिक और सामाजिक-भाषिक विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पायी जाती हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारत में विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे को समृद्ध करती रही हैं। शास्त्रीय भाषाएं (जैसे- लैटिन, अरबी, फारसी, तमिल और संस्कृत विभक्ति प्रधान व्याकरण के मामले में और सौंदर्यबोध की दृष्टि से काफी समृद्ध रही हैं और हमारे *जीवन को प्रदीप्त करती रही हैं, क्योंकि अनेक भाषाएं उनसे शब्द लेती रहती हैं*) (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005: 41-42) सह-अस्तित्व और भाषाओं में आपसी संपर्क के कारण शब्दों के लेन-देन की प्रक्रिया से न केवल शब्द-भंडार में बढ़ोत्तरी हुई है बल्कि ज्ञान और संस्कृति के संदर्भ में भी लाभ हुआ है। भाषाएं एक-दूसरे के सान्निध्य के कारण एक-दूसरे को प्रभावित भी करती हैं। भारतीय आर्य भाषाओं ने द्रविड़ भाषाओं से मूर्धन्य ध्वनियों -'ट, ठ, ड, ङ, ण' का आदान किया वहीं द्रविड़ भाषाओं ने भारतीय आर्य भाषाओं के प्रभाव के कारण महाप्राण ध्वनियों (ख, घ, छ, झ, प, फ, भ, आदि) का विकास किया। ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषाओं के प्रभाव के कारण भारतीय आर्य भाषाओं में भी पुनरुक्त कथन का प्रारंभ हुआ (मिश्रा, स्वस्ति, 2009)। एक राज्य में एक से अधिक भाषाओं का व्यवहार भारत की बहुभाषिक स्थिति को दर्शाता है। जहां एक ओर कर्नाटक में कन्नड़, कोंकणी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं बोली-समझी जाती हैं वहीं दूसरी ओर मराठी महाराष्ट्र के साथ-साथ कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा में भी बोली जाती है। हिंदी सिनेमा और जन संचार के कारण हिंदी भाषा अनेक राज्यों में बोली-समझी जाती है। राज्यों की सीमा पर यह बहुभाषिकता सर्वाधिक नज़र आती है और अनेक बार लगता है कि किसी राज्य विशेष में एक से अधिक भाषाओं का वर्चस्व है। उदाहरण के लिए पांडिचेरी में फ्रेंच, तमिल और अंग्रेजी कार्यालयी भाषाएं हैं लेकिन तेलुगु और मलयालम अन्य स्वीकृत कार्यालयी भाषाओं के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित करती हैं। जब हम भाषा सीखते हैं तो उस भाषा की संस्कृति भी सीखते हैं इसलिए बहुभाषिकता केवल बहु-भाषा से संबंध नहीं रखती बल्कि वह बहु-संस्कृति से भी संबंध रखती है। 'बीजना, फूंकनी, कंडा, कलेवा' आदि शब्द उत्तर

प्रदेश के अनेक हिस्सों में अच्छे खासे प्रचलित हैं, क्योंकि ये शब्द वहां के रोजमर्रा की जिंदगी में रचे-बसे हैं। जब हम इन शब्दों से परिचय बढ़ाते हैं तो इन शब्दों के साथ जुड़ी संस्कृति को भी आत्मसात करते हैं। इस तरह बहुभाषिकता बहुसांस्कृतिकता को भी बढ़ावा देती है। जैसे-जैसे व्यक्तियों से संपर्क बढ़ता है वैसे-वैसे भाषाओं को भी संपर्क बढ़ता चलता है। किसी भी शिक्षक और विशेष रूप से एक भाषा शिक्षक के लिए बहुभाषिकता की अवधारणा को समझना इसलिए जरूरी है ताकि भारत के बहुभाषिक बच्चों के भाषा विकास को सही-सही समझ लिया जाए और भाषा सीखने के सार्थक अवसर प्रदान किए जा सकें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
1. भारत में कौन-कौन से भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं?
.....
.....
 2. बहुभाषिकता का संबंध किससे है- भाषा से, संस्कृति से अथवा दोनों से? तर्क सहित उत्तर दें।
.....
.....
 3. हिंदी और अंग्रेजी भाषा में वाक्य-स्तर पर क्या-क्या अंतर हैं? उदाहरण देकर समझाइए।
.....
.....
 4. द्रविड़ भाषा में कौन-से भाषा परिवार के कारण महाप्राण ध्वनियों का विकास हुआ?
.....
.....
 5. भारत की भाषिक विविधता कौन-सी चुनौतियां प्रस्तुत करती होंगी?
.....
.....

6.4 त्रि-भाषा सूत्र

जैसा कि स्पष्ट है कि भारत एक बहुभाषिक देश है और यहां एक से अधिक भाषाएं एक-दूसरे के साथ संवाद का साधन बनती हैं। भाषाएं एक-दूसरे के साथ संपर्क में फलती-फूलती हैं और अपना प्रसार करती हैं। सिनेमा और अन्य जन संचार माध्यमों ने भाषाओं के प्रसार को और भी सुगम बनाया है और वे घर-परिवार में इतना रच-बस गई हैं कि कई बार पता ही नहीं चलता कि कब हम अलग-अलग व्यक्तियों के साथ बात करते-करते एक भाषा से दूसरी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। अगर हम अपनी कक्षाओं का स्वरूप भी देखें तो वह भी बहुभाषिक ही है। इसके अनेक कारण हैं। सीमाओं पर तो भाषाएं संपर्क में आती ही हैं लेकिन अनेक बार काम-काज के लिए जब हम अपना स्थानीय स्थान छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो अपनी भाषा भी साथ ही लेकर जाते हैं। भारत में इतनी भाषाओं का अस्तित्व है तो सवाल उठता है कि बच्चों को विद्यालयी स्तर पर कितनी और कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं। आगे की चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है।

6.4.1 भाषाओं का संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संविधान में भाषाओं की स्थिति को अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक स्पष्ट किया गया है। जो इस प्रकार है –

अनुच्छेद– 343 संघ की राजभाषा – (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद– 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति– 1 राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

अनुच्छेद– 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं – अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से कियी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के प्रारूप में अंगीकार कर सकेगा।

अनुच्छेद– 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

अनुच्छेद– 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद– 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद– 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अनुच्छेद– 350 व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद– 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं – प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद– 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी– 1 भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

अनुच्छेद– 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश – संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते उसकी समृद्ध सुनिश्चित करे।' (भारत का संविधान)

इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में **22 भाषाओं** को स्थान दिया गया है जो इस प्रकार हैं— असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू।

भाषाओं की संवैधानिक स्थिति से परिचित होने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि —

- हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
- अंग्रेज़ी को सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
- हिंदी भाषा के प्रसार पर बल दिया गया है।
- हिंदी भाषा को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम माना गया है।
- भारत की 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि इन भाषाओं से शब्द, रूप, शैली आदि लेते हुए हिंदी का प्रसार हो।
- आठवीं अनुसूची का का शीर्षक 'भाषाएं' है जो उसकी उदारता और खुलेपन का प्रमाण है कि पिछले पचास वर्षों में इसमें शामिल भाषाओं की संख्या 14 से 22 हो गई है। इस तरह संभवतः देश में प्रयुक्त कोई भी भाषा वैधानिक रूप से आठवीं अनुसूची का हिस्सा हो सकती है।
- संविधान की धारा 343 (2) के अनुसार सभी कार्यालयी कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेज़ी को पंद्रह वर्षों तक प्रयोग करने की बात की गई है। लेकिन 1965 में इसे सहायक कार्यालयी भाषा का दर्जा मिला। संविधान में इस बात का भी प्रावधान है कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और संसद के अधिनियम की भाषा अंग्रेज़ी ही रहेगी। साथ ही संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा में राज्य को संबोधित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए भाषिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पठन-पाठन की बात की गई है।
- संविधान का अनुच्छेद 345 राज्यों को यह अधिकार देता है कि वे उस राज्य के सभी या किन्हीं राजकीय कामों के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होनेवाली किसी एक या अनेक को या हिंदी को प्रयोग के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली की राजभाषा हिंदी है।

इस तरह यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान नागरिकों को उनकी भाषा में व्यवहार करने और अन्य भाषाओं के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए प्रावधानों की व्यवस्था करता है। भाषा की परिवर्तनशील प्रकृति और उसके विकास के संबंध में भी भारत का संविधान की वैचारिकता और सरोकार दृष्टिगत होते हैं। आठवीं अनुसूची में शामिल होने वाली भाषाओं की निरंतर बढ़ती संख्याओं ने भी इस ओर प्रत्यक्ष संकेत किया है कि भाषाएं हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं और इनकी महत्ता से इंकार नहीं किया जा सकता।

भारत की बहुभाषिकता को भी ध्यान में रखा गया है। बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में उनकी मातृभाषा को समुचित स्थान दिया गया है।

इतना ही नहीं यदि भारत जनगणना (2001) के भाषाई आकड़ों को ध्यान से देखा जाए तो भारत की भाषागत स्थिति और भी स्पष्ट होती है जहां इतनी अधिक संख्या में अनेक भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, जनगणना 2001

कथन 6

बोलने वालों की संख्या (जनगणना—1971, 1981, 1991, और 2001 के अनुसार) के घटते क्रम में अनुसूचित भाषाओं का तुलनात्मक स्थान। कुल जनसंख्या की भाषायी आधार पर प्रतिशतता

1971			1981			1991			2001		
क्र. सं.	भाषा	प्रतिशत	क्र. सं.	भाषा	प्रतिशत	क्र.सं.	भाषा	प्रतिशत	क्र. सं.	भाषा	प्रतिशत
1			2			3			4		
1.	हिन्दी	36.99	1.	हिन्दी	38.74	1.	हिन्दी	39.29	1.	हिन्दी	41.03
2.	बंगाली	8.17	2.	बंगाली	7.71	2.	बंगाली	8.30	2.	बंगाली	8.11
3.	तेलुगु	8.16	3.	तेलुगु	7.61	3.	तेलुगु	7.87	3.	तेलुगु	7.19
4.	मराठी	7.61	4.	मराठी	7.43	4.	मराठी	7.45	4.	मराठी	6.99
5.	तमिल	6.88	5.	उर्दू	5.25	5.	तमिल	6.32	5.	तमिल	5.91
6.	उर्दू	5.22	6.	गुजराती	4.97	6.	उर्दू	5.18	6.	उर्दू	5.01
7.	गुजराती	4.72	7.	कन्नड़	3.86	7.	गुजराती	4.85	7.	गुजराती	4.48
8.	मलयालम	4.00	8.	मलयालम	3.86	8.	कन्नड़	3.91	8.	कन्नड़	3.69
9.	कन्नड़	3.96	9.	उड़ीया	3.46	9.	मलयालम	3.62	9.	मलयालम	3.21
10.	उड़ीया	3.62	10.	पंजाबी	2.95	10.	उड़ीया	3.35	10.	उड़ीया	3.21
11.	पंजाबी	2.57	11.	मैथिली	1.13	11.	पंजाबी	2.79	11.	पंजाबी	2.83
12.	असामी	1.63	12.	सन्थाली	0.65	12.	असामी	1.56	12.	असामी	1.28
13.	मैथिली	1.12	13.	कश्मीरी	0.48	13.	मैथिली	0.93	13.	मैथिली	1.18
14.	सन्थाली	0.69	14.	सिन्धी	0.69	14.	सन्थाली	0.62	14.	सन्थाली /	0.63
15.	कश्मीरी	0.46	15.	कोंकणी	0.24	15.	नेपाली	0.25	15.	कश्मीरी	0.54
16.	सिन्धी	0.31	16.	डोगी	0.23	16.	सिन्धी	0.25	16.	नेपाली	0.24
17.	कोंकणी	0.28	17.	नेपाली	0.20	17.	कोंकणी	0.21	17.	सिन्धी	0.25
18.	नेपाली	0.26	18.	मणिपुरी	0.14	18.	बोडो	0.15	18.	कोंकणी	0.24
19.	डोगरी	0.24	19.	संस्कृत	0.00	19.	मणिपुरी	0.15	19.	डोगरी	0.22
20.	मणिपुरी	0.14	20.	असमी	''	20.	संस्कृत	0.01	20.	मणिपुरी+	0.14
21.	बोडो	0.10	21.	बोडो	''	21.	कश्मीरी	'''	21.	बोडो	0.13
22.	संस्कृत	0.00	22.	तमिल	''	22.	डोगरी	'''	22.	संस्कृत	0.00

नोट—

1. संविधान के 100 वें संशोधन के द्वारा 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया।
2. संविधान के 73 वें संशोधन के द्वारा 1991 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली अनुसूचित भाषाओं में शामिल हुई।
3. 1991 में प्रकाशित प्रतिशतता की तुलना में 1991 में हिन्दी प्रतिशतता में परिवर्तन का कारण हिन्दी में मैथिली को शामिल नहीं करना है।
4. 1981 के लिए प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की प्रतिशतता भारत की कुल जनसंख्या के आधार पर की गयी है। इसमें असम की जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि व्यवधान के कारण वहां 1981 में जनगणना नहीं करायी जा सकी।
5. 1981 के लिए तमिल, असमी और बोडो बोलने वालों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं हो सकी, क्योंकि तमिलनाडु के जनगणना संबंधी रिकॉर्ड बाढ़ के कारण खत्म/नष्ट हो गए और असम में मौजूद अव्यवस्था के कारण वहाँ 1981 की जनगणना सम्पन्न नहीं हो सकी।
6. 1991 के लिए प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की प्रतिशतता भारत की जनसंख्या के आधार पर निकाली गयी है। इसमें जम्मू कश्मीर की जनसंख्या शामिल नहीं है, क्योंकि व्यवधान के कारण वहाँ 1991 में जनगणना नहीं कराई जा सकी।
7. 2001 के लिए प्रत्येक भाषा के बोलने वालों की प्रतिशतता भारत की कुल जनसंख्या के आधार पर निकाली गयी है। इसमें मणिपुर के सेनापति जिले के माओ—मराम, पाओमाटा और पुरुल सब—डिवीजन की जनसंख्या जनगणना के कारण शामिल नहीं है।

(+) 1991 के लिए कश्मीरी और डोगरी बोलने वालों की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौजूद अव्यवस्था के कारण 1991 में जनगणना सम्पन्न नहीं हो सकी।

+ 2001 के लिए मणिपुर के सेनापति जिले के पाओमाटा, माओ—मराम और पुरुल सब—डिवीजन की जनसंख्या शामिल नहीं है।

/ मैथिली बोलने वालों की संख्या हिन्दी भाषा से अलग कर दी गई है क्योंकि 1971 से 1991 जनगणना तक यह हिन्दी की मातृभाषा मानी जाती थी।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी और अंग्रेजी भाषा के बारे क्या उल्लेख किया गया है?

.....

7. संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं और कौन-कौन सी भाषाएं हैं?

.....

8. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 भाषाओं के बारे में क्या कहने का प्रयास करता है?

.....

9. प्राथमिक स्तर पर किस भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की चर्चा की गई है?

.....
.....

10. भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार कितने प्रतिशत लोग हिंदी, मलयालम और गुजराती बोलते हैं?

.....
.....

6.4.2 त्रि-भाषा सूत्र : नीतिगत निर्णय

त्रि-भाषा – फार्मूला भारत की भाषा-स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। यह एक रणनीति है जिसे कई भाषाएं सीखने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इसे कार्यरूप और भावरूप दोनों ही में अपनाने की आवश्यकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार है। (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005: 42) स्वतंत्रता के बाद भाषाओं के अध्ययन पर अधिक चिंतन किया गया। जिसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है –

- **राधकृष्णन आयोग (1948–49)** ने राज्यों में परस्पर सद्भावना एवं एकता उत्पन्न करने के लिए तथा देश की क्रियाओं में समुचित भाग लेने के लिए शिक्षित वर्ग के द्विभाषी होने की बात की थी। माध्यमिक विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान हो, वे संघीय भाषा जान सकें तथा उनमें इतनी योग्यता पैदा हो सके कि वे अंग्रेजी की पुस्तकें भी पढ़ सकें। इसमें यद्यपि द्विभाषी होने की है परंतु परिचय तीन भाषाओं का चाहा है।
- **माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)** दो भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया पर साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में तीन भाषाओं का अध्ययन करना सम्भव होना चाहिए। (We however, feel that under present circumstances it should be possible for a child to learn three languages) अतः उन्होंने भाषाओं के अध्ययन का जो सुझाव दिया उसे द्विभाषा सूत्र कहते हैं, उनके अनुसार माध्यमिक स्तर तक निम्न भाषाएँ पढ़ी जानी चाहिये। मुदालियर आयोग ने कहा कि मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाये। प्रारम्भिक स्तर पर कम से कम दो भाषाओं का अध्ययन किया जाए।

क निम्न में से कोई एक भाषा –

1. मातृभाषा
2. क्षेत्रीय भाषा
3. मातृभाषा तथा शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम
4. क्षेत्रीय भाषा तथा शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम

ख निम्न में से कोई एक भाषा –

1. हिन्दी (सहिन्दी क्षेत्रों के लिए)
2. प्रारंभिक अंग्रेजी (जिन्होंने पूर्व माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी नहीं पढ़ी हो)
3. उच्च अंग्रेजी (जिन्होंने पूर्व माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी पढ़ी हो)
4. कोई आधुनिक भारतीय भाषा, हिन्दी तथा
5. कोई शास्त्रीय भाषा – यद्यपि इस सूत्र में आयोग ने अधिक से अधिक विकल्प देने का प्रयास किया गया है और सभी भाषाओं को स्थान देने का प्रयास किया है, फिर भी मुदालियर आयोग की सिफारिशें भाषा-विवाद को सुलझाने में सहायक नहीं हुईं।

- केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद (1956) ने निम्नलिखित दो रूपों में तीन भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश की जिन्हें त्रि-भाषा सूत्र कहा गया।
- सन् 1961 में डॉ. सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में 'भावात्मक एकता समिति' ने 1956 की भाषा अध्ययन के त्रि-भाषा सूत्र का समर्थन किया।
- सन् 1961 में ही स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गाँधी की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय एकता परिषद' का गठन किया गया और इस परिषद् के सुझाव भावात्मक एकता समिति के सुझावों के लगभग अनुरूप ही है। इसके अतिरिक्त परिषद् ने द्विभाषी शब्दकोश तैयार करने की भी आवश्यकता बताई है।
- भाषाओं के अध्ययन के संदर्भ में विभिन्न समितियों और बोर्ड ने जो सुझाव दिए उन पर संतोषजनक तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाया।
- राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964-66), जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, ने त्रि-भाषा सूत्र पर पुनः विचार किया और विद्यालयी स्तर पर पढ़ी जाने वाली तीन भाषाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66:192) –
 - (1) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा
 - (2) संघ की राजभाषा अथवा सह राजभाषा
 - (3) आधुनिक भारतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा जो (1) और (2) में शामिल नहीं है और जो अनुदेशन के माध्यम भाषा से भिन्न है।

कोठारी आयोग में भाषाओं के अध्ययन के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की गई और त्रि-भाषा सूत्र की जो तस्वीर उभरकर आती है, वह इस प्रकार है –

1. निम्न प्राथमिक स्तर (1 से 4 भाग तक) – बच्चे को केवल एक भाषा पढ़नी होगी जो उसकी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा होगी।
2. उच्च प्राथमिक स्तर (5 से 7) बच्चे को दो भाषाएं पढ़नी होंगी।
 - I. मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा
 - II. संघ की राजभाषा या सह राजभाषा
3. निम्न माध्यमिक स्तर (8 से 10) पर बच्चे को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी।
 - (1) मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा
 - (2) संघ की राजभाषा अथवा सह राजभाषा
 - (3) आधुनिक भारतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा जो (1) और (2) में शामिल नहीं है और जो अनुदेशन के माध्यम भाषा से भिन्न है।

इसके अतिरिक्त कोठारी कमीशन में यह उल्लेख किया गया है – इस तरह से कहा जा सकता है कि निम्न सेकेंडरी स्तर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़नी होगी। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में बच्चे प्रादेशिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ेंगे। हिंदी भाषी क्षेत्रों में आधुनिक भारतीय भाषा का चयन करने का मानदंड शिक्षार्थियों को उस भाषा विशेष का अध्ययन करने की अभिप्रेरणा होनी चाहिए। यह सत्य है कि अंग्रेजी भाषा निम्न सेकेंडरी स्तर पर पढ़ी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालयी भाषा होगी। फिर भी हम यह सोचते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण भाषाओं, जैसे— रूसी, जर्मन, फ्रेंच, स्पैनिश, चीनी अथवा जापानी भाषा को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य के कुछ चयनित विद्यालयों में इन भाषाओं को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। यह शिक्षार्थियों पर छोड़ देना चाहिए कि वे या तो एक और भाषा के रूप में इन भाषाओं को पढ़ें या हिंदी अथवा अंग्रेजी के स्थान पर। इसी तरह से हिंदी और

प्रादेशिक भाषा से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा को पढ़ने के प्रावधान अहिंदी भाषा क्षेत्रों में भी किए जाने चाहिए। (राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66:193)

कोठारी आयोग में प्रस्तावित त्रिभाषा फार्मूला में तीसरे स्थान पर एक ओर तो आधुनिक ज्ञान-विज्ञान लिए विश्व की सम्पन्न भाषाओं को रखा है और उन्हीं के विकल्प के रूप में स्वीकार किया है – एकता स्थापित करने के नाम पर आधुनिक भारतीय भाषाओं को एक समान्य व्यक्ति भी जानता है कि विकल्प सर्वदा समान वस्तु में होता है। फिर यहाँ यह असंगति कैसी? डॉ. रवीन्द्र अग्निहोत्री इस संदर्भ में यह शंका व्यक्त करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुविधा सम्पन्न उच्च वर्ग के सामन्ती वैशिष्ट्य को बनाए रखने के लिए आधुनिक विदेशी भाषाओं का प्रावधान किया गया है, और कम पढ़े-लिखे लोगों पर देश की एकता स्थापित करने का उत्तरदायित्व छोड़ दिया गया है? हिंदी क्षेत्र वालों के लिए तीसरे नम्बर पर आधुनिक भारतीय भाषा और आधुनिक विदेशी भाषा में विकल्प दिया है। प्रायः ऐसा होता है कि हिंदी क्षेत्रा वाले आधुनिक विदेशी भाषा लेते हैं। इस प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। हिन्दी क्षेत्र वालों की जो शिकायत है कि हिन्दी वाले हमारी भाषाएं नहीं पढ़ते इसलिए हम उनकी हिन्दी नहीं पढ़ेंगे-वह शिकायत ज्यों की त्यों बनी रही। दूसरी ओर सहिन्दी वाले क्षेत्रों में हिन्दी के विकल्प के रूप में अंग्रेजी भाषा दी गई है और दोनों ही महत्वपूर्ण भाषाएँ हैं। समस्या आती है कि एक महत्वपूर्ण भाषा उन्हें छोड़नी होगी। साथ ही यदि वे दूसरे नंबर के लिए अंग्रेजी भाषा का चयन करते हैं तो आयोग का संघ की राजभाषा को पढ़ाने का उद्देश्य कागज पर ही रह जाता है। आयोग ने तीसरी भाषा के अध्ययन का प्रारम्भ कक्षा आठ से करने का सुझाव दिया है और दसवीं कक्षा तक यह सूत्र चलेगा अर्थात् तीसरी भाषा तीन साल ही पढ़ी जाएगी। इस पर भी लोगों को आपत्ति हो सकती है कि तीन वर्ष में कोई भाषा नहीं आ सकती इसलिए किसी भाषा के सीखने के लिए तीन वर्ष समय लगाना समय और धन का अपव्यय है। दूसरा समाधान तो स्वयं आयोग ने यह कहकर कर दिया कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करना केवल भाषा सीखने की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि विद्यार्थी की अभिप्रेरणा, अध्ययन के स्तर, अच्छे अध्यापक तथा सुविधाओं और अध्यापन-प्रणालियों पर भी निर्भर करता है।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने भाषाओं के अध्ययन पर बल देते हुए न केवल प्रादेशिक भाषाओं पर बल्कि हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषाओं के अध्ययन पर भी बल दिया। नीति में स्पष्टतः यह कहा गया है कि राज्य सरकारें सेकेंडरी स्तर पर त्रि-भाषा सूत्र को अपनाएं और गहन रूप से क्रियान्वित करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रि-भाषा सूत्र का उल्लेख करते हुए इस ओर संकेत किया गया कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त जिस आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन किया जाए वह दक्षिणी भाषाओं में से एक हो तो अधिक अच्छा होगा। अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा के अध्ययन की सिफारिश की गई।
- 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 की शिक्षा नीति में दिए गए भाषा संबंधी प्रस्तावों का समर्थन किया था। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के विकास के प्रश्न पर गहन रूप से विचार किया गया। इसके द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों से स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सका और ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। इस तरह की स्थिति कई जटिल मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है और यह धारणा बना लेती है कि 1960 से भाषाओं के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि 1968 की नीति का ठीक से क्रियान्वयन भी नहीं हुआ। 1968 की नीति के अनुसार—
 - स्वूफल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा
 - द्वितीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेजी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी।
 - तृतीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।
 - गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।

यह सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस सूत्र को अपनाने के साथ-साथ इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं में से मुख्य रूप से एक दक्षिणी भाषा हो, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी हो। विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर भी हिंदी और/या अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए ताकि इन भाषाओं में विद्यार्थी अपने स्तर के हिसाब से कुशलता हासिल कर सकें। (भारतीय भाषाओं का शिक्षण, 2009: 13)

- **क्रियान्वयन का कार्यक्रम 1992**— व्यावहारिक त्रि-भाषा सूत्र के निर्माण में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों से सहायता मिल सकती है—
 1. जब तक अंग्रेजी विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का मुख्य माध्यम और केंद्र तथा अनेक राज्यों में प्रशासन की भाषा बनी रहेगी तब तक उसको ऊँचा स्थान मिलता रहेगा। विश्वविद्यालयों में प्रान्तीय भाषाओं के उच्चतर शिक्षा का माध्यम बन जाने के बाद भी सभी छात्रों के लिए अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान बहुत ही उपयोगी होगा और विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वालों के लिए उसमें काफी योग्य होना आवश्यक होगा।
 2. स्कूल में किसी भाषा के अध्ययन में कितनी योग्यता प्राप्त की जा सकती है, यह बात केवल इस पर ही निर्भर नहीं है कि कोई भाषा कितने वर्षों तक सीखी जाती है, अपितु इस पर भी निर्भर है कि छात्रों के सामने क्या अभिप्रेरणा है, भाषा किस अवस्था पर सीखी जा रही है, तथा उपलब्ध शिक्षक और उपागम और शिक्षण-पद्धतियाँ किस प्रकार की हैं। उचित सुविधाओं के अभाव में लंबी अवधि तक भाषा पढ़ाने से भी अच्छे परिणाम नहीं निकलते जबकि अनुकूल परिस्थितियों के होने पर कम समय में भी अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। यद्यपि बहुत कम आयु में ही बच्चे को दूसरी भाषा सिखाने के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन हमारे विचार से प्राथमिक स्तरों में लाखों छात्रों को भाषा की शिक्षा देने के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना बहुत कठिन काम होगा।
 3. हिंदी या अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्यतः किस अवस्था से शुरू किया जाए और वह कितनी अवधि तक सिखाई जाए। यह स्थानीय अभिप्रेरणा और आवश्यकता पर निर्भर करता है, और इसे प्रत्येक राज्य के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।
 4. किसी भी अवस्था पर चार भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वेच्छा से चार या और भी अधिक भाषाओं के अध्ययन की सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए। (समझ का माध्यम, 2010:5-6)
- **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— 1988, 2000**—1988 और 2000 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं में यह प्रस्ताव दिया गया है कि 'स्कूली शिक्षा के दौरान सभी स्तरों पर या कम से कम आरंभिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए' (एन.सी.एफ.एस.ई.—2000)। लेकिन यहाँ मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के बीच के अंतर की गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस रूपरेखा में कहा गया है कि यदि क्षेत्रीय भाषा विद्यार्थी की मातृभाषा नहीं है तो उसकी प्रथम दो साल तक की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से हो सकती है। तीसरी कक्षा और उसके बाद से 'क्षेत्रीय भाषा को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है' (एन.सी.एफ.एस.ई.—2000)।

— भारतीय भाषाओं का शिक्षण—आधर पत्र, पृष्ठ 15-16
- **राष्ट्रीय पठ्यचर्या की रूपरेखा 2005** — आज हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। त्रिभाषा-फॉर्मूला भारत की भाषा-स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। यह एक रणनीति है जिसे कई भाषाएँ सीखने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इसे कार्य और भाव दोनों रूपों में अपनाने की आवश्यकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार है। निम्नलिखित दिशा-निर्देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं—

- भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से भी ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए।
- बच्चों की घरेलू भाषा जैसा कि 3.1 में परिभाषित किया गया है, स्कूल में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए।
- अगर स्कूल में उच्चतर स्तर पर शिक्षा बच्चों की घरेलू भाषाओं के माध्यम से ही दी जाए। यह भी आवश्यक है कि हम बच्चे की घरेलू भाषाओं को सम्मान दें। हमारे संविधान की धारा 350-क के मुताबिक 'प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा।'

– राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005, पृष्ठ 42

इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के लिए निर्मित फोकस समूह 'भारतीय भाषाओं का शिक्षण' में यह सुझाव देता है – विद्यालय स्तर पर विशेषकर प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अनुदेशों का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। 1986 में एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा भाषा के अध्ययन के लिए गठित समिति ने सुझाव दिया था कि आरंभिक शिक्षा में माध्यम के रूप में मातृभाषा ही प्रयुक्त होनी चाहिए। भारतीय संदर्भ में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि—

- यह लोगों को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भागीदारी योग्य बनाती है।
- महज कुछ अभिजात्य की अधिपत्य से ज्ञान को मुक्त करती है।
- यह परस्पर सहयोगी और परस्पर निर्भर समाज के निर्माण में सहायक होती है।
- अधिक से अधिक लोगों को अपना मत रखने का अवसर प्रदान करती है और इसलिए जनतंत्र को बेहतर सुरक्षा आधार देने में कारगर सिद्ध होती है।
- सूचना के विकेंद्रीकरण की राह खोलती है और नियंत्रित मीडिया की जगह स्वतंत्र मीडिया के विकास में सहयोगी की भूमिका निभाती है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा एवं व्यक्तित्व विकास के लिए भी अवसर प्रदान करती है।

(भारतीय भाषाओं का शिक्षण—आधार पत्र, 2009: 14—15)

भाषाओं के शिक्षण के संदर्भ में हुई विस्तृत चर्चा से इतना तो स्पष्ट है कि विभिन्न आयोगों, समितियों, नीतियों ने अपने-अपने तरीके से न केवल भारत की भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखा है बल्कि उनका सम्मान बनाए रखने और उन्हें कक्षाओं में समुचित स्थान दिए जाने की भी पुजोर सिफारिश की है। त्रि-भाषा सूत्र की भावना यही है कि प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक मातृभाषा या क्षेत्रीयभाषा का अध्ययन किया जाए। भारत संघ राज्य है अतः संघीय भाषा का अध्ययन सारे देश में किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आवश्यक है। हिंदी संघ की राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है, अतः दोनों का अध्ययन किया जाए। तीसरी भाषा के अध्ययन के मुख्यतः दो उद्देश्य नज़र आते हैं। पहला शैक्षिक उद्देश्य है जिसके अनुसार आधुनिक युग में अनेक देशों में ज्ञान-विज्ञान का विकास हुआ है और वह विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि जब तक विश्व की दूसरी भाषाओं में अनुवाद द्वारा इनका प्रसार हो पाता है तब तक वह पुराना हो जाता है। अतः आवश्यकता है कि हम अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को भी सीखें और उनके माध्यम से ज्ञान-विज्ञान की दुनिया से भी परिचय प्राप्त करें। दूसरा राष्ट्रीय उद्देश्य है। जिसके अनुसार आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन देश के विभिन्न भागों के लोगों को एक-दूसरे के निकट लाएगा। देश के विभिन्न अंचलों

के लोगों का, उनके विचारों को, उनकी संस्कृति को समझने में सहायक होगा। अतः विभिन्न भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। भारत की भाषिक विविधता को देखते हुए नीति के स्तर पर किए गए प्रयास सराहनीय है लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर उतना अधिक कारगर प्रयास नहीं किए गए या नहीं हो सके। इनके कारणों की जांच की जानी चाहिए और एक स्पष्ट और व्यवहारिक भाषा नीति का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। मीडिया के प्रसार के कारण भी भाषाओं की स्थिति में, उनके व्यवहार और उनकी प्रकृति में भी बदलाव आए हैं जिन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य देने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
11. त्रि-भाषा सूत्र के बारे में पुनः विचार किस आयोग में किया गया? उसमें भाषाओं के अध्ययन के बारे में क्या सिफारिश की गई?
.....
.....
 12. त्रि-भाषा सूत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए।
.....
.....
 13. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 और 2005 में भाषाओं के शिक्षण के बारे में क्या कहा गया?
.....
.....
 14. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाषा नीति को पुनः देखने की आवश्यकता क्यों है? तर्क सहित समझाइए।
.....
.....
 15. मुदालियर आयोग ने कौन-सा भाषा सूत्र प्रस्तुत किया?
.....
.....

6.4.3 त्रि-भाषा सूत्र का क्रियान्वयन : चुनौतियाँ

भारत की विविधता के अनेक आयाम हैं जो भारत के नागरिकों के जीवन के हर पहलू को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भाषा उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है जो संवेदशील भी है। हम यह जानते हैं कि भाषा का अस्तित्व शून्य में नहीं होता और भाषा समाज में रहकर ही अर्जित/सीखी जाती है। इसका एक निहितार्थ यह भी है कि भाषाओं को अर्जित/सीखने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है। अतः भाषा शिक्षक का एक दायित्व यह भी है वह कक्षा और विद्यालय में बच्चों को यह समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराए। इतना ही नहीं भाषिक सामग्री का भी उतना ही महत्व है। भाषा सीखने की प्रक्रिया में पाठ्य-पुस्तक केवल एक साधन है। भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्य-पुस्तक के अतिरिक्त भी अन्य सामग्री का उपयोग लाभदायक होता है। भाषा सीखने-सिखाने संबंधी इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराएं और उनका कक्षा में सही उपयोग भी हो।

हमें यह समझना होगा कि 'बहुभाषिकता, जो बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है और जो भारत के भाषा-परिदृश्य का विशिष्ट लक्षण है, उसका संसाधन के रूप में उपयोग, कक्षा की कार्यनीति का हिस्सा बनाना

तथा उसे लक्ष्य के रूप में रखना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। यह केवल उपलब्ध संसाधन का बेहतर इस्तेमाल नहीं है बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार्य और संरक्षित महसूस करे और भाषिक पृष्ठभूमि के आधार किसी को पीछे न छोड़ा जाए।' (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 : 41)

आइए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से त्रि-भाषा सूत्र के क्रियान्वयन की चुनौतियों को समझने का प्रयास करें। कर्नाटक में कन्नड़ के अलावा तमिल, तेलुगु, कोंकणी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले मोहित के पापा का तबादला पंजाब से कर्नाटक हो जाता है। मोहित की मां मूलतः गुजराती हैं और गुजराती में भी बातचीत करती हैं। मोहित एक अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ता है और पिता एक उच्च स्तरीय कंपनी में काम करते हैं। इस तरह घर में पंजाबी और गुजराती के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी भी बोली जाती है। देखा जाए तो मोहित के घर में एक से अधिक भाषाओं का व्यवहार किया जाता है। इसका एक अर्थ यह है कि मोहित 'बहुभाषिक' है। मोहित के साथ उसके माता-पिता भी बहुभाषिक हैं। अब चूंकि मोहित को पिता के तबादले के कारण मैसूर आना पड़ा तो मोहित को भी अपना स्कूल बदलना पड़ा। लिहाजा मोहित का दाखिला मैसूर के एक स्कूल में हो गया। अब आप स्कूल में भाषाओं की स्थिति देखिए! त्रि-भाषा सूत्र के अनुसार कर्नाटक के स्कूलों में प्रथम भाषा प्रादेशिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा है जो कि कन्नड़ है। दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी है और तीसरी भाषा के रूप में वह या तो कोई आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ेगा जो दक्षिण भारत की कोई भाषा हो सकती है या फिर हिंदी। अब कन्नड़ मोहित की मातृभाषा नहीं है और न ही यह भाषा उसके अब के परिवेश में उपलब्ध थी। मैसूर आने के पर ही उसका कन्नड़ भाषा के साथ परिचय होता है। अब मोहित के स्कूल की प्रथम भाषा/मातृभाषा कन्नड़ है जो मोहित की प्रथम भाषा/मातृभाषा भाषा नहीं है। इस भाषा के मुकाबले अंग्रेजी भाषा मोहित के लिए दूसरी भाषा न होकर लगभग प्रथम भाषा के रूप में है, क्योंकि वह उस भाषा से परिचय प्राप्त कर चुका है। जब मोहित को तीसरी भाषा के रूप में दक्षिण भारत की तेलुगू भाषा पढ़नी होगी तो उसकी मुश्किलों का अंदाजा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। मोहित ही भाषाओं के संबंध में अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कर सकता है। एक बात और, बहुभाषिकता के संदर्भ में बच्चे की प्रथम भाषा, मातृभाषा, दूसरी या तीसरी भाषा के बारे में निर्णय लेने का दायित्व बच्चे पर होना चाहिए। स्कूल की प्रथम भाषा अनिवार्यतः बच्चे की भी प्रथम भाषा हो – यह आवश्यक नहीं है। कर्नाटक जैसे राज्य, जहां एक से अधिक भाषाएं व्यवहार में आती हैं, वहां कोंकणी, तमिल, तेलुगू भाषा वाले बच्चों के संबंध में भी अनुमान लगाया जा सकता है। अगर स्कूल दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थान देता है तो यह उस बच्चे के लिए बेहद मुश्किल होगा जिसके परिवेश में अंग्रेजी है नहीं, जो सुदूर प्रदेश में रहता है। यह बात तो केवल मोहित के 'एक' घर की है, इसी आधार पर आप कक्षा/कक्षाओं की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। एक ही कक्षा में जब अलग-अलग समुदायों से, अलग-अलग भाषिक पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं तो उन्हें एक ही भाषा सूत्र से संबोधित करना कठिन हो जाता है।

दूसरा सवाल किसी भाषा को सीखने की अभिप्रेरणा से जुड़ा है। अंग्रेजी तो वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और ज्ञान-विज्ञान की भाषा है। अतः उसे सीखने की एक अभिप्रेरणा यह हो सकती है कि इसे पढ़कर उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और यह रोजगार की भाषा है। लेकिन एक दक्षिण भारतीय स्कूल के बच्चों के सामने दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने का कोई 'उत्साह' नज़र नहीं आता। वे इस भाषा को जानकर क्या करेंगे? सिनेमा देखेंगे! तो वह तो बिना भाषा सीखे भी देखा जा सकता है बल्कि सिनेमा किसी भाषा को सीखने में मदद करता है। हिंदी सिनेमा और एफ़.एम. ने हिंदी भाषा का काफी प्रचार-प्रसार किया है।

तीसरा सवाल आदिवासी भाषाओं से जुड़ा है। उनकी भाषा को राज्य की किसी एक भाषा की उपभाषा मान लिया जाता है और उसे प्रथम भाषा के रूप में स्थान नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, जब यह कहा जाता है कि बच्चे की मातृभाषा को अन्य विषयों को पढ़ने का माध्यम बनाया जाना चाहिए। लेकिन सभी जगह ऐसा हो नहीं पाता। आदिवासी भाषाओं में उनके लिए सामग्री या पाठ्य-पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हो पातीं। जो भाषाएँ कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं आमतौर पर उनके बच्चे स्कूलों में नहीं आ पाते। बहुभाषिकता को सम्मान देकर हम उन सभी बच्चों को शिक्षा की परिधि में ला सकते हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ में भाषायी अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि उनको अपनी भाषा में प्राथमिक शिक्षा मिले। भाषा संरक्षण के लिए एक ऐजेंसी भी बने। एक अल्पसंख्यक भाषा आयोग बना है जिसके अनुसार अभी स्थिति यह है कि कुछ भाषाएँ ऐसी भी हैं जो अल्पसंख्यक नहीं हैं फिर भी शिक्षा के खेमे से बाहर हैं। शोध यह भी कहते हैं कि आदिवासी बच्चों को आगे

लाने के लिए ही बहुभाषिकता की बात की गई है। आदिवासी बच्चे जब विद्यालय आते हैं तो उन्हें नयी भाषा मिलती है चाहे असमिया हो या कोई और भाषा। उन्हें इस उद्देश्य से स्कूल लाया जाता है कि इन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ना है। भले ही उनकी भाषा अलग या कोई और हो। नतीजा यह होता है कि जिस भाषा में उनकी अपनी संस्कृति की समझ बनी है, उससे ही दूर हो जाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि दक्षिण भारत में समझ के लिए वहाँ की अपनी भाषा तमिल, कन्नड़, तेलुगु या मलयालम और अंग्रेजी ही पर्याप्त हैं।

त्रि-भाषा सूत्र के अनुसार तीसरी भाषा हिन्दी पढ़ना उनके लिए बोज़ हो सकता है। सभी राज्यों की अपनी आधिकारिक भाषा है। बच्चों की अपनी-अपनी और भी भाषाएँ हैं। और तीसरी भाषा अंग्रेजी भी है। अब सवाल यह उठ सकता है कि इतनी भाषाओं के होते हुए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही क्यों? इस संदर्भ में ध्यान देने की बात है कि बहुत से बच्चे पाँचवीं के बाद पढ़ाई-लिखाई छोड़ देते हैं। मातृभाषा वे पहले से ही जानते हैं। अतः पाँचवीं तक की पढ़ाई-लिखाई उनकी मातृभाषा में हो तो पढ़ाई आसान हो जाएगी वरना पाँचों साल दूसरी भाषा सीखने के फेर में ही गुजर जाएँगे और वह 'सार्थक' जैसा कुछ नहीं कर पाएँगे। त्रिभाषा सूत्र बहुभाषिक अवधारणा नहीं है, न यह कोई नीति है। इसे एक कार्यक्रम कहा जा सकता है। इसमें भाषाओं की विविधताओं की बात को फिर से देखे जाने की शरुरत होगी। यह बहुभाषिकता के द्वारा ही हो सकेगी। (समझ का माध्यम, 2010)

बच्चों की भाषा का सम्मान करना और उन्हें कक्षा में उचित स्थान देना अनिवार्य है। यह सम्मान तब मिलता है जब हम बच्चों को अपनी भाषा में कहने-सुनने, पढ़ने-लिखने की आज़ादी दें। उन्हें यह अनुभूत कराया जाना ज़रूरी है कि उनकी भाषा भी अन्य भाषाओं की तरह महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं शोध बताते हैं कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने वाले बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी वे श्यादा रचनात्मक होते हैं, साथ ही उनमें ज्यादा सामाजिकता और सहिष्णुता भी पाई गई है। भाषिक खजाने की व्यापक व्यवस्था पर नियंत्रण उन्हें विविध प्रकार की एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से कुशलतापूर्वक जूझने में सहायक होता है। साथ ही इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि द्विभाषी बच्चे विविधा सोच में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ऐसा जनतंत्र पनपे जिसमें सभी की भागीदारी संभव हो सके तो हमें प्रत्येक बच्चे को उसकी भाषा में सुनना होगा... त्रिभाषा-सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए कड़े नियमों के बजाय बहुभाषिकतावाद को बनाए रखने व इसे जीवंतता प्रदान करने का प्रयास किसी भी भाषा-योजना का केंद्र होना चाहिए। (भारतीय भाषाओं का शिक्षण-आधार पत्र, 2009 : 21)

हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चों की भाषायी आज़ादी को प्राथमिकता मिले वरना कालांतर में अनेक 'आवाज़ें खामोश हो सकती हैं।'

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

16. त्रि-भाषा सूत्र के प्रभावी क्रियान्वयन की क्या चुनौतियां हैं?

.....

17. बच्चों की भाषाओं को उचित सम्मान देना क्यों आवश्यक है?

.....

6.5 सारांश

भाषा का संबंध हमारी अस्मिता से है। भाषा का सवाल न केवल सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से जुड़ा है बल्कि इस बिंदु से भी जुड़ा है कि यह हमारे दैनिक जीवन की परिस्थितियों को साधने में किस प्रकार हमारी मदद करती है। भारत एक बहुभाषिक देश है। भारत के उत्तरी हिस्से में कश्मीरी, डोगरी, कागड़ी, हिमाचली, खड़ी बोली, पंजाबी, हरियाणवी, मेवाती आदि भाषाएं बोली जाती हैं तो दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के पूर्वी हिस्से में उड़िया, मैथिली, वज्जिका, भोजपुरी, बांगला, खासी, संथाली, नेपाली, बोडो आदि भाषाएं बोली जाती हैं जो भारत के पश्चिमी हिस्से में गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। इतना ही नहीं 'भाषा बहता नीर' की कसौटी पर परखें तो इन भाषाओं में भी विविधता देखने को मिलती है। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के स्वरूप में भिन्नता होती है और यह भिन्नता न केवल ध्वनि स्तर पर होती है बल्कि यह भिन्नता शब्द और वाक्य स्तर पर भी होती है। हम अपको अपने परिवेश में जो भी भाषा सुनते हैं, सहजता और स्वाभाविक रूप से उस भाषा को अर्जित करते चलते हैं। यदि परिवेश में एक से अधिक भाषाएं बोली-समझी जाती हैं तो बच्चे स्वाभाविक रूप से उन भाषाओं को बोलने-समझने लगते हैं। इसका अर्थ यह है भारत का प्रत्येक बच्चा बहुभाषिक है और यह बहुभाषिकता उसकी पहचान है। बहुभाषिकता बहुसांस्कृतिकता को भी बढ़ावा देती है। जैसे-जैसे व्यक्तियों से संपर्क बढ़ता है वैसे-वैसे भाषाओं को भी संपर्क बढ़ता चलता है। किसी भी शिक्षक और विशेष रूप से एक भाषा शिक्षक के लिए बहुभाषिकता की अवधारणा को समझना इसलिए जरूरी है ताकि भारत के बहुभाषिक बच्चों के भाषा विकास को सही-सही समझ लिया जाए और भाषा सीखने के सार्थक अवसर प्रदान किए जा सकें।

भारतीय संविधान में भाषाओं की स्थिति को अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक स्पष्ट किया गया है। भाषाओं की संवैधानिक स्थिति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि –

- हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
- अंग्रेज़ी को सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
- हिंदी भाषा के प्रसार पर बल दिया गया है।
- हिंदी भाषा को भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम माना गया है।
- भारत की 22 भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि इन भाषाओं से शब्द, रूप, शैली आदि लेते हुए हिंदी का प्रसार हो।

त्रिभाषा –फार्मूला भारत की बहुभाषिकता को ध्यान में रखकर तय किया गया। स्वतंत्रता के बाद भाषाओं के अध्ययन पर अधिक चिंतन किया गया। जिसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है –

- राधाकृष्णन आयोग 1948-49 ने राज्यों में परस्पर सद्भावना एवं एकता उत्पन्न करने के लिए तथा देश की क्रियाओं में समुचित भाग लेने के लिए शिक्षित वर्ग के द्विभाषी होने की बात की थी।
- माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 दो भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया पर साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में तीन भाषाओं का अध्ययन करना सम्भव होना चाहिए।
- 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 की शिक्षा नीति में दिए गए भाषा संबंधी प्रस्तावों का समर्थन किया था। 1968 की नीति के अनुसार—
 - स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा
 - द्वितीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा कोई भी अन्य आधुनिक भाषा हो या अंग्रेज़ी, और गैर हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा हिंदी या अंग्रेज़ी होगी।
 - तृतीय भाषा हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेज़ी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।

गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा जो द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ी जा रही हो।

यह सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए तथा राज्य सरकारों को इस सूत्र को अपनाने के साथ-साथ इसे गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषाओं में से मुख्य रूप से एक दक्षिणी भाषा हो, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी हो। विश्वविद्यालय तथा कॉलेज स्तर पर भी हिंदी और/या अंग्रेजी के उपयुक्त पाठ्यक्रम उपलब्ध होने चाहिए ताकि इन भाषाओं में विद्यार्थी अपने स्तर के हिसाब से कुशलता हासिल कर सकें।

- राष्ट्रीय पठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि त्रिभाषा-फॉर्मूला भारत की भाषा-स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। यह एक रणनीति है जिसे कई भाषाएँ सीखने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इसे कार्य और भाव दोनों रूपों में अपनाने की आवश्यकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार है।

विभिन्न आयोगों, समितियों, नीतियों ने अपने-अपने तरीके से न केवल भारत की भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखा है बल्कि उनका सम्मान बनाए रखने और उन्हें कक्षाओं में समुचित स्थान दिए जाने की भी पुरज़ोर सिफारिश की है। भारत की भाषिक विविधता को देखते हुए नीति के स्तर पर किए गए प्रयास सराहनीय हैं लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर उतना अधिक कारगर प्रयास नहीं किए गए या नहीं हो सके। हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चों की भाषायी आज़ादी को प्राथमिकता मिले वरना कालांतर में अनेक 'आवाज़ें खामोश हो सकती हैं।'

6.6 अभ्यास के प्रश्न

1. भारत एक बहुभाषिक देश है। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए।
2. क्या भाषा और बोली में अंतर है? उदाहरण सहित समझाइए।
3. त्रि-भाषा सूत्र के क्रियान्वयन के संदर्भ में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं?
4. भारत की बहुभाषिकता को ध्यान में रखते हुए आप कौन सा सूत्र देंगे? विस्तार से समझाइए।
5. भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के सामने भाषा सीखते समय कौन-सी समस्याएं आ सकती हैं? आप उनका निवारण किस प्रकार करेंगे?
6. अपने आस-पास के राज्यों के स्कूलों में त्रि-भाषा सूत्र की क्या स्थिति है, इसके बारे में एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए।
7. एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी बहुभाषिक कक्षा में भाषा शिक्षण का कार्य करते हुए किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे?

6.7 चर्चा के बिन्दु

1. भारत एक बहुभाषिक देश है। बहुभाषिकता एक समस्या है, जटिल चुनौती है अथवा उसका संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।
2. भारत की भाषिक विविधता को देखते हुए भाषा संबंधी कौन-सा सूत्र कारगर होगा? चर्चा कीजिए।
3. किसी भी भाषा सूत्र के क्रियान्वयन में कौन-कौन सी समस्याएं आ सकती हैं? उन समस्याओं के निवारण में शिक्षक की क्या भूमिका होगी? चर्चा कीजिए।

6.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. भारत में इंडो-आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, तिब्बतो-बर्मन और अंडमानी भाषा परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं।

2. बहुभाषिकता का संबंध भाषा और संस्कृति दोनों से है। यहां अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा-परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। ये भाषाएं आपस में सतत संपर्क-संवाद भी करती रहती हैं। अनेक भाषिक और सामाजिक-भाषिक विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पायी जाती हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारत में विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे को समृद्ध करती रही हैं। सह-अस्तित्व और भाषाओं में आपसी संपर्क के कारण शब्दों के लेन-देन की प्रक्रिया से न केवल शब्द-भंडार में बढ़ोतरी हुई है बल्कि ज्ञान और संस्कृति के संदर्भ में भी लाभ हुआ है। भाषा संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। जब हम भाषा सीखते हैं तो संस्कृति भी सीखते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की ब्रज भाषा के 'बिटोरा' शब्द को सीखेंगे तो वहां की ग्रामीण संस्कृति भी सीखेंगे और समझ पाएंगे कि गोबर से उपले बनाना और उन्हें संचित रखना उनकी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करता है।
3. अंग्रेज़ी वाक्य में पदों की स्थिति होती है – कर्ता, क्रिया और कर्म जबकि हिंदी वाक्य रचना में पदों की स्थिति होती है – कर्ता, कर्म और क्रिया। उदाहरण के लिए – "Ram goes to school." इसमें Ram कर्ता है, goes क्रिया है और school कर्म है। हिंदी वाक्य – 'राम स्कूल जाता है।' में 'राम' कर्ता है, 'स्कूल' कर्म है और 'जाता' क्रिया है। अंग्रेज़ी भाषा का वाक्य है जिसमें Wh से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं। उदाहरण के लिए What is your name. / Who is your friend? / Why are you crying? आदि। लेकिन यह नियम हिंदी भाषा में अलग है। हिंदी भाषा में प्रश्नवाचक शब्द वहीं आता है जहां उसका जवाब आता है। उदाहरण के लिए – तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पंकज है। / तुम्हारा दोस्त कौन है? मेरा दोस्त रहीम है। / वे कहां जा रहे हैं? (वे घर जा रहे हैं)।
4. भारतीय आर्य भाषाओं ने द्रविड़ भाषाओं से मूर्धन्य ध्वनियों – 'ट, ठ, ड, ङ' का आदान किया वहीं द्रविड़ भाषाओं ने भारतीय आर्य भाषाओं के प्रभाव के कारण महाप्राण ध्वनियों (ख, घ, छ, झ, पफ, भ, आदि) का विकास किया।
5. भारत की भाषिक विविधता अनेक प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करती है। वे बच्चे जो एक से अधिक भाषाओं के परिवेश में रहते हैं, स्कूल में उन बच्चों की प्रथम भाषा क्या होगी। बहुभाषिकता के संदर्भ में बच्चे की प्रथम भाषा, मातृभाषा, दूसरी या तीसरी भाषा के बारे में निर्णय लेने का दायित्व बच्चे पर होना चाहिए। स्कूल की प्रथम भाषा अनिवार्यतः बच्चे की भी प्रथम भाषा हो – यह आवश्यक नहीं है। दूसरा सवाल किसी भाषा को सीखने की अभिप्रेरणा से जुड़ा है। अंग्रेज़ी तो वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और ज्ञान-विज्ञान की भाषा है। अतः उसे सीखने की एक अभिप्रेरणा यह हो सकती है कि इसे पढ़कर उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और यह रोज़गार की भाषा है। लेकिन एक दक्षिण भारतीय स्कूल के बच्चों के सामने दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने का कोई 'उत्साह' नज़र नहीं आता। वे इस भाषा को जानकर क्या करेंगे? तीसरा सवाल आदिवासी भाषाओं से जुड़ा है। वे बच्चे जिनकी मातृभाषा गौंडी (मध्य प्रदेश की एक आदिवासी भाषा) है, जब वे स्कूल जाते हैं तो उनकी भाषा न तो प्रथम भाषा के रूप में होती है और न ही मध्यम भाषा के रूप में। किसी 'अपरिचित भाषा' को सीखने में उन्हें उन बच्चों के मुकाबले ज़्यादा श्रम करना पड़ता है जिनकी मातृभाषा प्रथम भाषा के रूप में भी होती है और मध्यम भाषा के रूप में भी। उनकी भाषा को राज्य की किसी एक भाषा की उपभाषा मान लिया जाता है और उसे प्रथम भाषा के रूप में स्थान नहीं मिल पाता। आदिवासी भाषाओं में उनके लिए सामग्री या पाठ्य-पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हो पातीं।
6. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। (2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

7. संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं। ये भाषाएँ हैं – असमिया, बंबला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू।
8. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा विकास के बारे में निर्देश देता है – ‘संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।’
9. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की गई है।
10. भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार 36.99 प्रतिशत लोग हिंदी, 4.00 प्रतिशत लोग मलयालम और 4.72 प्रतिशत लोग गुजराती बोलते हैं।
11. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66), जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, ने त्रि-भाषा सूत्र पर पुनः विचार किया और विद्यालयी स्तर पर पढ़ी जाने वाली तीन भाषाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1964–66 : 192) –
 - i. मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा
 - ii. संघ की राजभाषा अथवा सह राजभाषा
 - iii. आधुनिक भारतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा जो 1 और 2 में शामिल नहीं है और जो अनुदेशन के माध्यम भाषा से भिन्न है।
12. त्रि-भाषा सूत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1986 में कोई अंतर नहीं है। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 1968 की शिक्षा नीति में दिए गए भाषा संबंधी प्रस्तावों का समर्थन किया था। 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के विकास के प्रश्न पर गहन रूप से विचार किया गया।
13. **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000** में यह प्रस्ताव दिया गया है कि ‘स्कूली शिक्षा के दौरान सभी स्तरों पर या कम से कम आरंभिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए’। इस रूपरेखा में कहा गया है कि यदि क्षेत्रीय भाषा विद्यार्थी की मातृभाषा नहीं है तो उसकी प्रथम दो साल तक की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से हो सकती है। तीसरी कक्षा और उसके बाद से ‘क्षेत्रीय भाषा को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है’। **राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005** ने बहुभाषिकता पर बल दिया और बताया कि द्विभाषिकता या बहुभाषिकता से निश्चित संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। त्रिभाषा-फॉर्मूला भारत की भाषा-स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। यह एक रणनीति है जिसे कई भाषाएँ सीखने के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इसे कार्य और भाव दोनों रूपों में अपनाने की आवश्यकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार है। भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए, केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं बल्कि रणनीति तैयार करने के लिहाज से भी ताकि बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जाए। बच्चों की घरेलू भाषा एवं स्कूल में शिक्षण का माध्यम होना चाहिए।
14. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाषा नीति को पुनः देखने की आवश्यकता का आधार नीति के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याएँ हैं। भारत की भाषिक विविधता को देखते हुए नीति के स्तर पर किए गए प्रयास सराहनीय हैं लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर उतना अधिक कारगर प्रयास नहीं किए गए या नहीं हो सके। इनके कारणों की जांच की जानी चाहिए और एक स्पष्ट और व्यवहारिक भाषा नीति का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। मीडिया के प्रसार के कारण भी भाषाओं की स्थिति में, उनके व्यवहार और उनकी प्रकृति में भी बदलाव आए हैं जिन्हें वर्तमान परिप्रेक्ष्य देने की आवश्यकता है।
15. मुदालियर आयोग अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) ने दो भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया पर साथ ही यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में तीन भाषाओं का अध्ययन करना सम्भव होना चाहिए।

16. त्रि-भाषा सूत्र के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी अनेक चुनौतियां हैं। भारत जैसे बहुभाषिक देश में भाषिक विविधता के साथ समाज-सांस्कृतिक विविधता भी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा एक से अधिक भाषाओं के संपर्क में आने वाले बच्चों के लिए किसी एक भाषा को क्षेत्रीय भाषा को तय कर पाना अपेक्षाकृत कठिन होता है। साथ ही बच्चे की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में भी अधिक अंतर होने के कारण भी भाषाओं के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती। दूसरा किसी भाषा को सीखने की अभिप्रेरणा से जुड़ा है। अंग्रेजी तो वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और ज्ञान-विज्ञान की भाषा है। अतः उसे सीखने की एक अभिप्रेरणा यह हो सकती है कि इसे पढ़कर उच्च शिक्षा हासिल करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे और यह रोजगार की भाषा है। लेकिन एक दक्षिण भारतीय स्कूल के बच्चों के सामने दूसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने का कोई 'उत्साह' नज़र नहीं आता। वे इस भाषा को जानकर क्या करेंगे? तीसरा सवाल आदिवासी भाषाओं से जुड़ा है। उनकी भाषा को राज्य की किसी एक भाषा की उपभाषा मान लिया जाता है और उसे प्रथम भाषा के रूप में स्थान नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, जब यह कहा जाता है कि बच्चे की मातृभाषा को अन्य विषयों को पढ़ने का माध्यम बनाया जाना चाहिए। लेकिन सभी जगह ऐसा हो नहीं पाता। आदिवासी भाषाओं में उनके लिए सामग्री या पाठ्य-पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हो पातीं।
17. बच्चों की भाषाओं को उचित सम्मान देना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि भाषा उनकी अस्मिता की पहचान है। उनकी भाषा को नकारने का अर्थ है उनकी अस्मिता को नकारना। बच्चों की भाषा को कक्षा अथवा स्कूल में स्थान देने से वे स्वयं को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। दूसरी भाषा को सीखने में पहली अथवा मातृभाषा की कुशलता सकारात्मक प्रभाव डालती है।

6.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. कुमार, कृष्ण, बच्चे की भाषा और अध्यापक— एक निर्देशिका, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
2. सिंह, संध्या और कपूर, कीर्ति (2010), समझ का माध्यम. एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली।
3. डॉ. तिवारी, भोलानाथ (1951), भाषा—विज्ञान, किताब महल प्रा.लि.इलाहबाद।
4. गुरु, कामताप्रसाद (2010), हिन्दी व्याकरण, लोक भारती प्रकाशन, इलाहबाद
5. अग्निहोत्री, रमाकान्त (2013), हिन्दी: एक मौखिक व्याकरण, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
6. भारतीय भाषाओं का शिक्षण शास्त्र : आधार पत्र, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली।
7. देवी प्रसाद चटोपाध्याय (2011), साहित्य-संस्कृति, जाने की बातें, भाग 5, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
8. ब्रिटन, जेम्स (2006), भाषा और अधिगम, ग्रंथ शिल्पी; इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
9. व्यागोत्स्की, एल.एस. (2007), विचार और भाषा, ग्रंथ शिल्पी; इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
10. शर्मा, उषा (2012), एक शिक्षक के अनुभव, पावन चिंतन धरा चैरिटेबल ट्रस्ट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
11. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
12. राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार द्वारा विकसित डी.एड. सामग्री, 2013
13. बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2008), राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना, बिहार
14. प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं का पाठ्यक्रम (2008), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
15. कोठारी आयोग रिपोर्ट (1964-66), भारत सरकार।
16. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन (1986), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
17. अग्निहोत्री, रमाकान्त (1996), कौन भाषा कौन बोली?, शैक्षिक-संदर्भ, एकलव्य, भोपाल।

खण्ड परिचय

खंड 3 जिसका शीर्षक है भाषा को समझाना। इस खण्ड को निम्न तीन इकाइयों में वर्णित किया गया है—

इकाई 07 : कक्षा—कक्ष में भाषाई विविधता

इकाई 08 : भाषा प्रवीणता

इकाई 09 : विद्यालयों में भाषा सम्बन्धी समस्याएं

इकाई 07 जो कि कक्षा—कक्ष में भाषाई विविधता से संबंधित है जिसके अंतर्गत भाषा क्या है? तथा इसकी परिभाषा क्या है? और इसका संप्रत्यय क्या है? इसके विषय में बताते हुए भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। भारत में भाषा के विविध रूपों पर भी प्रकाश डाला गया है। भाषा प्रभुत्व और विषय प्रभुत्व तथा भाषा अर्जन एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विषय में भी विस्तार से चर्चा की गई है। भाषा और अधिगम क्या है? शिक्षा में भाषा की विविधता किस प्रकार उत्तरदायी होती है तथा शिक्षा में भाषा विविधता के क्या लाभ हैं? इस पर प्रकाश डालते हुए भाषा विविधता की हानियों के विषय में भी विस्तार से समझाया गया है।

इकाई 08 जो कि भाषा प्रवीणता से सम्बन्धित है। इस इकाई में भाषा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया गया है। भाषा प्रवीणता क्या है? तथा भाषा प्रवीणता के कौन—कौन से तत्व हैं? इसके विषय में विस्तार समझाया गया है। भाषा प्रवीणता की क्या आवश्यकता है? तथा भाषा प्रवीणता में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? इसके विषय में भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है। भाषा प्रवीणता को बढ़ाने के लिए कौन—कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं? इस विषय में भी विस्तार से वर्णन दिया गया है।

इकाई 09 जो कि विद्यालयों में भाषा संबंधी समस्याओं से सम्बन्धित है। इस इकाई के अंतर्गत भाषा की क्या आवश्यकता होती है? तथा भाषाओं को सीखने की क्या प्रकृति है? इस पर विस्तार से समझाया गया है। भारत में भाषा का इतिहास क्या रहा है? इस विषय में भी प्रकाश डाला गया है। भाषा से संबंधित भारत के संविधान में क्या—क्या प्रावधान किए गए हैं? तथा कक्षा में भाषा संबंधी कौन—कौन सी समस्याएं आती हैं? और उन कक्षा—कक्ष संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या—क्या समाधान हो सकते हैं? इस विषय में भी उदाहरण सहित समझाया गया है। भारत में भाषा संबंधी समस्याओं के निदान के लिए क्या—क्या युक्तियां अपनाई गई हैं? इस पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

इकाई-07 : कक्षा-कक्ष में भाषायी विविधता

इकाई की संरचना

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 इकाई के उद्देश्य
- 7.3 भाषा
- 7.4 भाषा की परिभाषा
- 7.5 भाषा का अर्थ
- 7.6 भाषा की विशेषताएं एवं प्रकृति
- 7.7 भारत में भाषा के विविध रूप
- 7.8 भाषा प्रभुत्व और विषय प्रभुत्व
- 7.9 भाषा अर्जन एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
- 7.10 भाषा और अधिगम
- 7.11 शिक्षा में भाषा विविधता
- 7.12 शिक्षा में भाषा विविधता के आयाम
- 7.13 शिक्षा में भाषा विविधता के लाभ
- 7.14 भाषा विविधता की हानियाँ
- 7.15 सारांश
- 7.16 अभ्यास के प्रश्न
- 7.17 चर्चा के बिन्दु
- 7.18 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 7.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

7.1 प्रस्तावना

प्राचीन काल में अपने आज विचारों को व्यक्त करने के लिए मानव के पास कोई साधन नहीं था पता उसने पर्वतों गुफाओं चट्टानों पर विभिन्न प्रकार के लिए तथा चित्रों को बनाकर अपने अपने मन की भावनाओं को उजागर किया

पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को उनका रहन-सहन तथा भाषा ही भिन्न-भिन्न स्वरूप प्रदान करती हैं तथा भाषा की सहायता से ही वे अपने चारों तथा विचारों को एक-दूसरे से साधने में सफल होते हैं। शिशु जन्म से ही भाषा वहीं होते हैं परंतु धीरे-धीरे माता-पिता तथा समाज द्वारा सिखाई गई विधियों सदस्यों द्वारा भाषाओं को सीखने का सहज प्रयास करते हैं।

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान-प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में- जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं।

प्राचीन काल में अपने आज विचारों को व्यक्त करने के लिए मानव के पास कोई साधन नहीं था पता उसने पर्वतों गुफाओं चट्टानों पर विभिन्न प्रकार के लिए तथा चित्रों को बनाकर अपने अपने मन की भावनाओं को उजागर किया।

7.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. भाषा के स्वरूप को परिभाषित कर सकेंगे।
2. भाषा के क्षेत्र की व्याख्या कर सकेंगे।
3. भाषाई समझ को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।
4. भाषा सीखने के सामाजिक तथा प्राकृतिक आधार को समझ सकेंगे।
5. भाषा का अन्य विषयों भिन्नता को समझ सकेंगे।
6. भाषा के प्रकार व भाषा सीखने के लिए सामग्री एवं विधि का प्रयोग कर सकेंगे।
7. विभिन्न भाषाओं द्वारा उसके अधिगम शिक्षण प्रक्रिया तथा आयामों के विषय में समझ विकसित कर सकेंगे।

7.3 भाषा

पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों से मनुष्य को क्या अलग बनाता है? इस प्रश्न का अलग-अलग लोग आपको अलग-अलग उत्तर देंगे, लेकिन एक उत्तर जो अधिक दिखाई देता है वह है लोगों की भाषा का उपयोग करने की क्षमता। अन्य जानवरों के पास शरीर की भाषा, मुखरता, आंखों के संपर्क और अन्य माध्यमों के माध्यम से संचार के रूप होते हैं। हालांकि, मनुष्यों को अक्सर एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए उनकी रचना और भाषा के उपयोग में अद्वितीय माना जाता है।

भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वयं एक व्यवस्था में मिलकर एक सम्पूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं।

दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति नाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं या मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है, जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मनुष्य अपने विचार, भावनाओं एवं अनुभूतियों को भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करता है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। भाषा संस्कृति का वाहक है और उसका अंग भी।

7.4 भाषा की परिभाषा

भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा को प्राचीन काल से ही परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही है। इसकी कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्न हैं—

प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि, “विचार और भाषाओं में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं।”

स्वीट के अनुसार, “ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।”

केंद्रीय कहते हैं कि, “भाषा एक तरह का चिह्न है। चिह्न से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं जैसे नेत्रग्राह, श्रोत्र ग्राह्य और स्पर्श ग्राह्य वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है।”

ब्लाक तथा ट्रेगर के मतानुसार, “भाषा यादृच्छिक भाष प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है।”

7.5 भाषा का अर्थ

भाषा शब्द संस्कृत के भाष् धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना अर्थात् भाषा वह है जिसे बोला जाय। भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है, जिसके द्वारा मानव परम्परा विचारों का आदान-प्रदान करता है। स्पष्ट ही इस कथन में भाषा के लिए चार बातों पर ध्यान दिया गया है—

1. भाषा एक पद्धति है, यानी एक सुसम्बद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संघटन है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, आदि व्यवस्थिति रूप में आ सकते हैं।
2. भाषा संकेतात्मक है अर्थात् इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं, उनका किसी वस्तु या कार्य से सम्बन्ध होता है। ये ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं।
3. भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, अर्थात् मनुष्य अपनी वागेन्द्रिय की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है, वे ही भाषा के अंतर्गत आते हैं।
4. भाषा यादृच्छिक संकेत है यादृच्छिक से तात्पर्य है ऐच्छिक, अर्थात् किसी भी विशेष – ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक अथवा दार्शनिक सम्बन्ध नहीं होता।

प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है। फिर वह उसी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वह परम्परानुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में उस अर्थ का वाचक कोई दूसरा शब्द होगा। हम व्यवहार में यह देखते हैं कि भाषा का सम्बन्ध एक व्यक्ति से लेकर सम्पूर्ण विश्व-सृष्टि तक है। व्यक्ति और समाज के बीच व्यवहार में आने वाली इस परम्परा से अर्जित सम्पत्ति के अनेक रूप हैं। समाज सापेक्षता भाषा के लिए अनिवार्य है, ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति सापेक्षता।

भाषा संकेतात्मक होती है। अर्थात् वह एक प्रतीक स्थिति है। इसकी प्रतीकात्मक गतिविधि के चार प्रमुख संयोजक हैं दो व्यक्ति— एक वह जो संबोधित करता है, दूसरा वह जिसे संबोधित किया जाता है, तीसरी संकेतित वस्तु और चौथी— प्रतीकात्मक संवाहक जो संकेतित वस्तु की ओर प्रतिनिधि भंगिमा के साथ संकेत करता है।

भाषा सीखने की प्रकृति के आधार पर भाषा सीखने की प्रकृति की निम्नलिखित व्याख्या की जा सकती है—

- भाषा सीखना प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है।
- भाषा सीखना भाषाई व्यवहार में परिवर्तन है।
- भाषा सीखना मानव की पूर्व स्थिति है।
- भाषा सीखना मानसिक क्षमताओं के विकास का आधार है।
- भाषा सीखना मानकों के अनुसार हो सकता है या मानकों के खिलाफ भी हो सकता है, लेकिन भाषा शिक्षण भाषा के सकारात्मक अध्ययन पर केंद्रित है।
- भाषा सीखना एक सतत प्रक्रिया है।
- भाषा सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है और बच्चा बड़ों और समाज का अनुसरण करके इसे सीखता है।

- भाषा सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि सक्रिय बच्चा भाषा कौशल को बेहतर तरीके से सीखता है।
- भाषा सीखना व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
1. भाषा क्या होती है और उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है?

.....

.....

7.6 भाषा की विशेषताएं एवं प्रकृति

वस्तुतः भाषा की परिभाषाओं में ही उसकी विशेषताओं का स्पष्टीकरण मिलता है, भाषा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—

- (1) भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है।
- (2) भाषा ध्वनिमय शब्दों, संकेतों, तथा चिन्हों द्वारा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति है।
- (3) भाषा मौखिक तथा लिखित प्रतीकों, शब्दों, संकेतों व चिन्हों की व्यवस्था है।
- (4) भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मानव समाज एवं संस्कृति के भावों, विचारों एवं कार्यों का संप्रेषण किया जाता है।
- (5) भाषा के माध्यम से मानव अपने ज्ञान को संचित करता है, प्रसार करता है तथा अभिवृद्धि भी करता है।
- (6) मनुष्य विचारों, भावों एवं संवेगों का व्यक्तिकरण प्रमुख रूप से श्रोत, ग्राह्य ध्वनि चिन्हों एवं संकेतों से करता है।
- (7) भाषा के प्रमुख तत्व ध्वनियां, संकेत, चिन्ह तथा व्याकरण होते हैं। भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्द-समूह को सम्मिलित किया जाता है।
- (8) भाषा मानव की कलाकृति है जिसके प्रमुख कौशल बोलना, लिखना पढ़ना तथा सुनना है।
- (9) भाषा का मूल तत्व ध्वनि है। प्रत्येक भाषा की कुछ मूल ध्वनियां मान्य होती हैं और उनकी एक मान्य व्यवस्था होती है। ध्वनियां मिलकर शब्दों की संरचना करती हैं तभी उसकी सार्थकता प्रमाणित होती है क्योंकि शब्द भाव एवं विचार का प्रतीक होते हैं। शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है जिससे अभिव्यक्ति की जाती है। शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार ध्वनि एवं शब्द किसी भाषा के मूल तत्व होते हैं।

वस्तुतः भाषा की प्रकृति जटिल भी है और सरल भी। इसकी जटिलता इस बात से स्पष्ट है कि इसमें एक साथ अनेक मानसिक प्रक्रियाओं, वाक-क्रियाओं तथा अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों का समावेश रहता है। भाषा एक ओर मस्तिष्क के रन्नायु-तंतुओं से कर्णेंद्रियों तथा श्रवणेंद्रियों से संबंधित है तो दूसरी ओर समाज विशेष की मान्यताओं और सांस्कृतिक संदर्भों से है। इतना ही नहीं भाषा विशेष की निजी व्यवस्था संबद्ध भाषा पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है। भाषाई क्रिया का संबंध एक ओर कथ्य से, विचारों तथा भावों से है तो दूसरी ओर उसकी अभिव्यक्ति से। कथ्य तथा अभिव्यक्ति सामाजिक संदर्भ-सापेक्ष है तथा भाषा विशेष की

संरचना से नियंत्रित रहते हैं। अतः भाषाई व्यवहार की जटिलता स्वतः स्पष्ट है। भाषा की इस जटिलता पर एक बार अधिकार कर लेने पर उसका प्रयोग सरल हो जाता है। भाषा की इस जटिल एवं सरल व्यवस्था पर प्रत्येक सामान्य मानव शिशु मातृभाषा में सहज ही अधिकार प्राप्त कर लेता है।

भाषा संचार का एक व्यवस्थित रूप है जो विभिन्न रूप ले सकता है। व्यवस्थित शब्द इस तथ्य को संदर्भित करता है कि भाषा नियमों से बनी है। भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ज्ञान के तत्व, विचार, विश्वास आदि, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित होते हैं। भाषा ज्ञान का एक बड़ा साधन है क्योंकि लोग इसका उपयोग अपने बच्चों को कहानियाँ और अन्य पाठ सुनाने के लिए करते हैं जो उन्हें जीवन में मार्गदर्शन करेंगे। संस्कृति के एक तत्व के रूप में, भाषा उचित ज्ञान रखने वाले लोगों को दूसरों के साथ संवाद करने में मदद करती है। यह संचार कई कारणों से किया जा सकता है, लेकिन भाषा के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लोगों को समूहों में काम करने में मदद करती है।

भारत में कई अलग-अलग तरह के लोग हैं जिनके बोलने का तरीका अलग-अलग है। वे तकरीबन 179 अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं और उन भाषाओं को बोलने के 544 अलग-अलग तरीके हैं। यह भारत को बहुत विविध स्थान बनाता है। विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा भी बढ़ता जाता है। यही नहीं एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण-प्रक्रिया, शब्द-भंडार, वाक्य-विन्यास आदि अलग-अलग हो जाने से उनकी भाषा में पर्याप्त अन्तर आ जाता है। इसी को भाषा की शैली कह सकते हैं।

भाषा एवं उसके प्रकार

- (1) **मौखिक भाषा**— मौखिक भाषा वह है जब हम बात करने और अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए अपने मुँह का उपयोग करते हैं। यह अस्थायी हो सकता है क्योंकि हमारे कहने के बाद यह चला जाता है। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं बातचीत करना, गाना, भाषण देना और फोन पर बात करना।
- (2) **लिखित भाषा**— लिखित भाषा तब होती है जब हम अपने विचारों को साझा करने और अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कागज या स्क्रीन पर शब्दों का उपयोग करते हैं। जब हम अपने विचार लिखते हैं, तो वे वास्तव में लंबे समय तक उसी तरह बने रह सकते हैं। इसे हम भाषा का स्थायी रूप कहते हैं। लिखित भाषा तब होती है जब लोग शब्दों को लिखकर संवाद करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। लिखित भाषा के कुछ उदाहरणों में किताबें, पत्रिकाएँ, पत्र और समाचार पत्र शामिल हैं। शिक्षक भी अपने छात्रों को बातें समझाने के लिए लिखित भाषा का उपयोग करते हैं। बच्चे स्वयं लिखकर भी सीखते हैं, जैसे जब वे निबंध या कविताएँ लिखते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

2. भाषा की विशेषताएँ क्या हैं?

.....

.....

3. भाषा की प्रकृति क्या है?

.....

.....

.....

4. भाषा के प्रकार कौन-कौन से होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं ?

.....
.....
.....

7.7 भारत में भाषा के विविध रूप

हिंदी भारत में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी शब्द एक अन्य भाषा के फारसी शब्द से आया है। इसका प्रयोग सबसे पहले ईरानियों द्वारा किया गया था। हिन्दी शब्द मूलतः सिन्धु शब्द से आया है। सिन्धु से हिन्दू शब्द बना और फिर हिन्दू हिंद की, हिंद से हिंदीक और हिंदीक से हिंदी बनी। हिंदी व्याकरण में चीजों का वर्णन करने का एक तरीका है। भारत में लोगों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी है। यह पूरे देश की आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन इसे सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। आज विश्व भर के अनेक विश्वविद्यालयों में हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन होता है।

भारत के संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है जिनके नाम निम्नलिखित हैं—

- (1) असमिया (2) उड़िया (3) उर्दू (4) कन्नड़ (5) कश्मीरी
(6) कोंकणी (7) गुजराती (8) डोगरी (9) तमिल (10) तेलुगू
(11) नेपाली (12) पंजाबी (13) बांग्ला (14) मणिपुरी (15) मलयालम
(16) मैथिली (17) संथाली (18) संस्कृत (19) मराठी (20) सिंधी (21) हिंदी (22) बोडो

जैसे लोगों के परिवार होते हैं, वैसे ही भाषाओं के भी परिवार होते हैं। भाषा परिवार उन भाषाओं का समूह है जो एक ही मूल भाषा से आती हैं। दुनिया में 12 भाषा परिवार हैं और उनसे कई भाषाएँ निकलती हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, जिसमें भारत और यूरोप दोनों की भाषाएँ शामिल हैं। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी और फारसी भी इस भाषा परिवार का हिस्सा हैं।

भाषा के विविध रूप

ये भाषा में बोलने और लिखने के अलग-अलग तरीके हैं।

- (1) मातृभाषा— एन.सी.ई.आर.टी. के अनुसार, “मातृभाषा भाषा का वह रूप है जो एक बच्चा अपनी मां से, पड़ोस से, किसी विशेष क्षेत्र या समाज से सीखता है।” भारत में प्रमुख रूप से 15 मात्र भाषाएँ पायीं जाती हैं— हिन्दी भाषा, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलगू, असमिया, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, सिन्धी, उड़िया और उर्दू भाषा आदि प्रमुख मातृभाषाएँ हैं।
- (2) कृत्रिम भाषा कृत्रिम भाषाएँ वे भाषाएँ हैं जिन्हें आमतौर पर एक ही निर्माता द्वारा सचेत रूप से तैयार किया गया है। इन्हें कभी-कभी नियोजित भाषाएँ, निर्मित भाषाएँ या आविष्कृत भाषाएँ भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रकार की कृत्रिम भाषाओं को काल्पनिक भाषाएँ, सहायक भाषाएँ या अंतरभाषाएँ कहा जा सकता है
- (3) कोड भाषा— यदि किसी भाषा को कोड द्वारा दर्शाया जाता है, तो इस भाषा को कोड भाषा कहा जाता है।
- (4) विशिष्ट भाषा — भिन्न-भिन्न व्यवसायों की भिन्न-भिन्न शब्दावली होती है इसीलिए इसे विशिष्ट भाषा कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञान के अनुशासनों— राजनीति-शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि की भी अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है।

- (5) व्यक्ति बोली भाषा – व्यक्ति द्वारा किसी भाषा को बोलने का तरीका व्यक्ति बोली भाषा कहलाती है। अर्थात्कुछ व्यक्ति किसी भाषा को अपने स्टाइल में ही बोलते हैं तो ऐसी भाषा व्यक्ति बोली भाषा कहलाती है।
- (6) विभाषा या उपभाषा – भाषा का छोटा रूप उपभाषा या विभाषा कहलाता है। भाषा को पांच उप भाषाओं में बांटा गया है।
- (7) राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसे किसी देश के अधिकांश लोग बोलते और समझते हैं। यह वह भाषा है जो उस देश में हर जगह प्रयोग की जाती है। यह भाषा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश की पहचान का प्रतिनिधित्व करती है।
- (8) राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग किसी देश में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।
- (9) मानक भाषा – किसी भाषा को बोलने का सबसे अच्छा और उचित तरीका है। यह वह तरीका है जिससे हर कोई सहमत है, सही और समझने में आसान है।
- (10) अमानक भाषा – सामान्य तरीके से नहीं बोलना या लिखना जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। जैसे-नयी का मानक रूप नई है। ठण्डा का मानक रूप ठंडा है।

भारत के अलग-अलग हिस्सों में लोग अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं और अलग-अलग संस्कृतियाँ रखते हैं। जो लोग एक ही भाषा बोलते हैं वे एक साथ रहते हैं और उनकी अपनी परंपराएँ होती हैं। भारत की संस्कृति को वास्तव में समझने के लिए, हमें उनके परिवारों, सामाजिक समूहों और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानने की आवश्यकता है। अलग-अलग धर्मों की अपनी-अपनी भाषाएँ भी होती हैं, जैसे हिंदू संस्कृत और हिंदी बोलते हैं, मुसलमान अरबी और उर्दू बोलते हैं, सिख गुरुमुखी बोलते हैं, और बौद्ध प्राकृत और पाली बोलते हैं। इन भाषाओं को तीन बड़े परिवारों में बांटा गया है।

- इंडो-आर्यन परिवार में हिंदी, उर्दू, बांग्ला और बहुत सी भाषाएँ शामिल हैं।
- द्रविड़ भाषा परिवार नामक भाषाओं का एक समूह है, जिसमें तेलुगू, कन्नड़, तमिल, मलयालम और गोंडी शामिल हैं।
- ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में कई अलग-अलग भाषाएँ शामिल हैं जैसे मुंडारी, संथाली, खासी और अन्य। मणिपुरी और नागा जैसी कुछ अन्य भाषाएँ भी इस परिवार का हिस्सा हैं।

हर भाषा के लिखने का अपना तरीका होता है। इनमें हिंदी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। मालवी, भोजपुरी, मारवाड़ी और पहाड़ी जैसी अन्य महत्वपूर्ण भाषाएँ भी हैं। कुछ भाषाओं में अधिक लोग हैं जो उन्हें दूसरों की तुलना में ज्यादा बोलते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग हिंदी भाषा बोलते हैं।

भारत में प्रथम भाषा- भारत में अधिकांश लोगों की प्रथम भाषा हिंदी होती है। हिंदी भारत की राजभाषा है और देश में लगभग 50% लोग हिंदी बोलते हैं। प्रत्येक राज्य में एक अधिकृत राज्य भाषा होती है जो राज्य के लोगों द्वारा अधिकतम रूप से बोली जाती है। इसके अलावा, भारत में अनेक आदिवासी भाषाएँ भी हैं जो कुछ क्षेत्रों में अधिकतर बोली जाती हैं। इसलिए, भारत में प्रथम भाषा का चयन आपके संदर्भ और क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकता है।

भारत में द्वितीय भाषा- भारत में द्वितीय भाषा का चयन व्यक्ति के शैक्षणिक और सामाजिक परिवेश पर निर्भर करता है। देश में अनेक द्वितीय भाषाएँ होती हैं, जिनमें से कुछ बहुत लोकप्रिय हैं। अंग्रेजी भारत की अधिकृत द्वितीय भाषा है जो विदेशी व्यवसायों और संचार के लिए उपयोग में आती है। इसके अलावा, स्थानीय भाषाओं में से भी कुछ द्वितीय भाषाएँ बहुत लोकप्रिय हैं, ये द्वितीय भाषाएँ विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं और लोग इन्हें अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में भी बोलते हैं। इसलिए, द्वितीय भाषा का चयन व्यक्ति के स्थान, शैक्षणिक और सामाजिक परिवेश के अनुसार अलग-अलग होता है।

7.8 भाषा प्रभुत्व और विषय प्रभुत्व

भाषा प्रभुत्व और विषय प्रभुत्व एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। एक देश में भाषा प्रभुत्व का मतलब वहाँ की अधिकृत और मुख्य भाषा होती है। यह भाषा उन सभी स्थानों पर बोली जाती है जहाँ देश के नागरिक रहते हैं। भाषा प्रभुत्व देश की एकता और संगठनता को बढ़ाता है।

विषय प्रभुत्व उस क्षेत्र की प्रभुता होती है जहाँ कोई विशेष विषय (जैसे शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति आदि) सर्वाधिक विकसित होता है। इसके अंतर्गत लोगों की भाषा, वस्तुओं की उत्पत्ति और उन्हें उपयोग में लाने के तरीकों में विशेषता होती है।

एक देश में भाषा प्रभुत्व और विषय प्रभुत्व दोनों के संयोग से उसकी सांस्कृतिक विविधता एवं एकता को बनाये रखने में मदद मिलती है। भाषा प्रभुत्व उस देश की एकता को बढ़ाता है, जबकि विषय प्रभुत्व उसकी प्रगति एवं विकास को बढ़ाता है।

भाषा एक विषय के रूप में भी समझी जा सकती है। भाषा एक विषय होती है जो हमारी सोचने, विचार करने और व्यक्तिगत एवं सामाजिक समझ में सहायता करती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। भाषा हमें संचार करने का एक महत्वपूर्ण और असाधारण साधन भी प्रदान करती है।

भाषा एक विषय— भाषा एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज, संस्कृति, इतिहास और व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग होता है। भाषा हमारी पहचान बनती है और हमारे संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा हमारी सोच और विचार की शक्ति को भी प्रभावित करती है और हमारे विचारों की गहराई और ऊंचाई को दर्शाती है। भाषा एक विषय के रूप में भी इसका उपयोग हमें अन्य विषयों में जैसे समाजशास्त्र, इतिहास, ज्ञानविज्ञान और विविध कलाओं में अध्ययन करने में मदद करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. भाषा के विविध रूप कौन-कौन से हैं?

.....
.....
.....

7.9 भाषा अर्जन एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

भाषा अर्जन तब होता है जब कोई बालक भाषा को समझना और दूसरों के साथ संवाद करने के लिए उसका उपयोग करना सीखता है। जब कोई बालक बोलना सीखता है तो वह व्याकरण के नियमों को जाने बिना ही ऐसा करता है। वह अपने आसपास के लोगों से सुनकर और बात करके सीखते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसमें बालक की अहम भूमिका होती है। अर्थात्, बालक वातावरण और लोगों के बीच अंतर्क्रिया के माध्यम से भाषा को अर्जित करता है इसमें बालक सक्रिय भूमिका निभाता है। बालक विकास के विभिन्न आयाम होते हैं भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारम्भ हो जाता है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है।

विश्व की विभिन्न भाषाओं की सर्वमान्य प्रकृति के कुछ बेजोड़ तत्त्व प्रत्येक भाषा की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं जैसे –

- भाषा अर्जित है— भाषा को व्यक्ति अपनी सामर्थ्य, समाज—व्यवहार और आवश्यकता के आधार पर सीखता है। अतः वह अर्जित की जाती है।
- भाषा एक सामाजिक वस्तु है— कोई अकेला व्यक्ति किसी भाषा का व्यवहार नहीं कर सकता भिन्न—भिन्न समुदाय में ही उसका प्रयोग होता है।
- भाषा अनुकरणमूलक है— परिवर्तन होते रहने के कारण समुदाय में भाषा एक दूसरे के द्वारा अनुकरणीय है। उसका रूप अनुकरण के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है।
- भाषा परिवर्तनशील है— भाषा और उसकी इकाइयों में लगातार परिवर्तन का गुण सहज और स्वाभाविक है। कभी शब्द अपना रूप बदल लेता है, पर उसका अर्थ वही रहता है। इसी प्रकार कभी शब्द नहीं बदलता लेकिन उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है।
- भाषा संरचनात्मक है— भाषा समय—समय पर अपने में नए—नए रूपों, और शब्दों को समाविष्ट करती है। इसे उसकी जातीय उत्पादकता या रचनात्मक क्षमता कहते हैं।
- भाषा गतिशील है— भाषा की गतिमयता उसकी जीवन्तता का संकेत है। जैसे हिन्दी जीवन्त भाषा है किन्तु संस्कृति भाषा में गतिशीलता न होने से जीवन्तता समाप्त हो चुकी है।
- भाषा सहज होती है।
- मानकता— प्रत्येक भाषा का अपना विकसित सर्वमान्य स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा में शब्दों, वाक्यों और भाषा व्यवहारों का एक स्पष्ट अथवा मानक, आदर्श रूप स्थापित होता है।
- भाषा सदा अपूर्ण रहती है।
- निजता—प्रत्येक भाषा का प्रमुख और महत्त्वपूर्ण गुण है। हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा की व्याकरणिक प्रणालियाँ एक सी नहीं हैं। प्रत्येक भाषा में वचनों (एकवचन, बहुवचन), सर्वनाम भेदों, कारक, चिन्हों, परसर्ग आदि का उपयोग अलग—अलग ढंग से होता है। इसी कारण हम कई भाषाओं को अलग—अलग पहचान सकते हैं कि यह अंग्रेजी है या हिन्दी है या गुजरात राष्ट्र की गुजराती भाषा है।

भाषा के महत्त्व और उपयोगिता के असंख्य आयाम हैं। वास्तव में जीवन और समाज का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहाँ भाषा का उपयोग और आवश्यकता न हो। भाषा का महत्त्व सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति क्षमता या संप्रेषण क्षमता में ही नहीं है बल्कि व्यक्ति, जाति संस्कृति को प्रतिबिंबित करने की क्षमता में भी निहित है। समाज में रहकर संप्रेषण—व्यापार या लोगों से बातचीत के लिए मनुष्य के भाषा ही एकमात्र माध्यम है। बातचीत के दौरान वक्ता और श्रोता की भूमिका बदलती है। इसी भाषिक आदान—प्रदान से संप्रेषण संपन्न होता है। इसी भाषिक संप्रेषण—व्यापार के द्वारा पारिवारिक राष्ट्रीय—अन्तर्राष्ट्रीय और व्यक्ति का निजी संप्रेषण बाधा—रहित संभव हो सकता है।

मनुष्य को सभ्य व पूर्ण बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है और सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम भाषा ही है। साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सभ्यता आदि सभी क्षेत्रों में प्रारंभिक से लेकर अधिकतम शिक्षा तक सभी स्तरों पर भाषा का महत्त्व स्पष्ट है। जीवन के सभी क्षेत्रों में किताबी शिक्षा हो या व्यावहारिक शिक्षा, वह भाषा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।

विश्व के हितों को ध्यान में रखते हुये, चिंतन—मनन गहराई से किया जाता है, वह दार्शनिक चिंतन कहलाता है। जातीय समष्टि का सार इसी चिंतन या दर्शन में होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भाषा द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त होता है। भाषा का यह अदृश्य दार्शनिक पांडित्य और विद्वत्ता भाषा के महत्त्व को विशिष्ट बना देता है।

विश्व में विज्ञान से लेकर भाषा—विज्ञान तक सभी क्षेत्रों में नए—नए आविष्कार व शोध होते रहते हैं। इनमें अध्ययन और शोध लेखन के लिए नए—नए शब्द या पारिभाषिक शब्द रचे जाते हैं। इन शब्दों से संपन्न भाषा के द्वारा सामाजिक—वैज्ञानिक विकास की अभिव्यक्ति होती है।

भाषा का महत्त्व तथ्यात्मक व सूचनात्मक प्रयोगों के अतिरिक्त सर्जनात्मक व रसात्मक प्रयोगों में भी देखा जा सकता है। इसका सम्बन्ध लेखक के अंतर-पीढ़ीगत जातीय (अपनी जातिविशेष से संबद्ध होने का भाव) संस्कारों से भी होता है। अलग-अलग भौगोलिक प्रान्तों से पीढ़ियों से जुड़े लेखकों, कवियों का लहजा भी विशिष्ट लक्षणों से संपन्न व विशिष्ट होता है। सर्जनात्मक प्रयोगों में भाषा माध्यम या साधन मात्रा नहीं रहती बल्कि उनका आधार और अभिव्यक्ति बन जाती है। वेद, पुराण, उपनिषद से लेकर, तुलसीदास, प्रसाद, श्री नरेश मेहता आदि सभी का साहित्य भाषा के कारण ही, इतने वर्षों तक सुरक्षित रहकर अब तक हमें अध्ययन के लिए प्रेरित करता है।

भाषा एक सामाजिक संपत्ति भी है, जिससे शिक्षित समाज का भी विकास-नवनिर्माण संभव है। भिन्न-भिन्न प्रकार की भौगोलिक, सांस्कृतिक और व्यवहारपरक विभिन्नता के किसी भाषा प्रयोग का सीमित विशिष्ट भिन्न समाज बनता है। जिसमें उनकी जातियों की जातीयता और प्रांतीयता सुरक्षित रहती है।

सांस्कृतिक धरोहर या संस्कृति के सभी तत्व पीढ़ी-दर-पीढ़ी भाषा में संरक्षित होते हैं। किसी भी सांस्कृतिक वर्ग की ललित और उपयोगी कलाओं का भंडार भाषा के माध्यम से ही स्थिर और सुरक्षित रहता है। आज भी ऐसी अनेक प्राचीन संस्कृति सभ्यता सम्बन्धी पांडुलिपियाँ विद्यमान हैं, जिनके आधारपर अनुसंधान की संभावनाएं हैं। वैदिककालीन या मध्यकालीन संस्कृतिका संपूर्ण साहित्य भाषा के माध्यम से हमारे समक्ष उपस्थित है और आने वाले समय में भी चिरस्थायी रहेगा।

किसी व्यक्ति की भाषा उसके परिवेश, उसकी शिक्षा और उसकी कुशाग्रता पर निर्भर है। वह अनेक स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। भाषा शिक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति को भाषा का वह रूप सिखाया जाता है जो अधिक से अधिक लोगों को स्वीकृत हो। किसी बोली अथवा भाषा की स्वीकृति का एक मुख्य आधार शिक्षा और साहित्य है। अतः, भाषा के जिस रूप के माध्यम से शिक्षा का प्रचार और साहित्य का प्रसार होता है वह उसका मानक रूप माना जाता है। भाषा शिक्षण में भाषा के इसी मानक रूप पर बल दिया जाता है।

7.10 भाषा और अधिगम

अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना एवं अर्जन का तात्पर्य है अर्जित करना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवनभर चलती रहती है। भाषा के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है, किन्तु जहाँ अन्य प्रकार के ज्ञान के अधिगम अनायास भी सम्भव है, वहीं भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों तथा इसे सीखे सकने वाली वातावरणजन्य परिस्थितियों में ही सम्भव होता है, इसलिए भाषा को अर्जित सम्पत्ति कहा गया है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए, सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखना कहते हैं।

भाषा हमारे वर्गीकरण का प्रमुख माध्यम है। और यही कोटि निर्धारण प्रकार्य आगे चलकर अनुभव के निरूपण की संगठनात्मक भूमिका में सहायक होता है। वैसे तो अपने अनुभवों का खुद के लिए निरूपण के लिए हमारे पास और भी पद्धतियाँ हैं लेकिन भाषा उन सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि भाषा सुसंगठित होती है। भाषा अनुभव के निरूपण का सुव्यवस्थित माध्यम है और अन्य समस्त निरूपण पद्धतियों को व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करती है। बालक की सम्पूर्ण विकास-अवस्थाओं में उसका भाषा विकास होता रहता है। भाषा-कौशल एवं बुद्धि में सम्बन्ध है। वह बालक, जिनमें उच्च बुद्धि होती है, भाषा-कौशल में भी उत्तम होते हैं। जिन बालकों की बुद्धि कम होती है वह भाषा में भी पिछड़े होते हैं, किन्तु उच्च बुद्धि-स्तर होने पर आवश्यक नहीं कि शब्द-भण्डार भी अच्छा हो। इसलिये यदि एक बुद्धिमान व्यक्ति को सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अपना शब्द-भण्डार बढ़ाना चाहिए।

अधिगम प्रक्रिया में भाषा शिक्षण का कोई एक सामान्य सिद्धांत नहीं दिया जा सकता बल्कि इस प्रक्रिया में अनेक सिद्धांत निहित होते हैं यथा—

एकरूपता का सिद्धांत— भाषायी विकास के क्रम-निर्धारण में जन्मजात ज्ञान अन्तर्ज्ञान उपागम के समर्थकों की मान्यता है कि प्रत्येक शिशु भाषा की सार्वभौमिक कोटियों एवं सम्बन्धों के अन्तर्जात ज्ञान के आधार पर अपनी मातृभाषा के व्याकरणिक नियमों के गठन की क्षमता रखता है। एकरूपता के सिद्धांत के अनुसार भाषायी

उपार्जन में जन्मजात तत्वों के अधिगम के फलस्वरूप बालक की सामान्य संज्ञानात्मक शक्तियों और पर्यावरण का महत्व अपेक्षाकृत कम रह जाता है। अतः भाषा उपार्जन के क्रम में तथा उददिष्ट सामान्य उपलब्धि के स्तर में पर्याप्त एकरूपता होनी चाहिए।

विविधता का सिद्धांत— भाषा उपार्जन में विविधता के कई कारण हो सकते हैं। बालक की सामान्य अधिगम योग्यता तथा पर्यावरण जन्म भिन्नता के आधार पर भाषायी विकास के सम्बन्ध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

विशिष्टता का सिद्धांत— विशेष प्रकार की भाषा का उपार्जन विशेष प्रयासों से ही सम्भव है भाषायी कौशलों का विकास, अर्थात् भाषायी दक्षता के लिए व्याकरणिक नियमों को समझना व उनका पालन भाषायी उपार्जन की प्रक्रिया को विशिष्ट बनाता है।

बोलचाल या अभ्यास का सिद्धान्त— विद्यालयों में हिन्दी, संस्कृति, अंग्रेजी आदि कई भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं। छात्रों की पाठ्य-पुस्तकें पढ़वा कर समझा दिया जाता है कि काम पूरा हुआ। बालक जो भाषा सीखते हैं, उसमें वे बातचीत भी करें, इस और तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता। छात्र कुछ बोलना भी चाहता है तो उसे डाँट दिया जाता है। मनोवैज्ञानिकों और भाषाशास्त्रियों ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया है कि बोलचाल के द्वारा ही भाषा में प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है।

व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धान्त— विद्यालय के विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता, पाई जाती है। उनकी योग्यताओं में, शारीरिक तथा बौद्धिक क्षमताओं में, सीमाओं, रुचियों में, प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों में कौशलों में, सावेगिक सन्तुलन में अन्तर रहता है। यही बात भाषा पर भी लागू होती है। उनकी भाषा सम्बन्धी क्षमता, भिन्न-भिन्न होती है। कई बालक लेखन में प्रवीण होते हैं, कई वाचन में। कुछ छात्र मौखिक अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से कर सकते हैं और कुछ विद्यार्थी लिखित रूप से भाव प्रकाशन उत्तम ढंग से कर सकते हैं। अतः छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर, शिक्षण प्रदान करना चाहिए। इससे बालकों की कठिनाइयों व्यक्तिगत रूप से ठीक होंगी, शिक्षण प्रभावशाली होगा और विद्यार्थी अविलम्ब ही भाषा में प्रवीणता प्राप्त कर सकेंगे।

स्वाभाविकता का सिद्धान्त— मानव शिशुओं में भाषायी उपार्जन एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। दैनिक-सामाजिक व्यवहारों में मानव शिशु स्वाभाविक रूप से भाषा उपार्जन करता है इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। छात्र-छात्राओं को भाषा की शिक्षा देते समय स्वाभाविकता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। परिवार में रहकर बालक पहले पहल अपनी मातृभाषा सीखता है। विद्यालय में भी इस बात का प्रयास करना चाहिए, कि उसे पहले मातृभाषा में प्रवीण बनाकर फिर उसे अन्य भाषाओं की शिक्षा दी जाए।

क्रियाशीलता का सिद्धान्त— बालक स्वभाव से ही क्रियाशील प्राणी है। वह कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठ सकता। वह हर समय कुछ न कुछ करता ही रहता है। परन्तु कक्षा में बालकों को निष्क्रिय रूप से बैठने को विवश किया जाता है। भाषा-शिक्षण के समय भली इस बात का प्रयास करना चाहिए, कि यह क्रियाशीलता बनी रहे। पढ़ाते समय अध्यापक का प्रश्न पूछना और छात्रों का उत्तर देना, अध्यापक द्वारा बालका को किसी वस्तु या तथ्य का मौखिक वर्णन करने के लिए कहना तथा छात्रों को लिखवाना आदि ऐसे साधन हैं, जिनसे कक्षा में क्रियाशीलता बनी रहती है और विद्यार्थी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में जल्दी ही निपुणता हासिल कर लेते हैं।

उत्प्रेरणा या रुचि का सिद्धान्त— यदि किसी कार्य को करने के लिए छात्रों को उत्प्रेरित कर दिया जाये तो वे उस कार्य को बड़ी निष्ठा और तत्परता से रुचि पूर्वक करेंगे, उदाहरणस्वरूप, यदि खेल के मैदान में कंकड़-पत्थर हों और छात्रों को इन्हें फेंकने के लिए कहा जा,, तो वे आनाकानी कर सकते हैं परन्तु यदि उन्हें कहा जाय कि 'देखते हैं कौन सबसे दूरी पत्थर फेंकता है' तो बालक उत्प्रेरित हो जाएंगे और इस कार्य का रुचिपूर्वक बड़ी तत्परता से करेंगे।

7.11 शिक्षा में भाषा विविधता

भारत एक विविध राष्ट्र है जहाँ विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, सामाजिक पृष्ठभूमि और इसी तरह के लोग निवास करते हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। विविधता का अर्थ है विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों, नस्लों, संस्कृ

तियों, जातीयता, लिंग, धर्म और विभिन्न भाषाओं का संयोजन। भाषाई विविधता भाषाओं के बीच के अंतर को संदर्भित करती भाषाई विविधता कभी-कभी भाषा के घनत्व, या अद्वितीय भाषाओं की एक साथ एकाग्रता का एक विशिष्ट उपाय है। इस विविधता में भाषा परिवार, व्याकरण और शब्दावली सहित विभिन्न प्रकार के लक्षण शामिल हैं। किसी देश या स्थान की तरह किसी स्थान की भाषाई विविधता को संख्यात्मक माप के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे भाषाई विविधता सूचकांक कहा जाता है। शिक्षा में भाषा विविधता एक ऐसी स्थिति है जहां पर विद्यार्थी अलग-अलग भाषाओं से आते हैं और इसलिए उनकी बोलचाल और लिखने में अंतर हो सकता है। कक्षा में विविधता छात्रों की अलग-अलग बौद्धिक क्षमताओं और सामाजिक कौशल से भी संबंधित हो सकती है। कक्षा में विविधता होने से छात्रों को एक-दूसरे की संस्कृति, भाषा, जातीयता, धर्म आदि को समझने में मदद मिलती है। विविधता के माध्यम से कक्षा में एक नया दृष्टिकोण लाया जा सकता है।

यह स्थिति शिक्षकों के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है लेकिन यह एक मौका भी हो सकता है कि एक ऐसी शिक्षा की स्थापना की जाए, जिसमें सारे विद्यार्थियों को समाहित किया जा सके। हर भाषा का एक अलग समाज होता है, जहां वह प्रयुक्त होती है। समाज समरूपी या एकस्तरीय न होकर अनेक विभिन्नताओं से युक्त होती है। विषमता या वैविध्य समाज की विशेषता है। विविध प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश के प्रभावसे भाषा में भी वैविध्य या भिन्नता होती है। अतः समाज भाषा वैज्ञानिक भाषा को समरूपी न मानकर विषमरूपी मानते हैं। अलग-अलग प्रकार के सामाजिक स्तर, वर्ग और आयु के व्यक्तियों की भाषा में भी अंतर होता है। एक ही समाज के व्यक्ति और वर्ग अपनी भिन्न अस्मिता को अपने विशेष भाषिक प्रयोगों के माध्यम से पहचानते और प्रकट करते हैं, एक जाति समुदाय या वर्ग भाषा का जिस रूप में प्रयोग करता है, जरूरी नहीं कि दूसरा भी वैसे ही करे।

विभिन्न सामाजिक वर्गों के वक्ताओं के भाषा कोड उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था द्वारा निर्धारित और संचालित होते हैं। प्रायः कोड को नियमों के एक ऐसे समुच्चय के अर्थ में परिभाषित किया जाता है जो वक्ताओं की पारस्परिक बोधगम्यता का आधार हो। वास्तव में ये वाक कोड सामाजिक वर्गों के प्रतिबिंब या प्रतीकात्मक रूप बन जाते हैं, जो भाषा व्यवहार को नियोजित करते हैं।

समाज के विभिन्न वर्गों में उच्च-मध्य-निर्धन वर्ग के भाषायी भेद को स्पष्ट करने के लिए अनेक सर्वेक्षण हुए हैं, जिनके आधार पर यह मान्यता प्रस्तुत की गई कि इन वर्गों के कोड की भाषा शब्द, वाक्य, उच्चारण आदि सभी स्तरों पर भिन्न हैं। इनके भाषा क्षमता और भाषा प्रयोग में पर्याप्त भेद हैं। भाषाविद बेसिल बर्नास्टीन ने अपने सर्वेक्षण में विभिन्न वर्गों की भाषा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर विशेष बल देते हुए व्यापक (elaborated) कोड और सीमित (restricted) कोड की बात की।

उन्होंने माना कि मध्य वर्ग में भाषा के व्यापक कोड का प्रयोग होता है दूसरी ओर निर्धन वर्ग के बच्चे सीमित कोड का प्रयोग करते हैं। वे अपने संभाषण में प्रायः मानक शब्दावली का प्रयोग नहीं करते और न ही सांकेतिक अर्थों से संपन्न विशिष्ट अभिव्यक्तियों का प्रयोग कर पाते हैं। वस्तुतः उनका सामाजिक परिवेश, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा और उनके समाजीकरण की प्रक्रिया भिन्न प्रकार की होती है, जिससे उनका भाषायी स्तर बहुत कम आगे बढ़ पाता है। उनके सामाजिक परिवेश में मानक और समृद्ध-सक्षम शब्दावली का अभाव रहता है। जबकि शिक्षित वर्गीय बच्चों के सामाजिक परिवेश में मानक भाषा के साथ-साथ सक्षम विचारों और सृजनात्मक चिंतन को व्यक्त कर सकने वाली अभिव्यंजना क्षमता के निखार और समृद्धि का भी अवसर रहता है। अतः उनका भाषा-व्यवहार गरीब वर्ग के बच्चों से भिन्न सक्षम होता है। गरीब वर्ग के बच्चों में तार्किक-ज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों के स्थान पर वर्णनात्मक पद्धति अधिक मिलती है। जबकि शिक्षित वर्ग के बच्चों में औपचारिक-अनौपचारिक शिक्षा के कारण, व्याकरणिक भाषा-क्षमता और तार्किकता अधिक होती है। अतः उनकी शैली शिल्प में भी विशिष्टता मिलती है।

शिक्षकों के लिए भाषा विविधता से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की भाषा एक और सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान होना चाहिए और उनकी सभाषाई और सांस्कृतिक विविधता को मान और सम्मान देना होगा। इसका मतलब यह है कि अलग-अलग विद्यार्थी अलग-अलग भाषाओं से आते हैं और शायद उन्हें शैक्षिक सफलता पाने के लिए अलग-अलग स्तर की सहायता की जरूरत होती है। शिक्षक सभी विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें सभी

विद्यार्थियों को समर्थन मिल सके भाषा की विविधता को शामिल किया जाए और एक ऐसी कक्षा का वातावरण तैयार किया जाए जिसमें विविधता का महत्व दिया जाए पारस्परिक सम्मान सहयोग बढ़ाया जाए। शिक्षा में भाषा विविधता एक महत्वपूर्ण विषय होता है। भाषा विविधता एक समाज में अलग-अलग भाषाओं का विद्यमान होना है। यह समाज की विविधता को दर्शाता है और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों के बीच संचार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भाषा विविधता शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक को विभिन्न भाषाओं को समझना और समझाना आवश्यक होता है ताकि वह अपने छात्रों को समझाने में सक्षम हो सके। भाषा विविधता का महत्व शिक्षा के स्तरों पर भी बढ़ता है क्योंकि यह अलग-अलग वर्गों के छात्रों के लिए समझने और सीखने के लिए अलग-अलग उपाय प्रदान करता है। इसलिए शिक्षा में भाषा विविधता बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह छात्रों को अलग-अलग भाषाओं में सीखने और समझने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें एक समझौते और सहयोग के भाव के साथ एक समृद्ध समाज में जीने के लिए तैयार करता है।

शिक्षण कक्ष में भाषा विविधता बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे छात्रों को विभिन्न भाषाओं और उनके संस्कृतियों का ज्ञान होता है। यह उन्हें समझने में मदद करता है कि दूसरों के साथ संवाद कैसे किया जाए और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ संवाद कैसे किया जाए। भाषा विविधता को शिक्षा के अंतर्गत शामिल करने से छात्रों की समझ, उनकी निर्णय लेने की क्षमता, सही संवाद करने की क्षमता और समाज की समृद्धि में सक्षम होने के साथ-साथ उन्हें विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के साथ वाक्यार्थ को समझने और संबोधित करने में मदद मिलती है।

इसके अलावा, भाषा विविधता से छात्रों को विभिन्न देशों और संस्कृतियों की जानकारी मिलती है जो उनकी संज्ञान क्षमता को बढ़ाती है। यह उन्हें विश्व स्तर पर समाज में एक सकारात्मक रूप से सहयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए शिक्षण कक्ष में भाषा विविधता को समर्थन देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

7.12 शिक्षा में भाषा विविधता के आयाम

ये आयाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भाषा मानवीय अनुभूति और संप्रेषण का मुख्य साधन है। भाषाएँ वास्तव में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें एक दूसरे को महसूस करने और बात करने में मदद करती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि लोग और संस्कृतियाँ कितनी भिन्न हैं, और उन अंतरों को समझने और साझा करने में हमारी मदद करते हैं। भाषाएँ उन लोगों को जोड़ती हैं जो विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं और हमें विभिन्न संस्कृतियों और जीवन के तरीकों के बारे में सिखाते हैं।

यहाँ भाषा विविधता के कुछ मुख्य आयाम दिए गए हैं:—

1. **ध्वनि संरचना** : भाषाएँ विभिन्न ध्वनियों जैसे वर्ण, शब्द, वाक्य आदि का उपयोग करती हैं। इन ध्वनियों की विविधता के आधार पर भाषाएँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं।
2. **व्याकरण और नियम** : भाषाओं के व्याकरण के नियम होते हैं जो उनकी संरचना और भाषा के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। व्याकरण के नियमों में भिन्नता से भाषाएँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं।
3. **शब्दावली** : भाषाओं के अलग-अलग शब्दसंग्रह होते हैं, जो उनकी समृद्धि और व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। अतः भाषाएँ व्यवसाय, विज्ञान, साहित्य और काव्य आदि क्षेत्रों में विविधता प्रदर्शित करती हैं।
4. **व्यावसायिकता** : भाषाएँ समृद्ध हैं और समाज में वाणिज्य को अद्यतन करती रहती हैं। विविधता व्यापार, व्यापार संचार और औद्योगिक संचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है।
5. **सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान** : भाषाएँ विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेशों को दर्शाती हैं। हर भाषा अपने व्यक्तित्व, संस्कृति और ऐतिहासिक पहचान को प्रकट करती है।

ये कुछ मुख्य आयाम थे जो भाषा विविधता को परिभाषित करते हैं। भाषाओं की इस विविधता का सम्मान करना और समझना मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे समृद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक उद्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भाषा विविधता के कुछ महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं :-

1. **भाषाओं की संख्या** : एक समाज में विभिन्न भाषाएं होती हैं जो भिन्न लोगों द्वारा बोली जाती हैं। भाषाओं की संख्या भाषा विविधता का मूल तत्व है।
2. **भाषाओं के विभिन्न रूप** : भाषाएं भिन्न लोगों द्वारा बोली जाती हैं और इनके अलग-अलग रूप होते हैं। इनमें व्याकरण, उच्चारण, शैली आदि शामिल होते हैं।
3. **भाषाओं के भिन्न सांस्कृतिक और इतिहासिक पृष्ठभूमि** : भाषाएं विभिन्न सांस्कृतिक और इतिहासिक पृष्ठभूमियों से उत्पन्न होती हैं और इनका उपयोग भिन्न संदर्भों में किया जाता है।
4. **भाषाओं के विभिन्न उपयोग** : भाषाएं विभिन्न संदर्भों में उपयोग की जाती हैं जैसे कि संचार, व्यापार, साहित्य, धर्म आदि। इनके अलग-अलग उपयोग भी भाषा विविधता का महत्वपूर्ण तत्व है।

ये सभी तत्व भाषा विविधता को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं।

7.13 शिक्षा में भाषा विविधता के लाभ

1. विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करने से विद्यार्थी विभिन्न संस्कृतियों, लोगों और स्थानों के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं।
2. विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से समझ में आता है कि लोग विभिन्न तरीकों से सोचते हैं और भाषा इसका प्रतिनिधित्व करती हैं।
3. जो लोग एक से अधिक भाषाएँ बोलते हैं उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएँ और शैक्षिक परिणाम बेहतर होते हैं।
4. भाषा विविधता से लोग विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अपनी विचारों को अधिक सटीक और सहज ढंग से व्यक्त कर सकते हैं।
5. भाषा विविधता से भाषाओं के विकास में उन्नति होती है जो विभिन्न विचारों और आवश्यकताओं के अनुरूप होती है।
6. रोजगार के उपयुक्त अवसर प्राप्त हो जाते हैं।
7. बहुभाषी बालकों में संवेगात्मक लचीलेपन तथा किसी कार्य को बेहतर रूप से करने का कौशल विकसित होता है।
8. अन्य भाषा को सीखने में सरलता होती है।
9. शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाने पर व्यक्ति स्वयं को अलग महसूस नहीं करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

6. भाषा और अधिगम क्या में अंतर होता है?

.....
.....
.....

7. शिक्षा में भाषा विविधता के क्या लाभ हैं?

.....
.....

7.14 भाषा विविधता की हानियाँ

1. विभिन्न भाषाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं जो लोगों के बीच संवाद करने में असुविधा उत्पन्न कर सकती है।
2. भाषा विविधता के कारण भाषा के अनुवाद में अक्षमता आ सकती है, जो कभी-कभी भाषाई असंबद्धता या असुस्ति का कारण बनती है।
3. विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच कभी-कभी उत्पन्न होता है और वे एक दूसरे से समझौते करने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं।
4. विभिन्न भाषाओं के विकास में भाषा के पारंपरिक तत्वों का खो जाना भी संभव है, जो कभी-कभी भाषा की समृद्धि को कम कर सकता है।
5. कुछ विदेशी भाषाएं भाषा विविधता के कारण खतरे में हैं क्योंकि वे नौसिखियों के लिए अस्पष्ट या असंभव होती हैं।
6. यह उनकी शिक्षा या व्यवसायिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है।

भाषा विविधता को कम करने का उपाय नहीं हो सकता क्योंकि भाषा विविधता एक संगठित समाज में होने वाली प्राकृतिक एवं धार्मिक विकास की अभिव्यक्ति होती है। यह अलग-अलग भाषाओं एवं संस्कृतियों के लोगों की एकता को बनाए रखने में मदद करती है। शिक्षा क्षेत्र में भाषा विविधता को कम करने के बजाय इसका समर्थन करना चाहिये। शिक्षकों को भाषा विविधता के महत्व को छात्रों के साथ साझा करना चाहिए, और विभिन्न भाषाओं में संस्कृति एवं इतिहास को समझाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षकों को अपने विषय को समझाने के लिए भिन्न-भिन्न भाषाओं का उपयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों को विभिन्न भाषाओं में स्थानीय शब्दावली, वाक्य संरचना और वाक्यार्थ समझने में मदद मिल सकती है। छात्रों को भी भाषा विविधता के महत्व को समझाना चाहिये और अपनी सोच विकसित करने के लिए अन्य भाषाओं में पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। छात्रों के लिए भाषा विविधता एक अनुभव होता है जो उन्हें समझ, सहयोग, और संस्कृति के माध्यम से बढ़ते भारत की दुनिया से जोड़ता है। छात्रों के लिए भाषा विविधता अपने क्षेत्र में अधिक समझ, समझदारी, और सहयोग विकसित करने में मदद करती है।

शिक्षा कक्षों में शिक्षक भाषा विविधता को समर्थन देने के अलावा, छात्रों को भाषा विविधता के महत्व को समझाने के साथ ही अन्य भाषाओं में लेख पढ़ने, समझने और लिखने का प्रोत्साहन देने में मदद कर सकते हैं। इससे छात्रों के मनोबल विकसित होता है और उनकी भाषा कौशल क्षमता में सुधार होता है। इसके साथ ही भाषा विविधता से भी उनका ज्ञान विस्तार होता है जो उनके बाहरी दुनिया से जुड़े होने के लिए महत्वपूर्ण होता है।

छात्रों को भी भाषा विविधता के महत्व को समझाना चाहिए। भारत में प्रथम और द्वितीय भाषा का अधिग्रहण करने के लिए अधिकांश स्थानों पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध होते हैं। आप अपने इलाके में स्थित स्कूलों, कॉलेजों, या विश्वविद्यालयों से संपर्क कर सकते हैं और उनसे प्रथम और द्वितीय भाषा के अधिग्रहण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश स्कूलों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में शिक्षा दी जाती है, इसलिए आप दोनों भाषाओं का अधिग्रहण कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार एक भाषा को अपनी प्रथम भाषा बना सकते हैं, जिसका अधिकारिक चयन आपके हाथ में होगा। आप भी भारत के विभिन्न राज्यों में उपलब्ध भाषाई संस्थानों से जुड़ सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार एक या दो और भाषा अनिष्कर्ष – भाषा-विज्ञान के निष्कर्ष किसी व्यक्ति, राष्ट्र या काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं तथा भाषा-विज्ञान के अध्ययन का मूल आधार जो भाषा है वह मानवकृत पदार्थ नहीं है। अतः भाषा-विज्ञान को हम कला के क्षेत्र में नहीं गिन सकते। भाषा-विज्ञान की उपयोगिता इसमें है कि वह भाषा सिखाने की कला का ज्ञान कराता है का अधिग्रहण कर सकते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. भाषा विविधता की हानि क्या है और इसके कारण क्या हैं?

.....
.....
.....

7.15 सारांश

भाषा-विज्ञान के निष्कर्ष किसी व्यक्ति, राष्ट्र या काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं तथा भाषा-विज्ञान के अध्ययन का मूल आधार जो भाषा है वह मानवकृत पदार्थ नहीं है। अतः भाषा-विज्ञान को हम कला के क्षेत्र में नहीं गिन सकते। भाषा-विज्ञान की उपयोगिता इसमें है कि वह भाषा सिखाने की कला का ज्ञान कराता है। जैसे लोगों के परिवार होते हैं, वैसे ही भाषाओं के भी परिवार होते हैं। भाषा परिवार उन भाषाओं का समूह है जो एक ही मूल भाषा से आती हैं। दुनिया में 12 भाषा परिवार हैं और उनसे कई भाषाएँ निकलती हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है, जिसमें भारत और यूरोप दोनों की भाषाएँ शामिल हैं। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी और फारसी भी इस भाषा परिवार का हिस्सा हैं।

शिक्षकों के लिए भाषा विविधता से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की भाषा एक और सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान होना चाहिए और उनकी सभाषाई और सांस्कृतिक विविधता को मान और सम्मान देना होगा। इसका मतलब यह है कि अलग-अलग विद्यार्थी अलग-अलग भाषाओं से आते हैं और शायद उन्हें शैक्षिक सफलता पाने के लिए अलग-अलग स्तर की सहायता की जरूरत होती है। शिक्षक सभी विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें सभी विद्यार्थियों को समर्थन मिल सके भाषा की विविधता को शामिल किया जाए और एक ऐसी कक्षा का वातावरण तैयार किया जाए जिसमें विविधता का महत्व दिया जाए पारस्परिक सम्मान सहयोग बढ़ाया जाए। शिक्षा में भाषा विविधता एक महत्वपूर्ण विषय होता है। भाषा विविधता एक समाज में अलग-अलग भाषाओं का विद्यमान होना है। यह समाज की विविधता को दर्शाता है और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों के बीच संचार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

7.16 अभ्यास के प्रश्न

1. भाषा को परिभाषित कीजिए।
2. भाषा के प्रकृति की व्याख्या कीजिए।
3. भारत में भाषा के विविध रूप कौन-कौन से हैं? वर्णन कीजिए।

7.17 चर्चा के बिन्दु

1. भाषा प्रभुत्व एवं विषय प्रभुत्व के विषय में चर्चा कीजिए।
2. शिक्षा में भाषा विविधता क्या है? चर्चा कीजिए।

7.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

- (1) भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम आवश्यक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा को प्राचीन काल से ही परिभाषित करने की कोशिश की जाती रही है।
- (2) वस्तुतः भाषा की परिभाषाओं में ही उसकी विशेषताओं का स्पष्टीकरण मिलता है, भाषा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं—
 - भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है।
 - भाषा ध्वनिमय शब्दों, संकेतों, तथा चिन्हों द्वारा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति है।
- (3) वस्तुतः भाषा की प्रकृति जटिल भी है और सरल भी। इसकी जटिलता इस बात से स्पष्ट है कि इसमें एक साथ अनेक मानसिक प्रक्रियाओं, वाक्-क्रियाओं तथा अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों का समावेश रहता है।
- (4) भाषा के प्रकार और उनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं—
 - i. मौखिक भाषा वह भाषा है जब हम बात करने और अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए अपने मुंह का उपयोग करते हैं।
 - ii. लिखित भाषा तब होती है जब हम अपने विचारों को साझा करने और अन्य लोगों के साथ संवाद करने के लिए कागज या स्क्रीन पर शब्दों का उपयोग करते हैं।
- (5) भाषा के बोलने और लिखने की दृष्टि से अलग-अलग रूप हैं जो निम्न हैं—
 - i. मातृभाषा— एनसीईआरटी के अनुसार, “मातृभाषा भाषा का वह रूप है जो एक बच्चा अपनी मां से, पड़ोस से, किसी विशेष क्षेत्र या समाज से सीखता है।
 - ii. कृत्रिम भाषा कृत्रिम भाषाएँ वे भाषाएँ हैं जिन्हें आमतौर पर एक ही निर्माता द्वारा सचेत रूप से तैयार किया गया है। इन्हें कभी-कभी नियोजित भाषाएँ, निर्मित भाषाएँ या आविष्कृत भाषाएँ भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रकार की कृत्रिम भाषाओं को काल्पनिक भाषाएँ, सहायक भाषाएँ या अंतरभाषाएँ कहा जा सकता है
- (6) अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना एवं अर्जन का तात्पर्य है अर्जित करना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवनभर चलती रहती है। भाषा के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है, किन्तु जहाँ अन्य प्रकार के ज्ञान के अधिगम अनायास भी सम्भव है, वहीं भाषा का अधिगम स्वयं के प्रयासों तथा इसे सीखे सकने वाली वातावरणजन्य परिस्थितियों में ही सम्भव होता है, इसलिए भाषा को अर्जित सम्पत्ति कहा गया है
- (7) शिक्षा में भाषा विविधता के निम्नलिखित लाभ हैं—
 - i. विभिन्न भाषाओं का अध्ययन करने से विद्यार्थी विभिन्न संस्कृतियों, लोगों और स्थानों के साथ संवाद करने में सक्षम होते हैं।
 - ii. विभिन्न भाषाओं के अध्ययन से समझ में आता है कि लोग विभिन्न तरीकों से सोचते हैं और भाषा इसका प्रतिनिधित्व करती है।
 - iii. जो लोग एक से अधिक भाषाएँ बोलते हैं उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएँ और शैक्षिक परिणाम बेहतर होते हैं।

- (8) भाषा विविधता की हानियाँ— विभिन्न भाषाएँ एक दूसरे से भिन्न होती हैं जो लोगों के बीच संवाद करने में असुविधा उत्पन्न कर सकती है। भाषा विविधता के कारण भाषा के अनुवाद में अक्षमता आ सकती है, जो कभी-कभी भाषाई असंबद्धता या असुस्ति का कारण बनती है।

7.19 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. सफाया, रघुनाथ, हिन्दी शिक्षण विधि, पंजाब किताब घर, जालंधर।
2. मुकर्जी, संध्या, भाषा शिक्षण, प्रकाशन केंद्र, लखनऊ।
3. पाण्डेय, रामशकल, हिंदी शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

इकाई- 08 : भाषा प्रवीणता

इकाई की संरचना

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 इकाई के उद्देश्य
- 8.3 भाषा के महत्वपूर्ण पहलू
- 8.4 भाषा प्रवीणता
- 8.5 भाषा प्रवीणता के तत्व
- 8.6 भाषा प्रवीणता की आवश्यकता
- 8.7 भाषा प्रवीणता को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ
- 8.8 भाषा प्रवीणता को प्रभावित करने वाले कारक
- 8.9 भाषा प्रवीणता में शिक्षक की भूमिका
- 8.10 सारांश
- 8.11 अभ्यास के प्रश्न
- 8.12 चर्चा के बिन्दु
- 8.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 8.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

8.1 प्रस्तावना

भाषा प्रवीणता (Linguistic Proficiency) एक व्यक्ति या समुदाय की एक भाषा को समुचित रूप से समझने और उसमें सामर्थ्य प्राप्त करने की क्षमता को सूचित करती है। यह एक व्यक्ति की या समुदाय की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है कि वे किसी विशेष भाषा का श्रेष्ठ अवगत हैं, उसमें समझाने और व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं, और उसमें कौशल से संवाद कर सकते हैं। भाषा प्रवीणता का स्तर व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव, शिक्षा, और अभ्यास पर निर्भर कर सकता है।

8.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. विद्यार्थियों की सृजनात्मक क्षमता को पहचानना सकेंगे।
2. बच्चों के भाषायी विकास के प्रति समझ बनाना और उसे समुन्नत करने के लिए विद्यालय में तरह-तरह के अवसर जुटाने में सक्षम हो सकेंगे।
3. भाषा के मूल्यांकन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
4. साहित्यिक और गैर साहित्यिक मौलिक रचनाओं में अन्तर को समझ सकेंगे।

8.3 भाषा के महत्वपूर्ण पहलू

भाषा प्रवीणता और भाषा कौशल दोनों ही भाषा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से हैं। यहां इन दोनों के बीच की एक संबंधित व्याख्या है जो इस प्रकार है—

1. **भाषा कौशल (Language Skills) :** भाषा कौशल एक व्यक्ति की भाषा के संप्रदाय, नियम, संरचना, शब्दावली, और सामर्थ्य को समझने और उसका प्रयोग करने की क्षमता है। कुशल प्रयोग भाषा में दक्षता

प्राप्त करने के पश्चात् ही संभव है। भाषा कौशल के दो प्रमुख भेद माने जाते हैं— (क) प्रधान कौशल, (ख) गौण कौशल। भाषा के उच्चारण से संबंधित कौशल को प्रधान कौशल कहा जाता है। इनमें दो कौशल आते हैं— पहला— सुनना (श्रवण) और दूसरा— बोलना (वाचन)। गौण कौशल का संबंध भाषा के लिखित पक्ष से है इसमें दो कौशल आते हैं— पठन तथा लेखन। भाषा सीखने—सिखाने का क्रम इसी प्रकार होता है— 1. सुनना (श्रवण), 2. बोलना (वाचन), 3. पढ़ना (पठन), 4. लिखना (लेखन)। इनमें प्रथम दो भाषा के उच्चरित रूप से संबद्ध है जबकि अंतिम दो भाषा के लिखित रूप से।

श्रवण (Listening) और वाचन (Speaking)

उच्चरित भाषा से संबंधित कौशल में भाषा के बोलीगत रूप से संबंधित दो प्रधान कौशलों— सुनना (श्रवण), तथा बोलने (वाचन) के अंतर्गत निम्नलिखित भाषिक पक्ष लिए जाते हैं—

1. ध्वनियों में भेद करने की योग्यता,
2. उच्चारण में अनुकरण की सामर्थ्य,
3. उपवाक्य संरचना,
4. वाक्य संरचना के नियमों का ज्ञान,
5. मुक्त भाषण,
6. पदबंध,
7. शब्दावली,
8. श्रवण बोधन,
9. मुक्त बोधन,
10. वार्तालाप।

वस्तुतः प्रथम दो सुनने से संबंधित हैं और शेष बोलने से।

श्रवण कौशल का महत्व : इसका महत्व निम्नलिखित है—

- बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही सुनना शुरू कर देता है। ये अंकित ध्वनियाँ बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती हैं। अच्छी तरह सुनने के कारण बच्चा ध्वनि सुन सकता है और सूक्ष्म अंतर भी समझ सकता है।
- यह ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित करता है।
- सुनने का कौशल अन्य भाषा कौशलों को विकसित करने के लिए मुख्य आधार बनता है।
- इससे पढ़ने का कौशल विकसित होता है।

श्रवण कौशल के उद्देश्य : इसका उद्देश्य निम्नलिखित है—

- सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
- छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना।
- छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों को सुनने और उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
- स्रोत सामग्री को संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करना।
- धैर्यपूर्वक सुनना और सुनने के शिष्टाचार का पालन करना।
- ग्रहणशीलता की मानसिक स्थिति बनाए रखना।

- शब्दों, वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों के संदर्भ और अर्थ को समझना।
- किसी भी स्रोत सामग्री को ध्यान से सुनने की प्रेरणा प्रदान करना।

बोलने के कौशल का उद्देश्य : भाषण कौशल के मुख्य उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है –

- बोलने के कौशल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में अपनी भावनाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता विकसित करना है ताकि वे सभी तथ्यों की संक्षिप्त प्रस्तुति कर सकें।
- छात्रों में झिझक को दूर करके आत्मविश्वास की भावना पैदा करना और इस प्रकार विभिन्न मुद्दों पर धाराप्रवाह तरीके से आत्मविश्वास के साथ बोलना।
- विद्यार्थियों में प्रसंगानुसार मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना ताकि वे प्रस्तुतीकरण को प्रभावशाली बना सकें।

बोलने के कौशल में मुख्य समस्याएँ : भाषण कौशल के कुछ समस्याओं को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है –

- विद्यार्थी अपने भाषण में कथनकर्ता को सही ठहराने के लिए दोषपूर्ण वाक्यों का प्रयोग करते हैं, मुखर होते हैं तथा विशेषण को स्थान नहीं मिलता है, जिसके कारण भाषण कौशल दोषपूर्ण हो जाता है।
- वाणी में विषय और ज्ञान की आवश्यकता के अनुरूप भाव और जीवन का अभाव भी उसे दोषपूर्ण बना देता है और वाणी प्रभावहीन हो जाती है।

पठन (Reading) कौशल— यह कौशल क्षमता होती है लिखित भाषा को समझने की। आपके पास यह कौशल होने से आप विभिन्न पाठों, लेखों, पुस्तकों, और अन्य सामग्री को पढ़ सकते हैं और उसकी समझ कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पठन की शिक्षा प्रारंभ करने से पहले यह देखना आवश्यक हो जाता है कि बालक इस योग्य हो गया है या नहीं कि उसे पठन-शिक्षा दी जा सके। प्रारम्भ में यह आवश्यक होता है कि बालक के ध्वनि-यंत्रों का इतना विकास अवश्य हो जाए जिससे कि वह प्रयत्न करने पर विशिष्ट ध्वनियों का उच्चारण कर सके क्योंकि पठन के समय बालक को तालू, जिह्वा, ओष्ठ, कंठ, दांत आदि का उचित रूप से उपयोग करना पड़ता है। उसे अपनी आंख, कान एवं नाक पर भी उचित नियंत्रण रखना पड़ता है।

पठनारम्भ योग्यता के लिए केवल शारीरिक विकास को देखना ही पर्याप्त नहीं है, वरन् यह भी जानना आवश्यक है कि बालक जिस परिवार से आ रहा है, उस परिवार का शैक्षिक वातावरण कैसा है। यदि मां-बाप एवं अन्य पारिवारिक सदस्य सुशिक्षित हैं तो बालक घर पर बहुत-सी बातें सीख जाता है। प्रथम कक्षा तक बालक मातृभाषा का अध्ययन किए रहता है। वह नदी, पर्वत, सूर्य, चंद्रमा, तालाब आदि के नामों एवं रूपों से परिचित हो जाते हैं। उसे घर, परिवार, गांव, मुहल्ला, विद्यालय, प्रकृति आदि की सामान्य वस्तुओं से परिचय रहता है, अतः उसकी पठन-शिक्षा सरलता से प्रारंभ की जा सकती है।

पठन कौशल का महत्व : इसका निम्नलिखित महत्व है—

- पढ़ने की क्षमता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
- पढ़ना विद्या प्राप्ति में सहायक होता है।
- पढ़ने का कौशल सीखने का एक साधन है क्योंकि पाठ्यपुस्तक पढ़ने से केवल ज्ञान का पता चलता है। संभवतः ग्रंथ को पढ़ने से ज्ञान की इच्छा कुछ हद तक शांत हो जाती है।
- आधुनिक युग 'विशिष्टताओं' का युग है, व्यक्ति जिस भी पेशे से जुड़ा हो उसमें उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है। वह किताबों और इंटरनेट से नवीनतम जानकारी प्राप्त करना चाहता है।

पठन कौशल के उद्देश्य : पठन कौशल के निम्न उद्देश्य हैं—

- शुद्ध पढ़ना सिखाना.

- विराम चिह्न, अर्द्धविराम आदि का प्रयोग।
- पढ़कर स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करना।
- विद्यार्थी सही उच्चारण, ध्वनि, उचित बल आदि पढ़कर सीखता है।
- पढ़ने से शब्दावली बढ़ती है।

लेखन (Writing) कौशल— यह कौशल क्षमता होती है भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने की। आपके पास यह कौशल होने से आप विचारों, ज्ञान, और विचारों को शब्दों में लिखकर दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। आपके लेखन कौशल से आप विभिन्न प्रारूपों में लेख, रिपोर्ट, पत्र, और अन्य लेख सामग्री को तैयार कर सकते हैं।

बालक पहले पठन सीखे या लेखन, इसके विषय में शिक्षाशास्त्री एकमत नहीं हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं शिक्षक फ्रोबेल के अनुसार बालक को पहले पढ़ना चाहिए। जब बालक अक्षरों को पहचान कर पढ़ना सीख जाए, तब उसे लिखने की शिक्षा दी जाए। इससे लेखन निरर्थक क्रिया ना होकर सार्थक प्रक्रिया हो जाएगी। इसके विपरीत बाल-मनोवैज्ञानिक मॉन्टेसरी के अनुसार बालक को पहले लेखन की शिक्षा दी जानी चाहिए जब लेखन कार्य करते समय बालक का उसकी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण हो जाएगा तो वह लिखित सामग्री को पढ़ने के लिए स्वयं उत्सुक हो उठेगा। ऐसा लगता है कि दोनों विद्वानों ने वर्णमाला की कठिनाई को समझकर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। अक्षर का जो नाम है वही उसका उच्चारण नहीं है। रोमन लिपि में लिखते 'k' है किंतु 'k' का उच्चारण 'क' होता है। देवनागरी लिपि में ऐसी बात नहीं है, इसलिए देवनागरी लिपि को तो प्रारंभ में भी सिखाया जा सकता है। इस दृष्टि से लेखन और पठन साथ-साथ चलने चाहिए, इनमें आगे और पीछे का प्रश्न नहीं है

लेखन कौशल के उद्देश्य : इस कौशल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- विद्यार्थी सोच-विचारकर एवं अवलोकन करके भावनाओं को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त कर सकेगा।
- छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकते हैं।
- शब्दों की सही वर्तनी लिख सकते हैं।
- छात्र स्वर, ध्वन्यात्मक समूह, शब्द, भजन और मुहावरों का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- स्टॉप साइन का उचित उपयोग कर सकते हैं।
- ट्रांसक्रिप्शन, टाइपोग्राफी और डिक्टेशन लिखने में सक्षम होंगे।
- व्याकरणिक भाषा का प्रयोग कर सकेंगे।
- वह वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यांशों के संरेखण को अनुकूलित करने में सक्षम होगा।
- विभिन्न रचनाओं से शुद्ध वाक्य बनाएंगे।

लेखन कौशल के गुण : इस कौशल के निम्नलिखित गुण हैं—

- लिखावट सुन्दर, स्पष्ट एवं सुडौल होनी चाहिए।
- इसमें प्रवाह और प्रतिबद्धता होनी चाहिए।
- विषय (शैक्षिक) सामग्री को उचित अनुच्छेदों में विभाजित किया जाना चाहिए।
- भाषा और शैली में प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए।
- भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए।
- भाषा व्यक्त करते समय संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी बननी चाहिए।

2. **भाषा विविधता (Language Diversity) :** भाषा विविधता एक सामाजिक, सांस्कृतिक और भूगोलिक प्रक्रिया है, जिसमें अलग-अलग समुदायों द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषाओं की विभिन्नता को व्यक्त किया जाता है। यह विविधता विभिन्न भाषाओं, उच्चारण, शब्दावली, वाक्य संरचना, वाणी और लिपि के रूप में दिखती है। भाषा विविधता विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक और

सामाजिक भेदभाव को दर्शाती है। भाषा विविधता समृद्ध सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धक संदेशों को संवादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

3. **भाषा प्रवीणता (Language Proficiency)** : भाषा प्रवीणता एक व्यक्ति की भाषा कुशलता और क्षमता को संकेत करती है। इसमें सम्मिलित होते हैं व्यक्ति की भाषा समझ, उच्चारण, शब्दावली, वाक्य संरचना, वाक्यों के लेखन, पठन, और संवाद आदि। भाषा प्रवीणता व्यक्ति को सही ढंग से संवाद करने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। इसमें व्यक्ति की भाषा के साथ सही तरीके से समझौता करने, संकेत और सूचना प्राप्त करने, विचारों को व्यक्त करने और सामग्री को सही ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता शामिल होती है।

भाषा प्रवीणता और भाषा विविधता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। भाषा प्रवीणता व्यक्ति को सही भाषा कौशल प्रदान करती है, जबकि भाषा विविधता समृद्धता और सांस्कृतिक विभिन्नता को प्रदर्शित करती है। एक अच्छा भाषा प्रवीण शिक्षक छात्रों को सही ढंग से गुणवत्तापूर्ण भाषा कौशल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि भाषा विविधता छात्रों को भाषाई विवेक, समर्पण, और सम्मान के साथ अलग-अलग सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों की समझ प्रदान करती है।

8.4 भाषा प्रवीणता

‘भाषा प्रवीणता’ एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है भाषा में मास्टरी होना या भाषा में निपुणता इस शब्द का उपयोग व्यक्ति की भाषा क्षमता, बोली गई भाषा की सुंदरता, वाक्य रचना, व्याकरण, शब्दावली, वाक्यांशों का उच्चारण, और संवाद में कुशलता आदि के लिए किया जाता है। भाषा प्रवीणता साधारण रूप से उच्च स्तरीय भाषा कौशल का अभिप्रेत करती है जिससे एक व्यक्ति समृद्ध और सुरभित भाषा प्रदान कर सकता है। इससे उन्हें संवाद करने, लेखन करने, सुनने और पढ़ने में सुगमता मिलती है और वे अपने विचारों और विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं। भाषा प्रवीणता की प्राप्ति शिक्षा, अभ्यास और नियमित अभ्यास के माध्यम से हो सकती है।

भाषा प्रवीणता को विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में अपने मौखिक और लिखित रूपों में भाषा का सही और उचित रूप से उपयोग करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केर्न (2000) ने भाषा प्रवीणता को समझने के लिए एक व्यापक वैचारिक ढांचा विकसित किया जिसमें शैक्षणिक साक्षरता के तीन आयाम शामिल हैं— भाषाई, संज्ञानात्मक और सामाजिक-सांस्कृतिक। किसी भाषा में प्रवीण होने के लिए भाषाई घटकों का उपयोग करके ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। इसके लिए पृष्ठभूमि ज्ञान, महत्वपूर्ण सोच और मेटाकॉग्निटिव स्किल्स के साथ-साथ संदर्भ में सांस्कृतिक बारीकियों, विश्वासों और प्रथाओं को समझने और लागू करने की भी आवश्यकता होती है। एक भाषा में कुशल होने के लिए चार भाषा डोमेन— सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न प्रकार के दर्शकों के साथ उचित रूप से उपयोग करने में कौशल की आवश्यकता होती है। इन चारों भाषा कौशलों का समन्वयी विकास आपको सक्षम और प्रभावशाली भाषा संचार करने में मदद करेगा।

भाषा कौशल और भाषा प्रवीणता दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और भाषा के संपूर्ण स्वरूप में एक पूर्ण विकास को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन कौशलों का सुधार करने के लिए अधिकांश शिक्षा प्रणालियों में भाषा प्रवीणता कार्यक्रम शामिल होते हैं जो छात्रों को विभिन्न भाषा के माध्यम से सम्पूर्णता के साथ संवाद करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. श्रवण और वाचन के भाषिक पक्ष क्या हैं?

.....
.....
.....

2. पढ़ने के कौशल का महत्व एवं उद्देश्य क्या है?

.....
.....
.....

3. लेखन कौशल के उद्देश्य एवं गुण क्या हैं?

.....
.....
.....

4. भाषा प्रवीणता क्या है और इसका महत्व क्या है?

.....
.....
.....

8.5 भाषा प्रवीणता के तत्व

भाषा प्रवीणता के तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं—

1. **शब्दावली** : भाषा प्रवीण होने के लिए शब्दावली का बढ़ता हुआ होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी शब्दावली के साथ आप विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं।
2. **वाक्य रचना** : भाषा प्रवीण होने के लिए आपको वाक्य रचना का ज्ञान होना चाहिए। एक सही वाक्य रचना के साथ आप अपने विचारों को सही ढंग से संगठित कर सकते हैं।
3. **व्याकरण** : व्याकरण भाषा का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। आपको व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकें।
4. **संवाद क्षमता** : भाषा प्रवीण होने के लिए आपको अच्छी संवाद क्षमता होनी चाहिए। आपको दूसरों के साथ संवाद करते समय सही शब्दों का चयन करना आना चाहिए ताकि आपके विचार सही ढंग से संवादित हो सकें।
5. **विस्तारवाद** : भाषा प्रवीण होने के लिए आपको विस्तारवाद की क्षमता होनी चाहिए।

शिक्षा में भाषा प्रवीणता की आवश्यकता होती है क्योंकि यह छात्रों को संवाद करने, समझने, पढ़ने, और लिखने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। यह उन्हें विभिन्न भाषाओं के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है और उनके विचारों, विचारधाराओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है।

8.6 भाषा प्रवीणता की आवश्यकता

यहां कुछ मुख्य कारण हैं जो भाषा प्रवीणता की आवश्यकता को समझाते हैं—

1. **संवाद कौशल** : भाषा प्रवीणता छात्रों को संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके माध्यम से, छात्र दूसरों के साथ सही ढंग से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, और जानकारी को सही ढंग से साझा कर सकते हैं।

2. **पठन कौशल** : भाषा प्रवीणता के माध्यम से, छात्रों को पठन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। यह उन्हें लेखित सामग्री को समझने और उसे सही ढंग से व्याख्या करने की क्षमता प्रदान करती है।
3. **लेखन कौशल** : भाषा प्रवीणता छात्रों को अच्छे लेखन कौशल विकसित करने में मदद करती है। यह उन्हें सही वाक्य रचना, व्याख्या, और परिप्रेक्ष्य में विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करती है।
4. **सामान्य ज्ञान की प्रगति** : भाषा प्रवीणता के माध्यम से, छात्र विभिन्न विषयों पर सामान्य ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यह उन्हें पुस्तकें, लेख, न्यूजलेटर, आदि के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है।

इन सभी कारणों से, भाषा प्रवीणता शिक्षा में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को सम्पूर्ण विकास का अवसर प्रदान करती है और उन्हें सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संवेदनशील बनाती है।

शिक्षा में भाषा प्रवीणता की आवश्यकता होती है क्योंकि यह छात्रों को संवाद करने, समझने, पढ़ने, और लिखने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। यह उन्हें विभिन्न भाषाओं के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है और उनके विचारों, विचारधाराओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है।

भाषा प्रवीणता के स्तर व्यक्ति की भाषा कौशलता को मापने में मदद करते हैं। यह व्यक्ति के भाषा संचार की सुविधा, समझगारी, और संप्रेषण क्षमता को दर्शाता है। भाषा प्रवीणता के कुछ सामान्य स्तर निम्नलिखित हैं—

1. **प्राथमिक स्तर** : इस स्तर पर, व्यक्ति आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने में सक्षम होता है। वह सरल वाक्य बना सकता है, आवाजाही और उच्चारण में परिमार्जन करता है, और सामान्य भाषा के प्रतिपादन को समझता है।
2. **मध्यम स्तर** : इस स्तर पर, व्यक्ति अधिक प्रदक्षिणात्मक भाषा कौशल का प्रदर्शन करता है। वह संवाद कर सकता है, और अधिक विविध शब्दावली का उपयोग कर सकता है। उच्चारण, वाक्य संरचना, और वाक्यों के लेखन में उनकी क्षमता भी मध्यम स्तर पर बढ़ती है।
3. **उच्च स्तर** : इस स्तर पर, व्यक्ति आद्यतित और प्रोफेशनल भाषा कौशल प्रदर्शित करता है। वह विस्तृत और प्रभावशाली वाणी का उपयोग करता है, विचारों को व्यक्त करने के लिए संपूर्ण वाक्यों का उपयोग करता है, और समर्पण के साथ अधिक प्रयोग की जाने वाली शब्दावली का उपयोग करता है।

यह स्तर किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं, शिक्षा, अनुभव, और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। शिक्षकों की भूमिका होती है छात्रों की भाषा प्रवीणता को मापते हुए उन्हें सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, और प्रदर्शन में मदद करें।

8.7 भाषा प्रवीणता को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ

किसी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए कुछ रणनीतियाँ हैं जो आपकी भाषा शिक्षा और संवाद कौशल को सुधारने में मदद कर सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियाँ निम्नलिखित हैं—

- **नियमित अभ्यास** : भाषा के अभ्यास को नियमित बनाना महत्वपूर्ण है। रोज़ाना एक निश्चित समय निर्धारित करें जब आप भाषा सीख सकते हैं और इसे नियमित रूप से अभ्यास करें।
- **भाषा का प्रयोग करने की अवसर प्रदान करें** : छात्रों को अधिक संवादात्मक और संचारिक माहौल में रखने के लिए भाषा का उपयोग करने के अवसर प्रदान करें। इसमें समूह-चर्चा, वाद-विवाद, प्रेजेंटेशन, और लेखन के अभ्यास शामिल हो सकते हैं।

- **प्रतिस्पर्धा और प्रशंसा का प्रदान करें** : छात्रों को उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए प्रेरित करने के लिए भाषा के माध्यम से प्रतिस्पर्धा और प्रशंसा का मार्गदर्शन करें। विभिन्न भाषा कार्यक्रमों, और वाणिज्यिक कार्यों के अवसर प्रदान करें जिससे छात्र अपनी भाषा कौशलता को प्रदर्शित कर सकें।
- **सुनें और समझें** : भाषा को समझने के लिए उसे सुनना और देखना महत्वपूर्ण है। भाषा के विभिन्न स्रोतों से आवाज़ सुनें, जैसे कि फिल्में, टीवी शो, ब्रॉडकास्ट, आदि।
- **पठन-लेखन कौशल का विकास करें** : भाषा प्रवीणता के लिए पठन और लेखन कौशल काफी महत्वपूर्ण हैं। छात्रों को पठन और लेखन के अभ्यास करने के लिए बेहतर मार्गदर्शन और माध्यम प्रदान करें। इसमें उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं, और ब्लॉग लेखन शामिल हो सकते हैं।
- **संवादात्मक अभ्यास करें** : छात्रों को संवादात्मक अभ्यास करने के लिए बच्चों के बीच संवादात्मक कार्यक्रम, उच्चारण, नाटक, और रोल-प्ले का आयोजन करें। यह छात्रों की संवादात्मक और विचाराधीनता कौशल को विकसित करने में मदद करेगा।
- **शब्दावली का विस्तार** : नए शब्द सीखना और उन्हें अपने भाषा उपयोग में शामिल करना आवश्यक है। शब्दावली का विस्तार करने के लिए शब्दकोश, इंटरनेट संसाधन और भाषा सीखने के ऐप्स का प्रयोग करें।
- **स्वयं संशोधन** : अपने भाषा संवाद को स्वयंसंशोधन करने से भी आप प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। गलतियों का पता लगाएं और उन्हें सुधारने का प्रयास करें।
- **ग्रामर को समझें** : भाषा के ग्रामर को समझना और सीखना भी अहम है। वाक्य रचना, कारक, समय-क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, आदि को समझें और उन्हें सही ढंग से प्रयोग करने का प्रयास करें।
- **समय-समय पर अद्यतन रहें** : भाषा के विकास में समय-समय पर आद्यतित रहना आवश्यक है। नई भाषा रुचियों और विकास को जागरूकता से ध्यान रखें।
- **संवादात्मक शिक्षण (Communicative Teaching)** : यह शिक्षण विधि भाषा के प्रयोग में संवादात्मकता को प्रोत्साहित करती है। इसमें विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, जिससे उनकी सुनने, बोलने, पढ़ने, और लेखने की क्षमता सुधरती है। यह सिखाने वाले के अनुभव, भावना, और रुचियों को महत्वपूर्ण मानती है, जो भाषा को सीखने को आकर्षक और समर्थनशील बनाता है।
- **प्राथमिक भाषा का उपयोग (Immersion)** : इस रणनीति में, शिक्षण को प्राथमिक भाषा में पूर्वाधारित किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को भाषा के साथ पूर्ण रूप से घुल-मिल जाने का मौका मिलता है। यह भाषा के साथ अधिक संवादात्मक और सहज बनाता है और शब्दावली का विस्तार करने में मदद करता है।
- **सुनना और बोलना (Listening and Speaking)** : इस रणनीति के तहत, विद्यार्थियों को सुनने और बोलने की कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों, ध्वनि लेखाएं, और संवादों का उपयोग किया जाता है।
- **पढ़ना और लेखन (Reading and Writing)** : भाषा की प्रवीणता के लिए विद्यार्थियों को पढ़ने और लेखन के कौशल का विकास करने के लिए पुस्तकें, कविताएं, कहानियां, और अन्य वाचन सामग्री का उपयोग किया जाता है।
- **खेल-कूद और नाटक (Games and Drama)** : खेल-कूद और नाटक के माध्यम से भाषा के प्रयोग को मजेदार बनाया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों की भाषा की रुचि बढ़ती है और उन्हें अधिक सक्रिय बनाने में मदद मिलती है।
- **साहित्य का अध्ययन (Literature Study)** : भाषा साहित्य का अध्ययन भाषा प्रवीणता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। विभिन्न कविताएं, कहानियां, नाटक, और उपन्यासों का पठन-पाठन विद्यार्थियों की भाषा की समझ और विकास में मदद करता है।

- **भाषा संचयन (Language Immersion)** : भाषा संचयन एक प्रभावशाली रणनीति है जो भाषा प्रवीणता को विकसित करती है। इसमें विभिन्न भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है जिससे विद्यार्थियों को उस भाषा में पूर्ण रूप से विघटित होने का अवसर मिलता है।

याद रखें कि भाषा को सीखने में समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। नियमित अभ्यास और प्रयास से आप धीरे-धीरे उत्कृष्टता को हासिल कर सकते हैं। ये रणनीतियाँ भाषा प्रवीणता को विकसित करने में मदद कर सकती हैं और छात्रों को सही और प्रभावशाली भाषा कौशल प्रदान कर सकती हैं। इन रणनीतियों को संचालित करने और छात्रों को भाषा प्रवीणता के लिए प्रेरित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

5. भाषा प्रवीणता के क्या-क्या तत्व होते हैं?

.....

6. भाषा प्रवीणता की आवश्यकता क्यों है?

.....

7. भाषा प्रवीणता को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं?

.....

8.8 भाषा प्रवीणता को प्रभावित करने वाले कारक

भाषा के प्रयोग— भाषा का उपयोग करने की विधि, संरचना, शब्दावली, वाक्यरचना और व्याकरण का माहौल भाषा प्रवीणता को प्रभावित करता है। उचित वाक्यों, व्याकरणिक संरचना और शब्दावली के साथ सही भाषा का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है।

शिक्षा और पढ़ाई— व्यक्ति की शिक्षा, पढ़ाई और अध्ययन का स्तर भाषा प्रवीणता पर सीधा प्रभाव डालता है। अच्छी शिक्षा और सामर्थ्य वर्धन के माध्यम से व्यक्ति भाषा के विभिन्न पहलुओं को अधिक समझता है और अधिक सक्षम बनता है।

परिवेश— व्यक्ति के रहने के जगह का परिवेश भी भाषा प्रवीणता को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति एक भाषा में पाले बढ़े होते हैं, तो उन्हें उस भाषा में अधिक विकास होता है।

संवाद का माध्यम— व्यक्ति जिस माध्यम से संवाद करते हैं, उसका भी भाषा प्रवीणता पर प्रभाव होता है। व्यक्ति जो एकाधिक भाषा में संवाद कर सकते हैं, उन्हें भाषा के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती है।

सामाजिक और भाषिक परिवार— व्यक्ति का सामाजिक और भाषिक परिवार भी भाषा प्रवीणता को प्रभावित करता है। अधिक भाषा में संवाद करने वाले परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों को भाषा के प्रति अधिक अनुराग होता है और उन्हें भाषा की अधिक समझ होती है।

भाषा का उपयोग संदर्भ— व्यक्ति जिस संदर्भ में भाषा का उपयोग करते हैं, उससे भी उनके प्रवीणता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि व्यक्ति काम या विद्यालय में भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से अधिक भाषा का समय बिताना भाषा प्रवीणता को सुधारता है।

ये सभी कारक एक साथ मिलकर व्यक्ति की भाषा प्रवीणता को प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति इन कारकों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा प्रवीणता को समृद्ध करता है, तो उन्हें भाषा में विकास करने में मदद मिलती है।

8.9 भाषा प्रवीणता में शिक्षक की भूमिका

भाषा प्रवीणता में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यहां कुछ मुख्य कारण हैं जो शिक्षक की भूमिका को समझाते हैं—

1. **प्रेरक** : एक अच्छे भाषा शिक्षक की प्रमुख भूमिका प्रेरणा प्रदान करना होता है। वे छात्रों को भाषा के महत्व और सम्पूर्णता के प्रति प्रेरित करते हैं। शिक्षक छात्रों को भाषा के प्रति आकर्षित करने वाले उदाहरण दे सकते हैं और उन्हें समर्थित करते हैं ताकि वे अधिक सक्रिय रूप से अपनी भाषा कौशल में सुधार करें।
2. **पाठ्यक्रम योजना** : शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वे उपयुक्त भाषा पाठ्यक्रम योजना तैयार करें जो छात्रों को सही भाषा और व्याकरण नियमों की समझ और उपयोग करने की क्षमता प्रदान करे। शिक्षक छात्रों को भाषा के मूल तत्वों को समझाने के लिए प्रतिष्ठित और प्रभावी पाठ सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।
3. **अभ्यास और मार्गदर्शन** : शिक्षक छात्रों को भाषा के अभ्यास में मार्गदर्शन करते हैं। वे सही उच्चारण, वाक्य रचना, शब्दावली, और वाक्य संरचना के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। शिक्षक व्याकरण और भाषा के नियमों को समझने में मदद करते हैं और उन्हें सुधार के लिए संशोधन के सुझाव देते हैं।
4. **प्रश्नोत्तरी और संवाद** : शिक्षक भाषा प्रवीणता में छात्रों के संचार कौशल का विकास करने के लिए प्रश्नोत्तरी और संवाद का उपयोग कर सकते हैं। यह छात्रों को भाषा के माध्यम से सोचने और व्यक्त करने की क्षमता का विकास करता है।
5. **प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन** : शिक्षक छात्रों की भाषा कौशल में सुधार करने के लिए प्रतिक्रिया देते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे छात्रों के लेखन का मूल्यांकन करते हैं, उन्हें उनकी गलतियों के बारे में सूचित करते हैं, और सुझाव देते हैं कि कैसे उनकी भाषा कौशल को मजबूत किया जा सकता है।

इन सभी कारणों से, शिक्षक भाषा प्रवीणता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो छात्रों को सही भाषा कौशल प्रदान करते भाषा प्रवीणता और भाषा विविधता दो अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों से महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो एक दूसरे के संपलब्धियों को पूरक करती हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

8. भाषा प्रवीणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं?

.....

9. भाषा प्रवीणता में शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है?

.....

10. भाषा प्रवीणता को बढ़ाने के लिए शिक्षा संस्थानों में कौन-कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं?

.....
.....
.....

8.10 सारांश

भाषा प्रवीणता (Linguistic Proficiency) एक व्यक्ति या समुदाय की एक भाषा को समुचित रूप से समझने और उसमें सामर्थ्य प्राप्त करने की क्षमता को सूचित करती है। भाषा प्रवीणता और भाषा कौशल दोनों ही भाषा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से हैं। भाषा कौशल और भाषा प्रवीणता दोनों ही एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और भाषा के संपूर्ण स्वरूप में एक पूर्ण विकास को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन कौशलों का सुधार करने के लिए अधिकांश शिक्षा प्रणालियों में भाषा प्रवीणता कार्यक्रम शामिल होते हैं जो छात्रों को विभिन्न भाषा के माध्यम से सम्पूर्णता के साथ संवाद करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं।

शिक्षा में भाषा प्रवीणता की आवश्यकता होती है क्योंकि यह छात्रों को संवाद करने, समझने, पढ़ने, और लिखने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। यह उन्हें विभिन्न भाषाओं के साथ संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है और उनके विचारों, विचारधाराओं और विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है।

नियमित अभ्यास और प्रयास से आप धीरे-धीरे उत्कृष्टता को हासिल कर सकते हैं। ये रणनीतियाँ भाषा प्रवीणता को विकसित करने में मदद कर सकती हैं और छात्रों को सही और प्रभावशाली भाषा कौशल प्रदान कर सकती हैं। इन रणनीतियों को संचालित करने और छात्रों को भाषा प्रवीणता के लिए प्रेरित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

8.11 अभ्यास के प्रश्न

1. भाषा के महत्वपूर्ण पहलू कौन-कौन से हैं? विवरण दीजिए।
2. श्रवण कौशल का क्या महत्व है? वर्णन कीजिए।
3. लेखन कौशल के उद्देश्यों कौन-कौन से हैं? उनको सूचीबद्ध कीजिए।
4. भाषा प्रवीणता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

8.12 चर्चा के बिन्दु

1. भाषा प्रवीणता के तत्व किस प्रकार प्रभावशाली हैं? चर्चा कीजिए।
2. भाषा प्रवीणता को बढ़ाने के लिए उपयोगी रणनीतियों की चर्चा कीजिए।
3. भाषा प्रवीणता को बढ़ाने के लिए शिक्षक किस प्रकार उपयोगी हैं? चर्चा कीजिए।

8.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) श्रवण तथा वाचन के अंतर्गत निम्नलिखित भाषिक पक्ष लिए जाते हैं—

- ध्वनियों में भेद करने की योग्यता,
- उच्चारण में अनुकरण की सामर्थ्य,
- उपवाक्य संरचना,
- वाक्य संरचना के नियमों का ज्ञान,
- मुक्त भाषण,

- (2) पढ़ने के कौशल का महत्व एवं उद्देश्य निम्न हैं—
- पढ़ने की क्षमता के बिना मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
 - पढ़ना विद्या प्राप्ति में सहायक होता है।
 - शुद्ध पढ़ना सिखाना।
 - विराम चिह्न, अर्द्धविराम आदि का प्रयोग।
 - पढ़कर स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करना।
- (3) लेखन कौशल के उद्देश्य एवं गुण निम्नलिखित हैं—
- विद्यार्थी सोच-विचारकर एवं अवलोकन करके भावनाओं को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त कर सकेगा।
 - छात्र सुपाठ्य लेख लिख सकते हैं।
 - लिखावट सुन्दर, स्पष्ट एवं सुडौल होनी चाहिए।
 - इसमें प्रवाह और प्रतिबद्धता होनी चाहिए।
- (4) **भाषा प्रवीणता** एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है भाषा के मास्टरी होना या भाषा में निपुणता इस शब्द का उपयोग व्यक्ति की भाषा क्षमता, बोली गई भाषा की सुंदरता, वाक्य रचना, व्याकरण, शब्दावली, वाक्यांशों का उच्चारण, और संवाद में कुशलता आदि के लिए किया जाता है। भाषा प्रवीणता साधारण रूप से उच्च स्तरीय भाषा कौशल का अभिप्रेत करती है जिससे एक व्यक्ति समृद्ध और सुरभित भाषाप्रदान कर सकता है।
- (5) भाषा प्रवीणता के तत्व निम्नलिखित हो सकते हैं—
- शब्दावली:** भाषा प्रवीण होने के लिए शब्दावली का बढ़ता हुआ होना बहुत जरूरी है। एक अच्छी शब्दावली के साथ आप विभिन्न विषयों पर अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त कर सकते हैं।
- वाक्य रचना:** भाषा प्रवीण होने के लिए आपको वाक्य रचना का ज्ञान होना चाहिए। एक सही वाक्य रचना के साथ आप अपने विचारों को सही ढंग से संगठित कर सकते हैं।
- (6) भाषा प्रवीणता की आवश्यकता निम्नलिखित हैं—
- संवाद कौशल:** भाषा प्रवीणता छात्रों को संवाद करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके माध्यम से, छात्र दूसरों के साथ सही ढंग से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, और जानकारी को सही ढंग से साझा कर सकते हैं।
- पठन कौशल:** भाषा प्रवीणता के माध्यम से, छात्रों को पठन कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। यह उन्हें लेखित सामग्री को समझने और उसे सही ढंग से व्याख्या करने की क्षमता प्रदान करती है।
- लेखन कौशल:** भाषा प्रवीणता छात्रों को अच्छे लेखन कौशल विकसित करने में मदद करती है। यह उन्हें सही वाक्य रचना, व्याख्या, और परिप्रेक्ष्य में विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करती है।
- (7) किसी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए कुछ रणनीतियां हैं जो आपकी भाषा शिक्षा और संवाद कौशल को सुधारने में मदद कर सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां निम्न हैं—
- **नियमित अभ्यास :** भाषा के अभ्यास को नियमित बनाना महत्वपूर्ण है। रोज़ाना एक निश्चित समय निर्धारित करें जब आप भाषा सीख सकते हैं और इसे नियमित रूप से प्रैक्टिस करें।
 - **भाषा का प्रयोग करने की अवसर प्रदान करें :** छात्रों को अधिक संवादात्मक और संचारिक माहौल में रखने के लिए भाषा का उपयोग करने के अवसर प्रदान करें। इसमें समूह-चर्चा, वाद-विवाद, प्रेजेंटेशन, और लेखन के अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
- (8) भाषा प्रवीणता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं—

- **भाषा के प्रयोग** : भाषा का उपयोग करने की विधि, संरचना, शब्दावली, वाक्यरचना और व्याकरण का माहौल भाषा प्रवीणता को प्रभावित करता है। उचित वाक्यों, व्याकरणिक संरचना और शब्दावली के साथ सही भाषा का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है।
- **शिक्षा और पढ़ाई** : व्यक्ति की शिक्षा, पढ़ाई और अध्ययन का स्तर भाषा प्रवीणता पर सीधा प्रभाव डालता है। अच्छी शिक्षा और सामर्थ्य वर्धन के माध्यम से व्यक्ति भाषा के विभिन्न पहलुओं को अधिक समझता है और अधिक सक्षम बनता है।
- **परिवेश** : व्यक्ति के रहने के जगह का परिवेश भी भाषा प्रवीणता को प्रभावित करता है। यदि व्यक्ति एक भाषा में पाले बढ़े होते हैं, तो उन्हें उस भाषा में अधिक विकास होता है।

(9) भाषा प्रवीणता में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यहां कुछ मुख्य कारण हैं जो शिक्षक की भूमिका को समझाते हैं—

प्रेरक: एक अच्छे भाषा शिक्षक की प्रमुख भूमिका प्रेरणा प्रदान करना होती है। वे छात्रों को भाषा के महत्व और सम्पूर्णता के प्रति प्रेरित करते हैं। शिक्षक छात्रों को भाषा के प्रति आकर्षित करने वाले उदाहरण दे सकते हैं और उन्हें समर्थित करते हैं ताकि वे अधिक सक्रिय रूप से अपनी भाषा कौशल में सुधार करें।

पाठ्यक्रम योजना: शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वे उपयुक्त भाषा पाठ्यक्रम योजना तैयार करें जो छात्रों को सही भाषा और व्याकरण नियमों की समझ और उपयोग करने की क्षमता प्रदान करे। शिक्षक छात्रों को भाषा के मूल तत्वों को समझाने के लिए प्रतिष्ठित और प्रभावी पाठ सामग्री का उपयोग कर सकते हैं।

(10) भाषा प्रवीणता को बढ़ाने के लिए शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं—

- **संवादात्मक शिक्षण (Communicative Teaching):** यह शिक्षण विधि भाषा के प्रयोग में संवादात्मकता को प्रोत्साहित करती है। इसमें विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, जिससे उनकी सुनने, बोलने, पढ़ने, और लेखने की क्षमता सुधरती है। यह सिखाने वाले के अनुभव, भावना, और रुचियों को महत्वपूर्ण मानती है, जो भाषा को सीखने को आकर्षक और समर्थनशील बनाता है।
- **प्राथमिक भाषा का उपयोग (Immersion):** इस रणनीति में, शिक्षण को प्राथमिक भाषा में पूर्वाधारित किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को भाषा के साथ पूर्ण रूप से घुल-मिल जाने का मौका मिलता है। यह भाषा के साथ अधिक संवादात्मक और सहज बनाता है और शब्दावली का विस्तार करने में मदद करता है।

8.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. राठी, पी.के. और कुमार, राजेश. (2017). हिंदी भाषा में प्रवीणता. रोहतक: ठाकुर प्रकाशन.
2. जोशी, ओ. पी. (2016). हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता. जयपुर: कल्पना प्रकाशन.
3. शर्मा, मंजू. (2020.) भाषा में प्रवीणता: हिंदी और अंग्रेजी. यूरेका प्रकाशन.

इकाई- 09 : विद्यालयों में भाषा संबंधी समस्याएं

इकाई की संरचना

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 इकाई के उद्देश्य
- 9.3 भाषा की आवश्यकता
- 9.4 भाषा सीखने की प्रकृति
- 9.5 भारत में भाषा का इतिहास
- 9.6 भाषा से सम्बन्धित भारत के संविधान में प्रावधान
- 9.7 कक्षा में भाषा सम्बन्धी समस्याएं
- 9.8 कक्षा में भाषा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान
- 9.9 भारत में भाषा सम्बन्धी समस्याओं का निदान
- 9.10 सारांश
- 9.11 अभ्यास के प्रश्न
- 9.12 चर्चा के बिन्दु
- 9.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 9.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

9.1 प्रस्तावना

भाषा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। यह समस्याएँ पहचानी जा सकती हैं और इनका समाधान किया जा सकता है, जिससे भाषाओं का संरक्षण हो सके। इनका समाधान समाज में सामंजस्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। इनके संरक्षण से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इनका अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने में मदद कर सकता है और इनका अध्ययन भाषा अधिकारों की सुरक्षा में मदद कर सकता है। इसके अलावा, भाषा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन भाषा और समाज के बीच संवाद को बढ़ावा देने में मदद करता है और एकता को बनाए रखने में सहायक होता है।

9.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. भाषा सम्बन्धी समस्याओं को समझ सकेंगे।
2. भाषा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान बता सकेंगे।
3. भाषा संबंधी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं के विषय में अपना विचार प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान कर सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर सकेंगे।
5. भाषा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान कर शैक्षिक प्रणाली में सुधार कर सकेंगे।

- भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान कर समाज के लोगों के बीच सामंजस्य और संवाद को बढ़ावा देने में सहायता कर सकेंगे।

9.3 भाषा की आवश्यकता

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भाषा एक संवादनी सिस्टम है जिसका उपयोग लोग अपने विचारों, भावनाओं, और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा लोग शब्दों, भाषाओं, और संकेतों का उपयोग करके बातचीत करते हैं। यह एक समृद्ध और मानव समाज के अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विभिन्न भाषाओं में विविधता देता है। भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द, वाक्य, और विविध भाषाई उपकरणों का उपयोग करता है जिससे विचारों का संचयन, संवाद, और समझाने का प्रक्रिया होता है। भाषा विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और यह विभिन्न समुदायों और संस्कृति के लिए विशेष होती है।

भाषा की आवश्यकता निम्न कारणों के लिए होती है—

- भाषा एकजुट करने वाली शक्ति है।
- सामान्य भाषा— भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।
- भाषा अंतर्राज्यीय संचार के लिए आवश्यक है।
- भाषा मानव जाति की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वह अपनी बात अच्छे से व्यक्त कर पाता है और दूसरों के भावों को समझ पाता है।
- यह मानवीय अभिव्यक्ति का माध्यम है।
- भाषा का विकास सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास का प्रतीक है।
- माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए।
- उच्च शैक्षिक स्तर पर अंग्रेजी में शिक्षा।
- विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा में अंग्रेजी का महत्व।
- देश के प्रत्येक बच्चे को राष्ट्रभाषा की शिक्षा देना।

9.4 भाषा सीखने की प्रकृति

हिलगार्ड 'सीखने' को एक उत्पाद और प्रक्रिया दोनों मानते हैं। भाषा सीखने की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित व्याख्या की गई है—

- भाषा सीखना प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है।
- भाषा सीखना भाषाई व्यवहार में परिवर्तन है।
- भाषा सीखना मनुष्य की प्रवृत्ति है।
- भाषा सीखना मानसिक क्षमताओं के विकास की नींव है।
- भाषा सीखना मानकों के अनुसार हो सकता है।
- मानकों के विपरीत लेकिन भाषा शिक्षण सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करता है।
- भाषा सीखना एक सतत प्रक्रिया है।
- भाषा सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है और बच्चा इसे सीखता है।
- भाषा सीखने के लिए बड़ों और समाज का अनुसरण करना आवश्यक है।
- भाषा सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका अर्थ है कि एक बच्चा जो सक्रिय है वह भाषा कौशल बेहतर ढंग से सीखता है।

11. भाषा सीखना व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।

9.5 भारत में भाषा की इतिहास

बहुत समय पहले आर्य कहे जाने वाले लोगों का एक समूह उत्तर पश्चिम से भारत आया था और वे संस्कृत नामक भाषा बोलते थे। यह भाषा लम्बे समय तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती रही। जैसे-जैसे समय बीतता गया, संस्कृत के विभिन्न रूपों का उपयोग किया गया और प्राकृत नामक नई भाषाएँ विकसित होने लगीं। ये भाषाएँ भारत के विभिन्न हिस्सों, उत्तर और दक्षिण दोनों में बोली जाती थीं। लोग कहानियाँ और कविताएँ लिखने के लिए इन भाषाओं का उपयोग करते थे और उनकी अपनी अनूठी साहित्यिक शैलियाँ थीं।

तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगू कुछ ऐसी भाषाएँ हैं जिनमें लिखित कार्यों का एक लंबा इतिहास है। यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि भारत में समय के साथ भाषाएँ कैसे बदली और विकसित हुईं। भारत में मुस्लिम शासन से पहले, लोग संस्कृत और अन्य भाषाएँ बोलते थे। लेकिन फिर, फारसी आधिकारिक भाषा बन गई, विशेषकर भारत के उत्तरी भाग में। भले ही इन भाषाओं को राजनीति में ज्यादा महत्व नहीं दिया गया, फिर भी लोग अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं।

जब भारत एक देश बना, तो उसके सामने एक कठिन समस्या थी। उसे एक ऐसी भाषा चुनने की जरूरत थी जिसका उपयोग हर कोई सरकार के लिए कर सके, लेकिन वह अन्य भाषाओं को कम महत्वपूर्ण महसूस नहीं कराना चाहती थी। इसलिए, भारतीय संविधान ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बना दिया, लेकिन स्कूलों और व्यवसायों के लिए अभी भी अंग्रेजी का उपयोग किया जाता था। संविधान में कहा गया कि आधिकारिक चीजों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल अगले 15 वर्षों तक किया जा सकता है। अंग्रेजी को आधुनिकीकरण और दुनिया का हिस्सा बनने के एक तरीके के रूप में देखा गया। यही कारण है कि जो लोग वास्तव में अपनी भाषा की परवाह करते हैं वे भी अंग्रेजी को पसंद करते हैं और उसका उपयोग करते हैं।

लेकिन भारत में कुछ लोगों, खासकर तमिल बोलने वालों को यह पसंद नहीं आया। जब सरकार ने हिन्दी को भारतीय गौरव का प्रतीक बनाने का प्रयास किया तो इससे बहुत से लोग नाराज हो गये। 1967 में, भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसके अनुसार राज्य कागजी कार्रवाई और अनुबंध जैसी आधिकारिक चीजों के लिए अंग्रेजी या हिंदी का उपयोग कर सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र 1968 में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रालय शिक्षा आयोग (Education Commission) द्वारा लागू किया गया था। भाषाई विविधता के कारण हमारे देश में अलगाववाद और विघटन को बढ़ावा मिला इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। भाषाई विविधता का मतलब है कि लोगों द्वारा बोली जाने वाली कई अलग-अलग भाषाएँ हैं। बहुभाषावाद इसका दूसरा शब्द है। भारत में 1000 से ज्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं क्योंकि वहाँ के लोग अलग-अलग तरीके से बोलना पसंद करते हैं।

भले ही भारत में कई अलग-अलग भाषाएँ और संस्कृतियाँ हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ती हैं। शोध में पाया गया है कि कई भाषाएँ बोलने में सक्षम होने से वास्तव में लोगों के लिए एक समुदाय में एक-दूसरे से बात करना और एक-दूसरे को समझना आसान हो जाता है।

9.6 भाषा से सम्बन्धित भारत के संविधान में प्रावधान

संविधान में भाषा के महत्वपूर्ण अधिकार और मार्गनिर्देशों को संबोधित करते हुए यहाँ कुछ मुख्य प्रावधान दिये गये हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. **अनुच्छेद 14** : संविधान के इस अनुच्छेद में भाषा के स्वतंत्रता का प्रावधान है। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनकी वाणी का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें किसी भी भाषा में अपने विचारों का अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देता है।

2. **अनुच्छेद 29–30** : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 विभिन्न भाषा और जातियों के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 29 भाषाओं के सांस्कृतिक और शैली के अधिकारों का संरक्षण करता है, जबकि अनुच्छेद 30 निजी और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में भाषा और जाति के आधार पर शिक्षा के अधिकार को संरक्षित करता है। इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भाषा और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान है। यह समुदायों को अपनी भाषा, साहित्य, और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए सरकारी समर्थन प्राप्त करने का अधिकार देता है।
3. **अनुच्छेद 350** : इस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में उपयोग होने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण और विकास का प्रावधान है। यह अनुच्छेद उन राज्यों को प्रोत्साहित करता है जो अपने उपनिवेश भाषियों को संरक्षित रखने और उनकी संख्या और स्थिति में सुधार करने के लिए उच्च शिक्षा, संगठन, और विकास कार्यों को शुरू करते हैं।
4. **अनुच्छेद 343** : यह अनुच्छेद राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करता है। इसके साथ ही यह संविधान भाषाओं के संघीय तथा राज्यिक स्तर पर प्रयोग, प्रोत्साहन और विकास का प्रावधान भी करता है।
5. **राजभाषाएँ (Eighth Schedule)** : भारतीय संविधान के आठवें अनुसूची (Eighth Schedule) में 22 भारतीय भाषाएँ शामिल हैं, जिन्हें राजभाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह सूची संविधान के अनुच्छेद 344(1) के तहत तैयार की गई थी और नई भाषाओं को इसमें जोड़ने का प्रावधान भी है।

इन प्रावधानों के माध्यम से, संविधान ने भाषा के महत्वपूर्ण मामलों को उजागर किया है और नागरिकों को भाषाई स्वतंत्रता और संरक्षण के अधिकारों का लाभ प्रदान किया है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. भाषा क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है?

.....

2. भाषा सीखने की प्रकृति की व्याख्या कीजिये?

.....

3. भारतीय भाषा का इतिहास संक्षेप में बताइए।

.....

4. संविधान में भाषा संबंधित कौन-कौन से अनुच्छेद हैं?

.....

9.7 कक्षा में भाषा सम्बन्धी समस्याएं

कक्षा में भाषा संबंधी निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं—

1. **भाषा कौशल की कमी** : छात्रों में भाषा कौशल की कमी होने के कारण वे सुंदर रूप से संवाद करने में संकट अनुभव कर सकते हैं। इसमें शब्दावली की कमी, गलत उच्चारण, और अस्पष्ट भाषा संरचना शामिल हो सकती है।
2. **भाषा संवाद में हिचकिचाहट** : कई छात्रों को भाषा संवाद में हिचकिचाहट हो सकती है और वे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह सक्रिय भाषा उपयोग की कमी, सामर्थ्य का अभाव या भाषा के प्रति अनुमानित डर भी हो सकता है।
3. **पठन और लेखन कौशल की कमी** : छात्रों की भाषा संबंधी समस्या में पठन और लेखन कौशल की कमी भी शामिल हो सकती है। छात्रों को शब्दों को सही ढंग से समझने में मुश्किल हो सकती है और वे सुंदर और व्यावहारिक ढंग से लेखन नहीं कर पाते हैं।
4. **भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव** : भाषा विविधता के कारण भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि तथा रुझान का अभाव पाया जाता है। जिस कारण से भाषा शिक्षण का कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
5. **भाषा संदर्भ में कुछ छात्रों की कमजोरी** : कुछ छात्रों को भाषा संदर्भ में विशेष क्षेत्रों में कमजोरी हो सकती है, जैसे— व्याकरण, शब्दावली, और प्रारूपी व्यवस्था। इसके कारण वे वाणी या लेखन में गलतियाँ कर सकते हैं और अप्रासंगिक संवाद का सामर्थ्य नहीं रख सकते हैं।
6. **व्याकरण संबंधी मुद्द** : भारतीय शिक्षा प्रणाली अक्सर याद रखने और रटने पर जोर देती है। इसलिए छात्र भाषा के व्यावहारिक उपयोग के बजाय व्याकरण के नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। छात्र अक्सर उचित शब्द क्रम, विषय-क्रिया समझौते, काल उपयोग और पूर्वसर्गों और लेखों के सही उपयोग के साथ संघर्ष करते हैं।

इन समस्याओं का सामान्यतः शिक्षकों द्वारा पहचाना और संशोधित किया जा सकता है। उन्हें छात्रों की भाषा कौशल को सुधारने के लिए अपेक्षित शिक्षा प्रदान करने और विभिन्न उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि भाषा का प्रयोग करने और समर्थन करने के लिए विशेष कक्षा कार्यक्रम, संगठनित भाषा व्यायाम, और स्वतंत्र अभ्यास का प्रदान करना।

9.8 कक्षा में भाषा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान

कक्षा में भाषा सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु निम्न उपाय किये जा सकते हैं—

1. **बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम** : शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए।
2. **भाषा में समरूपता** : बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए
3. **त्रिभाषा फार्मूला** : बच्चे प्रारम्भ से ही बहु भाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए त्रिभाषा फार्मूला को उसके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता है।
4. **प्राथमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा** : बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सके।
5. **मातृभाषा में बोलने के अवसर** : बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करनी चाहिए।
6. **संचार कौशल का विकास** : छात्रों को संवाद कौशल के विकास के लिए प्रेरित करें। इसके लिए उन्हें संवाद का मार्गदर्शन करें, उच्चारण और वाक्य रचना पर ध्यान दें, और सही बोली और लिखी भाषा का अभ्यास कराएं।

7. **भाषा संवाद के लिए संरचनात्मक गतिविधियाँ** : छात्रों को संरचित गतिविधियों के माध्यम से भाषा संवाद का अभ्यास कराएं। इसमें समूह चर्चा, भाषा खेल, भाषा निबंध लेखन, और संवादात्मक नाटक शामिल हो सकते हैं।
8. **भाषा संसाधनों का उपयोग** : छात्रों के लिए सुविधाजनक भाषा संसाधनों का उपयोग करें, जैसे कि शब्दकोश, वाक्य संरचना की साधनाएँ, और सामरिक अभ्यास पुस्तकें। इससे छात्रों को भाषा के नियमों और संरचना के साथ अधिक संवादात्मक बनाने में मदद मिलेगी।
9. **विविधता को समर्थन करें** : विभिन्न भाषाओं, शैलियों और संस्कृतियों की समर्थन करें। छात्रों को भाषाई विविधता का महत्व समझाएं और उन्हें विभिन्न भाषाओं का संपर्क कराएं। इससे उनकी संवाद कौशल और सामरिक संवाद में सुधार होगा।
10. **व्याकरण और शब्दावली का समर्थन** : छात्रों को सही व्याकरण, शब्दावली और वाक्य संरचना का समर्थन करें। इसके लिए व्याकरण के नियमों की समझ को मजबूत करें और विभिन्न शब्द सूची, पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करें।
11. **अभिव्यक्ति की स्थिरता का प्रोत्साहन** : छात्रों के भाषाई अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करें। उन्हें आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दें।

9.9 भारत में भाषा सम्बन्धी समस्याओं का निदान

शिक्षक एक पाठ्यक्रम तक सीमित हैं, और बड़े पैमाने पर पाठ्यपुस्तक का लेन-देन बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। यह उन्हें ढेर सारी जानकारी प्रदान करके किया जाता है, जिसे रटन्त स्मृति के माध्यम से महारत हासिल करनी होती है, और अधिकतर ऐसी भाषा में जिससे बच्चे परिचित न हों। बच्चों को उनके छोटे आदिवासी समूहों से बाहर निकलने और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक प्राणी बनाने में मदद करने का राष्ट्रीय लक्ष्य, अपनी स्थानीय संस्कृति के साथ एक मजबूत संबंध बनाए रखते हुए, एक कल्पित आदर्श बना हुआ है।

राष्ट्रीय लक्ष्य को प्रसारित करने की प्रक्रिया शायद ही कभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुँचती है। जब तक स्कूल एक भाषा है, और बच्चे बहुभाषी हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं होगा कि स्कूल और इसकी प्रणाली अपने शिक्षण और इसके पाठ्यक्रम में विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को समायोजित करने में सक्षम होगी।

एक और बाधा यह है कि भले ही राज्य में बहुभाषी दृष्टिकोण को लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, वे नहीं जानते कि कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि यह काफी हद तक अप्रयुक्त है और भारतीय संदर्भ में संदर्भों के बहुत सीमित फ्रेम हैं।

भारत में भाषा संबंधित कई समस्याएं हो सकती हैं, जो निम्नलिखित हैं—

- **भाषा भेदभाव (Linguistic Discrimination)** : कभी-कभी भाषाओं के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव हो सकता है, जो सामाजिक और आर्थिक समानता को प्रभावित कर सकता है।
- **भाषा का असंवर्धन (Language Endangerment)** : कुछ भाषाएं असंवर्धित हो रही हैं क्योंकि वे केवल छोटे समुदायों द्वारा बोली जाती हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उपायों की जरूरत होती है।
- **राजभाषा के अभाव (Lack of Official Language)** : राज्यों में राजभाषा का चयन और समर्थन करने में कई बार कठिनाइयाँ होती हैं, जिसके कारण लोग अपनी मातृभाषा के प्रति अविगत नहीं रह पाते।
- **भाषा के लिए शिक्षा की कमी (Lack of Education in Native Language)** : कुछ समुदायों के लोग अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी भाषा का प्रवासी भाषाओं के साथ टूटने का खतरा होता है।

- **भाषा संरक्षण की लापरवाही (Neglect of Language Preservation)** : कुछ सरकारें अपनी राजभाषाओं और स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के लिए कानूनों का पालन नहीं करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये भाषाएं खत्म हो सकती हैं।
- **भाषा बनाम भाषा (Language vs. Language)** : कुछ समय भाषाओं के बीच भाषा की जगह राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक मुद्दों के कारण से विवाद उत्पन्न हो सकता है, जो समृद्धि और विकास को रोक सकता है।
- **समृद्धि और भाषा का तनाव (Development vs. Language Strain)** : प्रायः बड़े विकासकों के साथ समृद्धि की ओर बढ़ते समय स्थानीय भाषाओं को अनदेखा किया जा सकता है, जिससे लोग अपनी पारंपरिक भाषा को छोड़ने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं।

इन समस्याओं का समाधान केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सामुदायिक संगठन, और समाज के सभी स्तरों पर साझा जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, ताकि भाषाओं का संरक्षण और समृद्धि सुनिश्चित किया जा सके।

भारत में भाषा संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं—

1. **भाषा संरक्षण और संवर्धन** : भारत में अनेक भाषाएं और भाषाई समुदाय मौजूद हैं। सरकार को भाषाओं को संरक्षित रखने और संवर्धन करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।
2. **भाषा शिक्षा** : भाषा शिक्षा के क्षेत्र में मानकों और गुणवत्ता की उन्नति को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा नीतियों के माध्यम से भाषा शिक्षा को मजबूत करें, शिक्षकों की प्रशिक्षण में ध्यान दें, और शिक्षा संस्थानों में आवश्यक संसाधनों की प्रदान करें।
3. **भाषा सम्पर्क** : विभिन्न भाषाओं के बीच संपर्क को बढ़ावा देना चाहिए। भाषा समर्थन कार्यक्रम, साहित्य सम्मेलन, संस्कृति उत्सव और भाषा गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जो भाषाई विविधता को समर्थन करें और लोगों को विभिन्न भाषाओं का संपर्क कराएं।
4. **भाषा के न्यायाधीशों का नियुक्ति** : भाषा सम्बंधी मुद्दों को न्यायाधीशों के समक्ष लाना महत्वपूर्ण है। भाषा के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी संरचना उच्चतम न्यायालयों में कानूनी सुरक्षा के निर्णयों को बढ़ावा देगी।
5. **भाषा संघ** : एक समर्थनीय भाषा संघ की स्थापना करना चाहिए जो भाषा सम्बंधी मुद्दों के प्रश्नों पर जागरूकता बढ़ाने, भाषा संरक्षण की दिशा में नीति साधनों का विकास करने और संबंधित अधिकारियों और संगठनों के साथ सहयोग करने का कार्य करेगा।
6. **समरसता और सहयोग** : भाषा के समरसता और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि भाषा के विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर उसे बढ़ावा दे सकें।
7. **डिजिटल और इंटरनेट मीडिया** : भाषा के संरक्षण के लिए डिजिटल और इंटरनेट मीडिया का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है, ताकि भाषा का प्रसार और संरक्षण दोनों हो सके।
8. **भाषा का सही उपयोग** : सामाजिक माध्यमों में भाषा का सही और समय-समय पर उपयोग करना चाहिए ताकि वे जीवित रह सकें।
9. **साक्षरता कार्यक्रम** : साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से भाषा की साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि भाषा का उपयोग विस्तार से हो सके।

ये कुछ सामान्य उपाय हैं जो भारत में भाषा संबंधी समस्याओं का निदान करने में मदद कर सकते हैं। इन कदमों के साथ-साथ, भाषा सम्बंधी मुद्दों के प्रति जनसामान्य की जागरूकता और समर्थन भी महत्वपूर्ण है। इन उपायों के माध्यम से शिक्षक छात्रों की भाषा सम्बंधी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और उनके भाषा कौशल को सुधार सकते हैं। समस्याओं की पहचान करने के लिए विशेष ध्यान दें और उपायों को छात्रों के विचारों, समर्थन और आवश्यकताओं के साथ संरचित करें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
5. कक्षा में भाषा संबंधी समस्याओं के कारण क्या हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?
.....
.....
6. कक्षा में भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है?
.....
.....
7. भारत में भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है?
.....
.....

9.10 सारांश

भाषा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। इनके संरक्षण से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इनका अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने में मदद कर सकता है और इनका अध्ययन भाषा अधिकारों की सुरक्षा में मदद कर सकता है। भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्द, वाक्य, और विविध भाषाई उपकरणों का उपयोग करता है जिससे विचारों का संचयन, संवाद, और समझाने का प्रक्रिया होता है। भाषा विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और यह विभिन्न समुदायों और संस्कृति के लिए विशेष होती है। भले ही भारत में कई अलग-अलग भाषाएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ती हैं। शोध में पाया गया है कि कई भाषाएँ बोलने में सक्षम होने से वास्तव में लोगों के लिए एक समुदाय में एक-दूसरे से बात करना और एक-दूसरे को समझना आसान हो जाता है।

भारत में संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भाषा के महत्वपूर्ण मामलों को उजागर किया है और नागरिकों को भाषाई स्वतंत्रता और संरक्षण के अधिकारों का लाभ प्रदान किया है। कक्षा में भाषा संबंधी अनेक समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं का सामान्यतः शिक्षकों द्वारा पहचाना और संशोधित किया जा सकता है। उन्हें छात्रों की भाषा कौशल को सुधारने के लिए अपेक्षित शिक्षा प्रदान करने और विभिन्न उपायों को अपनाने की आवश्यकता होती है, जैसे कि भाषा का प्रयोग करने और समर्थन करने के लिए विशेष कक्षा कार्यक्रम, संगठनित भाषा व्यायाम, और स्वतंत्र अभ्यास का प्रदान करना।

9.11 अभ्यास के प्रश्न

1. भाषा से सम्बन्धित भारत के संविधान में क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं? वर्णन कीजिए।
2. कक्षा में भाषा सम्बन्धी कौन-कौन सी समस्याएं आती हैं? विवरण दीजिए।

9.12 चर्चा के बिन्दु

1. भाषा के सीखने की प्रकृति क्या है? चर्चा कीजिए।

9..13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भाषा एक संवादननी सिस्टम है जिसका उपयोग लोग अपने विचारों, भावनाओं, और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए करते हैं। इसके द्वारा लोग शब्दों, भाषाओं, और संकेतों का उपयोग करके बातचीत करते हैं।

भाषा की आवश्यकता निम्न कारणों के लिए होती है—

- भाषा एकजुट करने वाली शक्ति है।
 - सामान्य भाषा – भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है।
 - भाषा अंतरराज्यीय संचार के लिए आवश्यक है।
2. हिलगार्ड ' सीखने ' को एक उत्पाद और प्रक्रिया दोनों मानते हैं।

भाषा सीखने की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित व्याख्या की गई है—

- भाषा सीखना प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है।
 - भाषा सीखना भाषाई व्यवहार में परिवर्तन है।
 - भाषा सीखना मनुष्य की प्रवृत्ति है।
 - भाषा सीखना मानसिक क्षमताओं के विकास की नींव है।
3. बहुत समय पहले, आर्य कहे जाने वाले लोगों का एक समूह उत्तर पश्चिम से भारत आया था और वे संस्कृत नामक भाषा बोलते थे। यह भाषा लम्बे समय तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती रही। जैसे-जैसे समय बीतता गया, संस्कृत के विभिन्न रूपों का उपयोग किया गया और प्राकृत नामक नई भाषाएँ विकसित होने लगीं। ये भाषाएँ भारत के विभिन्न हिस्सों, उत्तर और दक्षिण दोनों में बोली जाती थीं। लोग कहानियाँ और कविताएँ लिखने के लिए इन भाषाओं का उपयोग करते थे और उनकी अपनी अनूठी साहित्यिक शैलियाँ थीं।
 4. संविधान में भाषा के महत्वपूर्ण अधिकार और मार्गनिर्देशों को संबोधित करते हुए कुछ मुख्य प्रावधान हैं जो निम्नलिखित हैं—

- **अनुच्छेद 14** : संविधान के इस अनुच्छेद में भाषा के स्वतंत्रता का प्रावधान है। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनकी वाणी का अधिकार प्रदान करता है और उन्हें किसी भी भाषा में अपने विचारों का अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देता है।
 - **अनुच्छेद 29— 30** : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 विभिन्न भाषा और जातियों के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 29 भाषाओं के सांस्कृतिक और शैली के अधिकारों का संरक्षण करता है, जबकि अनुच्छेद 30 निजी और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में भाषा और जाति के आधार पर शिक्षा के अधिकार को संरक्षित करता है। इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भाषा और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का प्रावधान है। यह समुदायों को अपनी भाषा, साहित्य, और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए सरकारी समर्थन प्राप्त करने का अधिकार देता है।
5. कक्षा में भाषा संबंधी समस्याएं एवं उनके समाधान निम्नलिखित हो सकती हैं—
 - **भाषा कौशल की कमी** : छात्रों में भाषा कौशल की कमी होने के कारण वे सुंदर रूप से संवाद करने में संकट अनुभव कर सकते हैं। इसमें शब्दावली की कमी, गलत उच्चारण, और अस्पष्ट भाषा संरचना शामिल हो सकती है।

- **भाषा संवाद में हिचकिचाहट** : कई छात्रों को भाषा संवाद में हिचकिचाहट हो सकती है और वे खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते हैं। इसकी वजह सक्रिय भाषा उपयोग की कमी, सामर्थ्य का अभाव, या भाषा के प्रति अनुमानित डर भी हो सकता है।
6. कक्षा में भाषा संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं—
- **बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम** : शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए।
 - **भाषा में समरूपता** : बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए।
 - **त्रिभाषा फार्मूला** : बच्चे प्रारंभ से ही बहु भाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए त्रिभाषा फार्मूला को उसके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता है।
 - **प्राथमिक स्तर की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा** : बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो सके।
7. भारत में भाषा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं—
- **भाषा संरक्षण और संवर्धन** : भारत में अनेक भाषाएं और भाषाई समुदाय मौजूद हैं। सरकार को भाषाओं को संरक्षित रखने और संवर्धन करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है।
 - **भाषा शिक्षा** : भाषा शिक्षा के क्षेत्र में मानकों और गुणवत्ता की उन्नति को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा नीतियों के माध्यम से भाषा शिक्षा को मजबूत करें, शिक्षकों की प्रशिक्षण में ध्यान दें, और शिक्षा संस्थानों में आवश्यक संसाधनों की प्रदान करें।
 - **भाषा सम्पर्क** : विभिन्न भाषाओं के बीच संपर्क को बढ़ावा देना चाहिए। भाषा समर्थन कार्यक्रम, साहित्य सम्मेलन, संस्कृति उत्सव और भाषा गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जो भाषाई विविधता को समर्थन करें और लोगों को विभिन्न भाषाओं का संपर्क कराएं।

9.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. सिंह, रामकिशोर. (2017). पाठ्यक्रम में भाषा. मेरठ आर लाल बुक डिपो.
2. Anderson, M. et al. (2012). *Techniques And Principles in Language Teaching*. Oxford University Press.
3. Baker, D. Richards, C. (2018). *Second Language Acquisition: Methods, Perspectives and Challenges (Languages and Linguistics)*. Nova Science Publishers.

खण्ड परिचय

खंड 04 जो कि भाषा के कौशल से सम्बन्धित है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तीन इकाइयां हैं—

इकाई 10 : पढ़ने और लिखने का कौशल

इकाई 11 : श्रवण और वाचन का कौशल

इकाई 12 : लेखन के संप्रदाय

इकाई 10 जो कि पढ़ने और लिखने के कौशल से संबंधित है। इस इकाई के अंतर्गत पढ़ने और लिखने के कौशल का क्या अर्थ है? उसके प्रकार तथा उसके विधियों का स्पष्ट वर्णन दिया गया है। पढ़ने और लिखने के सिद्धांत पर भी प्रकाश डाला गया है जिसके अंतर्गत सस्वर पाठन, मौखिक रूप से पाठन या मौन पाठन तथा लेखन और पठन की शिक्षण विधियां, पढ़ने और लिखने का सिद्धांत इत्यादि का विस्तृत वर्णन दिया गया है। इस इकाई में पढ़ने और लिखने को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में भी विस्तार से बताया गया है।

इकाई 11 जो कि श्रवण और वाचन कौशल से संबंधित है। इस इकाई में श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है? और उसके महत्व क्या हैं? इन सभी को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। साथ ही वाचन कौशल के उद्देश्य एवं महत्व को विस्तार से बताया गया है। श्रवण कौशल का उपयोग बोलने और सीखने में किस प्रकार किया जाता है? इसे स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया गया है। श्रवण के प्रकारों पर भी व्याख्या प्रस्तुत किया गया है। श्रवण कौशल को प्रभावित करने वाले कारक जैसे— शैक्षिक वातावरण का अभाव, कठिन भाषा का प्रयोग, अशुद्ध उच्चारण इत्यादि पर भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है।

इकाई 12 जो कि लेखन के संप्रदाय से संबंधित है। इस इकाई के अंतर्गत लेखन किस प्रकार सिखाया जा सकता है? इस विषय पर स्पष्ट वर्णन दिया गया है। लेखन कौशल के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसके अर्थ को परिभाषित किया गया है। लेखन कौशल का विकास किस प्रकार से होता है जो अनेक स्तरों में किया जाता है जैसे— प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार लेखन कौशल का विकास किया जाता है? इसका उदाहरण सहित व्याख्या प्रस्तुत किया गया है। लेखन कौशल के आवश्यक तत्व एवं आधार क्या है तथा लिखने के कौन-कौन से प्रकार हैं, लिखने के विभिन्न तरीके कौन-कौन से हैं, इसका भी सचित्र वर्णन किया गया है। लेखन के सिद्धांत यथा— स्पष्ट लेखन के प्रति उत्सुकता पर प्रतिबंध, स्वतंत्र विचार एवं अभिव्यक्ति, संचार, ईमानदारी इत्यादि पर विस्तृत वर्णन दिया गया है। साथ ही लेखन को प्रभावित करने वाले कारकों को भी बताया गया है।

इकाई-10 : पढ़ने और लिखने का कौशल

इकाई की संरचना

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 इकाई के उद्देश्य
- 10.3 पढ़ने और लिखने का कौशल, अर्थ, प्रकार, विधियाँ
- 10.4 पढ़ने और लिखने का सिद्धान्त
- 10.5 पढ़ने और लिखने को प्रभावित करने वाले कारक
- 10.6 सारांश
- 10.7 अभ्यास के प्रश्न
- 10.8 चर्चा के बिन्दु
- 10.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

10.1 प्रस्तावना

प्राचीन समय से ही मानव सृष्टि जगत में विचरण करता हुआ प्रकृति के नाना रूपों एवं व्यवहारों से कहीं मेल खाता, कहीं टकराता जीवन में संचरण करता रहा होगा। इन रूपों और कौशलों के प्रति कभी उदासीन कभी आनंदित होता हुआ, अपने स्थित भावों को बाह्य रूप में प्रकट करने की अभिलाषा करता रहा होगा, जिनको वह क्रियाओं संकेतों, भाव-भंगिमाओं, अव्यवस्थित अपरिमार्जित बोली द्वारा अभिव्यक्त करता रहा है। वहीं क्रिया-कलाप अपरिमार्जित एवं अव्यवस्थित भाषा लिपि का वरदान पाकर सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण करती हैं।

कौशलों को एकीकृत करने से अभिप्राय यह नहीं है कि अध्यापक द्वारा किसी एक शिक्षण परिस्थिति में सभी पूर्व अर्जित शिक्षण कौशलों को किसी न किसी रूप में अवश्य ही प्रयोग में लाया जाये। वास्तविक कक्षा शिक्षण में अध्यापक के लिये मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि वह अपने शिक्षण काल के दौरान कक्षा में विद्यार्थियों को किस कौशल के माध्यम से उनके अन्दर के कौशल को निखार रहा है। एक अध्यापक पढ़ने लिखने के कौशल को प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से लेकर उच्च स्तर के विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य के लिये प्रयोग कर सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत से तथ्य संप्रत्यय, नियम अथवा सिद्धान्त ऐसे होते हैं, जिन्हें अच्छी तरह स्पष्ट करने और बोधगम्य बनाने हेतु उनको पढ़ना और लिखना आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से पढ़ने और लिखने का कौशल एक अध्यापक के लिये काफी आवश्यक हो जाता है। पढ़ने और लिखने के कौशल से तात्पर्य उस विषय वस्तु से है, जो शिक्षण काल के दौरान अध्यापक और छात्र के बीच सरल, सुगम और रोचकता का सम्बन्ध स्थापित करती हैं। जैसे हिन्दी विषय का अध्यापक किसी कविता को पढ़ने से गायन को सम्मिलित करे तो विषय वस्तु और कक्षा दोनों रुचि पूर्ण हो जाती हैं। इस तरह पढ़ने और लिखने के कौशल को एक ऐसी तकनीक अथवा युक्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा किसी संप्रत्यय, विचार या नियम को अच्छी तरह बोधगम्य बनाने के लिये परस्पर संबंधित, क्रमबद्ध और सार्थक कथनों की भलीभांति सहायता ली जा सके। पढ़ने और लिखने का कौशल मुख्यतः विचारों पर निर्भर करता है, जिसमें गम्भीर तथा शोधपूर्ण लेखन की आवश्यकता होती है। इस कौशल में अध्यापक और छात्र दोनों की भूमिका अहम् होती है। एक अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य के उपरान्त पढ़ने और लिखने के कौशल का प्रयोग करते समय उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विषयवस्तु से न तो किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति, समुदाय, समाज अथवा ग्रन्थ पर किसी प्रकार का व्यंग्यात्मक एवं आक्रोशपूर्ण आपेक्ष हो और न कहीं अपशब्दों या अश्लील शब्दों का प्रयोग हो। भाषा सम्बन्धित विषय को पढ़ाने के लिये इस कौशल का उपयुक्त प्रयोग अध्यापक के लिये अति आवश्यक है। ऐसे कौशलों का प्रयोग अध्यापक के पढ़ाने की शैलियों में आकर्षक रचना कौशलों के साथ लिये हुये पठनीय,

मननीय, मनोरंजक, ज्ञानविस्तारक, विचारोत्तेजक और प्रेरणाशील लेखों का संग्रह करना, उसके साथ आवश्यक विषय वस्तु का पाठन कर टिप्पणी देना, स्पष्टीकरण के लिये टिप्पणी, शब्दों का उच्चारण, परिचय (शब्दों से) अथवा व्याख्या आदि जोड़ना और आए हुये लेखों को बोधगम्य तथा स्पष्ट करने के लिये अनावश्यक अंश निकाल देना, आवश्यक अंश जोड़ना आदि से अंत तक शैली के निर्वाह के लिये भाषा ठीक करना, पढ़ने और लिखने के कौशल से अध्यापक ने कक्षा में विद्यार्थियों के लिखने और पढ़ने के कौशल की प्रकृति के अनुसार भाषा और शैली को व्यवस्थित करना सिखाना। अध्यापक छात्रों को लेखन कार्य में निपुण बनाने के लिये उचित कौशल के अनुसार लेखन में परिवर्तन, भाषा में प्रयुक्त किये हुये शब्दों और वाक्यों का रूप शुद्ध करना था, लेखन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये शब्दों तथा वाक्यों का संयोजन करना आदि एक अध्यापक के पढ़ने लिखने के कौशल को प्रस्तुत करता है।

रचना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित प में होती है, तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। इन्हीं लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है, जैसे— पुस्तकों को पढ़ना, समाचार-पत्रों को पढ़ना आदि। अभिव्यक्ति की प्राप्ति से लेखन तथा पाठन परस्पर पूर्वक होते हैं। वाचन से लेखन कठिन होता है। लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व है, जबकि वाचन में उच्चारण का महत्व होता है। वाचन में उच्चारण की शुद्धता आवश्यक तत्व हैं और लेखन में अक्षरों का सुझौल होना वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। लिखने का उद्देश्य होता है कि भाव और अभिव्यक्ति या विचारों को हम दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं। जबकि पाठन/वाचन का अर्थ है कि हम अपने अन्दर बाहरी ज्ञान को पहुँचा रहे हैं।

लेखन की कला स्थाई साहित्य का अंग है। लेखन की विषयवस्तु साहित्य का क्षेत्र होता है और वाक्य लिखित भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, लेखन में सोचने तथा चिन्तन के लिये अधिक समय मिलता है, जबकि वाचन में भावाभिव्यक्ति का सख्त प्रवाह बना रहता है। सोचने का समय नहीं रहता। मानव जीवन में लेखन तथा वाचन दोनों रूपों का महत्व है।

लेखन की अशुद्धियाँ पाठकों तथा आलोचकों की दृष्टियों से बच नहीं सकती हैं। जबकि वाचन में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कारण लेखन में भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लेखन में भाषा शैली तथा विषय-सामग्री आदि सभी दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। लेखन के माध्यम से साहित्य का विधाओं एवं शैली का निर्माण तथा विकास किया जाता है। साहित्य में स्थायीत्व लेखन से आता है। लेखन से अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं— कहानी, नाटक, निबन्ध, कथायें, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, कविता, गद्यगीत, काव्य आदि। छात्रों को शिक्षण से इन विधाओं एवं रूपों से अवगत कराया जाता है। वाचन में भावात्मक पक्ष की प्रधानता होती है, जो लेखन द्वारा सम्भव नहीं हो पाती। स्वर के उतार-चढ़ाव से शब्दों में शक्ति आदि है, उसमें प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है। वाचन और लेखन के माध्यम से अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को अपने पाठ्यक्रम से जुड़े भावों एवं विचारों को समझाता है यह छात्र की एकाग्रता एवं ग्रहण शक्ति पर निर्भर करता है।

10.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे।
2. प्रसंगानुसार आवश्यक गति से लिख सकेंगे।
3. शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिख सकेंगे।
4. वाचन की कला से मुँह व चिह्न के उचित स्थान से ध्वनि उच्चारित कर सकेंगे।
5. कौशल के प्रयोग से विषय तथा अभिव्यक्ति के रूप में अनुकूल शैली का प्रयोग कर सकेंगे।
6. लेखन और पठन कौशल को चमत्कारी बनाने के लिये प्रसंगानुसार उचित शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों तथा सुक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

7. वाचन से अक्षर, उच्चारण, ध्वनि, बल सस्वरता आदि का संस्कार प्राप्त करेंगे।

10.3 पढ़ने और लिखने का कौशल, अर्थ, प्रकार, विधियाँ

यदि हम पठन और लेखन कौशल के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहला सवाल पठन और लेखन कौशल क्या हैं? किसी व्यक्ति की लिखित और पठित सामग्री की डिकोड करने और उससे अर्थ ग्रहण करने की क्षमता ही लेखन पठन कौशल कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका प्रोफेशन डॉक्टर से अलग है। ऐसे में अगर आपसे किसी डॉक्टर की रिपोर्ट को समझाने के लिये कहा जाये तो हो सकता है कि आप ऐसा न कर पायें। क्योंकि आपका पूरा ध्यान लिखी हुई सामग्री को डिकोड करने में चला जायेगा। आप उस रिपोर्ट में लिखे शब्दों के अर्थ खोजेंगे और पूरे वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मूल रूप से आप दो काम कर रहे होते हैं। पहला रिपोर्ट के शब्दों को पहचानना और उसका अर्थ समझने की कोशिश करना।

आधुनिक समय में व्यक्ति अपने मनोभावों का प्रकटीकरण भाषा के माध्यम से दो रूपों में करता है –

1. मौखिक भाषा के माध्यम से।
2. लिखित भाषा के माध्यम से।

लिखित कौशल में विचारों का स्थायी रूप प्रदान करने की दृष्टि से लेखन का सहारा लिया जाता है दूसरे शब्दों में जब हम अपने विचारों को लिपिबद्ध करके जनसामान्य के उपयोग के लिए प्रस्तुत करते हैं तो इस प्रक्रिया को लेखन अभिव्यक्ति कहा जाता है।


संक्षेप में कह सकते हैं कि शब्दों को पहचानने और उनका सही उच्चारण करने की क्षमता ही पठन कौशल कहलाती है जबकि उसका सही अर्थ जानकर उसको समझकर उचित वाक्य की पूर्ति में प्रयोग करना लेखन क्षमता कहलाती है।

डिकोडिंग (Decoding) क्या है ? इस सवाल का जवाब है, “किसी शब्द के लिखित प्रतीकों को बोली जाने वाली भाषा के ध्वनि में रूपांतरित करने की क्षमता को डिकोडिंग कहते हैं।” हिन्दी या किसी अन्य भाषा के संदर्भ में यह अक्षरों व मात्राओं को पहचानना व उनका सही उच्चारण व शुद्ध लेखन करना है। शब्द पठन के दौरान किसी शब्द का उच्चारण करना डिकोडिंग कहलाता है।

ध्वनि प्रतीकों को लिखित प्रतीकों में रूपांतरित करने की क्षमता के माध्यम से बच्चा किसी शब्द को लिखना सीख जाता है। अर्थात् डिकोडिंग लिखने और पढ़ने के कौशलों को प्रभावित करती है।

लिखना और पढ़ना शब्द भण्डार और शब्द की पहचान पर निर्भर करता है अर्थात् एक छात्र या शिक्षक में पढ़ने और लिखने के कौशल के लिये उसका शब्द पहचान व भण्डार का ज्ञान उच्च कोटि का होना चाहिये जिससे शिक्षण कार्य के अर्थ और उद्देश्य दोनों को प्राप्त किया जा सकें।

लेखन के प्रकार



5. Argumentative (Argue)

Derivative fiction (fan fiction)

6. Position Paper (State your Position)

Journal Writing (Make Observations)

पठन के प्रकार – पठन दो प्रकार से किया जाता है–

वाचन को मूलतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं –

1. **सस्वर पाठन** – स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारम्भिक अवस्था है। वर्णमाला के लिपिवद्ध वर्णों की पहचान सस्वर वाचन के द्वारा ही करायी जाती है।
 1. सस्वर वाचन भावानुकूल करना चाहिए।
 2. सस्वर वाचन आदि करते समय विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए।
 3. सस्वर वाचन करते समय शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखना चाहिए।
 4. स्वर में यथा सम्भव स्थानीय बोलियों का पुट नहीं होना चाहिए।
 5. सस्वर वाचन में आत्मविश्वास का होना आवश्यक है।

सस्वर पाठन में गुण : इसके निम्न गुण होते हैं–

- शुद्ध उच्चारण
- उचित ध्वनि निर्गम
- उचित लय एवं गति
- उचित बल–विराम
- उचित हाव–भाव
- उचित वाचन मुद्रा
- स्वर मधुरता
- अंगों का संचालन
- स्वाभाविकता
- स्वर में रसानुभूति

मौखिक रूप से पढ़ने के भी कई रूप होते हैं, जैसे–

1. व्यक्तिगत पठन
 2. सामूहिक पठन
 3. आदर्श पठन
 4. अनुकरण पठन
2. **मौन पाठन** – किसी लिखी हुयी सामग्री को बिना आवाज निकाले चुपचाप पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। महत्व निम्न हैं –
 1. मौन वाचन करते समय थकान कम होती है क्योंकि इसमें हमें व्यंजनों पर जोर नहीं देना होता है।
 2. मौन वाचन करते समय हमारे नेत्र और मस्तिष्क बिल्कुल सक्रिय रहते हैं।
 3. मौन वाचन करने वाला एकाग्रचित होकर, ध्यान केन्द्रित कर पठन करता है।

4. मौन वाचन से समय की बचत होती है। श्रीमती ग्रे एवं रीस के एक परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि कक्ष छः के बालक एक मिनट में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में इतने समय में 210 शब्द बोलते हैं।

5. मौन वाचन से कक्षा में अनुशासन बना रहता है।

मौन वाचन विद्यार्थियों के वाचन की गति के लिए है। मौन वाचन के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. पठित सामग्री के भाव को समझना।
2. अनावश्यक तथ्यों को छोड़कर, मूल तथ्यों का अध्ययन करना।
3. पठित सामग्री का आसानी से निष्कर्ष निकालना।
4. पठित सामग्री में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकना।
5. उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि-विच्छेद द्वारा शब्द का अर्थ जान लेना।
6. शब्दों का लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ जान लेना।


लेखन और पठन शिक्षण की विधियाँ : लेखन और पठन शिक्षण की विधियाँ निम्न हैं—

लेखन शिक्षण की विधियाँ : लेखन एक महत्वपूर्ण कला है, इसके प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिये अनेक विधियों एवं प्रविधियों का अनुसरण किया जाता है। अक्षर ज्ञान से वाक्यों की रचना, भाषा शैली, अभिव्यक्ति के रूपों तक विभिन्न विधियों की आवश्यकता होती है कुछ प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित हैं—

1. अक्षर के रूप में अनुकरण विधि।
2. स्वतन्त्र अनुकरण विधि तथा श्रुत लेखन विधि।
3. मॉण्टेसरी-शिक्षण विधि।
4. जेकार्टोट-शिक्षण विधि।
5. मनोवैज्ञानिक विधि।
6. पेस्टॉलाजी विधि।

पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ : पठन कौशल की शिक्षण की विधियाँ निम्न हैं—

1. वर्ण बोध विधि।
2. ध्वनि साम्य विधि।
3. स्वरोच्चारण विधि।



10.4 पढ़ने और लिखने का सिद्धान्त

पढ़ने और लिखने के कौशल विकास में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? यह विषय इसी पर केन्द्रित हैं। सबसे अहम बात है कि पठन और लेखन कौशल के विकास का एक रिश्ता पढ़ने की आदत तथा लिखने में रुचि से भी है। इसमें शिक्षक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों को कहानियाँ पढ़कर सुनाना, कहानी की किताबों के प्रति एक मोह पैदा करना, कविताओं की किताबों के जरिये भाषा के सौंदर्य के स्वाद चखने के लिये बच्चों के बीच लेखन सम्बन्धित प्रतियोगिताओं को कराना। एक शिक्षक अपने इस कौशल का प्रयोग कर छात्रों को पढ़ने और लिखने के प्रति जागरूक करके किताबों की दुनिया का दरवाजा खोल सकता है।

किसी भाषा के कालांश में काम करते समय एक शिक्षक डिकोडिंग और समझने दोनों पक्षों को पठन और लेखन से जोड़ सकता है। सबसे पहले सुनकर समझने की क्षमता का विकास आवश्यक है, ताकि एक बच्चा शिक्षक के निर्देशों को समझ पाये और उस भाषा की कहानियों और कविताओं को सुनकर समझ पाये। उसका आनन्द ले पाये। इससे बच्चा एक स्तर पर उस भाषा के डिकोडिंग वाले पक्ष पर जाने के लिये तैयार हो जाता है। वह लिखित प्रतीकों व ध्वनि प्रतीकों के बीच एक संबंध बैठा पाता है, यानि डिकोडिंग करना सीखता है, इसके बाद जब वह दिये हुये शब्द को देखकर पढ़ता और बोले हुये शब्द को सुनकर लिखता है तो वह उस शब्द का अर्थ भी जान पाता है।

समझ वाले हिस्से पर काम करने के लिये शिक्षक पुस्तकालय की बड़ी किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि चित्रों और लिखित सामग्री के बीच वाले रिश्ते को समझने में छात्रों की मदद कर सकें। जो किसी भी लिटरेसी कार्यक्रम का या भाषा कालांश का अन्तिम लक्ष्य है कि बच्चा स्वतन्त्रता के साथ किसी भी लिखित सामग्री को समझते हुये पढ़ पाये और साथ ही किसी विषय वस्तु पर लेखन कार्य कर सकें। दोनों कौशलों के विकास में शिक्षक की अहम भूमिका है। इसके लिये शिक्षक स्केपफोल्डिंग की प्रोसेस (I Do, We do, You do) का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानि वे बच्चों को पहले कोई चीज खुद करके दिखायें, फिर उसके साथ-साथ उसको करें। आखिर में बच्चों को खुद से उसी चीज को करने का मौका दें।

उदाहरण के तौर पर अगर शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़कर या कविता/निबन्ध लिखकर दिखाते हैं तो बच्चा सुनकर समझने का कौशल तो विकसित करता ही है इसके साथ-साथ वह यह भी सीखता है कि किसी किताब को कैसे पढ़ते हैं या किसी विषय पर कैसे शब्दों का चयन कर लिखते हैं।

ऐसी बहुत सी चीजें बच्चे शिक्षक को देखकर स्वतः ही सीख लेते हैं। जिसके लिये शिक्षक को अलग से प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती।

इसे सीखने और सिखाने के सिद्धान्तों को पूरा करने के लिये एक अध्यापक अपने अन्दर के तमाम कौशलों का प्रयोग करके कक्षा के शिक्षण कार्य का संचालन करता है।

10.5 पढ़ने और लिखने को प्रभावित करने वाले कारक

शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है— (जॉन डी0वी0), जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी की उपस्थित आवश्यक हैं क्योंकि दोनों का प्रभाव एक-दूसरे पर समान रूप से पड़ता है, साथ ही कक्षा का वातावरण भी शिक्षण के कार्य को प्रभावित करता है किन्तु हम बात कर रहे हैं कौशल की तो कौशलों को प्रभावित करने वाले कारक या तो अध्यापक से सम्बन्धित होंगे या विद्यार्थी से आइये चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख प्रभावित करने वाले कारक जो पढ़ने और लिखने के कौशल को प्रभावित करते हैं—

1. छात्र का अटक-अटक कर पढ़ना।
2. छात्र का अशुद्ध उच्चारण करना।
3. वाचन करते समय उचित गति का न होना।
4. वाचन करते समय अनुचित मुद्रा में होना या पुस्तक का आँखों के ज्यादा समीप या दूर होना।

5. पाठ्य सामग्री का कठिन होना।
6. अक्षर या संयुक्ताक्षरों सम्बन्धी त्रुटियों का होना।
7. अक्षरों का भावनाकुल आरोह-अवरोह न होना।
8. छात्रों में वाचन सामग्री मार्गदर्शन का आभाव कम होना।
9. छात्रों के वाचन करते समय अध्यापक का व्यवहार।
10. छात्रों के दृष्टि दोष से, अक्षरों का ठीक से न दिखाई देना।
11. लेखन करते समय अनेक छात्र शब्दों के ऊपर लाइन खींचना भूल जाते हैं या उपेक्षा करते हैं। इससे वे शब्दों को बिना लाइन (शिरा रेखा) के लिखते हैं।
12. लेखन करते समय छात्रों द्वारा शब्दों के बीच की दूरी पर ध्यान नहीं दिया जाता है, असमान दूरी के कारण लेखन प्रभावपूर्ण नहीं दिखता है।
13. लेखन करते समय छात्रों द्वारा अक्षरों का विकृत आकार भी लेखन कौशल के मार्ग की प्रमुख बाधा है, अनेक स्थानों पर छात्र किसी अक्षर को छोटा तथा किसी अक्षर को बड़ा बना देते हैं जिससे लेखन भी विकृत हो जाता है।
14. विराम चिन्हों के ज्ञान के आभाव के कारण भी लेखन कौशल का विकास अपूर्ण होता है। लेखन में विराम चिन्हों का उपयोग गलत जगह कर देने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे— क्या तमाशा हो रहा है ? क्या तमाशा हो रहा है, दोनों वाक्यों में विराम चिन्हों के प्रयोग से पर्याप्त अंतर हो जाता है।
15. छात्र लेखन में अनुस्वरों का प्रयोग भी अनेक अवसरों पर गलत तरीके से कर देते हैं। जैसे— आँगन को आंगन तथा कंगन को गँगन लिख देते हैं।
16. स्थानीय भाषा के प्रभाव के कारण भी छात्रों के लेखन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे— शंकर को संकर लिखते हैं ऐसी ही अन्य गलतियाँ वह अपने लेखन में करते हैं।

अन्य कारक भी हो सकते हैं —

1. विषय वस्तु का उचित न होना।
2. उच्चारण सम्बन्धित समस्या।
3. शब्द कोष का अपूर्ण ज्ञान।
4. कक्षा में शिक्षण कार्य अरुचिपूर्ण होना।
5. अध्यापक का खोखला ज्ञान।
6. बच्चों की उदासीनता।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. विद्यालयी शिक्षण में बालक में कौन-कौन से प्राथमिक कौशलों का विकास किया जाता है ?

.....

2. क्या लेखन और पठन एक दूसरे के पूरक हैं?

.....

3. पठन कौशल के प्रकार बताइये।

.....
.....
.....

4. लेखन कौशल क्या हैं ?

.....
.....
.....

5. लेखन कौशल के दो गुण लिखिये।

.....
.....
.....

10.6 सारांश

प्रस्तुत प्रकरण का सारांश यही कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पढ़ना और लिखना दोनों कौशल होते हैं उसके अक्षर। किन्तु यदि उसे सही दिशा व निर्देश मिल जाये तो वही कौशल उसका हुनर बन सकता है। शायद आपका सपना भी अगला महान उपन्यासकार या वक्ता/प्रवक्ता बनने का हो या आप केवल अपनी भावनाओं और विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहते हों। चाहें आप रचनात्मक लेखक के रूप में अपना लेखन कौशल में सुधार करना चाहते हों, या स्कूल का कार्य करने के लिये अपने लिखने और पढ़ने के कौशल को सम्पूर्ण करना चाहते हों, आप उत्तम वक्ता और बेहतर लेखक बनने के लिये कुछ कदम उठा ही सकते हैं। महान लेखक या उच्च कोटि का वक्ता बनने के लिये अभ्यास और ज्ञान की आवश्यकता होती है, परन्तु लगन व कठोर परिश्रम करके आप उस स्थिति में पहुँच सकते हैं जहाँ पर, किसी दिन कोई व्यक्ति, अगला "आप" बनना चाहेगा।

आज के आधुनिक तकनीकी ज्ञान से यदि लेखन और पठन कौशल का प्रसार किया जाये तो इस तथ्य और आंकड़े से इन कौशलों के विकास से सम्बन्धित कार्यशालाओं को खोजने के अवसर प्राप्त होंगे जहाँ छात्र और अध्यापक दो साथ मिलकर सीखना और सिखाना कर रहे होंगे। छात्रों और पेशेवरों के लिये इसी तरह की शिक्षा के अवसरों के आयोजन कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालय में होने चाहिये। विशेषज्ञों के साथ बातचीत को विकसित करने के लिये एक रास्ता खोजने के क्रम में संगोष्ठियों और कार्यशालाओं को उचित स्थान दिया जाये। ये आधुनिक तरीकों से इन कौशलों को जानना और उनका उचित उपयोग करना सार्थक सिद्ध हो सकता है और लेखन और पठन कौशल के विकास से सम्बन्धित उपयुक्त समाधान खोजने के लिये सही दृष्टिकोण होगा।

10.7 अभ्यास के प्रश्न

1. लेखन कौशल के कितने प्रकार हैं? वर्णन कीजिए।
2. सस्वर पाठन के गुणों की व्याख्या कीजिए।
3. पठन कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन-कौन सी हैं। स्पष्ट कीजिए।

10.8 चर्चा के बिन्दु

1. पढ़ने और लिखने को प्रभावित करने वाले कारको पर चर्चा कीजिए।
2. मौखिक रूप से पढ़ने के कितने रूप हैं? प्रत्येक पर चर्चा कीजिए।

10.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. विद्यालयी शिक्षण में बालक में निम्न कौशलों का विकास किया जाता है—
 - i. लेखन कौशल
 - ii. पठन कौशल
2. हाँ, लेखन और पठन एक दूसरे के पूरक हैं।
3. पठन कौशल के निम्न प्रकार हैं—
 - i. मौखिक रूप से पठन
 - ii. मौन रूप से पठन
4. लेखन कौशल रचना, भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति हैं।
5. लेखन कौशल के दो गुण निम्नलिखित हैं—
 - i. लेखन सुन्दर, स्पष्ट हो।
 - ii. उसमें प्रवाहशीलता एवं क्रमबद्धता हो।

10.10 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

1. शर्मा, आर. ए. (2009), विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप, आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ।
2. लाल, रमन बिहारी (2013-14), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
3. किलसय, शरदेन्दु एवं डा. प्रसाद गोविन्द (2010), शिक्षक तकनीकी।
4. चतुर्वेदी शिखा (2014), हिन्दी शिक्षण (भाषा एवं साहित्य शिक्षण), आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ।
- 5- www.education.gov.in
- 6- www.ucmes/data/cont>does
- 7- skill you need.com/ips/effective speaking

इकाई-11 : श्रवण और वाचन का कौशल

इकाई की संरचना

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 इकाई के उद्देश्य
- 11.3 श्रवण कौशल के उद्देश्य एवं महत्त्व
- 11.4 वाचन कौशल के उद्देश्य एवं महत्त्व
- 11.5 श्रवण कौशल के द्वारा बोलना और सीखना
- 11.6 कौशलों को प्रभावित करने वाले कारक
- 11.7 सारांश
- 11.8 अभ्यास के प्रश्न
- 11.9 चर्चा के बिन्दु
- 11.10 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 11.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

11.1 प्रस्तावना

आज विश्व में शिक्षा ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव का सर्वांगीण विकास हो सकता है शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य की जन्मजात और वातावरण से सीखी गयी शक्तियों का ज्ञान एवं कौशल का विकास संभव है और इसे ही मनुष्य का मूलभूत धन समझा जाता है। इसके द्वारा ही व्यक्ति सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक माना जाता है, इसके लिये मनुष्य शिक्षा ग्रहण करके अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, इसे ही अधिगम कहते हैं। देश और समाज की उन्नति के लिये भावी पीढ़ी को शिक्षित करने की आवश्यकता है और इसको बिना अधिगम के संभव नहीं किया जा सकता है। अधिगम को ध्यान में रखते हुये शिक्षक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसके तहत अब पाठ्यक्रम में विभिन्न कौशलों को समाहित किया गया है जो शिक्षक को प्रभावी प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है।

शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रिया में श्रवण और वाचन कौशल का बहुत महत्त्व है। क्योंकि जो हम सुनते और बोलते हैं उसका सार्थक प्रभाव कक्षा शिक्षण और अधिगम में एक प्रकार का योगदान प्रदान करता है। अपने छात्रों के बोलने और सुनने के कौशल के विकास के लिये आप विभिन्न गतिविधियों की योजना बनायेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। आप उन तरीकों पर भी विचार करेंगे, जिनके द्वारा छात्रों के विचार वाचन कौशल के माध्यम से निकाले जा सकें। इस कौशल के माध्यम से आप छात्रों के विचारों को सुनकर उनके सीखने का आकलन करने और अपने भावी पाठ की योजना बना सकते हैं।

बोलना और सुनना सभी शैक्षणिक क्षेत्रों में शिक्षण और अधिगम के केन्द्र में होते हैं। बोलना साक्षरता का आधार भी है। छोटे बच्चे पढ़ना और लिखना शुरू करने से बहुत पहले ही अच्छी तरह से सुनने और बोलने लगते हैं। वे सीखते हैं सुनकर और बोलकर वे अपनी जरूरतों और इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि बच्चे गर्भावस्था से सीखना प्रारम्भ कर देता है और उसके सीखने की प्रक्रिया में माता द्वारा की गई गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है, जैसे, अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह पर कैसे जाते हैं इस विद्या को गर्भावस्था में ही सीख लिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीखने में श्रवण कौशल का ही योगदान था। इसी प्रकार बालक सुनकर वस्तुओं के बारे में जानकर सीखता है फिर उसी समझ को शब्दों के माध्यम से बोलना सीखता है, इसमें काल्पनिक कहानियाँ व अन्वेषक खेल भी शामिल हो सकते हैं।

बच्चों में भाषा कौशल विकसित करने के लिये उन्हें सुनने व विभिन्न सन्दर्भों में अलग-अलग विषयों पर बोलने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिये, जिससे उनकी स्कूली उपलब्धियों में भी वृद्धि होगी।

11.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. श्रवण कौशल के उद्देश्य एवं महत्व का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
2. श्रवण कौशल के उद्देश्य एवं महत्व का बता सकेंगे।
3. श्रवण कौशल को परिभाषित कर सकेंगे।
4. श्रवण कौशल के प्रकार की सूची बना सकेंगे।
5. श्रवण कौशल के द्वारा बोलने और सीखने की प्रक्रिया को समझ सकेंगे।
6. कौशलों को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान कर सकेंगे।

11.3 श्रवण कौशल के उद्देश्य एवं महत्व

श्रवण कौशल का उद्देश्य छात्रों में विभिन्न प्रकार की भाषायी दक्षताओं का विकास करना होता है। श्रवण कौशल के विकास के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य बालकों में अलग-अलग तरह की ध्वनियों को पहचानने तथा उनके मध्य अंतर करना समझना है।
2. श्रवण कौशल के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकार के शब्दों को सुनकर उनके मूल भाव को समझने की दक्षता का विकास किया जाता है। जैसे— पानी सुनकर बालक एक पेय वस्तु के बारे में समझता है तथा भोजन सुनकर उसके मूल भाव खाद्य पदार्थ रोटी, सब्जी, दाल, चावल की अवधारणा को समझ जाता है।
3. श्रवण कौशल के विकास का प्रमुख उद्देश्य बोलने वाले भावों को समझकर उसके अनुरूप अपनी क्रियाओं को निश्चित करना है।
4. छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करने का उद्देश्य श्रवण की जाने वाली विषयवस्तु को अपने दैनिक जीवन से सम्बन्ध करने की योग्यता प्रदान करने से है। जैसे— प्राथमिक स्तर के छात्र, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के नाम सुनकर अपने आस-पास पाये जाने वाले जानवरों से उनकी तुलना कर सकेगा।
5. छात्रों द्वारा श्रवण की जाने वाली सामग्री को आवश्यकता के अनुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने की दक्षता प्रदान करना भी कौशल का एक उद्देश्य होता है।
6. इसमें शिक्षण प्रभावी होगा और शिक्षक में आत्मविश्वास का विकास होगा।
7. छात्र विषय वस्तु को ध्यान से सुनेंगे।
8. इससे छात्रों में समझने की शक्ति विकसित होगी।
9. छात्र अधिगम प्रभावी होगा।
10. छात्र अच्छी तरह से पाठ्यवस्तु को समझेंगे।
11. छात्र अधिगम के समय अपना ध्यान केन्द्रित कर सकेंगे।
12. छात्रों को श्रवण कौशल से प्राप्त होने वाले ज्ञान की जानकारी होगी।
13. छात्र यह जान सकेंगे कि किसी विषय वस्तु को प्रभावी तरीके से कैसे ग्रहण किया जाये।

14. छात्र अधिगम में श्रवण कौशल का प्रयोग कर सकेंगे।
15. शिक्षक छात्र की समस्यायें ध्यान से सुन तथा समझ पायेगा।
16. शिक्षक श्रवण कौशल का प्रयोग करके छात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझ पायेगा।
17. विकलांग छात्रों की समस्याओं को कुछ हद तक हल किया जा सकेगा।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रवण कौशल के विकास द्वारा छात्रों में उन सभी दक्षताओं का विकास किया जाता है जिससे छात्र के जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।

11.4 वाचन कौशल के उद्देश्य एवं महत्व

वाचन कौशल के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. छात्रों में अपने भाव एवं विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुतीकरण की योग्यता का विकास करना जिससे वे सभी तथ्यों का अच्छे से प्रस्तुतीकरण कर सकें।
2. वाचन कौशल का एक मुख्य उद्देश्य छात्रों में क्रमिक रूप से तथा धारा प्रवाह रूप में बोलने की क्षमता विकसित करना है।
3. छात्रों में मधुर एवं रोचक ढंग से अपने विचारों को सभी के सामने प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास करना।
4. वाचन कौशल के माध्यम से छात्रों में शिक्षक और संकोच की प्रवृत्ति को दूर करके आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना जिससे वे अनेक प्रकरणों पर धारा प्रवाह रूप में आत्मविश्वास के साथ बोल सकें।
5. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता विकसित करने में वाचन कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके माध्यम से ही बालक तर्कपूर्ण उत्तर देने के लिए समर्थ होते हैं।
6. वाचन कौशल के माध्यम से ही छात्रों में भाषाओं की विभिन्न विधाओं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की योग्यता विकसित होती है, जैसे— कहानी, कविता, नाटक आंगिक एवं मुख मुद्रा का अभिनय का प्रदर्शन करना।
7. छात्रों के शब्द ध्वनियों व उनके उच्चारण का उचित ज्ञान कराना जिससे वाचन में शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में कर सकें।
8. शब्दों के उच्चारण के साथ स्वर का उतार—चढ़ाव, 'दबंद और वाक्य का शुद्ध रूप में प्रयुक्त करना भी अपेक्षित हैं।
9. कक्षा में छात्र बोलने में झिझकते हैं अतः शिक्षक को अभ्यास तथा प्रोत्साहन करते हुये निःसंकोच बिना झिझक बोलने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिये।
10. हिन्दी भाषा के वाचन में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए स्वाभाविक व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
11. व्याकरण की दृष्टि से वाचन शुद्ध होनी चाहिये। लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये।
12. भावों और विचारों के अनुरूप शब्दों का प्रयोग आवश्यक है वाचन में कथन को प्रभावी बनाने के लिये —स्वराघाट अनुतान, ओजस्विता स्वर गति, ध्वनि उतार—चढ़ाव—प्रवाह, भाव—भंगिमा या मुख मडा कथन के अनुरूप होनी चाहिये।
13. प्रकरण एवं भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग किया जाए।
14. वाचन के समय उचित आसन से खड़ा होना चाहिये।
15. वाचन में मौलिकता, मर्मस्पर्शिता, मधुरता और शीतलता का समावेश होना चाहिये।

मदनमोहन मालवीय जी की वाणी में यही गुण थे, जिसको उनका वाचन जादू के समान कार्य करता था।

इन दोनों कौशलों का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह बालक के बोलने और सुनने की क्षमता का विकास करता है। जिस प्रकार किसी काम को करने से पहले हम उसकी तैयारी करते हैं, उसी तरह अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिये भी अपने अन्दर सुनने और बोलने के कौशल की प्रतिभा को दिलचस्प तरीके से निखार सकते हैं। सुनना और पढ़ना हमारे अन्दर बोलने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इस कौशल से छात्र और शिक्षक के बीच खुला संवाद व्यक्त होने लगता है। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में छात्रों और शिक्षकों के बीच होने वाले संवाद की भूमिका अहम् होती है।

“बेहतर संवाद का ही दूसरा नाम है— “कक्षा शिक्षण”

11.5 श्रवण कौशल के द्वारा बोलना और सीखना

पारंपरिक कक्षाओं में प्रायः शिक्षक ही अधिकतर समय बोलते हैं। हालांकि सीखने के प्रति छात्रों के दृष्टिकोण से उनके लाभ के साथ तब उल्लेखनीय रूप से सुधार होता है, जब वे अपनी खुद की बातचीत के द्वारा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं।

एक अध्यापिका ने श्रवण कौशल के विषय को वाचन कौशल से जोड़ते हुये एक स्वयं के उदाहरण का साझा किया। उन्होंने बताया कि जब हमारी अंग्रेजी कक्षाओं में, हम पढ़ने और लिखने का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन बोलने और सुनने का अभ्यास नहीं करते। हमारी पाठ्यपुस्तकों में सुनने के अभ्यास नहीं होते हैं, और सुनने की कोई परीक्षा भी नहीं होती, मैं जानती हूँ कि यह महत्वपूर्ण है कि मेरे छात्र बोली हुई अंग्रेजी समझ सके, लेकिन जब भी मैं उनके साथ अंग्रेजी बोलने का प्रयास करती हूँ तो उन्हें मेरी बात समझने में कठिनाई होती है, मेरे छात्रों के सुनने के कौशलों को सुधारने में मैं उनकी मदद कर सकती हूँ।

पहले भारत में अंग्रेजी भाषा के अध्यापन के लिये विद्यालय पाठ्यक्रम पढ़ने और लिखने को प्रधानता देता है जबकि, National Curriculum Framework जैसे नीति दस्तावेज अब सुनना और बोलना पढ़ाने के महत्व को भी मान्यता देते हैं। सुनना और बोलना अब पढ़ाया जाता है, क्योंकि वे बातचीत करने के सक्षम होने में बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सुनने के कौशल बोलने के कौशलों के विकास के लिये भी महत्वपूर्ण होते हैं। अन्य वक्ताओं को सुनने से छात्रों को अपने अंग्रेजी के उच्चारण और प्रवाह को विकसित करने में सहायता मिलती है।

सुनने के सफल कौशल समय के साथ और ढेर सारे अभ्यास के बाद अर्जित होते हैं। छात्रों को सुनने के कौशलों को विकसित करने में सक्षम होने के लिये बोली गई भाषा के सम्पर्क में आना आवश्यक होता है। जबकि भारत के कुछ भागों के छात्रों को कक्षा से बाहर विभिन्न भाषाओं को सुनने के अधिक अवसर नहीं मिलते हैं। एक अध्यापक अपनी कक्षा में सभी छात्रों को सम्मिलित करने वाली सुनने की सार्थक गतिविधियों को विकसित करने के लिये संसाधनों का सृजनात्मक ढंग से उपयोग कैसे कर सकते हैं।

अर्थ एवं परिभाषा

श्रवण और वाचन कौशल श्रवण कौशल का अर्थ बच्चों में ऐसी क्षमता का विकास करने से है जिससे कि बच्चा किसी कथन को ध्यान से सुनकर उसका सही अर्थ समझ सके। सुनी हुई बात पर चिन्तन एवं मनन कर सके और उचित निर्णय ले सकें।

बोलने में शब्दों के उच्चारण, वाक्य की रचना और आवाज में उतार चढ़ाव का विशेष महत्व होता है। अगर बोलते समय शब्द का शुद्ध उच्चारण नहीं किया गया या बोलने में उचित बल, आरोह अवरोह यति गति पर ध्यान न दिया गया तो बोलने वाले की बात समझने में परेशानी होगी। बोलचाल के प्रभाव तभी आ सकता है जब वक्ता का कथन स्वाभाविक और अवसर के अनुकूल हो। बोलने में विचार और भाषा की स्पष्टता होना जरूरी है।

सुनने और बोलने को अलग-अलग करके देखने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुनना और बोलना एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बच्चे की भाषा का अधिकतर भाग उसके श्रवण कौशल की देन होता है।

मौखिक कौशल द्वारा वह भाषा का अभ्यास और पुनः रचना करता है। श्रवण कौशल तभी कार्य करता है जब कोई स्वयं भी बोल रहा हो तो वाचन कौशल के साथ श्रवण कौशल साथ-साथ चलता रहता है। बोलने और सुनने के भरपूर अवसर बच्चों को मिलते हैं। वे आदेश, निर्देश, अनुरोध, सलाह आदि को सुनकर उनके अनुसार कार्य करते हैं। वे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तथा दूसरों को अपने विचार, इच्छाएँ और डर बताते हैं।

खेलकूद के दौरान सुनने और बोलने के बीच के अटूट सम्बन्ध को सहज ही पहचाना जा सकता है। बच्चे एक-दूसरे की बातें सुनकर और सुनाकर खेल के नियम बनाते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं। कक्षा में सुनने और बोलने की अभिन्नता को और अधिक औपचारिक रूप से देखा जा सकता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से सुनने और बोलने पर ही आधारित है।

बच्चे आमतौर पर सुनने और बोलने के दौरान निम्न प्रक्रियाएं करते दिखाई दे सकते हैं –

1. जिस चीज पर अभी तक ध्यान नहीं दिया, उस पर ध्यान देना।
2. उसे मोटे तौर पर या बारीकी से देखना।
3. अपने-अपने निरीक्षणों का आदान-प्रदान करना।
4. दूसरे के निरीक्षण को चुनौती देना।
5. निरीक्षण के आधार पर तर्क करना भविष्यवाणी कराना।
6. किसी पिछले अनुभव को याद करना।
7. दूसरे की भावनाओं या उसके अनुभवों की कल्पना करना।
8. किसी काल्पनिक स्थिति में स्वयं की भावनाओं की कल्पना करना।

कक्षा में बच्चे शिक्षक और साथियों की बातचीत को सुनते हैं और उन्हें अपनी बातें बताते हैं। इस आदान-प्रदान का परिणाम बच्चों में भाषायी कुशलता के विकास के रूप में होता है। बोलने पर ही भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयों का शिक्षण अधिगम भी निर्भर करता है। इसलिये सुनने और बोलने को शिक्षा की आधार भूमि कहा जाता है।

परिभाषा

“सुनना, बोले गए और/या अशाब्दिक संदेशों को प्राप्त करने, उनसे अर्थ निकालने और उन पर प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया है।”

इंटरनेशनल लिसनिंग एसोसिएशन (International Listening Association) :

सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसके तीन बुनियादी चरण हैं—सुनना, समझना, निर्णय लेना।

अन्य के अनुसार—

“दूसरे व्यक्ति से जुड़ने का सबसे बुनियादी शक्तिशाली तरीका सुनना है। बस लोगों को सुनो, एक-दूसरे को देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा ध्यान है।

राचेल नाओमी रिमेन (Rachel Naomi Rimen) -


“सभी मानवीय जरूरतों में सबसे बुनियादी जरूरत है समझने और समझे जाने की जरूरत, लोगों को समझने का सबसे अच्छा तरीका उनकी बात सुनना है।”

('The most basic of all human needs is the need to understand and be understood, the best way to understand people is to listen to them.')

राल्फ. जी निकोल्स (Ralph. G. Nichols)-

“वाचन वह जटिल सीखने की प्रक्रिया है जिसमें सुनने के गतिवाले माध्यमों का मानसिक पक्षों से सम्बन्ध होता है।”

कैथरीन ओकानर



Based on Research of :- Adler, R. Rasenfeld, L. and Proctor (R. 2001)

श्रवण के प्रकार

श्रवण दो प्रकार से किया जाता है –

1. सामान्य श्रवण
2. चयनात्मक श्रवण

1. **सामान्य श्रवण** – सामान्य श्रवण का अर्थ है अन्य भाषा को सामान्य रूप से सुनना। इसमें भाषा के किसी बिंदु विशेष को व्यवस्थित रूप से सुनने का अभ्यास नहीं कराया जाता है। छात्रों को अन्य भाषा को विभिन्न संदर्भों में सुनाया जाता है और श्रवण के अंत में एक-दो प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि पता चले कि छात्र कितना समझ पाए हैं। इसमें छात्र के दैनिक जीवन, उनकी अभिरूचियों के आधार पर सामग्री का चुनाव किया जाता है। रेडियों पर गीतों, नाटकों व कहानियों का कार्यक्रम भी इसमें सुनवाये जा सकते हैं।

सामान्य श्रवण में मुख्य रूप से तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए—

- i. शांत मन से सुनना।
- ii. ध्यान से सुनना।
- iii. पर्याप्त मात्रा में सुनना।

2. **चयनात्मक श्रवण** – चयनात्मक श्रवण का अर्थ है सीखी जाने वाली भाषा की ध्वनियों के बिन्दुओं को सुनना सीखना। अन्य भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियाँ जो सुनने में समस्या उत्पन्न करती हैं और आसानी से सीखी नहीं जा सकती हैं। कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी होती हैं जो मातृभाषा में नहीं होती हैं उनको सही-सही सुनना और पहचानना बहुत कठिन होता है। इसमें अधिक प्रयासपूर्वक ही सुनना सिखाया जाता है। इस प्रकार अन्य भाषा की ध्वनियों, ध्वनियों के वितरण, संदर्भ में शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के साथ-साथ व्याकरणिक विशेषताओं सम्बन्धी बिन्दुओं का चयन किया जाए। उससे सम्बन्धित ही अभ्यास सामग्री का चयन करके उसका अभ्यास कराया जाना चाहिए।

चयनात्मक श्रवण में तीन बातों का ध्यान दिया जाना चाहिए—

- i. समान ध्वनियों का श्रवण।
- ii. नवीन ध्वनियों का श्रवण।
- iii. समस्यात्मक ध्वनियों का श्रवण।

11.6 कौशलों को प्रभावित करने वाले कारक

1. **शैक्षिक वातावरण का अभाव** — प्रायः देखा जाता है कि शिक्षक कक्षा में शैक्षिक वातावरण बनाये बिना ही अपना पठन कथन प्रारंभ कर देते हैं इस स्थिति में छात्र मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं और पूर्ण मनोयोग के साथ श्रवण नहीं करते हैं।
2. **कठिन भाषा का प्रयोग** — जब एक शिक्षक अपने कथन में या पठन सामग्री में कठिन भाषा या शब्दावली का प्रयोग करता है तो छात्र उसे समझने में असमर्थ हो जाते हैं और ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करते हैं, क्योंकि श्रवण के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होती है।
3. **अशुद्ध उच्चारण** — सामान्य रूप से अनेक शिक्षकों में उच्चारण सम्बन्धी दोष पाये जाते हैं जिसके कारण छात्र उनके विचारों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं।
4. **रुचि के अनुसार सामग्री का अभाव** — कई बार देखा गया है कि छात्रों की रुचि की ओर शिक्षक का ध्यान बहुत कम ही जाता है इस स्थिति में छात्र जिस विषय वस्तु का श्रवण करना चाहते हैं वह उनको उपलब्ध नहीं होती है, परिणामस्वरूप वह शिक्षक के विचारों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं।
5. **योग्यता के अनुसार शिक्षण का अभाव** — सामान्य रूप से शिक्षक छात्र की योग्यता का आंकलन किए बिना ही शिक्षण कार्य आरम्भ कर देते हैं। इस स्थिति में जो छात्र उस विषय वस्तु को समझने की योग्यता रखते हैं वे उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं जो इस विषय वस्तु को समझने की योग्यता नहीं रखते हैं वे उसे ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं।
6. **शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का अभाव** — श्रवण कौशल के विकास में उस समय बाधा उत्पन्न होती है जब शिक्षक पठन सामग्री में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं करता है। इसके अभाव में छात्र मूक श्रोता की भाँति कार्य करते हैं तथा प्रस्तुत सामग्री में कोई रुचि नहीं लेते हैं।
7. **छात्रों की समस्या के समाधान का अभाव** — सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि शिक्षक कक्षा में जाकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर देते हैं तथा छात्रों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देते हैं इस स्थिति में छात्रों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के श्रवण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि छात्र स्वयं की समस्याओं से ग्रसित होता है।

एक शिक्षक द्वारा वाचन कौशल से बहुत सी समस्याएं अनुभूत की जाती हैं जिनके चलते ही वाचन कौशल का विकास सम्भव नहीं हो पाता है। वाचन कौशल की समस्याएं निम्नलिखित हैं—

- i. वाचन कौशल की प्रमुख समस्या छात्रों में आत्म विश्वास की कमी को माना जाता है।
- ii. वाचन कौशल के दौरान अन्य छात्रों में देखा गया है कि वे अपने वाचन में अशुद्ध उच्चारण करते हैं जिससे कि वाचन में अर्थ का अनर्थ हो जाता है तथा वाचन की सार्थकता एवं प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है।
- iii. व्याकरणिक ज्ञान न होने के कारण वाक्यों के वाचन दोषपूर्ण कर्ता, क्रिया, कर्म एवं विशेषण को उचित स्थान नहीं देते हैं जिससे कि वाचन कौशल प्रभावित होता है।
- iv. वाचन में छात्रों की रुचि के अनुसार प्रकरण न होने पर भी उनके भाव एवं लय में अभाव आता है जिससे कि वाचन दोषपूर्ण हो जाता है।
- v. वाचन कौशल का विकास रुचि एवं अभ्यास से सम्बन्धित होता है, यदि शिक्षक अपने छात्रों को बोलने का अवसर प्रदान नहीं करते हैं तो भी इससे वाचन कौशल का विकास पूर्ण नहीं होता है।

अन्य निम्नलिखित कारक भी कौशलों को प्रभावित करते हैं—

1. बोलने और सुनने में कठिनाई।

2. स्वयं को तैयार करना ।
3. स्वयं को श्रवण के लिये परिस्थिति से समायोजित करना ।
4. मुख्य बातों पर ध्यान केन्द्रित करना ।
5. आवाज प्रेरणा की ।
6. अधिगम के लिये उपलब्ध सामग्री ।
7. विषयवस्तु की उपयोगिता ।
8. अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य ।
9. नवाचार ।
10. वातावरण ।
11. अवरोध ।
12. समूह में सुनना ।
13. अधिगमकर्ता का ध्यान ।
14. आवाज का तारतत्व ।
15. व्यवधान (Distraction)
16. शोरगुल (Noise of Environment)
17. छात्र की सुनने की दक्षता ।
18. आत्मविश्वास (Confidence)
19. विषय का ज्ञान (Information of Subject)
20. सुनने वालों का व्यवहार ।
21. किसी भी प्रकार की अक्षमता जैसे बोलने में अक्षमता

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए ।

1. वाचन कौशल क्या हैं ?

.....

2. वाचन कौशल कितने प्रकार का होता है ?

.....
.....

3. सुनना कैसी प्रक्रिया है ?

.....
.....

4. वाचन को प्रभावित करने वाले दो कारक बताइयें ?

.....
.....


5. श्रवण करते समय सुनने वाले को क्या करना चाहिये ?

.....
.....

11.7 सारांश

उपर्युक्त विवरण से हमें यह ज्ञात होता है कि श्रवण कौशल शिक्षक और छात्र दोनों के लिये महत्वपूर्ण है इसके बिना शिक्षा अधूरी है। ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया इसके बिना पूर्ण नहीं होगी। इसके ज्ञान से शिक्षक अपना शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से करेगा तथा छात्र अधिगम भी प्रभावी होगा। शिक्षा में इसका बहुत महत्व है।

वाचन तथा श्रवण में जब ज्ञानात्मक स्तर पर कोई पाठ्यवस्तु होती है तभी सम्प्रेषण कर पाते हैं। इस प्रकार पाठ्यवस्तु प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था सम्प्रेषण की होती है, सुनने तथा पढ़ने में यह क्रम बदल जाता है। सर्वप्रथम सम्प्रेषण तत्व आता है। इसके बाद पाठ्यवस्तु ग्रहण होती है। इस प्रकार भाषा शिक्षण तथा कक्षा अन्तःक्रिया दो बुनियादी शिक्षण विधियों पर आधारित हैं। सम्प्रेषण शिक्षण विधि तथा ज्ञानात्मक संकेत विधि इन विधियों के स्वरूप को यहां चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है।



अर्थात् निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षक किसी भी विधि का प्रयोग क्यों न करें इन्हीं तत्वों अथवा कौशलों का उपयोग किया जाता है।

11.8 अभ्यास के प्रश्न

1. श्रवण कौशल का क्या महत्व है? बिन्दुवार वर्णन कीजिए।
2. श्रवण कौशल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।

11.9 चर्चा के बिन्दु

1. वाचन कौशल किस प्रकार महत्वपूर्ण है? चर्चा कीजिए।
2. श्रवण कौशल के द्वारा बोलना कैसे प्रभावित होता है? चर्चा कीजिए।

11.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. वाचन कौशल योग्यता हैं।
2. तीन प्रकार का – (i) सस्वर (ii) मौन (iii) अध्ययन
3. आगत (Input) प्रक्रिया है।
4. दो कारक – (i) आवाज का तारत्व (ii) आत्मविश्वास
5. श्रवण करते समय— बात नहीं करनी चाहिये, यहाँ—वहाँ नहीं देखना चाहिये।

11.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें/संदर्भ

1. समावेशी शिक्षा, आर. लाल. बुक डिपो, मेरठ।
2. पाठ्यक्रम में विषयों की समझ, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
3. चौहान, आर.एस. शिक्षा एवं शिक्षण सिद्धान्त : साहित्य प्रकाशन, आगरा।
- 4- [www.is you need : com/ips/listening skills.html](http://www.isyouneed.com/ips/listening_skills.html)
- 5- www.factmonster.com/homework/listering
- 6- [www.slideshare.net/mobile/ammnar/teaching-listening speaking.](http://www.slideshare.net/mobile/ammnar/teaching-listening-speaking)
- 7- Adder, R Sosenfeld. L. and proctor, (R.2001)inteplay : the Process of interpersonal communicating (8th edu.) post work. Tx:Harcourse.
[http://www.skillsyouneed.uk/IPS/listening-skill.html.](http://www.skillsyouneed.uk/IPS/listening-skill.html)
- 8- [www.theparentsunion.org/orticle/how.be.whole-body.listener.](http://www.theparentsunion.org/orticle/how.be.whole-body.listener)
- 9- [http://www.teacherpayteacher.com /product/ whole.body.listing.mini.poster-and coloring.sheet-1386124](http://www.teacherpayteacher.com/product/whole.body.listing.mini.poster-and-coloring.sheet-1386124)

इकाई-12 : लेखन के सम्प्रदाय

इकाई की संरचना

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 इकाई के उद्देश्य
- 12.3 लेखन कौशल को विकसित करने के उपाय
- 12.4 लेखन कौशल के उद्देश्य एवं महत्व
- 12.5 लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार
- 12.6 लेखन कौशल का विकास
- 12.7 लेखन के आवश्यक तत्व एवं आधार
- 12.8 लिखने के प्रकार
- 12.9 लेखन के सिद्धान्त
- 12.10 लिखने को प्रभावित करने वाले कारक
- 12.11 सारांश
- 12.12 अभ्यास के प्रश्न
- 12.13 चर्चा के बिन्दु
- 12.14 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 12.15 कुछ उपयोग पुस्तकें

12.1 प्रस्तावना

लेखन स्कूलों की स्थापना कराची में एक कार्यशाला के दौरान यू.एस.ए. की मदद से किया गया। यू.एस.ए. लेखन स्कूल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों, (Professionals, Organizations) को सामान्य एवं विशिष्ट लेखन कौशलों से अवगत कराना है।

शिक्षण के दौरान लेखन के कौशलों से लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी में पढ़ना, लिखना और संचार माध्यमों से प्रभावपूर्ण बनाना है। छात्रों को विद्यालय में लेखन कौशल को बढ़ाने के लिये अध्यापकों को विशेष ध्यान देना होता है, जिससे छात्रों में लेखन कौशल का विकास किया जा सके। लेखन कौशल को दिलचस्प बनाने के लिये अच्छी समझ का होना जरूरी है। इस इकाई में हम लेखन कौशल के विकास के विषय में चर्चा करेंगे।

12.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. लेखन कौशल को परिभाषित कर सकेंगे।
2. लेखन कौशल के विकसित करने के उपायों से परिचित हो सकेंगे।
3. लेखन कौशल के उद्देश्य एवं महत्व को समझ सकेंगे।
4. लेखन के प्रकारों को पहचान सकेंगे।
5. लेखन के सिद्धांतों को बता सकेंगे।

6. लेखन को प्रभावित करने वाले कारकों को चिन्हित कर सकेंगे।

12.3 लेखन कौशल को विकसित करने के उपाय

छात्रों के लेखन कौशलों को विकसित करने में उनकी सहायता की जाए और उनकी त्रुटियों के बारे में बताया जाय ताकि वे बेहतर लिख सकें। माध्यमिक स्तर पर छात्रों से विविध प्रकार के अध्यायों की रचना करने की अपेक्षा की जाती है, जैसे— कहानियाँ, पत्र, आवेदन पत्र, रिपोर्ट और लेख। बहुत से छात्रों को इस कार्य के लिए जूझना पड़ता है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं —

1. क्या लिखना है? कैसे लिखना है? इसके बारे में उनके पास अधिक तार्किक विचार नहीं होते हैं।
2. वे भाषा सम्बन्धी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि उनको त्रुटियों के बारे में बताया जाय।

छात्रों में पाठों के विचार—मंथन का उपयोग निम्न प्रकार किया जा सकता है—

लेखन के लिए विचार उत्पन्न करना : किसी अन्य भाषा में लेखन कठिन होता है जब छात्र अंग्रेजी में लिखते हैं, तब व्याकरण, वाक्य, सही, विराम चिन्हों के उचित उपयोग और स्पेलिंग (वर्तनी) जैसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। कक्षा में लिखते समय छात्रों में गलतियाँ करने और कम ग्रेड प्राप्त करने से सम्बन्धित चिन्ता हो सकती है। इन सब बातों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इन सब बातों को लेकर विद्यालय में इनका प्रयोग करना ठीक से समझाया जाता है।

जब आप कुछ लिखते हैं तो आप अपने पाठक से कुछ कहना चाहते हैं वह पाठक आप स्वयं (उदाहारण के लिए, यदि आपने अपने द्वारा पढ़ी हुई किसी बात पर कोई नोट्स लिखे या अपने खरीददारी की सूची बनाई है) या कोई व्यक्ति के द्वारा एक उदाहारण लें जैसे— आपके द्वारा लिखित आवेदन पत्र को मुख्याध्यापक द्वारा पढ़ा जाना हो सकता है। विषय—वस्तु लिखते समय अपने संदेश को सर्वोत्तम ढंग से संगठित करने पर विचार एक से अधिक मसौदा लिखा हो या किसी से अपने काम की जांच करने को कहा हो, खासतौर पर यदि विषय किसी महत्वपूर्ण चीज के बारे में है या उसे सार्वजनिक किया जाना है। प्रभावी लेखक जो भाषा का उपयोग करते हैं उस पर भी विचार करते हैं। साथ ही वे इस पर भी विचार करते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं और उनके पाठक उनके लेखन के बारे में क्या सोचेंगे। प्रभावी लेखन कौशल विकसित करने में शिक्षक अपने छात्रों की मदद कर सकते हैं, इससे बेहतर अंग्रेजी रचनाएं लिखने में उन्हें मदद मिलेगी जिनमें विचार तर्कसंगत ढंग से संगठित है, जो पढ़ने में दिलचस्प हो और अधिक सटीक है, ये कौशल अन्य भाषाओं में लिखने में भी उपयोगी होंगे, विचारों को संगठित करने, काम की समीक्षा करने में और मसौदे लिखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनायेगा।

किसी भी भाषा के लेखन के लिए यह जानना एक समस्या होती है कि क्या कहना चाहिए। अंग्रेजी में लिखते समय ये विशेष रूप से कठिन हो सकता है। कभी—कभी पाठ्यपुस्तक के विषय कठिन होते हैं, कभी—कभी छात्रों के पास वह भाषा नहीं होती है जिसकी उन्हें इन विषयों के बारे में लिखने की जरूरत होती है। इसलिए विद्यालय में ऐसी भाषा के लेखन का अभ्यास कराया जाय जिससे छात्रों में लेखन क्षमता को बेहतर बनाया जा सके। छात्रों को उचित लय आरोह—अवरोह का ध्यान रखना होता है।

लेखन कौशल में विचार के लिए रूके : छात्रों को कल्पना करना सिखाया जाय जैसे किसी छात्र को किसी शीर्षक पर निबन्ध लिखना है। उनको क्या—क्या समस्याएं हो सकती है।

I don't know
anything about
pollution what can I

What words do I know ?
Dirty water ---- oh dear I
don't know enough

प्रदूषण जैसे विषय पर छात्रों को लिखने को कहा जाये तो हो सकता उनके पास, उसके बारे में अंग्रेजी में लिख सकने के लिए भाषा कौशल न हो, इसका मतलब है उन्हें एक या दो पंक्तियों से अधिक लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

विचारमंथन वह तकनीकी है जिसका उपयोग आप विचार और भाषा उत्पन्न करने के लिए कर सकते हैं। इसमें छात्रों को एक संकेत देना शामिल है। जैसे ब्लेकबोर्ड पर pollution शब्द लिखना।

12.4 लेखन कौशल के उद्देश्य एवं महत्व

वर्तमान समय में लेखन कौशल का महत्व अत्याधिक बढ़ गया है। क्योंकि प्रत्येक विद्वान लेखक या अन्य व्यक्ति अपने विचारों को लिपिबद्ध करके, जनसामान्य तक प्रस्तुत करना चाहता है। लेखक अपने विचार अपने लेखन कौशल के माध्यम से ही पहुँचा सकता है। वर्तमान में हम लेखन कौशल के विभिन्न उद्देश्यों एवं महत्व को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं –

1. छात्रों को व्याकरण का सही ज्ञान प्रदान करना जिससे कि वह लेखन में किसी प्रकार की वर्तनी सम्बन्धी त्रुटि न कर सकें।
2. छात्रों के सोचने एवं निरीक्षण करने के उपरान्त भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त कर सकेगा जिससे लेखन में त्रुटि कम से कम हो।
3. व्याकरण के ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग में लाना जिससे लेखन कौशल का विकास हो सके।
4. छात्रों को लेखन सम्बन्धी ज्ञान प्रदान करने से विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करेगा।
5. छात्र विराम-चिन्हों का यथोचित प्रयोग कर सकने में सक्षम होगा।
6. छात्र लेखन सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् वाक्यों में शब्दों, वाक्यांशों एवं उपवाक्यों को क्रमानुसार रख सकेगा।
7. मौखिक कार्य का मूल्यांकन लिखित कार्य द्वारा ही संभव है क्योंकि कक्षा में भाषा सम्बन्धी ज्ञान मौखिक रूप से पूर्ण होता है तथा जिनका मूल्यांकन गृहकार्य के रूप में हो सकता है।
8. छात्रों में लेखन कौशल के माध्यम से तर्क, चिंतन, एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, क्योंकि लेखन कार्य में इन तीनों तथ्यों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
9. छात्र लिखित अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के माध्यम से अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम होंगे।

12.5 लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार

लेखन कौशल भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, उचित लेखन कौशल के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात को पढ़ने वाले समूह तक सही रूप में पहुँच सकता है। सामान्यतः भाषा के माध्यम से कुछ भी लिखना लेखन कहलाता है। भाषा शिक्षण के सन्दर्भ में लेखन का अर्थ है पूर्ण लेखन भाव एवं विचारों की लिखित रूप में अभिव्यक्ति। भाव एवं विचार लेखन के मूल तत्व होते हैं लेखक अपने भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति किस सीमा तक कर पाता है।

लिखते समय सही व्याकरण का प्रयोग वर्तनी का प्रयोग व वाक्य संरचना का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक है अर्थ का अनर्थ करने से बचने के लिये उर्पयुक्त तीनों बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिये।

लिखने की कला में निपुणता लाने के लिये हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे विचारों में नवीनता आये और नवीनता लाने के लिये अन्य व्यक्तियों द्वारा लिखे गये विचारों को भी पढ़ने की आदत डालनी चाहिये। समय और समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये लेखन करना ही एक अच्छे लेखन कौशल की पहचान है।

लेखन कौशल में तीन बातों का समावेश होता है –

1. वर्ण – वर्णमाला में एकांकी वर्णों को ठीक रूप प्रदान करना।
2. वर्तनी – वर्ण संयोजन के प्रयोग का समुचित ज्ञान।
3. रचना – लिखित शब्द प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति की रचना

डॉ० किशोरी लाल शर्मा ने उपर्युक्त सोपानों को निम्न आरेख द्वारा स्पष्ट किया है –

वर्ण	वर्तनी	रचना
↓	↓	↓
लिपि संकेत	शब्द स्तर	वाक्य, अनुच्छेद, साहित्यिक विधियाँ

लेखन के सोपान

12.6 लेखन कौशल का विकास

बच्चों में लेखन कौशल विकास का अर्थ है, अपने भाव एवं विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में निपुण करना। यह कार्य एक दो दिन में, माह में अथवा वर्षों में पूरा नहीं किया जा सकता, इसके लिए लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। हम बच्चों को जितने भी लिखने का अवसर देंगे वे लिखने में उतने ही योग्य होंगे। लेखन कौशल का विकास एक कठिन प्रक्रिया है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर भिन्न-2 कार्य करने होते हैं।

पूर्व प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल का विकास शिशु स्तर पर बच्चों को मात्र भाषा के सर्वमान्य रूप से इस स्तर पर केवल सुनने बोलने के कौशलों के विकास के लिए किया जा सकता है। शिशु अनेक शब्दों से परिचित हो जायें उसका अनेक बार उच्चारण करें इसी का प्रयास पूर्ण प्राथमिक स्तर पर किया जाता है।

प्राथमिक स्तर और लेखन कौशलों का विकास – प्राथमिक स्तर की प्रथम कक्षा में बच्चों को केवल अक्षरों का उच्चारण एवं लेखन दो-2 तीन-2 अक्षरों से बने शब्दों का उच्चारण और लेखन और छोटे-2 वाक्यों का पठन और लेखन कला का अभ्यास कराया जाता है। उन्हें कुछ सामान्य शब्दों का ज्ञान हो जाता है और वे वाक्यों को लिखना सीख जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल के विकास को निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

1. बच्चों के बीच सुन्दर लेख प्रतियोगिता कराई जाये।
2. बच्चों से उनकी याद की हुई कहानियां लिखवाई जाये।
3. बच्चों के सामने चित्र उपस्थित कर उसका वर्णन किया जाये और लिखवाया जाये।
4. बच्चों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कराई जाये।
5. बच्चों को श्रुति लेख लिखने के अवसर दिये जाये। बच्चों को अनुलेख लिखने के अवसर दिये जाये।

बच्चे सही रूप में लिखे इसके लिए आवश्यक है कि –

1. बच्चों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति का व्यवहार किया जाये।
2. बच्चों का अपना सक्रिय शब्दकोश हो वे उन्हें शुद्ध रूप में लिखें।

3. बच्चों को लिपि का ज्ञान स्पष्ट हो वे उनको सही रूप में लिखें।
4. बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर हो, वे उचित आसन में बैठकर के लिखें।
5. बच्चों को वाक्य रचना के सामान्य नियमों का ज्ञान हो।
6. बच्चों को विरामचिन्हों का स्पष्ट ज्ञान हो।

उच्च प्राथमिक स्तर और लेखन कौशल का विकास — प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान कराया जाता है। सामान्य शब्दों से परिचित कराया जाता है, वाक्य रचना का सामान्य नियम बतलाया जाता है, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतिलेख की क्रियाओं में निपुण किया जाता है। लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने के कौशल में निपुण करने का कार्य तो पूर्व माध्यमिक स्तर से ही शुरू होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन कौशल का विकास निम्नलिखित तरीके से किया जाता है—

1. अच्छा लिखने वालों की सीमित प्रशंसा की जाये और अन्य को सचेत किया जाये।
2. बच्चों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को साथ-2 दूर किया जाये।
3. बच्चों को लिपि, शब्द, वाक्य रचना का ज्ञान हो अध्यापक इसके लिए निरन्तर प्रयास करे।
4. बच्चों से अवकाश पत्र, प्रार्थना पत्र और अन्य प्रकार के पत्र लिखवाये जाये।
5. बच्चों से अपनी देखी हुई वस्तुओं (रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, अपना गांव) मेला आदि पर वर्णनात्मक निबन्ध लिखवाया जाये।
6. बच्चों से उनके पढ़े हुये नाटकों को कहानी के रूप में लिखवाया जाये।
7. बच्चों से उनके पढ़े हुये पाठों के सारांश लिखवाया जाये।
8. बच्चों के लेखन तन्त्र और लेखन सामग्री के लिए अध्यापक प्रयास करे।

माध्यमिक स्तर और लेखन कौशल का विकास— माध्यमिक स्तर तक आते-2 बच्चे अपनी मातृ भाषा के पठन व लेखन में कुछ निपुण हो जाते हैं। इस समय तक उनका मानसिक विकास भी काफी हो जाता है। वे कल्पना, तर्क के आधार पर निर्णय करने लगते हैं। समस्याओं का विश्लेषण करने लगते हैं। इस स्तर पर बच्चों से वर्णनात्मक निबन्धों के साथ-2 विवरणात्मक तथा विचारात्मक निबन्ध की रचना करायी जाय, कुछ काल्पनिक लेख लिखवाये जाये, उन्हें मौलिक लेख कहानी व नाटक लिखने की प्रेरणा दी जाये।

केवल लेखन कार्य कराने से लेखन कौशल में विकास सम्भव नहीं है अध्यापको बच्चों द्वारा लेखन कार्य में की गई अशुद्धियों को दूर करते चलना चाहिए।

12.7 लेखन के आवश्यक तत्व एवं आधार

लिखित भाषा के माध्यम से भाव एवं विचार अभिव्यक्ति करने के लिए जिन तत्व की आवश्यकता होती है उन तत्वों को निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है—


1. लेखक का विराम चिन्हों के प्रयोग का ज्ञान एवं अभ्यास आवश्यक है।
2. लेखन में लिखने की तत्परता लेखन में उसकी रुचि एवं रुझान होना चाहिए।
3. लेखक का अपना विचार एवं दृष्टिकोण होना चाहिए साथ ही साथ शब्दों का शुद्ध उच्चारण शुद्ध वर्तनीय अपने भाव एवं विचारों की स्पष्टता भी होनी चाहिए।
4. लेखक का लेखन तंत्र हाथ, आंख आदि एवं लेखन सामग्री पेन, कॉपी आदि।
5. लेखक का लिपि ज्ञान और उनको सही रूप में लिखने का अभ्यास आवश्यक है।

12.8 लिखने के प्रकार

लिखने के निम्न प्रकार हो सकते हैं—

छात्र को प्रधानाचार्य को पत्र, परिवार, रिश्तेदार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निबंध, कहानियाँ, औपचारिक पत्र, निमंत्रण, प्रशासनिक अधिकारी, सम्बोधन को प्रस्ताव आदि के लिये लिखने की शैली अलग-2 हो सकती है।

छात्र की लेखन शक्ति की क्षमता को विकसित करने के लिये शिक्षक सरल से कठिन शब्दों की ओर छात्र को बताने का प्रयास करे, जिससे छात्रों की जिज्ञासा जाग्रत हो सके।




विभिन्न तरीकों के माध्यम से छात्रों को लेखन कार्य में निपुण बनाया जा सकता है।

छात्रों द्वारा प्रश्नों को हल करते समय उत्तर पुस्तिकाओं में किस भाषा और शैली का प्रयोग कर रहे हैं। यह उसके लेखन कार्य से पता लग जाता है। एक शिक्षक को चाहिए कि परीक्षा के पूर्व छात्रों को लिखने का अभ्यास कराना अनिवार्य होता है। ताकि छात्रों द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं में लेखन कार्य सुन्दर किया जा सके।

विद्यालय में लेखन कौशल का उपयोग : सम्प्रेषण शक्तियाँ, वाचन की शक्ति विकसित करने के लिए अध्यापक छात्रों से घर के विषय में वार्तालाप करता है। उनसे उनके खिलौने के विषय में, माता-पिता, पड़ोसियों के विषय में पूछताछ करता है। पशु-पक्षियों के विषय में उनसे वार्तालाप करता है। इससे छात्रों में आपस में वार्तालाप करने की प्रेरणा मिलती है। जहाँ पढ़ना-लिखना, सिखाना विद्यालय का मुख्य कार्य होता है। वाचन के उपरान्त अगर छात्रों से लिखने को कहा जाये, तो शायद अच्छा लेखन कार्य कर सकते हैं।

लिखने का कार्य देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को शुद्ध लिखने से प्रारम्भ होता है। इसके पश्चात् संयुक्ताक्षर लिखना सिखाया जाता है। फिर छोटे-छोटे वाक्यों को देखकर लिखने का अभ्यास कराया जाता है। सुलेख, अनुलेख, प्रति लेख और श्रुतिलेख का अभ्यास उन्तरोन्तर क्रम में छात्रों से कराया जाता है। चौथी-पांचवी कक्षा में बालकों को कहानियाँ लिखना, सरल पत्र लिखना, वर्णनात्मक लेखों को लिखना सिखाया जाता है।



उपर्युक्त आरेख से स्पष्ट है कि विद्यालय में सुलेख का सबसे पहले अभ्यास और सीधे अक्षर बनाने के लिये प्रेरित किया जाता है। अध्यापक सुलेख लिखने का बहुत अभ्यास करवाते हैं। इसके बाद अनुलेख लिखाया जाता जिससे उसको विपरीत लिख सके, बोल कर भी लिखाया जाता है। तीसरा प्रति लेख के माध्यम से लिखाया जाता है और सबसे बाद में श्रुतलेख अर्थात् सुनकर छात्र लिख सकेगा।

12.9 लेखन के सिद्धान्त

- स्पष्टता** : लेखन कौशल में शब्दों की स्पष्टता होना अति आवश्यक है, अध्यापक को चाहिए कि छात्र द्वारा लेखन कार्य में अस्पष्टता होने पर सुधारते हुए स्पष्ट एवं सुन्दर लेख में कार्य किया जाए। लिखना एक कला है इस लेखन कला में स्पष्टता का होना अतिआवश्यक है क्योंकि लिखने के माध्यम से हम अपने विचारों को एक स्वरूप प्रदान करते हैं। इस स्वरूप में अगर स्पष्टता नहीं होगी तो हम कहना कुछ और चाहते हैं और समझने वाला समझ कुछ और समझ जाता है। उदाहरणार्थ— हम सभी विद्यार्थी वर्ग या शिक्षक वर्ग वही पुस्तक पढ़ते हैं या पढ़ने की सलाह देते हैं जिसकी भाषा स्पष्ट हो। इस प्रकार लेखन कौशल में भाषा की स्पष्टता का होना अति आवश्यक है।
- लेखन के प्रति उत्सुकता व अत्यधिक लिखने पर रोक** : लिखना और लिखने के फलस्वरूप उसको पढ़ना यह लेखन का सही क्रम है इससे यह पता चलता है कि लिखने के क्रम में जो भी मन में आए वह नहीं लिखना चाहिए, लिखना हमेशा सटीक और विषय से सम्बन्धित होना चाहिए। पर प्रायः यह देखा जाता है कि लिखने के क्रम में विद्यार्थी वर्ग उद्देश्य से भटक जाते हैं। क्योंकि विषय से सम्बन्धित न होने के कारण अनावश्यक लेखन कार्य बढ़ जाता है। अतः लिखना उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जोश में होश नहीं खोना चाहिए।
- स्वतंत्र विचार एवं अभिव्यक्ति** : लेखन कार्य को करते समय एक लेखक के मन में स्वतंत्र विचार का होना अति आवश्यक है। जैसे— छात्र को परीक्षा देते समय केवल प्रश्नों के उत्तर दिखाई देते हैं जिससे अधिकांश छात्र परीक्षा भवन में उत्तरों को सही तरीके से लिख देते हैं, जबकि अगर वही प्रश्नों का उत्तर बाद में लिखाया जाए तो शायद पूरा सही से लिख पायें। छात्र को स्वतंत्र विचार सोचने के साथ-साथ वह अपने सोचे हुए शब्दों को लेखन कार्य में अभिव्यक्त कर सके यह क्षमता छात्र में अन्तर होना अति आवश्यक है।
- विचारों का आदान प्रदान (संचार)** : लेखन कार्य में विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए एवं संचार के माध्यमों का प्रयोग करते हुये लेखन कार्य सुन्दर बनाया जा सकता है। छात्र-छात्र, शिक्षक-छात्र विचारों के माध्यमों से लेखन कौशल को विकसित करें। जिससे नवीन शब्दों एवं उच्चारण की उत्पत्ति होती है और हम वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नवीन शब्दों के माध्यम से लेखन कार्य को और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे।
- ईमानदारी** : लेखन कार्य को करते समय ईमानदारी बहुत आवश्यक है। यह ईमानदारी श्रोता की रुचि को ध्यान में रखते हुए लेखन कार्य करने से सम्बन्ध रखती है साथ ही हम पाठक को विषय से सम्बन्धित सही व सटीक जानकारी प्रदान करें। यह लेखक की उसके लेखन के प्रति ईमानदारी होगी। लेखन करते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि किस विशेष वर्ग को पढ़ने हेतु लेखन किया जा रहा है।
- बौद्धिक रूप से प्रभावशाली** : लेखन कौशल की शैली व प्रयुक्त शब्दावली प्रभावशाली होनी चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात को पूर्ण करना एक अच्छे लेखन कौशल का प्रमाण है। सशक्त शब्दावली का प्रयोग लेखन को प्रभावशाली बनाता है। 'गागर में सागर भरने' का कौशल एक अच्छे लेखक की परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। लेखक की बौद्धिक क्षमता का मापन इसी बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से देशकाल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लेखन कार्य करता है।
- तारतम्यता** : लेखन के क्रम में तारतम्यता का होना अति आवश्यक है। लेखन में तारतम्यता होने से अभिप्राय वाक्य एक-दूसरे से क्रम में हों और उनका एक निश्चित क्रम बोध हो जिससे पाठक वर्ग पर प्रभाव बन सके। उच्चारण के दौरान पाठकों को लेखन शब्दों में अन्तर दिखाई न दे। लेखन कार्य किसी भी परिप्रेक्ष्य में किया जाए परन्तु शब्दों में तारतम्यता होना चाहिए।

12.10 लिखने को प्रभावित करने वाले कारक

इन विद्यालयों की स्थापना मुख्य रूप से 21वीं सदी में लेखन कार्य में होने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए की गई है। आधुनिक परिवेश में आज विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग सभी सोशल मीडिया का उपयोग निरन्तर कर रहे हैं। लेखन कार्य के बदले संचार के माध्यमों के द्वारा अधिक कार्य कर रहे हैं। शिक्षक को छात्रों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए सर्वप्रथम इसके विकास मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए, जिसके कारण आज लेखन कला मुख्य रूप से त्रुटिपूर्ण दिखाई दे रही है।

लेखन कला में होने वाली त्रुटियों को इस प्रकार से दूर किया जा सकता है—

1. लेखन कार्य को सुन्दर और सुव्यवस्थित किया जाये।
2. वर्तमान परिवेश में हस्त लेखन विधि का प्रयोग कम हो रहा है, इसका प्रयोग अधिक से अधिक हो।
3. लेखन कार्य के समय छात्र एवं शिक्षक यह नहीं देखते हैं कि किस स्तर पर क्या लिखना है यह भी एक प्रकार से लेखन को प्रभावित करते हैं।
4. वर्तनी का सही ज्ञान न होने के कारण लेखन त्रुटियाँ हो जाती हैं इसलिए वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए।
5. अधिकतर छात्रों को वर्ण एवं व्यंजन सही प्रयोग करना नहीं आता है जिससे लेखन कार्य के दौरान त्रुटियाँ दिखाई देती हैं।
6. लेखन कार्य के दौरान निरीक्षण के अभाव से क्रियाओं का प्रयोग नहीं हो पाता है जिससे त्रुटि रह जाती है।
7. शिक्षक द्वारा शब्दों के स्पष्ट न होने की स्थिति में छात्र भी अपने लेखन कार्य में त्रुटि छोड़ देते हैं। शिक्षक का कार्य नमूने के रूप में होना चाहिये।

इन्हीं त्रुटियों को दूर करना एवं लेखन कला संचार माध्यमों एवं कार्यशाला द्वारा दूर करने के लिए School of writing की स्थापना हुयी है।

लेखन कौशल से सम्बन्धित उपाय एवं समस्या समाधान को निम्नांकित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है—

1. बालकों में लेखन कौशल के विकास हेतु छात्रों में प्राथमिक कक्षा से ही शब्दों के ऊपर लाईन खींचने का ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे कि छात्र सुलेख के बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें।
2. बालकों में लेखन कौशल के विकास हेतु छात्रों में शब्दों के बीच उचित स्थान बनाना सिखाना चाहिए, अर्थात् प्रत्येक शब्द के बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए जिससे कि लेखन कार्य सुंदर लगे।
3. बालकों में लेखन कौशल के विकास हेतु अक्षरों को सुव्यवस्थित आकार में लिखना सिखाना चाहिए जिससे कि वो हर अक्षर स्पष्ट लगे और लेखन कार्य सुंदर लगे।
4. छात्रों को विराम चिन्हों के प्रयोग एवं उनसे सम्बन्धित संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिससे कि छात्र इन सबका उचित प्रयोग करके लेखन कार्य प्रभावपूर्ण बना सकें।
5. छात्रों को अनुस्वरों के प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करनी चाहिए जिससे वे अनुस्वार एवं अनुनासिक उचित एवं त्रुटि पूर्ण रहित उपयोग कर सकें।
6. बालकों में लेखन कौशल के विकास हेतु छात्रों को स्थानीय भाषा के प्रभाव को रोकने के लिए शुद्ध उच्चारण सिखाना चाहिए।
7. बालकों में लेखन कौशल के विकास के लिए छात्रों को व्याकरणिक ज्ञान की जानकारी देना चाहिए जिससे कि वे व्याकरणिक सम्बन्धी लिंग, वचन तथा विभक्ति सम्बन्धी त्रुटियाँ अपने लेखन में न करें।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. लेखन कौशल के सोपान क्या हैं?

.....
.....

2. लेखन कौशल के प्रकार बताईये।

.....
.....

3. लेखन कौशल के चार सिद्धान्त बताईये।

.....
.....

12.11 सारांश

लेखन कौशल एक प्रकार की कला है जिसे सीखने के लिए विद्यार्थियों को निरन्तर प्रयास करते रहना चाहिए। लेखन कौशल के माध्यम से छात्रों के अन्दर भाव एवं अभिव्यक्ति का विकास होता है और लेखन के द्वारा शब्दकोष की जानकारी प्राप्त होती है। लेखन की कला में शुचिता लाने के लिए छात्रों को भाषा का ज्ञान भी अतिआवश्यक है। शिक्षक को चाहिए कि छात्र को किस स्तर का लेखन करना है उसमें शिक्षक द्वारा क्या सहयोग अपेक्षित है।

लेखन कार्य के द्वारा छात्र को शब्दों के ज्ञान हेतु पूर्ण मौका मिलता है कि वह अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए सोचने, समझने, विचार अभिव्यक्ति आदि में निपुण बन सकें। लेखन कौशल के द्वारा छात्र में गम्भीरता आती है और छात्र अपने भाषायी ज्ञान में वृद्धि करता है। लिपि, वाक्य, वर्तनी, रचना आदि का प्रयोग कब और कहाँ किया जाना है यह सब छात्र की समझ में आ जाता है। शब्दों का शुद्ध लिखना व उच्चारण भी ठीक हो जाता है। शिक्षक भी लेखन कार्य से अपने अन्दर ज्ञान की वृद्धि को महसूस करने लगता है। लेखन अनावश्यक न होकर सुन्दर एवं सटीक शब्दों में दिखने लगता है। प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक लेखन कार्य का विकास किया जाना आवश्यक है। छात्र के अन्दर लेखन के प्रति चेतना जागृत होगी और वर्तमान समय में लेखन कौशल विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि संचार के माध्यमों के कारण आज लेखन कौशल में कमी आयी है। जबकि 21वीं सदी में लेखन कौशल को विकसित करने के लिये स्कूल ऑफ राइटिंग की स्थापना की जा चुकी है। छात्र की रुचि के अनुसार लेखन कार्य कराया जाए जिससे उनमें स्पष्ट भाव, विचार, अभिव्यक्ति एवं नवीनता के साथ सोच विकसित हो सके। लेखन कार्य में कहाँ लय, आरोह, विराम, चिह्न, कामा, वर्ण, व्यंजन, क्रियाओं आदि का प्रयोग किया जाना है। इस सम्बन्ध में छात्र को शब्दकोष के ज्ञान से पूर्ण परिचित कराया जाना आवश्यक होगा।

12.12 अभ्यास के प्रश्न

1. लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं?
2. वर्तमान समय में लेखन में होने वाली त्रुटियों पर प्रकाश डालिए।
3. लेखन कौशल को विकसित करने के लिए शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करें।

4. लेखन कौशल में शब्दों की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखें।

12.13 चर्चा के बिन्दु

1. विद्यालय में लेखन कौशल का अभ्यास किन-किन माध्यमों के द्वारा किया जाता है? चर्चा कीजिए।
2. विभिन्न स्तर पर छात्रों में लेखन कौशल का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? चर्चा कीजिए।

12.14 बोध प्रश्नों के उत्तर


1. डॉ० किशोरी लाल शर्मा ने उपर्युक्त सोपानों को निम्न आरेख द्वारा स्पष्ट किया है –

वर्ण	वर्तनी	रचना
↓	↓	↓
लिपि संकेत	शब्द स्तर	वाक्य, अनुच्छेद, साहित्यिक विधियाँ

2. लिखने के निम्न प्रकार हो सकते हैं—

छात्र को प्रधानाचार्य को पत्र परिवार, रिश्तेदार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निबंध, कहानियाँ, औपचारिक पत्र, निमंत्रण, प्रशासनिक अधिकारी, सम्बोधन को प्रस्ताव आदि के लिये लिखने की शैली अलग-2 हो सकती है।

छात्र की लेखन शक्ति की क्षमता को विकसित करने के लिये शिक्षक सरल से कठिन शब्दों की ओर छात्र को बताने का प्रयास करे, जिससे छात्रों की जिज्ञासा जाग्रत हो सके।



3. लेखन कौशल को चार सिद्धांत निम्न हैं—

- (i) स्पष्टता
- (ii) लेखन के प्रति उत्सुकता व अत्यधिक लिखने पर रोक
- (iii) स्वतंत्र विचार एवं अभिव्यक्ति
- (iv) विचारों का आदान प्रदान (संचार)

12.14 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. हिन्दी वर्तनी : हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, वाराणसी।
2. Foster, John (2012) writing skills for public relation. Style & technique for mainstream & social media, British library cataloging in publication data: 5th edition

3. Withrow, Tean (2007) effective writing skills for intermediate students of American English, Cmbridge University Press, Vol.I
4. त्रिपाठी, मधुसूदन (2009) शिक्षण, तकनीक और प्रबन्ध, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
5. पाण्डेय रामशकल (2001) हिन्दी शिक्षण, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

खण्ड परिचय

खंड 05 कक्षा—कक्ष अन्तःक्रिया की प्रकृति के अवबोध से सम्बन्धित है। प्रस्तुत खण्ड में कक्षा कक्ष अन्तःक्रिया की प्रकृति का अवबोध एवं उसे प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न उपागमों की चर्चा किया गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत भाषागत सम्प्रेषण का अर्थ एवं उसके विभिन्न प्रकारों की भी चर्चा की गई है साथ ही सम्प्रेषण माध्यमों की भूमिका को भी स्पष्ट किया गया है। प्रस्तुत खण्ड में कक्षा अन्तःक्रिया के विभिन्न अवयव एवं उसे प्रभावित करने वाले कारको तथा कक्षा कक्ष अन्तःक्रिया के अंकन के विषय में भी प्रकाश डाला गया है। कक्षा—कक्ष अन्तःक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु उपयोगी विभिन्न सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी साधनों को भी स्पष्ट किया गया है। उक्त विषय सामग्री को तीन इकाईयों में विभाजित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है—

इकाई—13 में भाषागत सम्प्रेषण कौशलो के बारे में बताया गया है। इस इकाई में सम्प्रेषण का अर्थ, प्रकृति एवं विभिन्न तत्वों की व्याख्या की गयी है। इस इकाई में सम्प्रेषण प्रक्रिया, सम्प्रेषण के विभिन्न प्रकार, सम्प्रेषण सिद्धान्त, सम्प्रेषण प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं एवं उन्हें दूर करने के उपाय तथा सम्प्रेषण में प्रयुक्त विभिन्न मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यम की चर्चा की गयी है।

इकाई—14 में कक्षागत अन्तःक्रिया के बारे में बताया गया है। इस इकाई में कक्षा अन्तःक्रिया का अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य एवं कक्षा अन्तःक्रिया के विभिन्न सिद्धान्तों को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तुत इकाई में कक्षा अन्तःक्रिया के विभिन्न प्रकार सहयोगात्मक अधिगम, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, कहानी एवं भूमिका निर्वाह तथा प्रभावशाली एवं कक्षा अन्तःक्रिया में शिक्षक की भूमिका की भी चर्चा की गयी है।

इकाई—15 में कक्षा—कक्ष में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गयी है। प्रस्तुत इकाई में सूचना तथा सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के विषय में बताया गया है। इस इकाई में सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का अर्थ, इतिहास, परम्परागत एवं आधुनिक सूचना सम्प्रेषण तकनीकियों की व्याख्या की गयी है। इसी इकाई में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की आवश्यकता, महत्व, लक्ष्य, सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की सीमाएँ एवं शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक सुझावों की विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है।

इकाई-13 : भाषागत सम्प्रेषण कौशल

इकाई की संरचना

- 13.1 प्रस्तावना
- 13.2 इकाई के उद्देश्य
- 13.3 सम्प्रेषण का अर्थ
- 13.4 सम्प्रेषण की प्रकृति
- 13.5 सम्प्रेषण के तत्व
- 13.6 सम्प्रेषण प्रक्रिया
- 13.7 सम्प्रेषण के विभिन्न प्रकार
- 13.8 सम्प्रेषण सिद्धान्त
- 13.9 सम्प्रेषण में आने वाली बाधाएं
- 13.10 सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय
- 13.11 सम्प्रेषण में मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यम
- 13.12 सारांश
- 13.13 अभ्यास के प्रश्न
- 13.14 चर्चा के बिन्दु
- 13.15 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 13.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

13.1 प्रस्तावना

सम्प्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली विधि से संचालित की जाती है। सम्प्रेषण शिक्षा का आधारभूत उपकरण है, सम्प्रेषण के अभाव में शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। सम्प्रेषण कौशल का प्रभावी उपयोग कर सूचनाओं, भावों एवं विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है। कक्षा-कक्ष में सम्प्रेषण के माध्यम से ही शिक्षक एवं छात्रों के मध्य सूचनाओं एवं विचारों का आदान-प्रदान होता है। अतः कक्षा अन्तःक्रिया में सम्प्रेषण की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत इकाई में सम्प्रेषण का अर्थ, प्रकृति, तत्व, सम्प्रेषण प्रक्रिया, सम्प्रेषण के प्रकार एवं सम्प्रेषण के विभिन्न सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त सम्प्रेषण में आने वाली विभिन्न बाधाओं एवं उन्हें दूर करने के उपायों के साथ-साथ सम्प्रेषण में प्रयुक्त मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यमों की चर्चा भी की गयी है।

13.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. सम्प्रेषण का अर्थ एवं प्रकृति को समझ सकेंगे।
2. सम्प्रेषण के विभिन्न तत्वों का वर्णन कर सकेंगे।

3. सम्प्रेषण प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे।
4. सम्प्रेषण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे।
5. सम्प्रेषण कौशल के विभिन्न सिद्धान्तों को समझ सकेंगे।
6. सम्प्रेषण के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं एवं उन्हें दूर करने के उपायों का अवबोध कर सकेंगे।

13.3 सम्प्रेषण का अर्थ

सम्प्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली विधि से संचालित की जाती है। सम्प्रेषण शिक्षा का आधारभूत उपकरण है। सम्प्रेषण के अभाव में शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। सम्प्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के 'Communication' शब्द का हिन्दी अनुवाद है। 'Communication' शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'कम्यूनीस' शब्द से मानी जाती है। 'कम्यूनीस' शब्द का अभिप्राय है 'कॉमन या 'सामान्य'। अतः इसके शाब्दिक अर्थ के आधार पर कह सकते हैं कि सम्प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दो व्यक्ति परस्पर सामान्य रूप से सूचनाओं, भावों तथा विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।

सम्प्रेषण में यह आवश्यक नहीं है कि यह भाषा के माध्यम से अथवा वाणी के द्वारा ही सम्भावित होता है, बल्कि हाव-भाव, मुखमुद्रा अथवा मौन द्वारा भी सम्प्रेषण की क्रिया सम्पादित की जा सकती है।

लूगीस एवं वीगल के अनुसार "सम्प्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत सूचनाओं निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाया जाता है।"

मैरीहस के अनुसार, "सम्प्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों तथा संवेगों के आपसी आदान-प्रदान की प्रक्रिया है।"

('Communication is a process of mutual exchange of thoughts, ideas, facts and emotions'. – Merrihus)

लीगन्स के अनुसार, "संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं एवं प्रभावों आदि का इस प्रकार विनियम करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को सामूहिक रूप में समझ लेते हैं। संचार द्वारा संदेश प्रेषक तथा सन्देश ग्राहक के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है।"

("Communication is the process by which two or more people exchange facts, ideas, feelings, expressions and the like in a manner that the receiver gains a clear understanding of the meaning intent and use of the message'- Liganes)

जान डीवी के अनुसार, "सम्प्रेषण अनुभवों के तब तक आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी सम्पत्ति नहीं बन जाती।"

("Communication is process of sharing experience till it becomes a common possession')

एथोनी एफ. ग्राशा के अनुसार, "सम्प्रेषण अन्तःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें शाब्दिक संकेतों जैसे-शब्द, वाक्य तथा अशाब्दिक संकेतों जैसे-शारीरिक आसन, चेहरे के हाव-भाव आदि दो या अधिक व्यक्ति समझते हैं और एक दूसरे के साथ इनका आदान-प्रदान करते हैं।"

("Communication is an interpersonal process in which verbal symbol, e.g. body postures facial gestures, are shared and understood by two or more people.' - Anthany F. Grosha)

एडगर डेल के अनुसार, "सम्प्रेषण विचार विनियम के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है।"

("Communication is the sharing of ideas and feeling in a mood of mutuality." - Edgar Dale)

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि सम्प्रेषण एक सामाजिक अन्तःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों, भावनाओं और ज्ञान का आदान-प्रदान होता है। कक्षा सम्प्रेषण (Classroom Communication) में अध्यापक एवं विद्यार्थियों के मध्य विचारों, सूचनाओं एवं संदेशों का परस्पर एवं व्यवस्थित आदान प्रदान होता है।

13.4 सम्प्रेषण की प्रकृति

सम्प्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- सम्प्रेषण परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने की प्रक्रिया है।
- सम्प्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है।
- सम्प्रेषण विचार विमर्श तथा विचार विनिमय करने की प्रक्रिया है।
- सम्प्रेषण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है अर्थात् इसमें 2 ध्रुव होते हैं – एक संदेश देने वाला तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला।
- सम्प्रेषण में शाब्दिक एवं आशाब्दिक संकेतों का प्रयोग होता है।
- प्रभावशाली सम्प्रेषण उत्तम शिक्षा के लिए बुनियादी तत्व है।
- सम्प्रेषण सामाजिक अन्तःक्रिया है जिसमें विचारों मतों आदि का दो या दो से अधिक व्यक्तियों में आदान-प्रदान होता है।
- सम्प्रेषण एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।
- सम्प्रेषण मानवीय एवं सामाजिक वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक कारक है।
- सम्प्रेषण में परस्पर अन्तःक्रिया एवं पृष्ठपोषण का होना अत्यन्त आवश्यक है।

13.5 सम्प्रेषण के तत्व

किसी भी सम्प्रेषण प्रक्रिया में निम्न तत्वों का होना आवश्यक है—

1. **सम्प्रेषण स्रोत (Source of communication or communicator)** : भावों अथवा संकेतों की शुरुआत जिस व्यक्ति, समूह अथवा घटना से होती है उन्हें सम्प्रेषण स्रोत कहा जाता है। सम्प्रेषण की प्रक्रिया सम्प्रेषण स्रोत से ही प्रारम्भ होती है।
2. **सम्प्रेषण सामग्री (Message)** : वह मौखिक अथवा लिखित उद्दीपक जो संदेश भेजने वाला प्रेषित करता है। यह व्यक्ति की मुखमुद्रा या हावभाव के रूप में हो सकता है।
3. **सम्प्रेषण का माध्यम (Channel)** : वह माध्यम अथवा साधन जिसके द्वारा कोई संदेश, सम्प्रेषण स्रोत से संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंचता है, सम्प्रेषण का माध्यम कहलाता है। माध्यम प्रत्यक्षीकरण की संवेदनाएं (Sense of perception) होती हैं जो दिखने वाली (Visual), स्पर्श करने वाली (Touch), सुनने वाली (Auditory), स्वाद बताने वाली (Taste) अथवा गन्ध वाली (Smell) हो सकती हैं।

4. **सम्प्रेषण प्राप्तकर्ता (Receiver) :** स्रोत द्वारा प्रेषित संदेश-विचार या भावों को जिस व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा ग्रहण किया जाता है उसे संदेश प्राप्तकर्ता कहते हैं।
5. **पृष्ठपोषण (Feedback) :** वह अनुक्रिया या प्रत्युत्तर जो संदेश प्राप्तकर्ता संदेश ग्रहण करने के पश्चात संदेश स्रोत को प्रेषित करता है।
6. **सम्प्रेषण में सहायक अथवा बाधक तत्व (Facilitators of Barriers of communication) :** वे मध्यस्थ चर अथवा तत्व जो स्रोत तथा प्राप्तकर्ता के मध्य संदेशों के आदान-प्रदान को अपनी-अपनी प्रकृति एवं स्वभाव के अनुसार प्रभावित करते हैं। जैसे वातावरण अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे शांत या शोरगुल वाला वातावरण।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. सम्प्रेषण शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है?

.....

.....

2. सम्प्रेषण का अर्थ स्पष्ट करें।

.....



.....

3. सम्प्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न तत्व क्या हैं?

.....

.....

13.6 सम्प्रेषण प्रक्रिया




13.7 सम्प्रेषण के विभिन्न प्रकार

सम्प्रेषण को साधारणतया 2 आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं

(A) सम्प्रेषण माध्यम की दृष्टि से

(B) सम्प्रेषण परिस्थितियों की दृष्टि से

(A) सम्प्रेषण माध्यम की दृष्टि से सम्प्रेषण के प्रकार—



शाब्दिक सम्प्रेषण :

शाब्दिक सम्प्रेषण में विचारों तथा भावनाओं को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक सम्प्रेषण को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है —

(a) **मौखिक सम्प्रेषण (Oral Communication)**— इसमें मौखिक रूप से तथ्यों या विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है। मौखिक सम्प्रेषण में वार्ता, परिचर्चा, सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर आदि के माध्यम से विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति की जाती है।

(b) **लिखित सम्प्रेषण (Written Communication)**— वह सम्प्रेषण जिसमें तथ्यों या विचारों का सम्प्रेषण लिखित रूप में शब्दों या संकेतों द्वारा किया जाता है।

अशाब्दिक सम्प्रेषण :

इसमें विचारों तथा भावनाओं के सम्प्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे मुख्यतः चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है —

(a) **वाणी या ध्वनि सम्प्रेषण (Sound Communication)**— इसमें विचारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति अथवा आदान-प्रदान कुछ विशेष ध्वनि संकेतों द्वारा किया जाता है। जैसे— वार्ता के मध्य हूँ-हूँ करना, मुस्कुराना, चीखना, ठहाके लगाना, सुबकना आदि।

(b) **चक्षु सम्पर्क या मुख मुद्रा सम्प्रेषण (Eyes Contacts or Facial Communication)**— आंखों के संचालन और संपर्क द्वारा विविध विचार भाव अथवा व्यवहारगत बातें अभिव्यक्ति की जाती हैं। चक्षु सम्पर्क एवं मुख मुद्रा द्वारा संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्ति प्रभावशाली तरीके से होती है।

(c) **स्पर्श संकेत (Touch Symbol)** — स्पर्श माध्यम से भी विचारों अथवा भावनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है। दृष्टिहीनों के लिए स्पर्श सम्प्रेषण का एक सशक्त माध्यम है।

(d) **शारीरिक भाषा (Body language)** — विभिन्न प्रकार के हाव-भाव, अंग प्रत्ययों का संचालन तथा शारीरिक गतियां (Physical movements) द्वारा भी विचारों, भावों को प्रभावी विधि से अभिव्यक्त किया जाता है।

(B) सम्प्रेषण परिस्थितियों की दृष्टि से सम्प्रेषण के प्रकार

अन्तरवैयक्तिक सम्प्रेषण :

वह सम्प्रेषण जिसमें कम से कम दो व्यक्ति आमने-सामने अथवा किसी अन्य माध्यम (जैसे-टेलीफोन, टेलीप्रिन्टर) से अन्तःक्रिया करते हैं, उसे अन्तरवैयक्तिक सम्प्रेषण कहते हैं।

समूह सम्प्रेषण :

जब किसी समूह के अन्दर ही व्यक्ति एक दूसरे से अन्तःक्रिया करते हैं अथवा पूरा समूह किसी दूसरे व्यक्ति अथवा समूह से अन्तःक्रिया करता है तो इसे समूह सम्प्रेषण कहते हैं।

संस्थागत सम्प्रेषण :

वह सम्प्रेषण जो विभिन्न संगठनों तथा संस्थाओं जैसे-औद्योगिक, चिकित्सा, शिक्षा, पुलिस सेना आदि में होता रहता है। उसे संस्थागत सम्प्रेषण कहते हैं। यह सम्प्रेषण नियोजित, संरचित तथा व्यवस्थित होता है।

जन सम्प्रेषण :

जन सम्प्रेषण में लोगों की बड़ी संख्या किसी सम्प्रेषण माध्यम से सूचना प्राप्त करती है। जैसे-रेडियो, टेलीविजन, वीडियो फिल्म, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन आदि संचार माध्यमों का प्रयोग कर सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जाता है।

उपयोग के आधार पर सम्प्रेषण को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है।

i. शैक्षिक सम्प्रेषण (Educational Communication)

ii. लोक सम्प्रेषण (Public Communication)

i. शैक्षिक सम्प्रेषण :

शैक्षिक पृष्ठभूमि में किया गया सम्प्रेषण शैक्षिक सम्प्रेषण होता है जिसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। शैक्षिक सम्प्रेषण में शिक्षक (संदेश का स्रोत) छात्रों (संदेश ग्रहण करने वाले) को संदेश (विषयवस्तु या प्रकरण) प्रदान करता है। शैक्षिक सम्प्रेषण में शारीरिक एवं अशाब्दिक दोनों ही प्रकार के सम्प्रेषण का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जाता है।

डा. गुप्ता- शैक्षिक सम्प्रेषण के अन्तर्गत छात्रों को विभिन्न प्रकार के शैक्षिक नियमों, सिद्धान्तों, नीतियों, शिक्षण की विधि तथा पद्धतियों तथा निर्देशन एवं परामर्श आदि के विषय में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लिए शिक्षक पाठ्यवस्तु के विश्लेषण के साथ-साथ सम्प्रेषण प्रक्रिया का भी प्रयोग करता है। सम्प्रेषण तथा संग्राहक के मध्य सम्प्रेषण प्रक्रिया के कारण निम्नांकित सम्बन्ध होते हैं-

(1) उन्मुखीकरण (2) तदनुभूति का विकास (3) प्रतिपुष्टि

- (4) भौतिक निर्भरता (5) विश्वसनीयता (6) अन्तः क्रिया

प्रभावी शैक्षिक सम्प्रेषण द्विध्रुवीय सम्प्रेषण की भांति होता है अर्थात् शैक्षिक सम्प्रेषण में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं। जहाँ शिक्षक के समक्ष रखता है एवं उनका समाधान प्राप्त करता है। इस प्रकार शिक्षक को सम्प्रेषण के माध्यम से छात्रों से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त होती है।

शैक्षिक सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षक शिक्षण अधिगम के विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों, शिक्षण ब्यूह रचनाओं, शिक्षण विधियों, प्रविधियों, शिक्षण सूत्रों के साथ-साथ शिक्षण सहायक सामाग्रियों का भी प्रयोग करता है।

ii. लोक सम्प्रेषण :

लोक सम्प्रेषण में सम्प्रेषण के माध्यम से व्यक्ति अपनी बात, विषयवस्तु अथवा कथन या संदेश असंख्य लोगों तक पहुंचाता है अर्थात् जब सम्प्रेषण एक व्यक्ति एवं समूह के मध्य होता है तो उसे लोक सम्प्रेषण कहते हैं। लोक सम्प्रेषण में सरल, सुगम तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है लोक सम्प्रेषण में रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तकों, वीडियो, फिल्मों तथा विज्ञापन बोर्डों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात् लोक सम्प्रेषण में जनसंचार माध्यम (Mass Media) का प्रयोग किया जाता है।

13.8 सम्प्रेषण सिद्धान्त

सम्प्रेषण प्रक्रिया प्रभावशील हो इस हेतु कुछ सिद्धान्तों का अनुसरण करना होता है। सम्प्रेषण के प्रमुख सिद्धान्त निम्न हैं—

- (1) **उपयुक्त सम्प्रेषण माध्यमों के चयन का सिद्धान्त** : प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के बीच प्रभावशाली सम्प्रेषण हेतु विभिन्न एवं उपयुक्त शाब्दिक अथवा अशाब्दिक सम्प्रेषण माध्यमों का चयन एवं प्रयोग किया जाता है।
- (2) **तत्परता एवं अभिप्रेरणा का सिद्धान्त** : संदेश प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता सम्पूर्ण सम्प्रेषण प्रक्रिया में जितने अधिक तत्पर एवं अभिप्रेरित होंगे सम्प्रेषण उतना ही प्रभावी होगा।
- (3) **अन्तःक्रिया का सिद्धान्त** : प्रभावशाली सम्प्रेषण हेतु प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता के मध्य आवश्यक भागीदारी एवं अन्तःक्रिया का होना नितान्त आवश्यक है।
- (4) **उचित पृष्ठपोषण का सिद्धान्त** : प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्ति के पश्चात् प्रेषक को उपयुक्त सकारात्मक अथवा नकारात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करने से सम्प्रेषण प्रक्रिया में रुचि एवं उत्साह बना रहता है।
- (5) **योग्यता का सिद्धान्त** : प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता को सम्प्रेषण प्रकरण पर आवश्यक योग्यता एवं सम्प्रेषण कौशल का होना आवश्यक है, फलस्वरूप सम्प्रेषण क्रिया प्रभावी सिद्ध होती है।
- (6) **सम्प्रेषण सामग्री की उपयुक्तता का सिद्धान्त** : प्रभावशाली सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेषित सामग्री की उपयुक्तता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता सम्प्रेषण प्रक्रिया में तत्पर रहें।
- (7) **सहायक वातावरण का सिद्धान्त** : प्रभावी सम्प्रेषण हेतु उपयुक्त एवं सहायक वातावरण का होना आवश्यक है। वातावरण को मध्यवर्ती चरों से रहित होना चाहिए। जैसे—शोर, अस्पष्टता, अशुद्ध उच्चारण एवं भाषायी अशुद्धता आदि।
- (8) **स्पष्टता का सिद्धान्त** : सम्प्रेषण करते समय संदेश बिल्कुल स्पष्ट भाषा में देना चाहिए जिससे संदेश प्राप्तकर्ता सम्प्रेषण को ठीक उसी अर्थ में समझ सके, जिस भाव में संदेशदाता ने संदेश प्रेषित किया हो।

- (9) **समयानुकूलता का सिद्धान्त** : कोई भी सम्प्रेषण समयानुकूल होना चाहिए अर्थात् उचित समय पर किया जाना चाहिए। यदि सम्प्रेषण का कार्य समय बीतने पर किया जाता है तो सूचनाएं प्रभावहीन होती हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

4. सम्प्रेषण प्रक्रिया का प्रारम्भ बिन्दु क्या है?

.....
.....

5. शाब्दिक सम्प्रेषण के विभिन्न प्रकार बताइये।

.....
.....

6. प्रभावशाली सम्प्रेषण हेतु अन्तःक्रिया का सिद्धान्त क्या है?

.....
.....

13.9 सम्प्रेषण में आने वाली बाधाएं

सम्प्रेषण प्रक्रिया में बाधा आ जाने पर सम्प्रेषण प्रभावी नहीं रह जाता, फलतः प्रेषित संदेश गलत अथवा अपूर्ण हो जाता है। सम्प्रेषण की बाधाओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- संदेश प्रेषणकर्ता से सम्बन्धित बाधाएं
- संदेश माध्यम से सम्बन्धित बाधाएं
- संदेश प्राप्तकर्ता सम्बन्धित बाधाएं

डॉ. कुमार ने सम्प्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया—

बाधाओं के प्रकार

बाधाएं

- | | |
|--|--|
| 1. भौतिक बाधाएं (Physical Barriers) | : शोर, अदृश्यता, वातावरण एवं भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य |
| 2. भाषा की बाधाएं (Language Barriers) | : अस्पष्ट एवं अनावश्यक शब्द, गलत उच्चारण |
| 3. मनोवैज्ञानिक बाधाएं (Physical Barriers) | : पूर्वाग्रह, अरुचि, चिन्ता, कटु अनुभव |
| 4. पृष्ठभूमि की बाधाएं (Background Barriers) | : पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेद-भाव, पूर्वकार्य स्थिति। |


13.10 सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपाय

प्रभावशाली सम्प्रेषण के लिए सम्प्रेषण प्रक्रिया में होने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है—

- संदेश की भाषा सरल, स्पष्ट एवं सुगम होनी चाहिए।
- संदेश बोधगम्य होना चाहिए।
- सम्प्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- संदेश में आवश्यकतानुसार बिन्दु विशेष पर बल दिया जाना चाहिए।
- सम्प्रेषण प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- संदेश को पूर्ण मनोयोग से एवं सक्रिय होकर सुनना चाहिए।
- सम्प्रेषण भेजने वाले एवं प्राप्तकर्ता को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए।
- सम्प्रेषण समायानुकूल होना चाहिए।
- संदेश सार्थक होना चाहिए तभी वह प्रभावशाली होता है।
- सम्प्रेषण व्यवस्था उचित रूप से नियोजित होनी चाहिए।


13.11 सम्प्रेषण में मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यम

सम्प्रेषण में मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यम को निम्न आरेख के द्वारा समझा जा सकता है—



मुद्रित सामग्री अथवा माध्यम :

वह सम्प्रेषण सामग्री जिसमें तथ्यों या विचारों का सम्प्रेषण लिखित रूप में शब्दों या संकेतों द्वारा किया जाता है। प्रभावशाली सम्प्रेषण हेतु दूरस्थ शिक्षण संस्थाएँ विशेष प से तैयार मुद्रित सामग्री का प्रयोग करती हैं। स्व अनुदेशित सामग्री तथा समाचार पत्र, जर्नल, शब्दकोष, पुस्तकें, चार्ट, पोस्टर, चित्र, ग्राफ आदि मुद्रित सामग्री के अन्तर्गत आता है।



मुद्रित सामग्री के लाभ : मुद्रित सामग्री निम्नलिखित लाभ हैं—

- यह स्वअध्ययन हेतु विशेष प्रभावी है।
- इसका उपयोग आसान है।
- यह सामान्यतया कम मूल्य की होती है।
- छात्रों का ध्यान विषयवस्तु पर केन्द्रित करती है।
- शिक्षण में रोचकता लाती है।
- यह सरलता से उपलब्ध हो जाती है।

मुद्रित सामग्री की सीमाएं : इसकी निम्न सीमाएं हो सकती हैं—

- यह प्रायः व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित नहीं होती।
- इसकी सहायता से कौशलों का विकास नहीं किया जा सकता।
- पुनर्बलन की व्यवस्था बहुधा नहीं होती है।
- यह सभी स्तर के छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होती है।

अमुद्रित सामग्री अथवा माध्यम :

वह सम्प्रेषण सामग्री जिसमें प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग किया जाता है। इसमें विषयवस्तु, ग्राफिक्स, चित्र, आवाज, संगीत, प्रतिकृति, वीडियो, इमेज आदि साधनों का प्रयोग कर सम्प्रेषण को प्रभावी बनाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है—

- श्रव्य सामग्री :** श्रव्य सामग्री में आवाज के द्वारा समस्त सूचनाओं तथा विचारों का सम्प्रेषण किया जाता है। जैसे – रेडियो, टेपरिकार्डर आदि।
- दृश्य सामग्री :** वह सम्प्रेषण सामग्री जिसमें दृश्य इन्द्रियों का प्रयोग होता है अर्थात् देखकर ही सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, जैसे— फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडोस्कोप, स्लाइड, आदि।
- श्रव्य-दृश्य सामग्री :** वह सम्प्रेषण सामग्री जिसमें सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु श्रव्य एवं दृश्य दोनों इन्द्रियों का प्रयोग होता है, जैसे— टेलीविजन, कम्प्यूटर, वीडियो डिस्क आदि।

13.12 सारांश

सम्प्रेषण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति शाब्दिक या अशाब्दिक संकेतों के माध्यम से विचारों, तथ्यों, भावनाओं इत्यादि का आदान-प्रदान करते हैं। यह द्विवाही प्रक्रिया है अर्थात् इसमें 2 पक्ष होते हैं – संदेश दाता एवं संदेश ग्रहण करने वाला। सम्प्रेषण की प्रक्रिया में सम्प्रेषण स्रोत, सम्प्रेषण सामग्री संदेश, सम्प्रेषण

माध्यम, संदेश ग्रहणकर्ता आदि तत्व आवश्यक होते हैं। सम्प्रेषण में प्रयुक्त होने वाले माध्यमों के आधार पर सम्प्रेषण 2 भागों में विभाजित किया जाता है— (1) शाब्दिक सम्प्रेषण (2) अशाब्दिक सम्प्रेषण तथा सम्प्रेषण परिस्थितियों के आधार पर सम्प्रेषण 4 प्रकार का होता है—

1) अन्तरवैयक्तिक सम्प्रेषण 2) समूह सम्प्रेषण 3) संस्थागत सम्प्रेषण 4) जन सम्प्रेषण।

उपयोग के आधार पर भी सम्प्रेषण को शैक्षिक सम्प्रेषण एवं लोक सम्प्रेषण में विभाजित किया जाता है।

प्रभावशाली सम्प्रेषण हेतु कुछ सिद्धान्तों का भी अनुसरण करना होता है, जैसे— उपयुक्त सम्प्रेषण माध्यमों के चयन का सिद्धान्त, अन्तःक्रिया का सिद्धान्त, पृष्ठपोषण का सिद्धान्त सम्प्रेषण सामग्री उचितता का सिद्धान्त आदि। सम्प्रेषण प्रक्रिया के प्रभावपूर्ण बनाने हेतु सम्प्रेषण में सहायक या बाधक तत्वों पर उचित नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। प्रभावशाली सम्प्रेषण हेतु संदेश सार्थक होना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट एवं सुगम होनी चाहिए तथा प्रतिपुष्टि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

सम्प्रेषण की प्रक्रिया में विभिन्न मुद्रित माध्यम अथवा मुद्रित सामग्री जैसे— स्वअनुदेशित सामग्री, पुस्तकें, चित्र, ग्राफ आदि तथा विभिन्न अमुद्रित माध्यम जैसे श्रव्य—रेडियो, टेपरिकार्डर, दृश्य माध्यम ओएचपी, एपिडोस्कोप तथा श्रव्य—द्रश्य माध्यम—टेलीविजन, कम्प्यूटर आदि का उपयोग किया जाता है।

13.13 अभ्यास के प्रश्न

1. सम्प्रेषण का अर्थ एवं प्रकृति स्पष्ट कीजिए।
2. सम्प्रेषण प्रक्रिया में निहित विभिन्न तत्वों का उल्लेख करें।
3. सम्प्रेषण की प्रक्रिया स्पष्ट करें।
4. शाब्दिक एवं अशाब्दिक सम्प्रेषण क्या होता है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
5. शैक्षिक सम्प्रेषण एवं लोक सम्प्रेषण में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
6. सम्प्रेषण में आने वाली विभिन्न बाधाओं का उल्लेख करें।
7. शिक्षा में सम्प्रेषण की बाधाएँ दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं?
8. मुद्रित तथा अमुद्रित माध्यमों का उदाहरण सहित वर्णन करें।

13.14 चर्चा के बिन्दु

- (1) कक्षा में सम्प्रेषण में होने वाली विभिन्न बाधाओं एवं उन्हें दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए।
- (2) विभिन्न मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यमों की उपादेयता पर चर्चा कीजिए।

13.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. सम्प्रेषण शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 'कम्प्यूनीस' शब्द से हुई है।
2. सम्प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 व्यक्ति परस्पर सामान्य रूप से सूचनाओं, भावों तथा विचारों का आदान—प्रदान करते हैं।
3. सम्प्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न तत्व निम्न हैं— सम्प्रेषण स्रोत, सम्प्रेषण सामग्री, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता, पृष्ठपोषण, सम्प्रेषण में सहायक अथवा बाधक तत्व।
4. सम्प्रेषण प्रक्रिया का प्रारम्भ सम्प्रेषण स्रोत है।
5. शाब्दिक सम्प्रेषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है—
 - (i) मौखिक सम्प्रेषण
 - (ii) लिखित सम्प्रेषण

6. प्रभावशाली सम्प्रेषण हेतु प्रेषक एवं संदेश प्राप्तकर्ता के मध्य आवश्यक भागीदारी एवं अन्तःक्रिया का होना नितान्त आवश्यक है।

13.16 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. मंगल, एस.के. (2012), शिक्षा तकनीकी, नई दिल्ली: पी.एच.आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
2. गौर, डा. भुवनेश्वर प्रसाद एवं शर्मा, डा. राकेश कुमार (2015), अध्यापक, अध्यापन एवं तकनीकी, आगरा: राखी प्रकाशन प्रा. लि.।
3. कुलश्रेष्ठ, डा. एस.पी. (2005), शैक्षिक तकनीकी के मूलाधार, आगरा: विनो पुस्तक मन्दिर।
4. शर्मा, डा. आर.ए. (2009), अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी, मेरठ: आर.लाल बुक डिपो।
5. भटनागर, डा. ए.वी. एवं भटनागर, डा. अनुराग (2017), शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी, मेरठ: आर लाल बुक डिपो।
6. जैन, डा. लाल एवं वशिष्ठ, डा. के.सी. (2006), शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, आगरा : उपकार प्रकाशन।

इकाई— 14 : कक्षा अन्तःक्रिया

इकाई की संरचना

- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 इकाई के उद्देश्य
- 14.3 कक्षा अन्तःक्रिया का अर्थ
- 14.4 कक्षा अन्तःक्रिया की प्रकृति
- 14.5 कक्षा अन्तःक्रिया के उद्देश्य
- 14.6 कक्षा अन्तःक्रिया के सिद्धान्त
- 14.7 कक्षा अन्तःक्रिया के प्रकार
- 14.8 प्रभावशाली कक्षा अन्तःक्रिया में शिक्षक की भूमिका
- 14.9 सारांश
- 14.10 अभ्यास के प्रश्न
- 14.11 चर्चा के बिन्दु
- 14.12 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 14.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

14.1 प्रस्तावना

बातचीत मानव विकास का अहम् हिस्सा है जो सोचने, विचारने और दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है। भाषा का इस्तेमाल तार्किक क्षमता, ज्ञान एवं बोध को विकसित करने के लिए एक औजार के रूप में किया जाता है। अतः कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु भी कक्षा में अध्यापक एवं छात्रों के मध्य बातचीत की अहम् भूमिका है। कक्षा में छात्र अन्तःक्रिया के विभिन्न तरीके होते हैं जिनमें दोहराने से लेकर चिन्तन स्तर की तार्किक क्षमता विकसित करने हेतु चर्चा तक शामिल है।

कक्षा अन्तःक्रिया की इस इकाई में कक्षा अन्तःक्रिया का अर्थ उद्देश्य एवं कक्षा अन्तःक्रिया के विभिन्न सिद्धान्तों की चर्चा की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत इकाई में कक्षा अन्तःक्रिया के विभिन्न प्रकार एवं प्रभावशाली कक्षा अन्तःक्रिया में शिक्षक की भूमिका भी स्पष्ट की गई है।

14.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. कक्षा अन्तःक्रिया की प्रकृति का अवबोध कर सकेंगे।
2. कक्षा अन्तःक्रिया के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे।
3. कक्षा अन्तःक्रिया के विभिन्न सिद्धान्तों को समझ सकेंगे।
4. कक्षा अन्तःक्रिया के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. कक्षा अन्तःक्रिया में शिक्षक की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे।

14.3 कक्षा अन्तः क्रिया का अर्थ

प्रारम्भ में शिक्षण प्रक्रिया में अधिकांश शिक्षक शिक्षण की पारम्परिक व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते थे जिसमें छात्र कक्षा में निष्क्रिय होकर शिक्षक द्वारा प्रस्तुत व्याख्यान सुनते रहते थे। इस विधि के माध्यम से छात्रों में स्वयं ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा तथा प्राप्त ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग की क्षमता विकसित नहीं की जा सकती। किन्तु शैक्षिक नीतियों, विधियों तथा प्रविधियों के विकास के फलस्वरूप माना जाने लगा कि कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य होने वाले संवाद अथवा बातचीत की अहम भूमिका होती है। छात्रों में आलोचनात्मक चिन्तन शक्ति, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु छात्रों को कक्षा में होने वाली बातचीत एवं क्रियाओं में सक्रियतापूर्वक भाग लेना होता है। कक्षा अन्तः क्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षक द्वारा छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। कक्षा अन्तःक्रिया में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य तथा छात्रों के आपस में होने वाले संवादों एवं क्रियाओं को महत्व दिया जाता है।

सीखने में व्यक्ति के मौजूदा ज्ञान, कौशल और अनुभवों में वृद्धि करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना मुख्य होता है। कक्षा अन्तःक्रिया इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका का निर्वाह करती है क्योंकि इससे छात्रों को इनके विचारों को स्पष्ट करने, वे क्या नहीं समझ सके हैं यह बताने, प्रश्न पूछने, नए विचारों को जानने में मदद मिलती है।

अतः कक्षा अन्तःक्रिया कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है एवं छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है।

कक्षा अन्तःक्रिया छात्रों को प्रेरित करती है एवं कक्षा में छात्र सहभागिता को बढ़ाने का कार्य करती है। कक्षा अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्रों में 2 महत्वपूर्ण भाषागत कौशलों का विकास होता है – संवाद एवं श्रवण (Speaking & Listening) अतः कक्षा अन्तःक्रिया वह युक्ति है जिसकी सहायता से छात्रों की चिन्तन शक्ति का विकास होता है एवं छात्र व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अपने विचारों अभिवृत्तियों, संवेदनाओं तथा सूचनाओं का परस्पर आदान-प्रदान करते हैं।

14.4 कक्षा अन्तःक्रिया का प्रकृति

कक्षा अन्तःक्रिया की प्रकृति निम्न है—

1. कक्षा अन्तःक्रिया सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया होती है।
2. कक्षा अन्तःक्रिया में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्ष भी समावेष्ट होते हैं।
3. प्रभावशाली कक्षा अन्तःक्रिया उत्तम शिक्षण हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
4. कक्षा अन्तःक्रिया वैयक्तिक एवं सामूहिक दोनों प्रकार की होती है।
5. कक्षा अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्रों में महत्वपूर्ण भाषागत कौशलों एवं आलोचनात्मक चिन्तन शक्ति का विकास होता है तथा छात्र सहज रूप में विचारों का आदान प्रदान करना सीखते हैं।

14.5 कक्षा अन्तः क्रिया के उद्देश्य

कक्षा अन्तःक्रिया के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं—

1. कक्षा अन्तःक्रिया की प्रक्रिया उद्देश्य युक्त होती है।
2. कक्षा अन्तःक्रिया का उद्देश्य कक्षागत शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाना होता है।
3. कक्षा अन्तःक्रिया एक पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है।
4. कक्षा अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्रों में आपस में विचार-विनिमय की योग्यता का विकास होता है।

14.6 कक्षा अन्तः क्रिया के सिद्धान्त

कक्षा अन्तःक्रिया के निम्न चार सिद्धान्त हैं—

1. **शिक्षक—छात्र अन्तःक्रिया** — शिक्षक एवं छात्र के मध्य होने वाली अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्र अपने गुरु, वरिष्ठ अथवा बॉस से आदरपूर्वक व्यवहार अथवा सम्प्रेषण करना सीखते हैं एवं बिना अभद्रता के सम्मानपूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करते हैं।
2. **छात्र—छात्र अन्तःक्रिया** — छात्रों के मध्य होने वाली वैयक्तिक अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्र अपने सहयोगी, मित्र अथवा जीवन साथी के प्रति अपने विचारों, भावनाओं तथा संवेगों को आदान प्रदान करना सीखते हैं।
3. **लघु समूह अन्तःक्रिया** — लघु समूह अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्र समूह में दिये गए दायित्वों को निर्वाह करना सीखते हैं एवं उनमें सामाजिकता की भावना का विकास होता है।
4. **सम्पूर्ण कक्षा अन्तःक्रिया** — सम्पूर्ण कक्षा अन्तःक्रिया के माध्यम से प्रत्येक छात्र कक्षा में उपस्थित समस्त छात्रों से अन्तःक्रिया करना सीखता है। यह युक्ति छात्रों को बोलने के साथ-साथ श्रवण की योग्यता का विकास करती है एवं छात्रों को दीर्घ समूह का एक छोटा सा हिस्सा बनकर कार्य करना सिखाती है।

सम्पूर्ण कक्षा अन्तःक्रिया बाह्य जीवन के सर्वाधिक निकट होती है जिससे छात्र भिन्न-2 प्रकार के व्यक्तियों को समझते हुए विचार विनिमय करना सीखते हैं।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. कक्षा अन्तःक्रिया का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

.....
.....

2. कक्षा अन्तःक्रिया द्वारा कौन से दो महत्वपूर्ण कौशलों का विकास होता है?

.....
.....

3. कक्षा अन्तःक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है?

.....
.....

14.7 कक्षा अन्तःक्रिया के प्रकार

कक्षा अन्तःक्रिया को प्रायः निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है—

1. **सहयोगात्मक अधिगम**— यह शिक्षण अधिगम की वह विधि है जिसमें छात्र आपस में समूह बनाते हैं तथा किसी समस्या का हल खोजते हैं अथवा कोई उद्देश्यपूर्ण योजना का निर्माण करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों का समूह छोटा हो जिससे हर छात्र . प्रतिक्रिया/योगदान दे सके एवं जो समस्या अथवा योजना उन्हें हल करने हेतु दी जाये वह स्पष्टतः परिभाषित हो।
2. **वार्तालाप** — वार्तालाप के माध्यम से छात्रों में आपसी सहमति तथा दूसरों के विरोधी विचारों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित की जाती है। वार्तालाप के माध्यम से अनुशासन बनाये रखते हुए कक्षा सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है।
3. **प्रश्न उत्तर** — प्रश्नोत्तर विधि कक्षा अन्तःक्रिया की पारम्परिक विधि है जिसे सुकराती विधि भी कहते हैं। इसमें छात्र अथवा शिक्षक पूछे गये प्रश्न का उत्तर देते हैं, स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं अथवा अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न उत्तर प्रणाली के तीन प्रमुख सोपान होते हैं —
 - (क) प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना।
 - (ख) उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना जिससे छात्र नवीन ज्ञान हेतु उत्सुक हो सकें।
 - (ग) प्रश्नों में सम्बन्ध स्थापित करते हुए छात्रों को नवीन ज्ञान देना।
4. **कहानी** — छात्रों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक कक्षा में विभिन्न उपयोगी एवं तथ्यपरक लघु कथाओं को सुनाता है। छात्र शिक्षक द्वारा प्रस्तुत कहानी को सुनते हैं एवं विश्लेषण कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
5. **भूमिका निर्वाह** — यह अभिनयात्मक विधि है जिसका सम्बन्ध ज्ञानात्मक तथा सामाजिक कौशल विकसित करने से है। इससे छात्रों की रुचि, अभिरूचि एवं अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इस विधि में कक्षा को छोटे-छोटे समूहों में बांट दिया जाता है और उनसे दूसरों के अनुभवों को अनुकरण कराया जाता है। इसमें छात्रों को अभिनय के लिए कोई अभ्यास नहीं कराया जाता है और उन्हें बिना किसी अभ्यास के कोई भूमिका दे दी जाती है जिसका निर्वाह छात्रों को करना होता है।

14.8 प्रभावशाली कक्षा अन्तःक्रिया में शिक्षक की भूमिका

कक्षा अन्तःक्रिया में शिक्षकों की अनेकों प्रभावशाली भूमिकाएं होती हैं जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1. शिक्षक विद्यार्थियों को कक्षा में अन्तःक्रिया के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराता है।
2. कक्षा अन्तःक्रिया में प्रत्येक छात्र की सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. विद्यार्थियों को तुलना करने में, विचार विमर्श करने में आपस में संवाद में तथा एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. छात्रों को कक्षा अन्तःक्रिया में आ रही कठिनाइयों का समय-समय पर निदान करना एवं आवश्यक सुझाव देना।
5. कक्षा में सरल स्पष्ट एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग करना।
6. प्रभावशाली कक्षा अन्तःक्रिया में शिक्षक एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है।

7. कक्षा अन्तःक्रिया को प्रभावशाली बनाने हेतु शिक्षक पाठ्यवस्तु एवं कक्षा सम्प्रेषक में सम्बन्ध स्थापित करता है।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।
4. सहयोगात्मक अधिगम स्पष्ट कीजिए।

.....
.....

5. प्रश्नोत्तर कक्षा अन्तःक्रिया के प्रमुख सोपानों का उल्लेख करें।

.....
.....

6. कक्षा अन्तःक्रिया की भूमिका निर्वाह विधि क्या है?

.....
.....

14.9 सारांश

कक्षा अन्तःक्रिया शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य विचार विनिमय करने की वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। कक्षा अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्रों में संवाद एवं श्रवण योग्यता का विकास किया जाता है। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में कक्षा अन्तःक्रिया की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कक्षा में छात्रों में उपयुक्त संवाद योग्यता का विकास करने हेतु शिक्षक-छात्र अन्तःक्रिया, छात्र-छात्र अन्तःक्रिया, लघुसमूह एवं सम्पूर्ण कक्षा अन्तःक्रिया प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कक्षा अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्रों की तार्किक शक्ति एवं आलोचनात्मक चिन्तन शक्ति का विकास किया जाता है जिससे वे स्वयं प्रेरित होकर कक्षा में होने वाली चर्चा में अथवा शिक्षण में भाग ले सकें।

सहयोगात्मक अधिगम एवं भूमिका निर्वाह कक्षा अन्तःक्रिया का एक प्रकार है जिसके द्वारा छात्रों का मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक पक्ष मजबूत होता है। इसमें छात्र किसी समस्या के समाधान हेतु सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए शिक्षक कक्षा में विभिन्न रोचक एवं प्रेरणात्मक कहानीयाँ सुनता है एवं प्रश्नोत्तर कक्षा अन्तःक्रिया द्वारा छात्रों में व्यवस्थित ढंग से उद्देश्यपूर्ण प्रश्न पूछने के कौशल का विकास होता है। प्रभावशाली कक्षा अन्तःक्रिया हेतु शिक्षक कक्षा में व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है एवं कक्षा में अन्तःक्रिया हेतु छात्रों को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराता है।

14.10 अभ्यास के प्रश्न

1. कक्षा अन्तःक्रिया का अर्थ एवं प्रकृति स्पष्ट करें।
2. कक्षा अन्तःक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है?
3. सम्पूर्ण कक्षा अन्तःक्रिया सिद्धान्त का उल्लेख करें।
4. छात्र-छात्र अन्तःक्रिया द्वारा छात्रों में कौन से गुणों का विकास होता है?
5. प्रभावशाली कक्षा अन्तःक्रिया हेतु शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करें।

6. भूमिका निर्वाह कक्षा अन्तःक्रिया स्पष्ट करें।
7. प्रश्नोत्तर कक्षा अन्तःक्रिया स्पष्ट करें।

14.11 चर्चा के बिन्दु

1. कक्षा अन्तःक्रिया के विभिन्न सिद्धान्तों पर चर्चा कीजिए।
2. कक्षा अन्तःक्रिया के विभिन्न प्रकारों की उपादेयता पर चर्चा कीजिए।
3. प्रभावशाली कक्षा अन्तःक्रिया हेतु शिक्षक की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

14.12 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. कक्षा अन्तःक्रिया कक्षागत परिस्थितियों में शिक्षक एवं छात्रों के मध्य होने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति होती है एवं छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है।
2. कक्षा अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्रों में दो महत्वपूर्ण भाषागत कौशलों का विकास होता है – संवाद एवं श्रवण
3. कक्षा अन्तःक्रिया का उद्देश्य कक्षागत शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाना होता है। कक्षा अन्तःक्रिया के माध्यम से छात्रों में आपस में विचार-विनिमय की योग्यता का विकास होता है।
4. यह शिक्षण अधिगम की वह विधि है जिसमें छात्र आपस में समूह बनाते हैं तथा किसी समस्या का हल खोजते हैं अथवा कोई उद्देश्यपूर्ण योजना का निर्माण करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों का समूह छोटा हो जिससे हर छात्र प्रतिक्रिया/योगदान दे सके एवं जो समस्या अथवा योजना उन्हें हल करने हेतु दी जाये वह स्पष्टतः परिभाषित हो।
5. प्रश्न उत्तर प्रणाली के तीन प्रमुख सोपान होते हैं –
 - (क) प्रश्नों को व्यवस्थित रूप से निर्मित करना।
 - (ख) उन्हें समुचित रूप से छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना जिससे छात्र नवीन ज्ञान हेतु उत्सुक हो सकें।
 - (ग) प्रश्नों में सम्बन्ध स्थापित करते हुए छात्रों को नवीन ज्ञान देना।
6. भूमिका निर्वाह कक्षा अन्तःक्रिया की वह विधि है जिसमें छात्रों को कोई भूमिका दे दी जाती है जिसका निर्वाह छात्रों का करना होता है। यह एक अभिनयात्मक विधि है जिसके द्वारा छात्रों की रुचि एवं अभिरुचि एवं अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है।

14.13 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. कुलश्रेष्ठ, डा० एस० पी० (2005), शैक्षिक तकनीकी के मूलाधार, आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
2. शर्मा, आर० ए० (2005), शिक्षा तकनीकी' मेरठ: इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस।
3. शर्मा, आर० ए० (2015), अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी, मेरठ: आर० लाल पब्लिकेशन्स।
4. मंगल एस० के० एवं मंगल, उमा (2012), शिक्षा तकनीकी, नई दिल्ली पी० एच० आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली।
5. गौर, भुवनेश्वर प्रसाद एवं डॉ० शर्मा, राकेश कुमार (2015), अध्यापक अध्यापन एवं तकनीकी, आगरा: राखी प्रकाशन।

इकाई-15 : कक्षा-कक्ष में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी

इकाई की संरचना

- 15.1 प्रस्तावना
- 15.2 इकाई के उद्देश्य
- 15.3 प्रदत्त एवं सूचना
- 15.4 सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का अर्थ
- 15.5 सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का संक्षिप्त इतिहास
- 15.6 सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकियों के प्रकार
- 15.7 सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व
- 15.8 सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के लक्ष्य
- 15.9 सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की सीमाएं
- 15.10 शिक्षा में सूचना संचार तकनीकी के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक सुझाव
- 15.11 सारांश
- 15.12 अभ्यास के प्रश्न
- 15.13 चर्चा के बिन्दु
- 15.14 बोध प्रश्नों के उत्तर
- 15.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

15.1 प्रस्तावना

21वीं सदी सूचना एवं संचार तकनीकी के विकास की सदी है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी एवं विज्ञान के नियमों एवं अविष्कारों का प्रयोग कर अभूतपूर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन कर उन्हें नवीन स्वरूप प्रदान किया है। कम्प्यूटर, इन्टरनेट, ई-मेल, ई-कॉमर्स, ई-एजुकेशन अन्य प्रणालियों ने सूचना एवं शिक्षा के सम्प्रेषण को अत्यधिक प्रभावी बना दिया है।

कक्षा अन्तःक्रिया की प्रकृति के अवबोध की यह तीसरी इकाई है। इस इकाई में सूचना एवं सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी का अर्थ, इतिहास, विभिन्न प्रकारों के साथ-साथ सूचना सम्प्रेषण तकनीकी की आवश्यकता, महत्व एवं लक्ष्य की चर्चा भी की गयी है। इसके अतिरिक्त सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की सीमाएँ तथा शिक्षा में इसके प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक सुझाव भी स्पष्ट किए गए हैं।


15.2 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप इस योग्य हो जायेंगे कि—

1. सूचना एवं संचार तकनीकी के सम्प्रत्यय से परिचित हो सकेंगे।
2. सूचना एवं संचार तकनीकी के अर्थ की व्याख्या कर सकेंगे।
3. परम्परागत एवं आधुनिक सूचना सम्प्रेषण तकनीकियों में अन्तर कर सकेंगे।
4. सूचना एवं संचार तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व समझ सकेंगे।
5. शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक सुझावों का वर्णन कर सकेंगे।

15.3 प्रदत्त एवं सूचना

किसी चर की मात्रा, कीमत अथवा गुण को प्रदत्त रूप में प्रकट किया जाता है प्रदत्त एक प्रकार के तथ्य, प्रेक्षण, अवधारणाएं अथवा घटनाएं हैं। प्रदत्त वे तथ्यात्मक वस्तु हैं, जिनका उपयोग विवेचना करने, निर्णय लेने, गणना करने तथा मापन में किया जाता है। ये प्रदत्त आंकिक रूप में वर्णमाला के रूप में अथवा विशेष संकेतों के रूप में हो सकते हैं। सूचना की व्युत्पत्ति प्रदत्त (Data) से होती है। प्रदत्त एक प्रकार की मूल सामग्री (Raw Material) है जिनसे सूचनाओं की उत्पत्ति होती है। मूलरूप से प्रदत्तों का अपना कोई अर्थ नहीं होता इसलिए उन्हें अपूर्ण माना जाता है। अतः प्रदत्तों की प्रोसेसिंग करके उनकी विवेचना की जाती है, ताकि उनमें निहित सामान्य अर्थ को समझा जा सके। इसी निवेचित प्रदत्त को सूचना 'Information' कहते हैं।



इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रदत्त (Data) सातत्यक (Continuous) तथ्य होते हैं एवं असंगठित सूचना को व्यक्त करते हैं। जब इन प्रदत्तों को प्रक्रिया में डाला जाता है तब वह सूचना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार सूचना का स्वरूप संगठित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक होता है। सूचनाओं के माध्यम से हम किसी वस्तु अथवा तथ्य (विषय) को उत्तम ढंग से समझ लेते हैं।

15.4 सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का अर्थ

आधुनिक मानव औद्योगिक क्रान्ति के बाद सूचना क्रान्ति के युग में प्रवेश कर चुका है। आजकल सूचना क्रान्ति ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को अत्यधिक प्रभावित किया है। इस सूचना क्रान्ति ने भविष्य में अनेक चुनौतियों, अवसरों एवं प्रतिस्पर्धाओं का सृजन किया है जिनके साथ सामन्जस्य स्थापित करने के लिए सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है।

आधुनिक युग को सूचना सम्प्रेषण तकनीकी क्रान्ति का युग कहा जाता है। सम्प्रेषण वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी भी सूचना को जैसे विचारों, तथ्य, मान्यताओं आदि को दूसरों तक पहुँचाते हैं अर्थात् सम्प्रेषण एक द्विपक्षीय क्रिया है किन्तु सूचना प्राप्ति तब तक अधूरी है जब तक उसका उपयोग अथवा हस्तांतरण न किया जाए, अतः सूचना का प्रभावी सम्प्रेषण भी अत्यन्त आवश्यक है। तकनीकी अथवा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना का प्रभावशाली सम्प्रेषण सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी कहलाता है। अथवा सूचना प्राप्ति और उसे प्रभावशाली विधि से नियन्त्रित, व्यवस्थित एवं आदान-प्रदान करने की प्रक्रिया को सूचना सम्प्रेषण तकनीकी कहते हैं। सूचना सम्प्रेषण तकनीकी वह तकनीकी है जिसके द्वारा सूचना का सम्प्रेषण कार्य प्रभावी ढंग से किया जाता है।

प्रदत्तों का विश्लेषण कर प्राप्त संगठित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सूचना को किसी मशीन अथवा तकनीक के माध्यम से सम्प्रेषण किया जाना सूचना सम्प्रेषण तकनीकी कहलाती है। इस प्रकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वह तकनीक है जिसके द्वारा सूचना के सम्प्रेषण का कार्य प्रभावशाली विधि से किया जाता है। "यह एक नवीन तथा उभरती हुई, विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें समय और स्थान के आयामों का शिक्षण और अधिगम में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस तकनीक के माध्यम से दूरस्थ छात्रों को भी उत्तम गति से शिक्षा प्रदान की जा सकती है।"

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के प्रेषण, संग्रहण, प्रदर्शन या आदान-प्रदान की प्रक्रिया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत रेडियो, टीवी, डीवीडी, टेलीफोन, सैटेलाइट प्रणाली, कम्प्यूटर, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर नेटवर्क आदि सम्मिलित किए जाते हैं। सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के निम्नलिखित कार्य हैं—

- सूचनाओं का संग्रह करना
- सूचनाओं का सम्प्रेषण करना
- सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना

15.5 सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का संक्षिप्त इतिहास

सूचना संबंधी तथ्यों एवं आंकड़ों के संग्रह एवं हस्तान्तरण का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। प्रारम्भ में सूचना अथवा आंकड़ों का संग्रह एवं हस्तान्तरण मौखिक रूप से किया जाता था। फिर कागज एवं लेखन कला के आविष्कार ने सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित किया। इसके पश्चात विभिन्न मशीनों एवं मुद्रण साधनों ने सूचना एवं सम्प्रेषण के क्षेत्र में प्रभावशाली योगदान दिया।

- 1837 – अमेरिका के मोर्स द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार
- 1850 – फोटोग्राफी का आविष्कार
- 1876 – ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार
- 1895 – इटली निवासी जी.मारकोनी द्वारा रेडियो का आविष्कार
- 1900 – फ्रांस के प्रो. ग्राफीन द्वारा फोटोस्टेट तकनीक का आविष्कार
- 1925 – स्काटलैण्ड निवासी जे.एल. बेयर्ड द्वारा टेलीविजन का आविष्कार
- 1938 – अमेरिकन प्रो. एफ. कार्लसन द्वारा फोटोग्राफी Xerography का आविष्कार
- 1948 – ट्रांजिस्टर का आविष्कार
- 1960 – अमेरिका के थियोडोर मेमन द्वारा प्रिंटिंग में प्रयुक्त लेसर तकनीक का आविष्कार
- 20वीं शताब्दी में अति आधुनिक उपकरणों मेगनेटिक वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क एवं कम्प्यूटर का विकास।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

क) नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

ख) इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

1. प्रदत्त एवं सूचना में अन्तर स्पष्ट करें।

.....
.....

2. सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का अर्थ स्पष्ट करें।

.....
.....

3. सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के विभिन्न कार्यों का उल्लेख करें।

.....
.....

15.6 सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीक के प्रकार

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकियों का अस्तित्व प्राचीनकाल से ही हो रहा है। समस्त सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकियों को कालखण्ड के अनुसार 2 भागों में बांटा जा सकता है।

परम्परागत सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकियां—

- मुद्रित सामग्रियां जैसे— पाठ्य पुस्तक, ग्रन्थ, पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं आदि।
- मौखिक सूचनाएं एवं ज्ञान।
- चित्रात्मक साधन जैसे—चित्र, चार्ट, कार्टून, मानचित्र आदि।
- त्रिआयामी सहायक साधन/सामग्रियां जैसे—नमूने, मॉडल आदि।

आधुनिक सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकियां—

- आधुनिक सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकियां बहुमाध्यम उपगम पर आधारित होती हैं।
- कम्प्यूटर, लैपटॉप।
- ई-मेल, इण्टरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब (WWW)
- वर्चुअल क्लासरूम, ई-लर्निंग।
- हाईपरमिडिया तथा हाइपर टेक्स्ट रिसोर्सज।

15.7 सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी ने सम्पूर्ण विश्व को एक छत के नीचे खड़ा कर दिया है। वर्तमान युग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। सूचना एवं संचार तकनीकी के नित नए आयामों का उपयोग शिक्षा के उन्नयन एवं प्रभावीकरण में किया जा रहा है।

वर्तमान सन्दर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है—

- सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग कर छात्र सूचना के विभिन्न स्रोतों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, संग्रहण करते हैं एवं व्यवस्थित कर आवश्यकतानुसार उपयोग में लेते हैं।
- सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया को सरल सुगम एवं सार्थक बनाती है।
- सूचना एवं सम्प्रेषण की विभिन्न तकनीकियां जैसे— अभिक्रमित सामग्री, शिक्षण मशीन एवं कम्प्यूटर निर्देशित स्वअधिगम सामग्री अध्यापकों को छात्र में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाने में सहायता करती है।
- शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन एवं शैक्षिक गतिविधियों के उचित प्रबन्धन में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकियां उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है।
- सूचना सम्प्रेषण तकनीकी पाठ्य सामग्री को बहुमाध्यम उपागम की सहायता से बोधगम्य बनाती है।
- सूचना सम्प्रेषण तकनीकी शिक्षा के तीनों प्रकारों औपचारिक, निरौपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा को प्रभावी बनाने में सहायता प्रदान करती है।
- सूचना, सम्प्रेषण तकनीकी शैक्षिक अनुसंधान हेतु आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े आदि प्रदान करती है। सूचनाओं के प्राप्ति एवं भंडारण में सूचना सम्प्रेषण तकनीकी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

15.8 सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के लक्ष्य

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के शिक्षा एवं अनुसन्धान में निम्नलिखित लक्ष्य हैं—

- शिक्षा तथा अनुसन्धान द्वारा प्राप्त विभिन्न तथ्यों सिद्धान्तों तथा सूचनाओं का भंडारण एवं हस्तांतरण करना।
- शिक्षार्थियों को स्व-शिक्षण के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना जिससे वे अपनी आवश्यकतानुसार एवं योग्यतानुसार शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा में तकनीकी के विभिन्न आयामों से परिचय कराना।
- पत्राचार एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रभावशाली बनाना।
- निरौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना एवं औपचारिक शिक्षा का भार कम करना।
- सूचनाओं का मूल्य पहचानकर उन्हें जन साधारण के लिए उपयोगी बनाना।

- ई-कॉमर्स, इण्टरनेट, क्रेडिट-डेबिट कार्ड आदि को अधिकाधिक प्रचलित कर राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता करना।

15.9 सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की समीक्षा

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का उपयोग करने के सन्दर्भ में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके प्रयोग सम्बन्धी सीमाओं तथा इसमें निहित दोष निम्न हैं—

- सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी ने ज्ञानात्मक पक्ष के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है परन्तु भावात्मक एवं संवेगात्मक क्षेत्र में इसका योगदान अत्यन्त सीमित है। भावात्मक पक्ष का विकास शिक्षक के द्वारा ही सम्भव है।
- सीमित भौतिक संसाधन उपलब्ध होने के कारण अधिकांश विद्यालयों के लिए संबंधित तकनीकी उपकरण खरीदना, उनकी मरम्मत एवं देखभाल करना सम्भव नहीं।
- बहुत सी सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के प्रयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण अति आवश्यक है इस प्रशिक्षण के बिना छात्र एवं शिक्षक विभिन्न तकनीकी उपकरणों का सही ढंग से पूरा लाभ नहीं ले सकते।
- सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी के द्वारा सभी प्रकार की शैक्षिक समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। यह विशेष रूप से शिक्षण एवं अनुदेशन प्रणाली के विकास के लिए ही उपयोगी है।

15.10 शिक्षा में सूचना संचार तकनीकी के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक सुझाव

- समय-समय पर योग्य प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षकों को ICT संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- CIET, क्षेत्रीय कॉलेजों तथा एकेडमिक स्टॉफ कालेजों में शिक्षा तकनीकी से जुड़े प्राध्यापकों को विशेष स्थान दिया जाए।
- प्रत्येक विद्यालय में सूचना-संचार तकनीकी अथवा शिक्षा तकनीकी विभाग आवश्यक रूप से स्थापित किया जाए जहाँ विभिन्न तकनीकी उपकरणों का संग्रह एवं रख-रखाव की व्यवस्था की जाए।
- बी.एड. तथा एम.एड. की कक्षाओं में ICT आधारित विशेष प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम बनाए जाएं।
- समय-समय पर सूचना-संचार तकनीकी से संबंधित साहित्य का प्रकाशन एवं संगोष्ठी का आयोजन करना चाहिए।
- NCTE में योग्य एवं अनुभवी शिक्षा तकनीकीविदों को स्थान दिया जाए।
- सूचना संचार तकनीकी उपकरणों के निर्माण एवं प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- अध्यापकों को विभिन्न तकनीकी उपकरणों के निर्माण हेतु आवश्यक वित्तीय मदद प्रदान की जाए।
- सूचना संचार तकनीकी से संबंधित शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

बोध प्रश्न

टिप्पणी :

- नीचे दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- इकाई के अंत में दिए गए बोध प्रश्नों के उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए।

- आधुनिक सूचना सम्प्रेषण तकनीकियों के उदाहरण लिखिए।

.....

5. सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का लक्ष्य क्या है?

.....

6. WWW का पूर्ण नाम लिखिए।

.....

15.11 सारांश

सूचना सम्प्रेषण तकनीकी वह तकनीकी है जो सूचना सामग्री के संग्रहण, भंडारण, उपयोग, स्थानान्तरण, पुनः प्रस्तुतीकरण आदि कार्यों को प्रभावशाली विधि से सम्पादित करती है। सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का मुख्य लक्ष्य शिक्षा तथा अनुसंधान द्वारा प्राप्त विभिन्न तथ्यों सिद्धान्तों तथा सूचनाओं का संग्रहण एवं प्रभावशाली हस्तान्तरण है यह निरौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देकर औपचारिक शिक्षा का भार भी कम करती है।

सूचना सम्प्रेषण तकनीकी को परम्परागत तकनीकियों (मुद्रित सामग्री-पाठ्यपुस्तक, ग्रन्थ आदि, चित्रात्मक साधन-चार्ट, कार्टून, आदि) त्रिआयामी सहायक साधन (नमूने, मॉडल आदि) तथा आधुनिक तकनीकियों (कम्प्यूटर, लैपटाप, ई-मेल आदि) में विभाजित किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना सम्प्रेषण तकनीकी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षक, शिक्षार्थी, अनुसन्धानकर्ताओं आदि सभी को अपने-अपने कार्य सम्पादित करने में सूचना सम्प्रेषण तकनीकी अत्यन्त प्रभावी सिद्ध हो रही है। सूचना सम्प्रेषण तकनीकी स्वशिक्षण, निरौपचारिक शिक्षा, पत्राचार एवं दूरस्थ शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी प्रभावी योगदान दे रही है।

अपने उपयोग की असीम संभावनाओं के साथ-साथ सूचना सम्प्रेषण तकनीकी की कुछ अपनी सीमाएं भी हैं जैसे छात्रों के भावात्मक एवं संवेगात्मक पक्ष के विकास में सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का योगदान अत्यन्त सीमित है। विद्यालय में इसके उपयोग हेतु उपयुक्त सुविधाओं, परिस्थितियों का अभाव, शिक्षकों एवं छात्रों में इसके प्रति अज्ञान तथा पूर्वाग्रह, प्रशिक्षण का अभाव आदि सूचना सम्प्रेषण तकनीकी की संभावनाओं को प्रभावित करती है।

15.12 अभ्यास के प्रश्न

1. सूचना तथा सम्प्रेषण तकनीकी से आप क्या समझते हैं? इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए।
2. सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के उद्भव एवं विकास को संक्षेप में उल्लेखित करें।
3. विभिन्न परम्परागत एवं आधुनिक सूचना सम्प्रेषण तकनीकियाँ कौन-कौन सी हैं? उल्लेख करें।
4. विद्यालयी व्यवस्था में सूचना सम्प्रेषण तकनीकी की उपादेयता स्पष्ट करें।
5. सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के विभिन्न लक्ष्यों पर प्रकाश डालिए।
6. सूचना सम्प्रेषण तकनीकी की सीमाएँ स्पष्ट करें।
7. शिक्षा की प्रक्रिया में सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करें।

15.13 चर्चा के बिन्दु

1. सूचना तथा सम्प्रेषण तकनीकी की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।


2. सूचना तथा सम्प्रेषण तकनीकी के उपयोग की विभिन्न सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

15.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. प्रदत्त सातत्यक तथ्य होते हैं एवं असंगठित सूचना को व्यक्त करते हैं जबकि प्रदत्तों को प्रक्रिया में डालने पर वह सूचना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रदत्त मूल सामग्री होते हैं तथा सूचना का स्वरूप संगठित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक होता है।
2. प्रदत्तों का विश्लेषण कर प्राप्त संगठित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सूचना को किसी मशीन अथवा तकनीक के माध्यम से सम्प्रेषण किया जाना सूचना सम्प्रेषण तकनीकी कहलाती है।
3. सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के निम्नलिखित कार्य हैं:-
 - सूचनाओं का संग्रह करना
 - सूचनाओं का सम्प्रेषण करना
 - सूचनाओं का पुनरुत्पादन करना
4. आधुनिक सूचना सम्प्रेषण तकनीकी के निम्न उदाहरण हैं-
 - कम्प्यूटर, लैपटॉप
 - ई-मेल, इण्टरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब (WWW)
 - वर्चुअल क्लासरूम, ई-लर्निंग
 - हाईपरमिडिया तथा हाइपर टेक्स्ट रिसोर्सेज
5. शिक्षा तथा अनुसन्धान द्वारा प्राप्त विभिन्न तथ्यों सिद्धान्तों तथा सूचनाओं का भंडारण एवं हस्तांतरण करना।
6. World Wide Web

15.15 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1. मंगल, एस.के. (2012), शिक्षा तकनीकी, नई दिल्ली: पी.एच.आई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड।
2. गौर, डा. भुवनेश्वर प्रसाद एवं शर्मा, डा. राकेश कुमार (2015), अध्यापक, अध्यापन एवं तकनीकी, आगरा: राखी प्रकाशन प्रा. लि.।
3. कुलश्रेष्ठ, डा. एस.पी. (2005), शैक्षिक तकनीकी के मूलाधार, आगरा: विनो पुस्तक मन्दिर।
4. शर्मा, डा. आर.ए. (2009), अध्यापक शिक्षा एवं प्रशिक्षण तकनीकी, मेरठ: आर.लाल बुक डिपो।
5. भटनागर, डा. ए.वी. एवं भटनागर, डा. अनुराग (2017), शिक्षक, शिक्षण एवं तकनीकी, मेरठ: आर लाल बुक डिपो।
6. जैन, डा. लाल एवं वशिष्ठ, डा. के.सी. (2006), शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता, आगरा : उपकार प्रकाशन।



शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज - 211013

“अपने भाइयों को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि मोम न बनें और आसानी से पिघल न जायें। छोटी-छोटी सी बातों के लिए ही हम अपनी भाषा को या संस्कृति को न बदलें।”

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

प्रयागराज



।। सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् ।।



शान्तिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, प्रयागराज - 211013

www.uprtou.ac.in

टोल फ्री नम्बर- 1800-120-111-333